खण्ड-377, अंक-6
मंगलवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1908
(1 अप्रैल, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1986)

खण्ड 377 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 105

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 1976–77 (सदन के पटल पर रखी गयी) 105–106

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 1976–77 को विलम्ब से सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति .. 106–107

यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन 1982–83 (सदन के पटल पर रखा गया) 107

नगर विकास अनुभाग–2 की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी) .. 107

दि यू0पी0 स्टेट लेदर डेवलपमेंट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन 1981–82 (सदन के पटल पर रखा गया) 107

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1985....(सदन के पटल पर रखी गयी) 107

उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1984 को गत सत्र में न लाकर इस सत्र में विलम्ब से सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का ग्रहन .. 107–108

उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा (तीसरा संशोधन) निमावली, 1984 (सदन के पटल पर रखी गयी) .. 108–109

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1982–83 (दशम् प्रतिवेदन) (सदन के पटल पर रखे गए) 109

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के वर्ष 1978–79, 1979–80 एवं 1980–81 के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) 109

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1983–84 का वार्षिक प्रतिवेदन (सिविल) ... (सदन के पटल पर रक्खा गया) 109

उत्तर प्रदेश वित्त एवं विनियोग लेखे (1983–84) (सदन के पटल पर रखे गए) 109

कुमायूं मंडल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की एकादश वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1981–82 (सदन के पटल पर रखा गया) .. 109

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1986 (सदन के पटल पर रखी गयी) 109–110

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन, 1976-77 (सदन के पटल पर रखा गया) 110

उत्तर प्रुदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 110

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) 110

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1986 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) 110

पृष्ठ सं0

उत्तर प्रदेश विनियोग (1985–86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 110–111

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 111

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 111

श्री राजबहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना .. 111

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1985–86) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. 111

जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहांव में नलकूप निगम द्वारा 49 ट्यूबवेलों की श्रृंखला के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) .. 111–112

जनपद बलिया के ब्लाक गड़वार में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) 112

जनपद बलिया के गड़वार ब्लाक में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करके 40 शैय्यायुक्त करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) 112

लखनऊ नगर के निवासियों की परेशानी को दूर करने के विषय में याचिका (उपस्थित की गयी) 112

जनपद मुजफ्फरनगर के श्री श्रवण कुमार को उत्तर प्रदेश निर्यात निगम में पुनः पूर्व पद पर नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित को गयी) 112

कानपुर से रायबरेली को जाने वाली बस से यात्रा के दौरान श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा को अचलगंज, उन्नाव के दरोगा श्री विश्राम दीन द्वारा अपमानित किए जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को सूचना 112–117

श्री हरिशंकर तिवारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण देने तथा कार्यवाही से कुछ अंशों को निकाले जाने के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर बोलने का प्रयास (जारी) 118–120

दिनांक 10 मार्च, 1986 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न–1 के सन्दर्भ में पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य .. 120

श्री हरिशंकर तिवारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण देने तथा कार्यवाही से कुछ अंशों को निकाले जाने के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर बोलने का प्रयास 120

श्री मयंकर सिंह की गिरफ्तारी की सूचना सदन को दिए जाने की मांग .. 121

चिकित्सा विभाग के अनुदानों पर स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों के जूनियर डाक्टर्स के वेतन वृद्धि की गयी घोषणा के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य .. 121

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना किए जाने की मांग के सम्बन्ध में वक्तव्य 121–131

मेरठ के होमगार्ड के 27 जवानों के लापता होने के सम्बन्ध में वक्तव्य 132–135
इलाहाबाद में छात्रों पर लाठी चार्ज किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य 135–138
नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय, उत्तर प्रदेश को समाप्त करने की साजिश के सम्बन्ध में वक्तव्य 138–145
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था में कार्य करने हेतु विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 145
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 (पुर:स्थापित किया गया) .. 145
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 की कार्यसूची के मद संख्या 37 के बाद लिए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 145–146
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 146–165
कार्य सूची की मद संख्या 44 और 45 को मद संख्या 29 के बाद लिए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 165–166
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 (जारी) 166
श्री यदुनाथ सिंह को सदन से निलम्बित किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 166
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 (पारित) 167–170
नत्थियां 171–181

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 1 अप्रैल, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	मोहम्मद उमर, डा0	गोण्डा
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
इकबाल अहमद, श्री	आजमगढ़	राज बहादुर, श्री	जौनपुर
औसान सिंह, श्री	इटावा	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
चन्द्र सेन, श्री	जौनपुर	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	राम आसरे, श्री	सुल्तानपुर
त्रिलोक चन्द्र, श्री	बुलन्दशहर	रिछपाल सिंह बंसल, श्री	मेरठ
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
देवेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं	शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच		

नोट:-श्री सिब्ते रजी शिक्षा मंत्री, श्री निसार अहमद अंसारी, लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 1 अप्रैल, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में उद्योगों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नीति

****1–श्री बदन सिंह–**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उद्योगों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी क्या नीति है?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करता है, जिसके द्वारा प्रदेश में नये लगने वाले उद्योगों एवं कार्यरत उद्योगों द्वारा सम्भावित प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित कार्यवाही करने का प्रयास किया जाता है। शासन की नीति है कि रचनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत प्रदूषणकारी उद्योगों को उत्प्रवाह शुद्धिकरण व वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था हेतु प्रेरित करें जिससे उत्प्रवाह व उत्सर्जन की गुणता निर्धारित मानकों के अनुरूप बनी रहे। जल के श्रोत्रों तथा वायु मंडल की गुणता बनाये रखने के उद्देश्य से अनुश्रवण सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्राविधानों से औद्योगिक इकाइयों को निरन्तर अवगत कराया जाता है।

प्रदूषणकारी उद्योगों व अन्य संस्थायें जो अधिनियम के प्राविधानों का लगातार उल्लंघन करती है, के विरुद्ध नियमानुसार अभियोजनात्मक कार्यवाही की जाती है।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने यह बड़ा भ्रमात्मक उत्तर दिया है। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था और पूरे प्रदेश से सम्बन्धित था, लेकिन मा0 मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें एक जगह जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 लिखा है और उसके दूसरे खण्ड में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 लिख दिया है। तो मान्यवर, पहले यह स्पष्ट करवा दीजिये कि यह जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 में बना था या 1981 में बना था ?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, यह पहले 1974 में बना था।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने उद्योगों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के संबंध में दो उत्तर दिये। एक जल प्रदूषण के सम्बन्ध में उत्तर दिया कि अधिनियम 1974 में बना था और दूसरा वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया कि 1981 में बना था। लेकिन एक और प्रदूषण है 'ध्वनि प्रदूषण'। क्या मा0 मंत्री जी बताएंगे कि ध्वनि प्रदूषण के निवारण के लिये सरकार के सामने कोई अधिनियम बनाने का सवाल है ? क्या ध्वनि प्रदूषण को दूर

करने के लिये अधिनियम बनाने पर विचार हो रहा है ?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि इसी संदर्भ में पिछले इसी सत्र में एक प्रश्न आया था और उस संदर्भ में मैंने स्वयं यह कहा था कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में कोई कार्यवाही शुरू की जाय । इसके बारे में हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जल प्रदूषण बोर्ड और वायु प्रदूषण बोर्ड, इन दोनों के गठन के बाद क्या प्रदेश में वायु प्रदूषण में जो प्रगति बराबर हो रही है, उसमें कितने प्रतिशत प्रदूषण रोकने में, वायु प्रदुषण बोर्ड नियंत्रण करने में सफल हो सका है ?

श्रीमन्, जल प्रदूषण में जिस प्रकार से नदियों के जल प्रदाह में रोज स्थानीय निकायों से गंदगी बहायी जा रही है और जो कारखानों से वेस्ट प्रोडक्ट बहाया जा रहा है-इन सब पर नियंत्रण करने के लिये कितने प्रतिशत आपने कार्य किया है ? इसके अीतरिक्त किन-किन उद्योगों पर आप रोक लगाने में सफल हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो बड़ा विस्तृत सवाल है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह इससे संगत प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

कानपुर, इलाहाबाद, हरिद्वार वहां के लिये आप पूछ लीजिये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जो प्रश्न है वह यही है कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उद्योगों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये, इसीलिये मैंने यह पूछा कि जिन-जिन उद्योगों से, जो वायु प्रदूषण हो रहा है, उसको रोकने के लिये वायु प्रदूषण बोर्ड कितना सफल हुआ है ? मान्यवर, आगरा, फैजाबाद, गाजियाबाद इन इलाकों में जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, बथुरा रिफाइनरी है, इससे वायु प्रदूषण की गति तेज हो रही है । आपने जो यह नियम बनाया है, उसके पश्चात् से कितनी फैक्ट्रियों का इस संदर्भ में चालान हुआ है ? इसके अतिरिक्त नदियों में जो स्थानीय निकायों से गन्दगी बहायी जा रही है-उसको रोकने की दिशा में क्या कार्य हुआ है ? यह बिल्कुल संगत प्रश्न है और इस प्रश्न की परिधि में है ?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न के आधे हिस्से को पढ़ा और आधे हिस्से को छोड़ गये । प्रश्न के अंतिम भाग में इस प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार की प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नीति पूछी गयी थी । मान्यवर, वह नीति जो है, वह मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता दी ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नियम के बनने के बाद से कितनी ऐसी फैक्ट्रियों का चालान किया गया है उ0 प्र0 में, जो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण बढ़ा रही हैं ?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, यह प्रश्न से संबंधित तो है लेकिन अगर माननीय सदस्य इस संबंध में अलग से प्रश्न कर लें तो पूरी जानकारी दे दी जायेगी कि कितनी फैक्ट्रियों पर रोक लगायी है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से संबंधित विशेष रूप से जो जनपद आते हैं, विभागीय मिली भगत से आज भी वहां पर प्रदूषणकारी उद्योग चल रहे हैं । क्या ऐसे जनपदों में, जिनमें आगरा, मथुरा आदि जिले शामिल हैं, प्रदूषण विहीन उद्योग, जैसे इलेक्ट्रानिक, पावरलूम आदि लगाने पर कोई विचार कर रहे हैं ?

श्री राम औतार दीक्षित–

हां, इस संदर्भ में हमारा प्रयास जारी है ।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, ताजमहल के ट्रेपीजियम के संबंध में मथुरा का जो 80 कि0 मी0 का क्षेत्र बना हुआ है और वरदराजन कमेटी के अनुसार वह 50 कि0 मी0 होना चाहिये । क्या उस 80 कि0 मी0 को पुनः 50 कि0 मी0 करने की कृपा करेंगे ताकि वहां औद्योगीकरण हो सके और धुंआ छोड़ने वाली इंडस्ट्री उस क्षेत्र में लग सके ?

श्री राम औतार दीक्षित–

यह इस समय संभव नहीं हो सकेगा।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मथुरा रिफाइनरी से जो प्रदूषण हो रहा है, उससे और वहां के आस-पास के क्षेत्रों के तरह-तरह के उद्योगों से ताजमहल जैसी ऐतिहासिक इमारत को क्षति पहुंच रही है । क्या यह सरकार केन्द्रीय सरकार को इस आशय की जानकारी देते हुए एक पत्र लिखेगी कि मथुरा रिफाइनरी से जो प्रदूषण हो रहा है, उससे वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और ताजमहल को भी क्षति पहुंच रही है ?

श्री अध्यक्ष–

ताजमहल और मथुरा रिफाइनरी वाले मामले को तो कई बार केन्द्र देख चुका है ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, केन्द्र सरकार को तो यह लिख सकते हैं ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा प्रदूषणकारी जो उद्योग हैं, वे चार श्रेणी के हैं । टैनरी, टैक्सटाइल, पेपर मिल और चीनी मिल । इन मिलों में से निकलने वाले प्रदूषणकारी पदार्थों को रोकने के लिए ईंजली संयत्र लगाये जा सकते हैं । वैसे जो यह अधिनियम है, वह सभी उद्योगों पर लागू होता है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा जो ये 4 श्रेणी के इण्डस्ट्रीज हैं, उनमें से पौल्यूशन हटाने के लिए जो संयंत्र लगने हैं, वे एक निश्चित समय के अन्दर स्थापित कर दिये जायेंगे ? दूसरा, यह कि जो आने वाली फैक्ट्रीज हैं, उनमें पहले से ही पौल्यूशन कन्ट्रोल का संयंत्र लगाने का प्राविधान हो, तभी उसे लाईसेन्स दिया जायेगा ?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, इस संबंध में पहले से ही प्राविधान है कि जो नई फैक्ट्रोज

लगेंगी, उनमें पहले से ही प्रदूषण रोकने के लिए प्राविधान होना चाहिए, वरना वह नहीं लग सकती है। दूसरा, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके बारे में हम प्रयत्नशील हैं कि ऐसे संयत्र लगें जिससे प्रदूषण पर रोक लगे।

रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर उ0 प्र0 में कार्यरत कर्मचारियों का वेतनमान

**2–श्री अशोक बाजपेयी (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश शासन की संस्था है, में भारत सरकार के वेतनमान लागू हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य शासन के अधीन इसी के अनुरूप भारत सरकार के वेतनमान अन्य विभागों में भी लागू करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेंटर उत्तर प्रदेश शासन का विभाग नहीं है वरन यह शासन द्वारा पोषित एक विशिष्ट वैज्ञानिक स्वशासी पंजीकृत संस्था है। उक्त संस्था द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार समकक्ष अर्हता रखने वाले केवल वैज्ञानिक तथा तकनीकी वैज्ञानिकों के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/अंतरिक्ष विभाग के वैज्ञानिकों एवं तकनीकी वैज्ञानिकों हेतु प्रचलित वेतनमान लागू करने का निश्चय किया गया। यह वेतनमान केवल उन्हीं श्रेणी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी वैज्ञानिक सेवकों के लिए लागू होंगे जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुरूप हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुरूप वेतनमानों का अन्य विभागों में लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर कथित विचार

*1–श्री मित्रसेन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 86 के तृतीय सप्ताह में केन्द्रीय सरकार ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर प्रदेश सरकार से कोई सुझाव या प्रस्ताव मांगा है तथा क्या उक्त रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर भी सहमति मांगी है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा प्रदेश सरकार उक्त रिपोर्ट लागू करने पर क्या विचार कर रही है ?

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

जी नहीं, केन्द्र सरकार ने सरकारिया आयोग की कथित रिपोर्ट पर प्रदेश सरकार से कोई सुझाव अथवा उसके कार्यान्वयन पर सहमति नहीं मांगी है। अतः कथित रिपोर्ट लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि सरकारिया आयोग जनवरी में यहां पर आया था। आयोग ने माननीय मंत्री जी से कुछ रिपोर्ट और कुछ प्रस्ताव के बारे में जानना चाहा था। माननीय मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि सरकारिया आयोग के समक्ष राज्यों के वित्तीय बंटवारे का भी प्रश्न है और उससे इस प्रदेश को अलग नहीं किया जा सकता है लेकिन माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया कि न ही हमसे कोई वार्ता हुई और न ही हमसे

कोई रिपोर्ट मांगी गई । माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सरकारिया आयोग के समक्ष राज्य का जो वित्तीय बंटवारे का विषय विचाराधीन है, उस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कोई प्रस्ताव अपना दिया है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जहां तक सरकारिया आयोग का सवाल है, उसने अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । यह सच है कि 19 जनवरी से 22 जनवरी तक सरकारिया आयोग उत्तर प्रदेश में आया था, उसने सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता की, समाज के विभिन्न वर्गों से वार्ता की और विरोधी दल के नेताओं को भी वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया, कतिपय कारणों से वह उपस्थित नहीं हो सके जहां तक सरकारिया आयोग का प्रश्न है, हमने कोई रिपोर्ट और अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है। जो प्रश्न उन्होंने रखे थे, उस संबंध में हमने दो बिन्दु बहुत स्पष्ट कर दिए । पहला, केन्द्र को हम मजबूत चाहते हैं । उसकी मजबूती के बगैर देश की एकता और अखण्डता कायम नहीं रह सकती है जहां तक वित्तीय बंटवारे का संबंध है, हमने स्पष्ट किया है । वित्तीय साधन के बंटवारे के समय दो बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है । एक तो प्रदेश की आबादी के आधार पर वित्तीय संसाधन दिए जायं और दूसरे, पिछड़ेपन को आधार माना गया है । प्रदेश जितना पिछड़ा हो, उतने ही आर्थिक संसाधन दिए जाने चाहिए । इन्हीं दो बिन्दुओं पर विचार प्रगट किया है ।

श्री मित्रसेन–

वित्तीय बंटवारे के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्रतिशत आबादी के आधार पर कितनी धनराशि के बंटवारे का प्रस्ताव किया है ? आयोजनागत और आयोजनेत्तर में जो अन्तर है राज्यों के बंटवारे के अन्दर, उसमें क्या सुझाव दिया है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मैंने स्पष्ट किया कि अभी कोई रिपोर्ट सरकारिया आयोग की नहीं आई है, जब आयेगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश का हित जैसे सुरक्षित रख सकती है, रखेगी । अभी सुझाव की स्टेज नहीं आई है, अभी वृहद् दृष्टिकोण से विचार किया गया है । इसके अन्तर्गत एक आधार तो आबादी का है । जितनी आबादी है, उतने ही साधन मुहैय्या होने चाहिए । दूसरा आधार यह है कि जो प्रदेश पिछड़े हैं, उनको केन्द्र से ज्यादा सहायता मिलनी चाहिए । ये दो मुद्दे हैं ।

गोमती नदी में प्रदूषण निवारण हेतु योजना

*2–श्रीमती प्रेमवती तिवारी (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी में प्रदूषण होने के कारण इस बार अधिक बीमारियां फैली हैं ? यदि हां, तो उसके निवारण हेतु कौन सी योजना रही है? यदि नहीं, तो क्या गोमती के प्रदूषण को दूर करने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गोमती नदी में किसी नए प्रदूषण के होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अतः बीमारियों के फैलने का प्रश्न नहीं उठता । गोमती नदी में प्रदूषण निवारण हेतु वर्ष 1980-81 व 1981-82 में क्रमशः रु0 4.53 लाख तथा 31-58 लाख रुपए की दो योजनाएं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा बनाई गई थीं । धन की उपलब्धता के अनुसार इनका कार्यान्वयन किया जायेगा । शेष का प्रश्न नहीं उठता।

[मंगलवार, दिनांक 1 अप्रैल, 1986 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

देवरिया के थाना खामपार की पुलिस हिरासत में मोती लाल हरिजन की मृत्यु तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

*3–श्री सूर्य प्रताप शाही (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के थाना खामपार पुलिस की हिरासत में दिनांक 6-1-86 को पुलिस कर्मियों द्वारा की गयी पिटाई में मोती लाल हरिजन की थाने में मृत्यु हो गयी थी? यदि हां, तो उक्त संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 8-1-86 को श्री सुदामा सिंह कुशवाहा पुत्र महादेव सिंह नि0 ग्राम लक्ष्मण चक थाना खामपार जनपद देवरिया ने एक लिखित रिपोर्ट पंजीकृत करायी कि 7/8-1-86 की रात्रि में उसके परिवार के तथा गांव के लोगों ने रात्रि में अपने छप्पर में मोती हरिजन पुत्र मंगल को चोरी हेतु आया जानकर घेरा एवं मारकर पकड़ लिया, और चोटों से मोती हरिजन की मृत्यु हो गयी। जांच से यह भी बात प्रकाश में आयी कि थाना खामपार के कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट के परिणामस्वरूप मोती हरिजन की मृत्यु हो गई। मृत्यु की संदिग्ध परिस्थितियों के कारण मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। संबंधित एक उप निरीक्षक व दो कान्स्टेबिलों को निलम्बित कर उन्हें पुलिस लाइन स्थानान्तरित किया गया है।

पाण्डुनगर कानपुर में मकान नं0 117/एच/2/2 में दुकान का अवैध निर्माण

*1–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पाण्डुनगर कानपुर में मकान नं0 117/एच/2/2 के मालिक श्री के0 एन0 दीक्षित रिटायर्ड मजिस्ट्रेट ने अपने मकान के सामने के लान में महापालिका नियमों के विरुद्ध एक दुकान बनवा रखी है जिसमें गुलजार हेयर ड्रेसर सैलून है? क्या यह भी सही है कि इस सैलून का मालिक मोहम्मद साबिर का चालान दफा 25 आर्म्स एक्ट में हो चुका है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दुकान अवैध कान्स्ट्रक्शन होते हुए भी महापालिका द्वारा इसे न तुड़वाये जाने तथा उस पर अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है? कार्यवाही कब की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

जी हां।

आर्म एक्ट में चालान की सूचना प्राधिकरण को नहीं है।

अनाधिकृत निर्माण के हटाये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। अभियोजन की कार्यवाही न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री शारदा प्रताप–

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अवैध निर्माण को कब तक हटवायेंगे, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी या सूचना देंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ–

यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जैसे ही निर्णय हो जायगा, उसका पालन होगा।

फकीरे निवासी ग्राम नवलगंज थाना हसनगंज जनपद उन्नाव का मारपीट संबंधी शिकायती-पत्र व मुल्जिमानों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

*2–मलिक मोहम्मद कमाल यूसफ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फकीरे पुत्र कामता पासी (हरिजन) ग्राम नेवलगंज, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव ने दिनांक 9-8-84 व दिनांक 14-8-84 को पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव को ग्राम के ही कुछ लोगों द्वारा मारने पीटने संबंधी शिकायती पत्र देकर मांग की थी कि उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा कर मुल्जिमानों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय? क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्ति ने अपनी चोटों का डाक्टरी परीक्षण भी जिला अस्पताल उन्नाव में कराया जिसमें उसकी सिर की हड्डी टूटी पायी गयी? यदि हां, तो उपरोक्त व्यक्ति का मुकदमा किस अपराध संख्या तथा किस धारा के अन्तर्गत कायम किया गया तथा दोनों शिकायती पत्र क्या हैं? उसके अनुसार मुल्जिमानों के विरुद्ध अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार इस संबंध में मु0 अ0 सं0 168-ए धारा 325/323/506 भा0 दं0 वि0 थाना हसनगंज में पंजीकृत हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 8-8-84 में सुरेश, नरेश बनिया तथा शौकत अली के विरुद्ध खेत में लगे पानी को काट देने तथा मना करने पर मारने पीटने और रिपोर्ट न करने के लिये डराये धमकाये जाने की शिकायतें की हैं। दिनांक 13-8-84 के प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ने पुलिस के विरुद्ध अभियुक्तों से मिले होने तथा अभियुक्तों द्वारा डराये धमकाये जाने की शिकायतें की हैं। विवेचना के उपरान्त अभियुक्त सुरेश, नरेश, शौकत अली के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 18-10-84 को न्यायालय भेजा गया। पुलिस के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुये।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया या इन्होंने अपनी जमानत करायी?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

गिरफ्तार नहीं किया गया, जमानत करायी।

उ0 प्र0 के राजमार्गों पर ट्रकों व अन्य वाहनों के अपहरण की घटनाओं के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

*3–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के थाना बन्नो देवी में गोपाल ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली के मालिक अशोक गोयल द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर की रात्रि में सशस्त्र डकैतों द्वारा सरसों से लदे ट्रक यू0 एच0 एन0 947 का अपहरण कर लेने की रिपोर्ट अंकित कराई गई? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उ0 प्र0 के राजमार्गों पर ट्रकों व अन्य वाहनों के अपहरण की घटनाओं में बेतहासा वृद्धि हुई है और औसतन एक ट्रक प्रतिदिन अपहरण हो रहा है? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

प्राप्त सूचना के अनुसार गोयल ट्रान्स-पोर्ट कारपोरेशन के ट्रक नम्बर यू0 एच0 एन0 947 को दिनांक 2 अक्टूबर, 1985 की रात्रि में सशस्त्र डकैतों द्वारा अपहरण कर लेने की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना बन्ना देवी, अलीगढ़ पर दिनांक 3-10-85 को उपरोक्त ट्रक के ड्राइवर श्री तेजपाल पुत्र राम फल गूजर निवासी पुराना बस स्टैन्ड बागपत, पास गनी मिल नई बस्ती, थाना देहली गेट, मेरठ द्वारा अंकित करायी गयी ।

प्रदेश के राजमार्गों पर वर्ष 1985 में ट्रकों व अन्य वाहनों के रोड होल्डप, जिसमें अपहरण भी सम्मिलित है, की 169 घटनायें हुई जब कि वर्ष 1984 में 143 तथा वर्ष 1983 में 128 घटनायें हुई थीं। इस प्रकार वर्ष 1985 में गत वर्षों की अपेक्षा इन घटनाओं में वृद्धि हुई है।

इन घटनाओं पर समुचित नियंत्रण रखने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1–प्रदेश की मुख्य सड़कों पर वायर-लेस युक्त गाड़ियों से रात्रि में सशस्त्र गश्त करने की व्यवस्था की गई है।

2–अधिक अपराध वाले स्थानों पर अस्थायी तौर पर पुलिस पिकेट्स की तैनाती की व्यवस्था की जाती है।

3–जहां सम्भव व आवश्यक हो सड़कों पर "कानवाय पद्धति" द्वारा सशस्त्र पुलिस की टुकड़ियों के साथ वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है ।

4–बस स्टेशनों तथा सड़कों पर स्थित थानों के समीप समय-समय पर वाहनों को रोककर उनकी छानबीन की जाती है कि उनमें अराजक तत्व तो नहीं बैठे हैं।

5–जहां सम्भव है रात्रि में चलने वाली बसों को सूर्यास्त के बाद सिपाहियों द्वारा स्कोर्ट कराया जाता है।

6–जिले में एक उपनिरीक्षक तथा परिक्षेत्र में एक पुलिस उपाधीक्षक की देख रेख में ऐसे अपराधी की रोकथाम की कार्यवाही के लिये सेल गठित किये गये हैं ।

7–अपराध तथा अपराधियों पर काबू पाने के उद्देश्य से प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों में मोटर साइकिल द्वारा गश्त करने की व्यवस्था लागू की गयी है।

श्री बृह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि राजमार्गों पर ट्रक और बड़े वाहनों के अपहरण की घटनायें बढ़ रही हैं और साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि 1983 से अब तक जो घटनायें हुई हैं, वह अधिक हुई हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए रात्रि में जो सशस्त्र गश्त की व्यवस्था की जा रही है तो इसमें कितनी गाड़ियां आपने लगा रखी हैं और मुख्य-मुख्य कौन से मार्ग हैं जिन पर आपने यह कार्यक्रम चालू किया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इस तरह की गाड़ियां प्रत्येक राजमार्गों पर और नेशनल हाई वे पर यह गाड़ियां घटनाओं की रोकथाम के लिये लगायी गयी है।

श्री बृह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मंत्री जी टालने वाले उत्तर दे रहे हैं। मैंने आपसे स्पष्ट जानना

चाहा है कि आप गाड़ियों की एप्रोक्सी-मेट संख्या बतला दें?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, कितनी गाड़ियां हैं, यह संख्या तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं बतला रहा हूं कि प्रत्येक राजमार्गों पर और नेशनल हाई वे पर ऐसी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि ऐसी घटनाओं की बढ़ोत्तरी हो रही है और लूट की घटनायें बढ़ रही हैं। आपने यह भी स्वीकार किया कि घटनाओं के समुचित नियंत्रण के लिये व्यवस्था की गयी है। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जबसे आपने नियंत्रण के लिए पुलिस की गश्त की कारगुजारी शुरू की है, कहीं तब से ही तो इन घटनाओं में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है ? कहीं आपकी पुलिस का तो इसमें हाथ नहीं है, क्या इस बात की जांच आप करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मैंने बताया है कि 1985 में वाहनों की ऐसी घटनायें 169 हुई, वर्ष 1984 में 143 तथा वर्ष 1983 में 128 घटनायें हुई थीं। अब चूंकि प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों में अपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, इसके हिसाब से हम रोकथाम का इन्तजाम कर रहे हैं और उसे भी बढ़ा रहे हैं। अगर अनुपातिक रूप में इसे देखा जाय तो घटनायें ज्यादा नहीं बढ़ी हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने कितने राष्ट्रीय मार्गों पर कितने वाहन भेजे हैं। जब आपने गश्तीदल को पेट्रोलिंग के लिये गाड़ी देने के आदेश किये, तो वह आदेश किस तारीख को किये हैं और उसके बाद से कितनी घटनायें बढ़ी हैं?

श्री अध्यक्ष–

यह तो लगभग वही सवाल कर दिया, जो मैनेजर सिंह ने किया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

आपने ठीक ही कहा है, प्रश्न का अधिक भाग जिससे सम्बन्धित था उसको द्विवेदी जी गोल कर गये कि गोयल ट्रान्सपोर्ट का जो अपहरण हुआ था, उसका क्या हुआ ? उस पर एक भी प्रश्न नहीं पूछा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैंने आपके उत्तर के सन्दर्भ में पूछा है कि राष्ट्रीय मार्ग पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर दी गयी है, मैंने यह पूछा है कि आपने यह आदेश किन तारीखों में जारी किये हैं। शेर शाह सूरी राष्ट्रीय मार्ग पर कितनी पेट्रोलिंग की कारें चल रही हैं। आगरा में 7 जगह पर बसें लूटी गयीं और 7 जगह पर ट्रकें लूटी गयीं, क्या यह सब सही है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब से यह वाहन पेट्रोलिंग के लिये छोड़े गये, मुख्तलिफ मार्गों पर, तबसे कितने मुलजिमान उनके द्वारा गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

इसके सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता होगी ।

मथुरा में यमुना नदी के जल को शुद्ध एवं पवित्र रखने की योजना

*4–श्री सरदार सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा नगर पालिका के गंदे नालों के जल साड़ी धुलाई तथा औद्योगिक बहिश्राव के कारण मथुरा में यमुना जल भयंकर रूप से प्रदूषित हो गया है? यदि हां, तो शासन यमुना नदी के जल को शुद्ध एवं पवित्र रखने के लिए कौन-कौन सी योजनायें बना रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

मथुरा एवं वृन्दावन में यमुना नदी के प्रदूषण की रोकथाम के लिए निम्न कार्य प्रस्तावित हैं :–

मथुरा

दो पम्पिंग स्टेशनों की मरम्मत तथा उन्हें चालू करना,

यमुना नदी में गिरने वाले 13 नालों का पानी रोकना,

सीवर सफाई आदि के कार्य।

वृन्दावन

पम्पिंग स्टेशनों की मरम्मत तथा उन्हें चालू करना,

सीवर सफाई एवं अन्य आवश्यक मरम्मत,

एक पम्पिंग स्टेशन का निर्माण आदि कार्य।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं के प्रारम्भिक प्राक्कलन भी बनाये जा रहे हैं :–

1. मथुरा नगर में जल प्रदूषण की रोकथाम की योजना अनुमानित लागत लगभग रु0 750 लाख ।

2. वृन्दावन नगर में प्रदूषण की रोकथाम की योजना अनुमानित लागत लगभग रु0 375.00 लाख ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मैं गत 4 वर्षों से यह सवाल कर रहा हूं, यमुना नदी के प्रदूषण को रोकने के लिये । तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी कोई निश्चित समय बताने की कृपा करेंगी कि कब तक यह काम पूरा हो जायेगा? एक साल में, दो साल में, कब तक पूरा हो जायेगा? अभी तक कुछ हुआ नहीं है।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जल्दी ही कराने का प्रयास हो रहा है।

डा0 दिनेश जौहरी–

नगर पालिकाओं और नगर महापालिकाओं द्वारा नदियों में जो प्रदूषण हो रहा है, उसको रोकने के लिये क्या केवल मथुरा में कार्यक्रम है या सारे जिलों में है ?

श्री अध्यक्ष–

इसकी तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

डा0 दिनेश जौहरी–

इसमें सूचना की क्या आवश्यकता है?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 750 लाख रुपये की जो योजना बनी है, जमुना के जल प्रदूषण को रोकने के लिये, वह कितने चरणों में पूरी कर दी जायेगी, कितने सालों में पूरी हो जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इसकी रोकथाम के लिये प्रथम चरण में जो काम हुआ है, वह 25-26 लाख का हुआ है और वह कार्य अभी तक चल रहा है। साढ़े सात करोड़ की मथुरा शहर की योजना है, वह प्रस्तावित है और इसमें कई कार्यक्रम हैं, जैसे मुख्य पम्प स्टेशन तक पहुंचना, मुख्य पम्प स्टेशन का निर्माण, सीवेज का कार्य, यह सभी कार्य इसमें आते हैं। इनके सम्बन्ध में हमारा प्रस्ताव बन रहा है और इसमें जल्दी की जायेगी।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि 25 लाख का काम कर दिया गया है तो उस 25 लाख में कहा पर कार्य हुआ है, किस जगह पर कार्य हुआ है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इस योजना पर 25.246 लाख से कार्य प्रारम्भ किया गया था। इस योजना में हमारे प्रस्तावित कार्य में से 4 पम्पिंग स्टेशनों में 2 को पुनः चालू कर लिया गया और यमुना नदी में गिरने वाले 17 नालों में से 13 नालों का पानी रोकना प्रस्तावित है। यह पूरा हो जायेगा तो आगे द्वितीय चरण में करेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य के मूल प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इन्होंने दो मुद्दे उठाये थे नगर पालिका के गंदे नालों के जल साड़ी धुलाई और औद्योगिक बहिस्राव के, तो जो योजना आपने बनायी है वह नगर पालिका का जो स्लेज होता है उसके ट्रीटमेन्ट का प्लांट और तरह का होता है और साड़ियों का जो होता है वह केमिकल प्रदूषण होता है तो क्या इसको अलग अलग लगाने का प्राविधान किया गया है तथा जो प्रदूषण को दूर करने के लिए प्लांट लगाये हैं वह कब तक पूरे हो जायेंगे या अभी प्रस्तावित हैं?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, अभी तो प्रस्तावित है।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मान्यवर, साड़ी उद्योग मथुरा में बहुत बड़ा प्रमुख उद्योग है जिसमें लगभग लाखों आदमी निर्भर रहते हैं। मान्यवर, इसी तरह से राजस्थान में भी पाली टाउन में साड़ी के काम का उद्योग है और वहां पर ट्रीटमेन्ट प्लांट लगे हुए है तो क्या आपकी सरकार भी उसी तरह का ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाने का प्रयास करेगी, जिससे प्रदूषित जल नदी में न जा सके और प्रदूषण को रोका जा सके?

श्री अध्यक्ष–

वह आपकी जानकारी से लाभ उठायेगी।

गांवों में नियुक्त चौकीदार को न्यूनतम मजदूरी देने पर विचार

*5–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव में नियुक्त चौकीदार को केवल पन्द्रह रुपए मासिक वेतन मिलता है? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें तुरन्त कम से कम कृषि मजदूरों के बराबर न्यूनतम मजदूरी देने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गांवों में जो पुलिस चौकी-

दार नियुक्त होता है उसको कितना वेतन इस समय दे रहे हैं? यह वेतन कब बढ़ाया गया था? यह देखते हुये कि गांवों में कानून और व्यवस्था को देखने के लिये चौकीदार ही होता है, वह थाने में इत्तला देता है और कोई नहीं बताता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण कड़ी की इस तरह से क्यों उपेक्षा की जा रही है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, 1949 में 3 रुपया था। उसके बाद 5 रुपया हुआ। 1969 में 10 रुपया हुआ। 77 में 15 रुपया किया गया और 1-1-86 से 25 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त किसी विशेष जघन्य अपराध की सूचना देने पर 500 रुपये पारितोषिक भी दिया जाता है। मान्यवर, यह चौकीदार अंशकालिक कर्मचारी है। यह हर वक्त का पुलिस या थाने का कर्मचारी नहीं है। वह अपने घर का अन्य कार्य भी करता है। वक्तनव वक्तन काम करने के लिये वह थाने में जाया करता है। अंशकालिक होने के नाते उसे 25 रुपये दिया जाता है। उसे थाने के अन्तर्गत जाने पर 5 रुपया और थाने से बाहर जाने पर 6 रुपया भत्ता भी दिया जाता है।

श्री जवाहर सिंह यादव–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह चौकीदार हफ्ते में 3 दिन थानाध्यक्ष के यहां नियम के अन्तर्गत ड्यूटी देता है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि वह पूरी ड्यूटी नहीं देता है। पार्ट-टाइम है, अंशकालिक कर्मचारी है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह चौकीदार आपके पुलिस विभाग का सबसे न्यूनतम कर्मचारी है और गांव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। प्रत्येक जिले के जिलाधीश को आपने आदेश भेजा है कि जितने ऐसे चौकीदार हैं, जो मर चुके हैं या जहां नहीं हैं वहां अब इन चौकीदारों की नियुक्ति न की जाय। इस तरह से उनकी दुबारा नियुक्ति न किये जाने पर 15 रुपये का वित्तीय भार आपके ऊपर पड़ रहा है। इस संबंध में शासन क्या विचार कर रहा है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है जो आपने उठाया है।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह चौकीदार गांवों में एक सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता है और अंग्रेजों के समय से कुछ विशेष जाति के लोग जो देशभक्त होते थे उनको नियुक्ति किया गया था। तब से वे 15 रुपये में काम कर रहे हैं जो कि रात के दो बजे तक भी कार्य करते हैं और जघन्य अपराधों की सूचना देते हैं। उनकी जान माल का भी खतरा बना रहता है। उनको पूरे समय का वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो जिस तरह से अभी बजट में हम लोगों ने कुक और कुम्हार के लिये 325 रुपये किये हैं, उनका वेतन बढ़ाया है, उसी तरह से इन चौकीदारों का वेतन बढ़ाकर उनकी स्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में आप विचार करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

स्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई विचार शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या चौकीदारों को प्रतिदिन की थाने में उपस्थिति का भी प्राविधान है कि जब वे वहां जायेंगे तो उपस्थिति देंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इस तरह का प्राविधान नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जैसा कि उन्होंने बताया, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वह नियमित कर्मचारी नहीं है, कैजुअल कर्मचारी के रूप में काम करता है तो महीने में 30 दिन होते हैं और वह एक घंटा प्रतिदिन काम करता है। इस तरह से 6 घंटे के हिसाब से 5 दिन उसके हो जाते हैं जिसका उसको केवल 25 रुपया मिलता है। जब कि मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार 5/6 दिन काम करने पर उसे 70/80 रुपया मिलना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस चौकीदार के मास में आप कुछ घंटे निश्चित करेंगे या नहीं? मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार वह जितने दिन काम करता है उसके अनुसार उसको वेतन देना सुनिश्चित करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

जब पुलिस का बजट आया था, तब आपको यह सुझाव देना चाहिए था।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरी सूचना को सही मानकर कि 15 दिन में एक दिन थाने में प्रत्येक चौकीदार की उपस्थिति होती है और उनकी एक तख्ती होती है जिस पर दीवान हस्ताक्षर करता है। उसके आधार पर महीने में दो बार यानी दो दिन उनको थाने में बुलाया जाता है। क्या आप इसकी जांच करायेंग और उनका वेतन अन्य कर्मचारियों की तरह बढ़ाने पर विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

मैंने बताया कि पुलिस के बजट पर आप यह सुझाव देते . . .

श्री सुखपाल पाण्डेय–

बजट पर तो आपने बोलने नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब दिला दीजिये . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह मेरा दुर्भाग्य है।

कुमारी अलमेलु अम्माल–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में पूछना चाहती हूं कि चौकीदार को गाव में रहना पड़ता है और मंत्री जी ने कहा कि वह पूरे दिन काम नहीं करता है। मैं देखती हूं कि गांवों में जब कोई छोटी सी मार-पीट भी होती है तो चौकीदार को पहुंचना पड़ता है। वह वहां पर मुस्तकिल रूप से काम करता है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या आप उनको भी सरकारी कर्मचारी मानेंगे और स्थायी रूप से सरकारी कर्मचारी बनाकर रखेंगे? यदि नहीं तो उसका क्या कारण है? क्या आप खुश हैं 25 रुपया देकर? यह आप इन्साफ समझते हैं?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आपकी बात का ध्यान रखेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि व अंशकालिक कर्मचारी है। इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते है कि चौकीदार से पुलिस चौकी के कर्मचारी केवल सूचना का काम नहीं लेते हैं बल्कि हर चीज की ड्यूटी लेते है। गांव की इंटेलीजेंस का काम तथा अन्य सूचनाएं

उससे प्राप्त करते हैं। आपको यह अनुभव होगा कि वह उस वर्ग के लोग होते हैं जिनके पास अपनी अजीविका का कोई साधन नहीं होता है और वह ज्यादातर अनुसूचित जाति के सदस्य होते हैं। तो क्या कारण है, ऐसा व्यक्ति जिसके उपर कानून व्यवस्था की इतनी जिम्मेदारी है, जो वास्तव में महत्व का काम करता है और जो अनुसूचित जाति का सदस्य है तो उसे कृषि के मजदूरों का मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार पैसा देने का कष्ट करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिह चौहान–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि वह इंटैलिजेंस का काम करता है तो वह सदैव इंटैलिजेंस का काम करता है। ऐसी बात नहीं है वहां पुलिस की चोट जाती है, सैकिंड आफिसर, एस0 ओ0 आदि भी जाते हैं और गांव में जाकर बातचीत करते हैं। चौकीदार के पास और भी साधन है। उसकी खेती होती है, गांव सभा से भूमिहीन पर उसे जमीन भी दी गयी है। इसलिये उसे पूर्णकालिक करने का प्रश्न नहीं उठता है?

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी ने चौकीदार को अंश-कालिक कर्मचारी बताया। उन्हें पता है कि वह थाने में हफ्ते में कम से कम एक दिन जाता है और थानेदार के यहां ड्यूटी देनी पड़ती है, पहले तो उसे उसके घोड़े के लिये घास छीलनी पड़ती थी और अब उसकी मोटरसाइकिल साफ करनी होती है, उसके लड़के का पाखाना साफ करना होता है, चार दिन वह वहां ड्यूटी देता है। अगर इन सबको जोड़ ले तो 44 रुपये से कम नहीं होता है। तो क्या जो प्रश्न माननीय बरार जी जो उनके दल के ही सदस्य हैं, उस पर आश्वासन देंगे कि इस पर पुनर्विचार कर लिया जायेगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

उसे थाने एक ही दिन जाना पड़ता है, जो बात माननीय मैनेजर सिंह जी ने कही कि घोड़े के लिये घास आदि की बात तो यह आम बात नहीं है। अगर कहीं-कहीं होता है तो उसके लिये उसे टिप भी किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री राम सरन–

माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो भावना व्यक्त की है चौकीदारों के प्रति वह सच है। मैं जानता हूं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी लाश होती हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता है, उनको चौकीदार ही इकट्ठा करता है, बांधता है और फिर सिर पर लाद कर ले जाता है। माननीय मंत्री जी को इस बात का पता नहीं है उसको इतना कम वेतन मिलता है, चार दिन उसे थाने जाना पड़ता है। अब घोड़े का काम नहीं करता है तो उसकी लकड़ी काटने का काम करता है। मैं जानना चाहता हूं कि उसका किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है? उसके काम को देखते हुये उसे बहुत कम पैसा दिया जाता है। यह सरकार जो अपने को समाज वादी सरकार कहती है उस पर पुनर्विचार कर लें। अगर माननीय मंत्रीजी आपका अधिकार नहीं है तो माननीय मुख्य मंत्री जी से कहें। आप हंस कर बात क्यों टालते हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह माननीय राम सरन जी ने जो प्रश्न उठाया है इसे कई माननीय सदस्यों ने उठाया है और इसका जवाब मैं आपके माध्यम से कई बार दे चुका हूं कि यह अंशकालिक है।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से दो सवाल करना चाहता हूं। एक तो यह कि पुलिस प्रशासनिक दृष्टि से क्या आपकी आखिरी यूनिट चौकीदार है कि नहीं? दूसरा प्रश्न है कि उनका यह कथन कि इक्स्ट्रा काम करता है तो उसके लिये दरोगा या सिपाही टिप देते हैं, तो क्या वैधानिक है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, चौकीदार से काम कराना न वैधानिक है और न टिप देना वैधानिक है।

जहां तक प्रश्न किया है कि क्या चौकीदार पहली यूनिट है तो वह है।

नन्द गांव चीनी गोदाम गिरने से मजदूरों की मृत्यु तथा दोषी अधिकारियों को दंडित किये जाने की मांग

*6–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 लखनऊ की सहायक कम्पनी नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लि0 नंदगंज जिला गाज़ीपुर तथा छाता शुगर कम्पनी लि0 छाता जिला मथुरा में वर्ष 1974 में निर्माणाधीन चीनी गोदाम बिना पूरे बने ही गिर गये थे? क्या यह सही है कि नन्दगंज गोदाम गिरने से कुछ मजदूरों की मृत्यु हो गई थी? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण के दोषी अधिकारियों को दंडित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की छाता (मथुरा) तथा नन्दगंज (गाजीपुर) इकाइयों की निर्माणाधीन चीनी गोदामों की दीवारें वर्ष 1975 में गिर गयी थी। नन्दगंज गोदाम की दीवारें गिरने के कारण उसकी आड़ में खड़े दो बाहरी व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थीं। वे मिल के मजदूर नहीं थे।

उक्त दोनों मामलों में पांच सिविल अभियंत्रण स्टाफ जो निर्माण कार्य के लिये उत्तरदायी थे नौकरी छोड़कर चले गये। एक सिविल अभियंता (मुख्यालय) जो कार्यों की देख रेख एवं निरीक्षण के लिये उत्तरदायी थे, के विरुद्ध सिविल अभियंत्रण सलाहकार से जांच करायी गयी। जांच में उक्त अभियंता के विरुद्ध भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित डिजाइन में परिवर्तन का त्रुटिपूर्ण निर्णय लेने (एरर आफ जजमेंट) का दोष पाया गया जिसके लिये उन्हें दंडस्वरूप सेंसर किया गया।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, दो चीनी गोदाम जो बन रहे थे और पूर्ण नहीं बने थे किन्तु उनकी दीवालें गिर गईं, इसका मतलब उनकी छतें भी गिर गईं। तो 1975 में जब दोनों गोदामों की दीवालें गिर गईं तो उस समय उनके निर्माण में विभाग ने कितना भुगतान कर दिया था? दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह काम निगम ठेके पर करा रहा था या विभाग स्वयं कर रहा था?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, ठेके पर काम कराया जा रहा था और उसका आंशिक भुगतान किया गया था। इसमें दीवालें बनी थीं और छतें नहीं बनी थीं।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि जब दोनों गोदामों की दीवालें गिरी हैं, तो उस

समय तक कितना भुगतान कर दिया गया था ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, मैंने कहा है कि आंशिक भुगतान कर दिया गया था। एमाउंट मैंने नहीं बताया है । चूंकि उसकी सूचना नहीं है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर साफ-साफ दिलवा दें ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, इसमें प्रोसेस होता है । ज्यों-ज्यों कान्ट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद उसकी नींव खुदाई और बनाने आदि का आंशिक भुगतान करने की प्रक्रिया हर ठेके में है, वही इसमें किया गया है। जितनी दीवाल बन गई थी उसका लगभग 75 प्रतिशत तक भुगतान कर दिया जाता है, यह हर जगह होता है, यही नियम है । दीवाल गिरी है तो उसके बाद कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि दोनों जगहों पर कितने-कितने धन का ठेका दिया गया था और गिरने तक कितना भुगतान किया गया था ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, मैंने पहले ही उत्तर दिया है कि यह सूचना नहीं है लेकिन जो भुगतान किया गया है वह आंशिक है ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि दीवाल बन रही थी तो तभी गिर गई थी तो उसके बाद वह गोदाम बने कि नहीं ? यदि बने तो कब बने ? रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर सेंसर करके छोड़ दिए जाते हैं । उनका आरोप है जिसको ध्यान में रखकर सेंसर उसका हल नहीं है, इसलिए क्या मंत्री जी उनको और भी दण्ड देने पर विचार करेंगे ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, इसमें सेंसर की बात कही है और 5 अधिकारी तो नौकरी छोड़ गए, एक जो रह गया जिसने उसको डिजाइन किया था, आई0 एस0 आई0 का मानक था, जो दीवाल होगी वह 16 इंच मोटी होगी। अब श्रीमन्, आप देखें ईंट 9 इंच लम्बी होती है, उसमें या तो दो ईंट लगाकर 18 इंच की दीवाल बनाई जाती या एक ईंट की, 9 इंच लम्बी, किन्तु टेण्डर में 16 इंच के हिसाब से निर्माण किया गया था । अब 18 इंच की कर दी जाती तो उसकी कास्ट बढ़ जाती और वह कास्ट किस पर जाती ? इसलिए उसने सोचा कि ईंट को आधा किया जा सकता है और एक और आधा करके साढ़े 13 इंच थिकनेस होती थी, जो उसने उचित समझ कर किया, क्योंकि 16 इंच रिलीवेन्ट नहीं थी । डिजाइन 16 इंच का ही एप्रूव था, उस पर यह आरोप लगाया गया कि यह उसका निर्णय त्रुटिपूर्ण था और यह थिकनेस नहीं होनी चाहिए थी । इस बारे में सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, रुड़की ने भी आई0 एस0 आई0 से शिकायत किया था । इसमें जो सेंसर किया गया, यह शायद सदन की भावना के हिसाब से नाकाफी दण्ड था, इसलिए एम0 डी0 ने दुबारा जांच कराई और उसने जो साढ़े 13 इंच की दीवाल का निर्णय लिया था, उसकी आई0एस0आई0 से जांच कराई और उसने उसे सही पाया और उसमें आगे की किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई । अन्तिम रूप से यह पाया गया कि उसका निर्णय ठीक था और आई0 एस0 आई0 का जो निर्णय है, जो उनका कोड है, 83 में संशोधन करके

भेजा है, उसमें क्लियर लिखा है कि 35 एम0 एम0 उसकी थिकनेस होनी चाहिए जो साढ़े 13 इंच होती है और यह उनके खिलाफ दण्ड काफी है ।

श्री मित्रसेन–

उसकी दीवाल गिरने से जो दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, उनके बारे में मंत्री जी कहते हैं कि वह बाहरी व्यक्ति थे, जो छिपे हुए थे और ठेके से काम हो रहा था, तो इस बात की कैसे पुष्टि हो गई कि वह बाहरी आदमी थे और उनके मरने के बाद उनके आश्रित परिवार वालों को कोई आर्थिक मदद की गई या नहीं ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया–

दो व्यक्तियों के मरने के बाद पुलिस में रिपोर्ट की गई । उसने उनकी आइडेन्टिटी को पता लगाया था और डी0 एम0 के आदेशानुसार मिल ने 1-1 हजार रुपया उनके परिवार वालों को दिया था।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

यह मामला बड़ा संगीन है और लाखों रुपया इसमें डकारा जा रहा है निगम द्वारा, तो मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि क्या सारी परिस्थितियों को देखते हुए आप इसमें फिर से फ्रेस जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया–

इस मामले में अपरेन्टली 6 अधिकारी संबंधित पाए जाते हैं । उसमें से 5 वहां से चले गए । एक जिस पर डिजाइन बनाने का उत्तरदायित्व था, उसके करेक्टर रोल में भर्त्सनात्मक कार्यवाही कर दी गई है और जो दीवाल की स्थिति है, उसका सारा पेमेन्ट रोक दिया गया है । इसमें सारी कार्यवाही हो रही है । अब माननीय सदस्य क्लियर करें कि वह क्या जांच चाहते हैं तो मैं कुछ बता सकता हूं ।

सरकारी बंगलों में भू0 पू0 मंत्रियों का अनधिकृत कब्जा तथा धनराशि की वसूली व बेदखली हेतु कार्यवाही

*7–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या राज्य सम्पत्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दारुलशफा कम्पाउण्ड, गौतम पल्ली, कालीदास मार्ग तथा पार्क रोड कालोनी व विक्रमादित्य मार्ग स्थित सरकारी बंगलों में अभी तक कौन-कौन से भू0 पू0 मंत्री अनधिकृत रूप से विद्यमान है ? इनके विरुद्ध कितनी धनराशि बकाया है ? उक्त बंगलों तथा धनराशि की वसूली व बेदखली हेतु शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)–

ऐसे भूतपूर्व मंत्रियों की सूची संलग्न है ।

31 दिसम्बर 1985 तक उनके विरुद्ध कुल रुपये 12,95,781—78 की धनराशि बकाया है ।

बंगलों के अवशेष किराये की वसूली व बेदखली हेतु विहित प्राधिकारी के न्यायालय में वाद सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 171 पर)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने केवल 23 भूतपूर्व मंत्रियों के नाम बताये हैं । जिन्होंने उनको जो बंगले आवंटित किये गये थे, उन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है । मैं जानना चाहता हूं कि सन् 77, सन् 80 और सन् 85 और इसके पहले के कितने ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने मकानों पर कब्जा कर रखा है और

कितना-कितना उन पर अलग-अलग बकाया है ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दारुलशफा कम्पाउंड, गौतम पल्ली, कालिदास मार्ग तथा पार्क-रोड कालोनी व विक्रमादित्य मार्ग स्थित सरकारी बंगलों में अभी तक कौन-कौन से भू0 पू0 मंत्री अनधिकृत रूप से विद्-यमान हैं ? इनके विरुद्ध कितनी धनराशि बकाया है ? उक्त बंगलों तथा धनराशि की वसूली व बेदखली हेतु शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

तो मान्यवर, इसका स्पष्ट उत्तर दे दिया गया । इसके अलावा यदि कोई प्रश्न की जानकारी चाहते हैं तो अलग से प्रश्न कर लें उसका जवाब दे दिया जायेगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार है । माननीय मंत्री जी उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 77 के बाद कितने ऐसे भूतपूर्व मंत्री हैं जिनके पास सरकारी आवास हैं और उनमें वह अनधिकृत रूप से रह रहे हैं । उन पर कितनी धनराशि बकाया है ? उनसे आवास खाली कराने के लिये और बकाया धनराशि की वसूली के लिये शासन ने क्या कार्यवाही की है ? सन् 80 के बाद के कितने भूतपूर्व मंत्री ऐसे हैं जिनके पास आवास हैं। उनसे आवास खाली कराने और बकाये की वसूली करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

जिन्होंने कब्जा कर रखा है उसकी सूची दी गयी है । जो दूसरा प्रश्न है कि खाली कराने के लिये क्या कार्य-वाही की गयी है उसका उत्तर मंत्री जी दे दें ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, जो विहित प्राधिकारी हैं, उनके यहां नोटिस देकर वाद दाखिल कर दिया गया है । अंतिम बार, तत्का-लीन संसदीय कार्य मंत्री राम रतन सिंह जी द्वारा सबको नोटिस दी गयी थी और उसके बाद वाद दायर किया गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, उत्तर नहीं आया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से इस प्रश्न को और सरल करना चाहता था कि कौन-कौन मंत्री सन् 77 के पहले के हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है और सन् 80 के बाद के कितने ऐसे भूतपूर्व मंत्री हैं जिन्होंने मकानों पर कब्जा कर रखा है ? इस समय कितने भूतपूर्व मंत्री जो विधायक भी नहीं हैं उन्होंने मकानों पर कब्जा कर रखा है, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे की कृपा करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था उसका स्पष्ट उत्तर दे दिया गया है । सारी धनराशि बता दी गयी है । इसके अलावा यदि कोई जान-कारी चाहते हों तो अलग से प्रश्न पूछ लें उसका उत्तर दे दिया जायगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाता है, माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिछले बकायों को माफ कर दिया था । तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री का जब माफ हो गया तो क्या इन बेचारे पुराने माननीय मंत्रियों के ऊपर जो किराया बाकी है, उसे माफ करने पर विचार करेंगे ?

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, ऐसा कोई विचार नहीं हो रहा है।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं, जो 2-2 बंगलों पर कब्जा किये हुए हैं और उनके विरुद्ध अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी है या की जा रही है?

श्री अध्यक्ष–

यह तो मा0 मंत्री जी बता चुके हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

श्रीमन्, कार्यवाही क्या की जा रही है, यही तो बताया नहीं है। मान्यवर, ऐसे लोगों द्वारा कब्जा किये जाने पर जो आज विधायक भी नहीं हैं, जिसकी वजह से आज विधायकों को आवास नहीं मिल पाते हैं तो मा0 मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं किन मा0 मंत्रियों के खिलाफ कितना-कितना धन बकाया है, जो अब विधायक भी नहीं हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या अब उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही करेंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, असल में जो एक विधेयक पास हुआ है कि यदि ऐसे तमाम लोग या व्यक्तिगत रूप से आर्थिक लाभ पाने के लिए अगर कोई जत्था या गिरोह बनाकर किन्हीं मकानों पर अवैध रूप से कब्जा करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को मा0 मंत्री जी इस गिरोहबंदी कानून के अन्तर्गत बन्द कराने की कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अगर गिरोह बनायेंगे, तब (हंसी)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, जैसा कि अभी भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किये जाने की बात कही गयी है, जिनकी वजह से अभी कुछ अन्य मा0 राज्य मंत्रियों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई कार्यवाही कर शीघ्र इन मा0 राज्य मंत्रियों को आवास उपलब्ध कराये जायेंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया)

*8–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[दिनांक 18-3-86 को तारां0 प्र0 सं0 8 द्वारा उत्तरित]

*9–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[दिनांक 17-2-86 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

बिक्रीकर विभाग में सीधी भरती से आये अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में सुधार

*10–श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बिक्रीकर विभाग में उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से आये बिक्रीकर अधिकारियों की पदोन्नति सहा-

यक आयुक्त, बिक्रीकर के पद पर स्थान रिक्त होते हुए भी पिछले कुछ वर्षों से नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों? क्या मुख्य मंत्री जी बिक्रीकर अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में सुधार करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

सहायक आयुक्त, बिक्रीकर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से आये पात्र बिक्रीकर अधिकारियों को पदोन्नतियां दी जा चुकी हैं।

जी नहीं, सहायक आयुक्त बिक्रीकर के पदों पर प्रोन्नति उ0 प्र0 बिक्रीकर सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार की जाती है।

*11–डा0 दिनेश जौहरी–

[दिनांक 25-2-86 के ता0 प्र0 स0 15 द्वारा उत्तरित]

जनपद सुल्तानपुर में होमगार्ड विभाग के स्वयं सेवकों को ड्यूटी भत्ता का विवरण

*12–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत होमगार्ड विभाग के स्वयंसेवकों को कितने दिन से ड्यूटी एलाउन्स नहीं वितरण किया गया है ? जो नहीं वितरित किया गया है, उसका कुल एमाउन्ट कितना है ? वितरण न करने का कारण क्या है? एलाउन्स वितरण न करने से जो मानसिक एवं आर्थिक हानि स्वयंसेवकों को हुई उसका उत्तरदायी कौन है ? क्या दोषी व्यक्ति को दण्ड दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

न्याय राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शिव नारायण मिश्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह बहुत छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, जिनकी सूचना मा0 मंत्री जी अभी तक एकत्रित नहीं कर पाये हैं। जबकि हमारा यह प्रश्न 16-11-85 का है और आज तक यह सूचना ही एकत्रित नहीं की गयी है तो यह सूचना अब कब तक एकत्र हो सकेगी और दूसरी बात क्या सूचना एकत्र करने में जानबूझकर देरी की जा रही है ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

बहुत जल्द सूचना आ रही है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, आज ज्यादातर सवालों में सरकार की ओर से यही जवाब आ रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। इस बात को देखते हुए क्या मान्यवर, आप इन्हें निर्देश देने की कृपा करेंगे कि यह प्रत्येक सवाल का उत्तर ठीक ढंग से दें और इस प्रश्न का जबाब कब तक दे देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

मु0 इसमाइल किदवई एस0 एन0 डी0, मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा की गयी आत्महत्या

*13–श्री काजी कलीमुररहमान (अनुपस्थित)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुफिया खातून पत्नी स्वर्गीय मु0 इसमाइल किदवई ने थाना हजरतगंज कोतवाली, लखनऊ में इस आशय का दिनांक 17-3-85 को आवेदन पत्र दिया है कि दिनांक 16-3-85 को उनके पति मु0 इसमाइल किदवई एस0 एन0 डी0 मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र सा0

नि0 वि0, लखनऊ की मृत्यु छत से गिरकर आत्महत्या करने से नहीं बॉल्क उनकी हत्या की गयी है ? यदि हा, तो क्या सरकार वस्तुस्थिति से सदन को सूचित करायेगी !

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। प्रश्नगत मामले में दर-याफ्त हाल को धारा 302 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित करके विवेचना की गई। विवेचना के मध्य प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मामला आत्महत्या का पाये जाने के कारण उक्त अभियोग में दिनांक 30-9-85 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 29-10-85 को स्वीकृत किया जा चुका है।

सहजनवां, विधान सभा क्षेत्र, गोरखपुर में आमी नदी पर पटना घाट के पुल निर्माण का कार्य

*14–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–
(अनुपस्थित)–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहजनवां, विधान सभा क्षेत्र, गोरखपुर के अन्तर्गत आमी नदी पर पटना घाट के पुल निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और पुल के निर्माण कार्य हेतु रुपया 34–36 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त पुल के निर्माण का कार्य अभी तक प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत पुल का निर्माण किया जा रहा है।

जी हां।

पुल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने व कार्यमुक्त करने से शासन की नीति

*15–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों के मई मास में स्थानान्तरण होने व 15 जून तक कार्य-मुक्त करने की शासन की नीति शिथिल कर दी गई है? यदि नहीं, तो जून के अन्तिम सप्ताह व जुलाई के प्रथम सप्ताह में राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण क्यों किये जा रहे हैं एवं बच्चों की शिक्षा व आवासीय समस्या को दृष्टि-गत रखते हुए क्या ऐसे स्थानान्तरण व्यवहारिक हैं ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी नहीं,

निर्धारित समयावधि के बाद अपरिहार्य रूप से स्थानान्तरण आवश्यक होने की स्थिति में यह व्यवस्था है कि समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों के समान्ध में मुख्य मंत्री जी तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के सम्बन्ध में विभागीय प्रभारी मंत्री जी की पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।

स्थानान्तरणों के लिये समय सारिणी निर्धारित करने के सम्बन्ध में मुख्य दृष्टिकोण प्रशासनिक होने के साथ-साथ यह भी रहा है कि सम्बन्धित कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों में कठिनाईयां न आने पायें।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीय, मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' वर्ग के कर्मचारी व अधिकारी किन-किन श्रेणियों में आते हैं? कौन-कौन

से अधिकारी व कर्मचारी इन श्रेणियों में आते हैं, इसका विवरण मा0 मंत्री जी कृपया देने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय, सदस्य सुखपाल पाण्डे जी स्वयं जानते हैं कि श्रेणी 'क' और 'ख' में राजपत्रित अधिकारी आते हैं, मैं पूरी सूची दे दूंगा।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो नीति निर्धारित है, उसी के अनुसार स्थानान्तरण किये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष कितने स्थानान्तरण किये गये, जो नीति के प्रतिकूल थे। जो समय के बाद स्थानान्तरण किये गये, उनके रहने एवं उनके बच्चों की सरकार ने क्या व्यवस्था की ?

श्री प्रमोद कुमार–

नीति यह है कि सामान्यतः तीन वर्ष तक एक पद पर बने रहें और विशेष परिस्थिति में 5 वर्ष तक रहें। लेकिन अपरिहार्य कारणों से, प्रशासनिक कारणों से और कभी-कभी प्रतिनियुक्ति पर भेजने पर तथा प्रमोशन से पद रिक्त होते हैं, या किसी जांच के लिये हटाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में स्थानान्तरण करने पड़ते हैं । सामान्य परिस्थिति में स्थानान्तरण न किये जायं, इसीलिये यह बन्धन लगाया गया है कि उच्च अधिकारियों के लिये मुख्य मंत्री जी की और 'ग' तथा 'घ' श्रेणी के लिये विभागीय मंत्री की स्वीकृति लेकर स्थानान्तरण किये जायं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मंत्री जी ने विभागीय नीति स्थानान्तरण के बारे में बताया । मैं यह जानना चाहता हूं कि मार्टिन बर्न कम्पनी के जो अधिकारी हाईडिल में स्थानान्तरित कर लिये गये, उनके सम्बन्ध में क्या यही नीति लागू है? जब यह कम्पनी खत्म हुई तो इंजीनियर, अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता को हाइडिल में लिया गया था। 18 साल से वह लोग एक जगह काम कर रहे हैं। विभागीय नीति इन पर लागू होती है या नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न का उत्तर स्वंय दे दिया । जब कम्पनी टूटी तो उनको समायोजित करना पड़ा ।

श्री विजय सिंह राणा–

जब वह हाइडिल के कर्मचारी हो गये तो उन पर स्थानान्तरण की विभागीय नीति लागू हुई या नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार–

जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर यही नीति है कि 15 जून तक स्थानान्तरण किया जाय और 30 जून तक वह अपने स्थान पर जा सके । ताकि उनके रहने एवं बच्चों की पढ़ाई की सुविधा मिल सके ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 15 जून तक स्थानान्तरण कर देंगे ताकि उनके बच्चों को सुविधा मिल सके । मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने अच्छे स्कूल हैं, उनमें प्रवेश अप्रैल के महीने में किया जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कर्मचारियों की सुविधा के लिये उनका स्थानान्तरण जून में सम्पन्न कर देंगे तो क्या उनकी सुविधा को देखते हुये, स्कूल के अधिकारियों को आदेश देंगे कि अप्रैल के महीने में कोई प्रवेश बच्चों के न किये जायं –

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, विद्यालयों में प्रवेश से पहले वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है तो 31 मार्च के पूर्व स्थानान्तरण न उचित होंगे, न व्यवहारिक जहां तक अधिकारियों के स्थानान्तरण का प्रश्न है, जब वे दूसरे शहरों में जाते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बताया कि गत वर्ष स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति का कड़ाई से पालन हुआ तथा बहुत कम स्थानान्तरण हुए । उन्होंने किस आधार पर यह बात कही? क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि इन चारों समूहों में कितने प्रतिशत ऐसे कर्मचारी थे जो गत वर्ष सामान्य समय के पश्चात स्थानान्तरित हुए तथा उससे पूर्व के वर्ष में इनकी क्या स्थिति थी? जो उन्होंने कहा कि कम अधिकारी स्थानान्तरित हुए, तो इसके आंकड़े बताने की कृपा करें ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सामान्यतः पहले स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। इसी कारण से जब 1980 में हमारी सरकार बनी तो जो बीच में 1978, 1979 और 1980 में बिना किसी आधार के तमाम स्थानान्तरण कर दिये गये और उससे जो कठिनाई होती थी उसको देखते हुए यह नीति बनाई गयी और हम उसका कड़ाई से पालन कर रहे हैं।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि हमारे जनपद टेहरी गढ़वाल में टेहरी डैम बन रहा है और उसमें सिंचाई विभाग के इंजीनियर 8–10 साल से एक ही पोस्ट पर अभी तक बने हुए हैं । क्या मंत्री जी बताएंगे कि इनको भी वहां समय के मुताबिक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा क्योंकि और लोग तो पहाड़ों में नौकरी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इंजीनियर लोग बहुत अधिक समय तक वहां रहते हैं । क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में उन पर भी स्थानान्तरण की नीति लागू करने का कष्ट करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नीति मैंने स्पष्ट कर दी कि सामान्यतः 3 वर्ष में स्थानान्तरण होगा और विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष में । हमने सभी विभागों से कहा कि वे देखें कि इसे नीति का कड़ाई से पालन हो । इस सम्बन्ध में हमारे विभाग ने 15 मार्च 1986 को आदेश किए हैं । जिसमें स्पष्ट कर दिया है 3 वर्ष में सामान्य रूप से और 5 वर्ष में विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण किए जांय और इस प्रकार 1977 से 1980 के बीच स्थानान्तरण की गड़बड़ी को ठीक कर दिया गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या राज्य मंत्री जी यह बताएंगे कि इधर 1985 में जो स्थानान्तरण किए गये, उनमें से विशेष परिस्थितियों में कितने स्थानान्तरण किए गए ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कई विभाग हैं, सभी से जानकारी करनी पड़ेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं विद्युत विभाग के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मा0 सदस्य के समय में जितने हुए थे, उससे कम ही हुए हैं । जो भी संख्या होगी, उससे मैं आपको सूचित करा दूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं इनसे स्पष्ट उत्तर दिला दीजिए कि कितने स्थानानतरण किये गए विशेष परिस्थितियों में ?

श्री अध्यक्ष–

आपके पास सूची हो तो भेज दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो सूचना चाही है,, उसे मैं उन्हें उपलब्ध करा दूंगा । वैसे होली है और आज पहली अप्रैल भी है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, जो पहले मुख्य मंत्री जी के पास था, जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उसमें अस्थाई रूप से जो इंजीनियर या ओवरसियर हैं, उनको स्थाई करने के लिए कोई आदेश निर्गत करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यहां कई विभागों के बारे में पूछा जा रहा है । मैंने नीति स्पष्ट कर दी है ।

*16–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[दिनांक 18-2-86 के ता0 प्र0 सं0 7 द्वारा उत्तरित]

नगर पालिका नैनीताल में वन विभाग के कर्मचारियों को उ0 प्र0 वन विभाग में समायोजित करने पर विचार

*17–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या 1975 में नगरपालिका नैनीताल की वन सम्पत्ति को वन विभाग, उ0 प्र0 द्वारा हस्तगत किये जाने के बाद नगर-पालिका नैनीताल के वन विभाग के कर्मचारियों को उ0 प्र0 वन विभाग में समायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)–

वन अनुभाग-3 के शासनादेश 5696/14-3-37/72, दिनांक 29 दिसम्बर, 1975 के अनुसार दिनांक 1 अक्टूबर, 1975 से नगरपालिका नैनीताल के वनों का उ0 प्र0, वन विभाग को हस्तान्तरण के साथ-साथ नगरपालिका नैनीताल के वन कर्मचारियों को भी कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश, वन विभाग में लिये जाने के आदेश हुये थे। इस प्रकार नगरपालिका, नैनीताल के वन विभाग के कर्मचारियों की सेवायें उत्तर प्रदेश वन विभाग में दिनांक 1 अक्टूबर, 1975 तथा उसके बाद उनके उपस्थित होने के दिनांक से मानी गई है।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, 1975 में नैनीताल नगर-पालिका की जो वन सम्पत्ति थी, उसका अधिग्रहण शासन ने कर लिया, उसका राष्ट्रीयकरण हो गया । उसमें जो कर्म-चारी 20-20 साल से सेवारत थे, उनका इसमें समायोजन तो किया गया, लेकिन एक शासनादेश के जरिये से, जिनका कि उल्लेख माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में किया है, कतिप्य शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन उन कर्मचारियों को वन विभाग में लिये जाने के आदेश हुए। मान्यवर, वह नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल था। मान्यवर, जो 20-25 वर्ष से नौकरी कर रहे थे, उनको वह सुविधाएं नहीं प्राप्त हुई, जो अन्य राज्य कर्मचारियों को मिलती हैं। इस बात को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त शासना-देश के जरिये से जिसके अनुसार कतिपय शर्त और प्रतिबन्ध के अधीन उनका समा-योजन हुआ और जो कि नैसर्गिक न्याय

के प्रतिकूल है नैसर्गिक न्याय का पालन करने के लिये वह सारी सुविधाएं उन कर्मचारियों को, जो नगरपालिका के भू0 पू0 कर्मचारी हैं, देने की कृपा करेंगे?

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, इस आदेश को 11 वर्ष हो चुके हैं, किसी भी कर्मचारी ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की। वहां के अधिकांश कर्मचारी अब रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, इतना ही कहूंगा कि नगरपालिका जो उनको सुविधाएं देती वह सुविधाएं देने पर विचार कर लेंगे।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, जैसा कि बताया गया कि नगरपालिका नैनीताल की वन सम्पत्ति को वन विभाग ने लिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जितनी लोकल बाडीज हैं, उनके वनों को सुरक्षित रखने के लिये क्या वन विभाग उन वनों को अपने कब्जे में लेने पर विचार करेगा?

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, अभी विचाराधीन नहीं है।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस तरह की कोई शिकायत किसी कर्मचारी ने नहीं की। मान्यवर, मेरी जानकारी के मुताबिक यह उत्तर सही नहीं है। मान्यवर, यह मामला लोक सेवा अभिकरण में भी आया और लोक सेवा अभिकरण में भी उक्त शासनादेश को, जिसके तहत वह कतिपय शर्तें और प्रतिबन्ध लगाये गये थे, गलत बताया। ऐसी स्थिति में अगर यह जानकारी सही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लोक सेवा अभिकरण के फैसले के मुताबिक जो वन रेंजर श्री पूरन लाल शाकी की याचिका पर जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय के मुताबिक उस शासनादेश को बदल कर, उसके स्थान पर नया शासनादेश जारी करेंगे?

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा है, इस प्रकरण की जांच करा ली जायेगी। और जो भी हो सकता है, न्याय करवा जायेगा।

श्री किशन सिंह तड़ागी–

मान्यवर, नगरपालिका से इन कर्मचारियों का समायोजन वन विभाग में हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पेंशन आदि की सुविधा, जो अन्य राजकीय कर्मचारियों को उपलब्ध, जो अन्य राजकीय मिलेगी?

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, उसी सम्बन्ध में मैंने माननीय सदस्य को जवाब दिया कि अगर कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है, तो न्याय देने के लिये हम पूरे प्रकरण पर विचार करेंगे।

श्री किशन सिंह तड़ागी–

मान्यवर, मैंने मात्र यह जानना चाहा कि पेंशन देना सम्भव है या नहीं?

श्री जफर अली नकवी–

मानवर, यह केवल पेंशन का ही मामला नहीं है। जब वे पूरे तौर से विभाग के अनर्गत आ गये हैं तो जिस हिसाब से उनकी सेवायें हैं, उसी हिसाब से सारे मामले पर विचार कर लिया जायेगा।

*18–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[दिनांक 25-2-86 के अता0 प्र0 सं0 31 द्वारा उत्तरित]

*19–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[13वें गुरुवार में तारां0 प्र0 सं0 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधायक निवासों में रहने वाले विधायकों के रख-रखाव में व्यय

*20–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न विधायक निवासों में रहने वाले प्रत्येक विधायक पर अलग-अलग प्रति माह विद्युत, किराया, अटेंडेंट बिजली की राड, बल्ब, बिजली के पंखे, पानी, फर्नीचर तथा अन्य रख-रखाव में कितनी धनराशि व्यय होती है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर में जल आपूर्ति के लिए गंगा बैराज बनाने की योजना

1–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर में पेयजल की समस्या दिन व दिन गम्भीर होती जा रही है ? क्या यह सही है कि जल निगम के इन्जीनियरों ने कानपुर में जल आपूर्ति के लिये 200 नलकूपों के लगाने का प्रस्ताव भेजा था जिसे आई0 आई0 टी0 के विशेषज्ञों ने गलत ठहराया है ? क्या कानपुर में जल आपूर्ति के लिये गंगा बैराज बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से शुरू हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कानपुर नगर में 270 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मानक के विरुद्ध सम्प्रति 180 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलपूर्ति की जा रही है ।

जी हां ।

आई0 आई0 टी0 के विशेषज्ञों द्वारा की गयी कथित जांच की जानकारी शासन को नहीं है ।

जी हां ।

जल निगम द्वारा योजना पुनरीक्षित की जा रही है। पुनरीक्षित योजना पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र जलेसर में कतिपय सड़कों का निर्माण

2–श्री प्रेम पाल सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र जलेसर में इसौली से जलेसर, जलेसर से तजापुर फिरोजाबाद तक अवागढ़ 2 कि0 मी0 रोड लोधे के नगले से उडैरी तक इसी तरह की 1 दर्जन सड़कें अधूरी पड़ी हैं ? यदि हां, तो ये सड़कें कब तक ठीक हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जा हां। इनके संबंध में स्थिति निम्नवत् है:–

1–इसौली-जलेसर मार्ग-500 मीटर भाग को छोड़कर (जिसमें भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है) शेष लम्बाई में कार्य स्वीकृति के अनुसार पूर्ण किया जा चुका है। उक्त 500 मीटर लम्बाई में भूमि उपलब्ध हो जाने पर कार्य पूर्ण किया जाना संभव होगा ।

2–जलेसर-फिरोजाबाद मार्ग:–इस मार्ग का कार्य प्रगति में है । शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य है ।

3–आवागढ़ से लौधे के नगले से उडैरी तक मार्ग:–यह मार्ग सा0 नि0 विभाग का नहीं है वरन् ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अधीन है ।

4—इसी तरह की एक दर्जन सड़के:— सेक्टोरल आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत 17 मार्ग निर्माणाधीन हैं जिनको धन की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण किया जायेगा ।

3—श्री राम गोविन्द चौधरी तथा

श्री अशोक बाजपेयी—

[दिनांक 4-3-86 के अता0 प्र0 सं0 157 द्वारा उत्तरित]

जिला कारागार बाराबंकी में अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय झण्डा फहराये जाने का जेल की गेट-बुक में उल्लेख

4—श्री राम गोविन्द चौधरी तथा

श्री अशोक बाजपेयी—

क्या कारागार मंत्री को इस बात की जानकारी है कि चालू वर्ष 1985 के पूर्व के सालों में 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व पर जिला कारागार बाराबंकी में अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या उसकी लिखा पढ़ी जेल की गेट बुक में होती रही है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि वर्ष 1985 में 2 अक्टूबर, 85 (गांधी जयन्ती के शुभ अवसर) पर जेल प्रशासन बाराबंकी द्वारा जेल की गेट बुक में राष्ट्रीय झण्डा फहराये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार संदर्भित गम्भीर मामले की जांच कराकर दोषी अधिकरी को दण्डित करने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां, सामान्यत: होती रही है। जी हां, उल्लेख नहीं किया गया। किन्तु प्रस्तर 1202 उ0प्र0 जेल मैनुअल के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक नही था ।

इसलिए किसी प्रकार की जांच का प्रश्न नही उठता ।

जिला कारागार, बाराबंकी में कन्टीजेन्सी बिल सं0-12 द्वारा स्टेट बैंक बाराबंकी से जेल के अन्दर पैसे का भुगतान

5—श्री राम गोविन्द चौधरी तथा

श्री अशोक बाजपेयी—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार, बाराबंकी द्वारा दिनांक 22-1-85 को कन्टीजेन्सी बिल सं0 12 द्वारा मु0 28,780/- रुण्या स्टेट बैंक, बाराबंकी से भुगतान प्राप्त किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान किसके द्वारा प्राप्त हुआ और जेल के अन्दर किसके द्वारा लाया गया तथा क्या यह संभव है कि बैंक से भुगतान प्राप्त करके 10 बजकर 35 मिनट पर जेल के अन्दर पैसा आ सकता है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

लेखाकर, जिला कारागार, बाराबंकी द्वारा ।

यदि बैंक 10 बजकर 25 मिनट तक भुगतान दे दे तो 10 बजकर 35 मिनट पर जेल के अन्दर पैसा आ पाना संभव है ।

6—श्री राम गोबिन्द चौधरी तथा श्री अशोक बाजपेयी—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जिला कारागार, बाराबंकी में दिनांक 22-1-86 के कन्टीजेन्सी बिल संख्या 12 के मूल बिल पर जेल अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर भुगतान प्राप्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच विशेष्ज्ञ द्वारा करायी गयी? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं? यदि

नहीं, तो जांच न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बिल पर अधीक्षक के हस्ताक्षर जाली हैं या नहीं, इस बारे में मामला निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश लखनऊ को वैज्ञानिक परीक्षण हेतु संदर्भित किया गया है ।

जांच कराई जा रही है ।

परिणाम प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

7–श्री राम गोविन्द चौधरी तथा–

श्री अशोक बाजपेयी–

[दिनांक 11-2-86 के अता0 प्र0 सं0 120 द्वारा उत्तरित]

श्री सत्यपाल सिंह रंजर जैतपुर, आगरा द्वारा नामजद व अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट

8–श्री बदन सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्यपाल सिंह रंजर जैतपुर, आगरा (चुनाव अधिकारी मतदान केन्द्र बेल्हरा तहसील व जनपद आगरा) ने अपराध सं0 63 यू0/एस0 395, 397, 332, 353 आई पी0 सी0 135 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रिपोर्ट थाना मलपुरा, जिला आगरा में दिनांक 5-3-85 को मत पेटिका ले भागने के सम्बन्ध में दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो उस पर अभी तक अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में छः नामजद व पांच अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मलपुरा पर दिनांक 5-3-85 को प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई । पंजीकृत अभियोग की विवेचना के उपरान्त चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 17-6-86 को तथा शेष दो दिनांक 31-10-85 को आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अज्ञात अभियुक्तों का कोई पता नहीं चल सका है। मामला विचाराधीन न्यायालय में है ।

श्रीमती राम दुलारी पत्नी श्री बाबूलाल सक्सेना द्वारा थाना न्यू आगरा पर श्री बदरुल इस्लाम, एडवोकेट के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट

9–श्री बदन सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राम दुलारी पत्नी बाबूलाल निवासी 26 विष्णु कालोनी, शाहगंज, आगरा ने बदरुल इस्लाम एडवोकेट दीवानी कचहरी, आगरा के विरुद्ध अपराध संख्या 938 धारा 406/420 के अधीन दिनांक 12 अप्रैल, 1985 को थाना न्यू आगरा (आगरा) में रिपोर्ट दर्ज कराया था ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही प्रशासन ने क्यों नहीं की ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती राम दुलारी पत्नी श्री बाबूलाल सक्सेना, निवासी 28, विष्णु कालोनी, शाहगंज आगरा द्वारा दिनांक 12-4-85 को थाना न्यू आगरा पर श्री बदरुल इस्लाम एडवोकेट, सिविल कोर्ट के विरुद्ध मु0अ0सं0 138/85, धारा 406/420 भा0द0वि0 का पंजीकृत कराया गया ।

इस अभियोग की विवेचना से संबंधित अभिलेखों के बारे में विस्तृत छानबीन प्रचलित है तथा हस्तलेख आदि के संबंध में विशेषज्ञों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है । विवेचना के पूर्ण हो जाने पर ही

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव होगा ।

जनपद अलीगढ़ में सासनी नानऊ सड़क निर्माण में प्रगति

10–डा0 बंगाली सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में सासनी नानऊ सड़क निर्माण में अब तक क्या प्रगति है इस सड़क पर कितना कार्य बाकी है तथा इसका निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 19.00 कि0मी0 है जिसका सासनी की ओर से प्रथम 5.00 कि0मी0 लम्बाई में खाद्यान्न योजना नं0 3 के अन्तर्गत सतह लेपन तक, इसके बाद 6.50 कि0मी0 लम्बाई में खाद्यान्न योजना नं0 4 के अन्तर्गत खंड़जा स्तर तक तथा शेष 7.50 कि0 मी0 लम्बाई में सूखा योजना के अन्तर्गत मिट्टी एवं पुलिया का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

उक्त 7.50 कि0 मी0 में से 4 कि0मी0 लम्बाई में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत खंड़जा स्तर तक का कार्य स्वीकृत हो चुका है जो प्रगति में है । चूंकि शेष 3.50 कि0मी0 लम्बाई में खंड़जा स्तर तक पूर्ण करने के लिये कार्य अभी स्वीकृत नहीं है, अतः अभी इसका निर्माण पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री रामसहाय लाल श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव राजस्व अनुभाग द्वारा वेतन निर्धारण हेतु प्रत्यावेदन

11–डा0 बंगाली सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री राम सहाय लाल श्रीवास्तव संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग ने प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी) के विशेष वेतनमान में 80-81 में चयन के पूर्व चयन समिति के समक्ष सही चरित्र पंजी प्रस्तुत न कर चयन से वंचित कराने तथा बाद में इस कार्य को ठीक कराने के लिये तत्कालीन संयुक्त सचिव ने क्या कार्यवाही की तथा उनके विरुद्ध दण्ड विधान की धारा 167/215/500 के अन्तर्गत अभियोजना की अनुमति मांगी है ? यदि हां, तो अब तक अनुमति नहीं दी गयी तथा उक्त अधिकारी द्वारा अपने कनिष्ठ अधिकारियों के समान वेतन निर्धारण करने का प्रत्यावेदन क्या पूर्वाग्रह के कारण निरस्त कर दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस संबंध में श्री श्रीवास्तव ने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये थे जिन पर शासन द्वारा विचार किया गया । श्री श्रीवास्तव द्वारा तत्कालीन संयुक्त सचिव, नियुक्त विभाग एवं अन्य के विरुद्ध दण्ड विधान की धारा–167/218/500 के अन्तर्गत अभियोजन की अनुमति मांगे जाने की प्रार्थना को शासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। श्री श्रीवास्तव द्वारा उनके कनिष्ठ अधिकारियों के समान वेतन निर्धारण करने के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये शासनादेश संख्या : 7027/दो–(2)–22(29)/67, दिनांक 31-12-1985 के अनुसार तत्सम्बन्धी आदेश जारी किये जा चुके है ।

एटा जिले में जैथरा कुरावली मार्ग के पास काली नदी पर पुल का निर्माण

12–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में जैथरा करावली मार्ग की काली नदी पर पुल के अभाव में आने-जाने में काफी असुविधा है ? यदि

हां, तो इसको दूर करने के लिये कब तक पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत कराकर पूरा कराने की योजना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पक्के पुल के अभाव में आने-जाने में कुछ असुविधा तो होती ही है, परन्तु जैथरा-कुरावली मार्ग के लालपुर-जहांगीराबाद नामक घाट के पास काली नदी पर वर्तमान में आने-जाने हेतु जिला परिषद्, एटा द्वारा ठेके पर नौका चलाई जाती है ।

धनाभाव के कारण पक्के पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत कराने की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

तहसील मुख्यालय पटियाली कस्बे में गन्दे पानी को निकालने के लिए नाली के निर्माण हेतु पत्र

13–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुख्यालय पटियाली कस्बे में गन्दे पानी के निकालने के लिए नाली के निर्माण किए जाने हेतु पत्र मुख्य मंत्री को दिनांक 29-5-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

पत्र में 300 मीटर के नाले के निर्माण के लिए अनुरोध किया गया था । जिसमें केवल 100 मीटर नाले का क्षेत्र टाउन एरिया की सीमा में आता है । उक्त 100 मीटर में से 76.5 मीटर का निर्माण पूरा हो चुका है । शेष कार्य आर्थिक संसाधनों के सुलभ होने पर कराया जायगा।

पटियाली टाउन एरिया को विशेष ग्रांट

14–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पटियाली टाउन एरिया को विशेष ग्रान्ट दिए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-9-85 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वित्तीय वर्ष, 1986-87 में विशेष सड़क अनुदान हेतु आरक्षित धनराशि समाप्त हो जाने के कारण अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

पटियाली टाउन एरिया में निर्माण कार्य के खर्च का अनुमान

15–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी एटा को दिए गये प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6-11-85 बावत निर्माण कार्य टाउन एरिया पटियाली में कुल कितना खर्च या लागत लगाने का अनुमान है? क्या प्रस्तावित समस्त आवश्यक कार्यों की लागत धनराशि को स्वीकृत कर कब तक सभी कार्यों को पूरा करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रार्थना पत्र में वर्णित 8 कार्यों में से 2 कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिए गए है । धन के अभाव में शेष कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है ।

आर्थिक संसाधनों के उपलब्ध होने पर शेष कार्य पूर्ण कराये जाएंगे ।

सूखाग्रस्त योजना के अन्तर्गत बनी सड़कों पर मिसिंग लिंकों को बनाने की स्वीकृति

16–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि एटा जिले में वर्ष 1978 से 1980 तक खाद्यान्न योजना 4-5 सूखाग्रस्त योजना आदि के अन्तर्गत बनी सड़कों पर खड़न्जा हो गया और कुछ मीसिंग लिंक छूट भी गये परन्तु खड़न्जे के बाद अथवा मिसिंग लिंकों को बनाने की कोई स्वीकृति न मिलने से सभी सड़कें टूटकर बेकार हो रही है ? यदि हां, तो उनको पेंट कराने का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद एटा में वर्ष 1978 से 1980 तक खाद्यान्न योजना 4, 5 एवं सूखा ग्रस्त योजना के अन्तर्गत कुल 214.4 किलो मीटर के मार्ग खड़न्जा स्तर तक स्वीकृत हैं। इन मार्गों के अतिरिक्त 19.4 किलो-मीटर लम्बाई के मिसिंग लिंक है जिनमें खड़न्जा लगाने का कार्य स्वीकृत नहीं है तथा 9.5 किलोमीटर ऐसे अतिरिक्त मिसिंग लिंक है, जिनमें मिट्टी, पुलिया व खड़न्जा का कार्य स्वीकृत नहीं है । 214.4 कलोमीटर के स्वीकृत मार्गों में से खड़न्जा के बाद 6.6 किलोमीटर की लम्बाई में लेपन स्तर तक मार्ग स्वीकृत है जिनमें कार्य प्रगति में है । खड़न्जा स्तर तक स्वीकृत मार्ग, जिला योजना से प्राप्त धनराशि के अनुसार निर्माणाधीन है । सभी मार्ग, जिनमें खड़न्जा लगा हुआ है, उनका रखरखाव उसी स्तर तक किया जा रहा है और यातायात सुलभ है ।

एटा जिले के कतिपय अर्धनिर्मित सड़कों पर पूर्ण लेपन स्टेज मय पुलिया का इस्टीमेट

17–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में जिला प्लान प्रक्रिया से पूर्व वर्ष 1978-82 तक अर्ध निर्मित सड़कों 1–नगला बैरु धर्मपुर, 2–धर्मपुर शहवाजपुर, 3–धुमरी पटियाली, 4–गंजडुंडवारा सनगढ़ी, 5–थाना दरियाबाद बधराई, 6–थाना दरियाबाद–सहोरी, 7–मझोला-औरंगा-बाद सिकंदरपुर, 8–सहावर-शहवाजपुर रोड तथा 9–गंज डुंडवारा मोहनपुर सड़कों की शेष मिसिंग लिंकों का पूरा करने तथा लेपन कार्य जिला योजना स्तर पर उपलब्ध धनराशि से बनाया जाना संभव न होने की स्थिति में उपरोक्त सभी नौ सड़कों पर पूर्ण लेपन स्टेज तक का इस्टीमेट मय पुलिया आदि लगवा कर एटा जिला प्लान को विशेष धनराशि स्वीकृत कराके सड़कों को टूटने से बचाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो क्या इस्टीमेट है और कब तक रुपया एटा पी0डब्लूडी0 को मिल जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मार्गों में से धुमरी-पटियाली मार्ग 9.30 किलोमीटर लम्बाई तथा सहावर-शहबाजपुर मार्ग की 7.50 किलो-मीटर लम्बाई लेपन स्तर तक स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है । शेष मार्गों के निर्माण हेतु जिला योजना के अन्तर्गत विशेष धन-राशि स्वीकृत कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रश्नगत समस्त मार्ग जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत ही आते है, अतः इन मार्गों का निर्माण जिला योजना के अन्त-र्गत उपलब्ध धनराशि से एवं जिला समिति के अनुमोदन के पश्चात ही स्वीकृत किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुहम्मद यूसुफ नगर महापालिका वाराणसी का चपरासी पद हेतु साक्षात्कार

18–श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

क्या नगर विकासी मंत्री बताने की कृपा ग्राब कुरहुआ पोस्ट वच्छान निवासी श्री

पालिका वाराणसी में वर्ष 66 से वर्ष 77 तक दैनिक वेतन पर कार्य कर चुके हैं ? यदि हां, तो उन्होंने कुल कितने दिनों तक कार्य किया है ? क्या श्री मुहम्मद युसुफ ने वर्ष 77 में चपरासी पद के लिये नगर महापालिका वाराणसी द्वारा बुलाये गये साक्षात्कार में भाग लिया था ? यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची में उसका नाम किस क्रमांक पर था ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, वर्ष 1966 ई0 से 1977 ई0 तक की अवधि में दैनिक वेतन पर कार्य कर चुके हैं ।

बहुत पुराने रिकार्ड के अभाव में यह बताना सम्भव नहीं है ।

जी हां ।

क्रमांक 31 पर ।

लक्ष्मणपुरी, लखनऊ के प्लाट नं0 66 का निरस्तीकरण आदेश व रजिस्ट्री रद्द कराने की कार्यवाही

19–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती स्नेहलता गोयल ने यूनाइटेड आफिसियल कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0 लक्ष्मणपुरी, लखनऊ से प्लाट नं0 66 दिनांक 30-1-63 को क्रय किया था एवं दिनांक 31-7-85 को सहायक आवास आयुक्त एवं सहायक निबन्धक ने जांच में आंशिक निर्माण पाये जाने पर उपरोक्त प्लाट का निरस्तीकरण आदेश को अपने पत्र सं0 4429/33/सह0 रद्द कर दिया था ? क्या मंत्री को यह भी जानकारी है कि यही प्लाट सोसायटी द्वारा गलत ढंग से जब्त करके दिनांक 19-7-85 को श्री चन्द्र मणि सिंह को पुन: बेच दिया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री चन्द्र मणि सिंह की रजिस्ट्री रद्द कराकर श्रीमती स्नेहलता गोयल को यह प्लाट पुन: दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, प्लाट नं0 66 की रजिस्ट्री समिति द्वारा श्रीमती स्नेह लता गोयल को दिनांक 26-1-63 को की गई थी। समिति ने श्रीमती गोयल द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण न कराये जाने के फलस्वरूप उक्त प्लाट का आवंटन निरस्त कर दिया था । श्रीमती गोयल की प्रार्थना पर सहायक आवास आयुक्त/सहायक निबन्धक ने अपने आदेश संख्या 4429/31-सह0 दिनांक 31-7-85 द्वारा उपरोक्त प्लाट का समिति द्वारा किया गया निरस्तीकरण आदेश निरस्त कर दिया था। प्लाट नं0 66 को समिति द्वारा चन्द्र मणि सिंह को दिनांक 19-7-85 को उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री कर दी गई थी।

सहायक आवास आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के आदेश संख्या 4429-31/सह0 दिनांक 31-7-85 के विरुद्ध श्री चन्द्र मणि सिंह ने उ0 प्र0 शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो शासन के समक्ष निर्णय हेतु विचाराधीन है ।

बुलन्दशहर नगर कोतवाली के दरोगा के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही

20–श्री किरनपाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नत्थे सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह ने बुलन्दशहर नगर कोतवाली में 25-9-85 को किसी पुलिस के दरोगा के विरुद्ध कोई रिपोर्ट (अपराध सं0 78 धारा

342, 423, 506) दर्ज कराई थी? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या कार्य-वाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

वादी श्री नत्थी सिंह पुत्र मोहन सिंह की सूचना पर प्रश्नगत अभियोग पंजीकृत हुआ था। जांच से यह मामला झूठा पाया गया और विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्ग चार के कर्मचारियों के लिए वर्ग तीन के पदों पर आरक्षण का प्राविधान

21–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र सं0 37/1-1968 -2 दिनांक 31-8-84 के तहत वर्ग चार के कर्मचारियों के लिये वर्ग तीन के पदों के लिये आरक्षण का प्राविधान रखा गया था? इस पदोन्नति हेतु क्या कार्यवाही हुई कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति तृतीय श्रेणी में की गयी है और कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी प्रशिक्षित हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ग 4 के कर्मचारियों के लिये वर्ग 3 के पदों पर प्रोन्नति हेतु आरक्षण का प्राविधान पत्र सं0-37/1-1968-2, दिनांक 31-8-84 के स्थान पर शासनादेश संख्या-37/1-1969-कार्मिक दिनांक 31-8-82 के द्वारा किया गया है ।

शासनादेश दिनांक 31-8-82 के अन्तर्गत कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 3 कर्मचारियों की पदोन्नति तृतीय श्रेणी के पदों पर की गयी है।

प्रश्नगत शासनादेश के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कोई प्राविधान नहीं है । अतः प्रशिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस विभाग में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण

22–श्री विजय सिंह राणा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में कुछ कहार तथा अन्य ऐसे कर्मचारी भर्ती किये गये थे जिन्हें कुल वेतन मात्र 100/- या 150/- महीने दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या यह श्रम कानूनों के विरुद्ध नहीं है? यदि हां, तो इस अन्याय के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या शासन ऐसे लोगों को नियमानुसार वेतन दिलाने और वेतन निर्धारण की कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। शासनादेश संख्या 4534/आठ-2-700 (80) 76 दिनांक 17-6-83 द्वारा 733 कुक एवं 733 कहार के अंशकालिक पदों पर जो नियुक्तियां की गई थीं, इन्हें पहले क्रमशः रु0 150/- तथा रु0 100/- प्रतिमाह दिया जाता था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब रु0 325/- तथा रु0 225/- प्रतिमाह कर दिया गया है। चूंकि यह नियुक्तियां पहले भी अंशकालिक थी और अब भी हैं अतः यह श्रम कानूनों के विरुद्ध नहीं है ।

23–श्री विजय सिंह राणा–

[9वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0115 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अधिवेशन में मदवार व्यय की गयी धनराशि

24–श्री अशोक बाजपेयी तथा
श्री राकेशधर त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह नवम्बर, 85 में इलाहाबाद में आयोजित स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी अधिवेशन पर कुल कितना धन किन-किन मदों पर व्यय किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला रायबरेली के कुरीं सुधौली से लालगंज तक मार्ग निर्माण कर्य से सम्बन्धित कार्यवाही

25–श्री शारदा प्रताप–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुरीं सुदौली (रायबरेली) से लालगंज सीधा मार्ग निर्माण कार्य शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ? सरकार उन्नाव, रायबरेली तथा लखनऊ के इस लाभान्वित होने वाले पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए क्यों कार्यवाही नहीं कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

संसाधनों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण विषयक पत्र पर विचार

26–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता का अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण विषयक पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि प्राप्त हुआ है तो शासन ने अब तक इस विषय पर क्या कार्यवाही किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन की इस संबंध में क्या नीति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्राप्त पत्र में उल्लिखित प्रत्येक मद पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है । इस सम्बन्ध में शासन की नीति यह है कि किसी भी स्वतंत्र व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों को स्कूटर खरीदने, पुस्तकें क्रय करने, पेंशन देने, आर्थिक सहायता आदि उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 172-173 पर)।

नौकरियों की पदोन्नति में हरिजनों का आरक्षण

27–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नौकरियों में हरिजनों का आरक्षण पदोन्नति हेतु समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह कब से और क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के कतिपय में आवासीय सुविधा के अनुसार ही मकान किराये का निर्धारण

28–श्री बलबीर सिंह यादव–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के महानगर व बादशाहनगर स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग

के तृतीय श्रेणी के सरकारी आवासों को वेतनमान व वर्ग के हिसाब से एल0/यू0 में विभाजित किया गया है परन्तु राज्य सम्पत्ति विभाग की नेपियर रोड, ट्रान्सपोर्ट नगर, मोतीझील, तालकटोरा व रामनगर, एशबाग में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण एक ही प्रकार के आवास में टंकक से लेकर अनुभाग अधिकारी तक रह रहे हैं और उनके मकान किराये भी अलग-अलग हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि आवासीय सुविधा के अनुसार ही मकान किराये निर्धारित किया जा सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

नियमानुसार सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके वेतनमानों के अनुसार उनकी अर्हता श्रेणी के आवास आवंटित किये जाते हैं किन्तु यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जटिल आवासीय समस्या के कारण अपनी अर्हता श्रेणी से निम्न श्रेणी के आवास को अपने पक्ष में आवंटित किये जाने का अनुरोध किया जाता है तो उसकी आवश्यकता को देखते हुए उसके पक्ष में निम्न श्रेणी का आवास आवंटित किया जाता है । नेपियर रोड, ट्रान्सपोर्टनगर (कानपुर रोड) मोतीझील तालकटोरा व रामनगर एशबाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिये श्रेणी-2 (केवल-दो कमरे के आवास) के आवास हैं जो कि अनुभाग अधिकारियों के अर्हता श्रेणी से निम्न श्रेणी के आवास हैं । उक्त कालोनियों में जो भी अधिकारीगण रह रहे हैं, वे अपनी सहमति से ही उक्त आवासों में रह रहे हैं । राज्य सम्पत्ति विभाग में उनकी सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही उनके पक्ष में उक्त कालोनियों में आवासों का आवंटन किया गया है ।

किसी भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के पक्ष में आवास का आवंटन हो जाने के उपरान्त उनसे संबंधित आवास का किराया उनके वेतन से नियमानुसार वेतन का 10% अथवा आवास का मानक किराया जो भी कम होता है, वसूल किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ से फतेहपुर, हमीरपुर और बांदा जिलों को सीधा जोड़ने हेतु नया प्रान्तीय मार्ग बनाने का प्रस्ताव

29–श्री शारदा प्रताप–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से फतेहपुर, हमीरपुर और बांदा जिलों को सीधा जोड़ने के लिए मोहन लाल गंज (लखनऊ) से कुर्री सुदौली हिलौली खीरों नेहस्था तथा सेमरपहा होकर सरकार नया प्रान्तीय मार्ग बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग को बनाये जाने हेतु कौन-कौन से कदम उठाये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण ।

लखनऊ जनपद में कार्यरत स्पेशल जूडिशियल मजिस्ट्रेटों का कार्य-न्यायिक सेवा के अधिकारियों को देने पर विचार

30–श्री नरेश चन्द्र–

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1985 के अंत तक कुल कितने स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट (रिटायर्ड सरकारी सेवक) कार्यरत हैं ? लखनऊ जनपद में ऐसे कितने मजिस्ट्रेट हैं ? सरकार इनका कार्य कब तक न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दे देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ योजनाएं

3–श्री नरेश चन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ कई योजनाएं विचाराधीन हैं? क्या सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ कानूनी पुस्तकें खरीदने, स्कूटर खरीदने, चेम्बर बनाने एवं नये पंजीकृत वकीलों को आर्थिक सहायता देने के विषय में कोई आवश्यक कार्यवाही की है? यदि हां, तो योजनाएं कब तक लागू होंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना लागू है जिसके अधीन:–

1–सामूहिक बीमा के अन्तर्गत अधिवक्ताओं को 60 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी को 1500/- रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

2–अपंग असहाय अधिवक्ताओं को उत्तर प्रदेश बार कौंसिल की संस्तुति पर रुपये 150/- प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है एवं गम्भीर प्रकृति की बीमारी यथा कैंसर आदि के लिये भी निधि की स्वीकृति से आर्थिक सहायता दी जाती है।

3–पंजीकृत बार संघों को 5000/- रुपये की सीमा तक विधि पुस्तकें क्रय करने हेतु भी सहायता दी जाती है। स्कूटर/विधि पुस्तकें खरीदने के लिये कोई वित्तीय सहायता किसी अधिवक्ता विशेष को प्रदान नहीं की जाती है। अधिवक्ताओं को चैम्बर बनाने के लिए भी कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के प्रांगण में अधिवक्ताओं के लिये चेम्बर बनवाये जा रहे हैं। दीवानी न्यायालय प्रांगण में भूमि उपलब्ध होने पर पंजीकृत दीवानी न्यायालय बार संघ को मात्र एक रुपये वार्षिक किराये की दर से पट्टे पर चेम्बर बनवाने हेतु भूमि उपलब्ध करायी जाती है। शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये अन्य किसी प्रकार की सहायता देना संभव नहीं है।

स्वतंत्र व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों को पेंशन देने की प्रस्तावित योजना

32–श्री नरेश चन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने 65 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत अधिवक्ताओं को पेंशन देना स्वीकृत किया है? यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत सरकारी योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

किसी भी स्वतन्त्र व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों को पेन्शन देने की सम्प्रति कोई सरकारी नीति नहीं है।

लखनऊ जनपद की तहसीलों में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना की मांग

33–श्री नरेश चन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1985-86 में कितने मुंसिफ मजिस्ट्रेटों एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की अदालतें स्थापित की गयी हैं? क्या लखनऊ जनपद में मोहन लाल गंज, मलिहाबाद में एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रदेश में वर्ष 1985-86 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की कोई अदालत स्थापित नहीं की गई । केवल मुंसिफ मजिस्ट्रेट की सात अदालतें तहसील मुख्यालयों पर स्थापित की गयी हैं।

जी नहीं।

गोमती नदी के भटपुर व मनवा घाट पर पुल निर्माण का प्रस्ताव

34–श्री रामपाल वर्मा–

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत अतरौली सिधौली मार्ग को जोड़ने हेतु गोमती नदी के भटपुर व मनवा घाट पर पुल निर्माण का प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत है, लेकिन धन के अभाव में पुनः निर्माण कार्य लम्बित है? यदि हां, तो शासन निकट भविष्य में कब धन प्राप्त करके शीघ्र पुल का निर्माण करायेंगे? यदि नहीं, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

35–श्री राम आंतार मिश्र, श्री चेतराम, श्री विनोद कुमार तथा श्री अहिवरन–

[मा0 सदस्यों द्वारा वापस ले लिया गया]

जनपद बाराबंकी के थाना मवई में श्री सईद खां द्वारा पंजीकृत मुकदमा

36–श्री राम सागर–

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के थाना मवई अन्तर्गत ग्राम फरौंदी में हाजी मो0 इब्राहीम व एम0 के0 अन्सारी ने ट्रेविल सर्विसेस के नाम से संस्था खोलकर सऊदी अरब भेजने के लिए लोगों से एक लाख से अधिक रकम इकट्ठा की है ? क्या इस सम्बन्ध में श्री सईद खां ने थाना मवई अपराध संख्या 28/85 अन्तर्गत धारा 420/504 आई0 पी0 सी0 दिनांक 21-8-85 को कोई मुकदमा कायम किया है ? यदि हां तो अब तक जांच कार्यवाही की स्थिति क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

हाजी मो0 इब्राहीम तथा एम0 जे0 अन्सारी द्वारा ग्राम बुलबुलपुर थाना पटरंगा में 'जूपिर ट्रेवेल सर्विस' नाम की संस्था खोली थी । विवेचना से अब तक 5 व्यक्तियों से 5-5 हजार रुपये लेना प्रकाश में आया है ।

श्री सईद खां ने इस सम्बन्ध में दिनांक 21-8-85 को एक मुकदमा अपराध संख्या 98/85 धारा 42,00,506 भा0 द0 वि0 थाना मवई जनपद बाराबंकी में पंजीकृत कराया ।

अभियुक्त हाजी मो0 इब्राहीम के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 17-11-85 को न्यायालय भेज दिया गया है । दूसरे नामजद अभियुक्त एम0 जे0 अन्सारी के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है ।

सरकारिया कमीशन को उ0 प्र0 सरकार द्वारा प्रस्तुत मेमोरेन्डम व उसका विषय

37–श्री अभिताभ अनिल दुबे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र राज्य संबंधी के विषय पर नियुक्त सरकारिया कमीशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई मेमोरेन्डम प्रस्तुत किया है ? यदि हां तो उसका मुद्दा क्या है? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी, हां । प्रदेश सरकार द्वारा सरकारिया आयोग को प्रस्तुत किये गये मेमोरेन्डम में मुख्य रूप से यह बल दिया गया है कि राष्ट्र के विकास के लिए देश की अखण्डता सबसे महत्वपूर्ण है और सभी संबंध इस आधारभूत सिद्धांत से प्रभावित होने चाहिए । आयोग के समक्ष यह तर्क रखा गया है कि केन्द्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के लिए निर्धारित कार्यकारी सिद्धांतों में प्रदेश के पिछड़ेपन व गरीबी को विशेष बल दिया जाना चाहिए।

थाना सआदतगंज, लखनऊ में श्री सैराजुद्दीन द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी

38–श्री अमिताभ अनिल दुबे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक अन्धे व्यक्ति से श्री सैराजुद्दीन तथा उनकी बहन जैतून को घुसकर मारने पीटने और घायल करने के आरोप में सर्वश्री जब्बार हनीफ, व कल्लू और सिद्दीक के विरुद्ध दिनांक 5-7-85 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 323, 324, 506 के अन्तर्गत अपराध संख्या 80/85 थाना सआदतगंज, लखनऊ में कोई रिपोर्ट दर्ज है ? यदि हां, तो इन अभियुक्तों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5-7-85 को श्री सिराजुद्दीन (जो अन्धे हैं) की बहन कु0 जैतुन द्वारा प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में थाना सआदतगंज पर अंकित कराई गई रिपोर्ट के आधार पर धारा 452/323/324/504/506 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना से मारपीट की घटना घर के बाहर होनी पायी गई। अभियुक्तगण को दिनांक 18-7-85 को गिरफ्तार करके उनका चालान धारा 324/323/504/506 भा0 दं0 वि0 में किया गया। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

39–श्री मूल चन्द्र–

[दिनांक 4-3-86 के अता0 प्र0 सं0 60 द्वारा उत्तरित]

40–श्री मूल चन्द्र–

[8वें सोमवार के अता0 प्र0 सं0 107 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सार्व0 नि0 वि0 शिकोहाबाद के निरीक्षण भवन के कर्मचारी श्री मुन्ना के विरुद्ध प्रमुख अभियन्ता को भेजा गया शिकायती पत्र

41–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोहम्मद सफी लैक्चरर इस्लामिया कालिज, फिरोजाबाद ने दिनांक 17-10-85 को सा0 नि0 वि0 शिकोहाबाद के निरीक्षण भवन के कर्मचारी मुन्ना के विरुद्ध प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0, मैनपुरी को कोई पत्र भेजा था ? यदि हां, तो पत्र में दिये गये तथ्य क्या है और उन तथ्यों के सम्बन्ध में क्या शासन ने कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो जांच

आख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्या अब इस सम्बन्ध में कोई कार्य प्रक्रिया निश्चित की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सार्वजनिक निर्माण विभाग, मैनपुरी में कोई प्रमुख अभियन्ता नहीं है। अतः उन्हें पद भेजने का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जनपद में ग्राम समोगर पर यमुना नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में आख्या

42–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में ग्राम समोगर पर यमुना नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में विशेष सचिव, सा0 नि0 वि0 के पत्र संख्या 1004 ई/23-सा0 नि0 वि0 अनु0/11/10 (3) ई-83 दिनांक 21-2-84 के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सम्बन्धित अधिकारियों से मांगी गयी आख्या शासन को उपलब्ध हो गई है? यदि हां, तो आख्या के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सा0 सदस्य को प्रेषित पत्र दिनांक 21 फरवरी, 1984 में ग्राम समोगर के पास यमुना नदी पर पुल के विषय में आख्या प्राप्त करने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी। प्रश्नगत पुल के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त होने व विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त प्रस्तावित पुल के निर्माण का पूर्ण औचित्य नहीं पाया गया ।

राजकीय कालोनी, कानपुर रोड में सिविल अनुरक्षण पर व्यय

43–श्री गौरी शंकर भइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कालोनी, कानपुर रोड पर अब तक सिविल अनुरक्षण पर कितना व्यय हुआ है ? क्या सरकार इस निम्न स्तरीय अनुरक्षण की जांच टेकनिकल सेल द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कानपुर रोड राजकीय कालोनी में अब तक सिविल अनुरक्षण पर 74 हजार रुपये का व्यय हुआ है।

कानपुर रोड स्थित राजकीय कालोनी में सिविल अनुरक्षण के अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई निम्न स्तरीय कार्य नहीं कराया गया है। अतः टेकनिकल सेल द्वारा इन कार्यों की जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग-5 में टाइपिस्टों की भर्ती में आरक्षण कोटा

44–श्री रामपाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1985 में सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग-5 में टाइपिस्टों की भर्ती की गयी जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो शेष आरक्षण कोटा कब तक पूरा किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1985 में टाइपिस्टों की भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा नहीं किया जा सका। शेष आरक्षण कोटा अगले चयन के लिये अग्रेनीत कर लिया गया है।

हायर जूडिशियल सेवाओं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का माप दण्ड

45–श्री नरेश चन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हायर जूडीशियल सेवाओं के कितने अधिकारी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा निगमों में विधि अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं ? इस प्रकार इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का क्या माप दण्ड है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा निगमों में सम्प्रति उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के 58 अधिकारी प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा पर कार्यरत हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर मा0 उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण है । अतः राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा निगमों की विशेष मांग पर, इन अधिकारियों को, मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति से शासन द्वारा जनहित में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा पर तैनात किया जाता है।

बरेली नगर की प्रमुख सड़कों का रख-रखाव व सौन्दर्यीकरण की योजना

46–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर की 17 प्रमुख सड़कों का रख रखाव व सौन्दर्यीकरण का कार्य अब सार्वजनिक निर्माण विभाग देख रहा है ? यदि हां, तो इस योजना के लिए शासन से जो 4 करोड़ रुपये की मांग की गई है? क्या शीघ्र दिला देंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बरेली नगर की सीमा में केवल निम्नलिखित 5 मार्गों का ही रख रखाव किया जा रहा है :–

1–पीलीभीत–बरेली–भरतपुर मार्ग,
2–बरेली बाई पास,
3–बरेली-बागेश्वर मार्ग,
4–किला बाई पास,
5–देहली–लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग ।

किसी भी मार्ग के सौन्दर्यीकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

धनाभाव के कारण ।

कानपुर नगर में औद्योगिक प्रदूषण के फैलाने के विरुद्ध कार्यवाही

47–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि आजकल कानपुर नगर भयानक औद्योगिक प्रदूषण का सामना कर रहा है और वायु मण्डल के प्रदूषण की मात्रा 900 (नौ सौ) माइक्रोग्राम तक पहुंच गयी है ? यदि हां, तो उन कारखानों के विरुद्ध जो प्रदूषण फैला रहे हैं क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कानपुर नगर में वायु की गुणता ज्ञात करने के उद्देश्य से उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा किये गये अनुश्रवण के अनुसार धूल के कणों (पर्विकूलेट मैटर) की मात्रा निर्धारित मानव से अधिक पाई गयी तथा सल्फर डाई आक्साइड की मात्रा निर्धारित मानक के अन्तर्गत रही । विश्लेषण आख्या के अनुसार

धूल के कणों की मात्रा आवासीय व औद्योगिक क्षेत्रों में क्रमशः 211 से 1300 माइक्रोग्राम प्रति एन. एम. 3 (मानक—200) तथा 127 से 1293 माइक्रोग्राम एन. एम. 3 (मानक—500) के बीच पायी गयी। सल्फर डाई आक्साइड की मात्रा आवासीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम क्रमशः 8.00 (मानक—80) तथा 50.00 (मानक—120) तक पायी गयी।

कानपुर नगर के प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों को (वायु प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिया गया है कि वह वायु प्रदूषण न करें।

गैसीय उत्सर्जन हेतु बोर्ड को सहमति प्राप्त करें तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था करें। वायु अधिनियम के अन्तर्गत कानपुर के वायु प्रदूषणकारी मुख्य 25 उद्योगों में से 8 इकाईयों की सहमति अस्वीकार की जा चुकी है, 2 को सशर्त सहमति दी गई है 4 मामले सहमति निस्तारण हेतु विचाराधीन हैं तथा शेष उद्योगों ने सहमति हेतु आवेदन नहीं किया है। केवल 17 इकाईयों में आंशिक वायु प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था है।

लागू नहीं होता।

आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील कोषागार में सरकारी ड्यूटी करते हुए सशस्त्र पुलिस कर्मियों की कथित हत्या

48—श्री भीखा राम—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 और वर्ष 1985 में आजमगढ़ जिले के थाना फूलपुर के फूलपुर तहसील कोषागार में सरकारी ड्यूटी करते हुए कितने सशस्त्र पुलिस कर्मियों की हत्या की गयी और यह हत्या किस समय हुई है और इसमें क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1984 और 1985 में ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

49—श्री भीखा राम—

क्या मंत्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त सिपाहियों की हत्या में कौन-कौन लोग मुल्जिम हैं तथा कौन-कौन गवाह हैं, दोनों का नाम और पता क्या है? क्या गवाहों की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निवास नम्बर 1, 2, 3 व 4 में कर्मचारियों की संख्या एवं उनसे कराये जाने वाले कार्य

50—श्री भीखा राम—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास नं0 1, 2, 3 और 4 में (अलग-अलग) इस समय कुल कितने कर्मचारी किस-किस श्रेणी के हैं और इनसे अलग-अलग क्या काम लिया जाता है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विधायक निवास 1, 2, 3 और 4 में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के

नियमित कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है:-

	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
विधायक निवास-1	3	104
विधायक निवास-2	3	75
विधायक निवास-3	-	35
विधायक निवास-4	3	100

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के सम्वर्ग एवं कार्य का विवरण निम्नवत् है:-

व्यवस्थापक एव लेखा-

लिपिक:-विधायक निवासों के भोजनालयों की देखभाल

पूछताछ लिपिक:-कार्यालयों में आगन्तुकों कक मार्ग दर्शन।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्वर्ग एवं उनसे लिये जाने वाले कार्य का विवरण निम्नवत् है:-

कुक:- विधायक निवास-1, 2 व 4 के भोजनालयों में खाना पकाना।

वियरर:- विधायक निवास-1, 2 व 4 के भोजनालयों में खाना परसने का काम।

मसालची:-विधायक निवास-1, 2 व 4 के भोजनालयों में बर्तन धोने, मसाला पीसने आदि का कार्य।

हेड माली/
माली:-विधायक निवासों के बाग-बगीचे की देख-रेख।

टेलीफोन

अटेन्डेन्ट:-विधायक निवासों के कार्यालयों में लगे टेलीफोन की देखरेख

चौकीदार:-विधायक निवासों के भवनों बगीचों आदि की दिन-रात चौकीदारी।

चपरासी:-विधायक निवासों के कार्यालय हेतु।

लिफ्टमैन:-विधायक निवास-1, 2 व 4 में लिफ्टों के चालन हेतु।

फर्राश:- विधायक निवासों के कमरों की सफाई व अध्यासियों के सामान आदि लाना।

भिश्ती:- कमरों के लगे वासबेसिन की सफाई करना।

स्वीपर:- विधायक निवासों के समस्त कमरों के शौचालय, बाथरूम आदि की सफाई।

फायर-
गार्ड:- विधायक निवास-4 में अग्नि-सुरक्षा हेतु।

वाटरमैन:-विधायक निवास-1 व 4 में पानी पिलाने का कार्य।

विधायक निवास में कर्मचारियों की सेवाओं से विधायकों को सुविधा

51-श्री भीखा राम-

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन कर्मचारियों की सेवाओं से विधायकों को क्या सुविधा मिलती है?

श्री वीर बहादुर सिंह-

विधायक निवासों में कार्यरत कर्मचारियों से विधायकों के कक्षों की सफाई सुव्यवस्था आदि कराई जाती है और उनके भोजन, जलपान आदि का प्रबन्ध कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त कर्मचारियों से विधायकगण आवश्यकतानुसार छोटे-मोटे कार्य भी लेते हैं।

52-54-श्री भीखा राम-

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

थाना फूलपुर तथा निजामाबाद की पुलिस से हुई मुठभेड़ में मुल्जिम सतीश चन्द्र पाण्डेय व चितबहाल की हत्या

55–श्री भीखा राम–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत अगस्त, सितम्बर, 85 में आजमगढ़ जिले के थाना फूलपुर के ग्राम केनरी तथा ग्राम सुदनी पुर के रहने वाले दो व्यक्तियों की हत्या पुलिस मुठभेड़ में थाना फूलपुर तथा थाना निजामाबाद में हुई है? यदि हां, तो क्या इसके पूर्व भी इन दोनों व्यक्तियों पर कभी कोई छोटा या बड़ा मुकदमा जिले के किसी थाने में चला है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 24/25-7-85 को थाना फूलपुर तथा निजामाबाद की पुलिस से मुठभेड़ में सतीश चन्द्र पाण्डे व चितबहाल नामक व्यक्तियों की मृत्यु हुई जो क्रमश: ग्राम कनेरी व सुदनीपुर के रहने वाले थे। मृतक सतीश चन्द्र पाण्डे मु0अ0सं0 62/83 थाना फूलपुर एवं मृतक चितबहाल मु0अ0सं0 10/66, 174ए/72, 57/84 थाना अहरौला तथा मु0अ0सं0 94/85 थाना फूलपुर में अभियुक्त थे।

56–श्री भीखा राम–

क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि दोनों मृत व्यक्ति कितने आपराधिक मामलों में मुल्जिम रहे हैं तथा कितने मामलों में पुलिस के गवाह रहे हैं? क्या यह भी सही है कि आगे पुलिस गवाह बनने से इन्कार करने पर ही दोनों व्यक्तियों की हत्या की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उक्त दोनों व्यक्ति उपरोक्त मुकदमों में मुल्जिम थे, लेकिन किसी भी मामले में पुलिस के गवाह नहीं थे। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

57–श्री भीखा राम–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण में चलने वाले कतिपय विधायक निवास के भोजनालयों से लाभ हानि व खाद्य सामग्री क्रय करने की पद्धति तथा जांच

58–श्री भीखा राम–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण में चलने वाले विधायक निवास 1, 2, 3 और 4 के भोजनालयों में जब से उनका अधिग्रहण सरकारी हाथों में आया है कुल कितनी लाभ हानि हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन विधायक निवास-1, 2 पुराना, 2 नया व 4 में भोजनालय चल रहे हैं तथा विधायक निवास-3 में कोई भोजनालय नहीं है। इन भोजनालयों के अधिग्रहण के समय से कोई लाभ हानि नहीं हुई है क्योंकि यह भोजनालय 'बिना कोई लाभ हानि' के आधार पर चलाये जा रहे हैं।

59–श्री भीखा राम–

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन भोजनालयों की खाद्य सामग्री क्रय करने की क्या पद्धति है और वह कहां-कहां से क्रय की जाती है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इन भोजनालयों में खाद्य सामग्री आवश्यकतानुसार खुले बाजार एवं मंडियों से क्रय की जाती है।

60–श्री भीखा राम–

क्या मंत्री जी किसी विशेषज्ञ से इन भोजनालयों में उपलब्ध खाद्य सामग्री

(सामिष और निरामिष) की जांच करायेंगे तथा यह भी बतायेंगे कि पूर्व व्यवस्था की तुलना में इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं (विधायकों) को कौन सी विशेष सुविधा सरकार ने दिया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

किसी विशेषज्ञ से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पूर्व व्यवस्था की तुलना में वर्तमान व्यवस्था से विधायकों को बाजार भाव से सस्ती दरों पर चाय नाश्ता व खाना आदि मिलता है।

आजमगढ़ जिले के थाना महाराजगंज में जब्त/निरस्त किये गये लाइसेन्स तथा लाइसेन्सधारियों को नोटिस व चेतावनी

61–श्री भीखा राम–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के थाना महाराजगंज के अंतर्गत गत जुलाई से नवम्बर, 85 के अंतर्गत किन-किन व्यक्तियों का लाइसेन्स (रिवाल्वर, राइफल, बन्दूक आदि) जब्त किये गये या कैंसिल किये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला आजमगढ़ के थाना महाराजगंज के अंतर्गत माह जुलाई से नवम्बर 85 की अवधि में किसी भी लाइसेन्सी का शस्त्र न तो जब्त किया गया और न ही निरस्त किया गया।

62–श्री भीखा राम–

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह लाइसेन्स जब्त करने के पूर्व लाइसेन्स धारियों को कोई नोटिस सूचना या चेतावनी दी गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त लाइसेन्स बिना किसी शिकायतों के आधार पर व्यक्तिगत द्वेष के कारण जब्त किये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निवास लखनऊ के आवासीय कक्ष को राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के नाम आवंटन

63–श्री भीखा राम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विधायक निवास, लखनऊ के कितने आवासीय कक्ष ऐसे हैं जो विधायकों के अतिरिक्त राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के नाम आवंटित हैं ? यह कौन से पदाधिकारी हैं और किन-किन राजनीतिक दलों से सम्बद्ध हैं तथा इनसे कितना किराया लिया जाता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस समय विधायकों के अतिरिक्त राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के नाम विधायक निवास के कोई कक्ष आवंटित नहीं हैं।

64–श्री भीखा राम–

क्या मंत्री जी यह भी स्पष्ट करेंगे कि एक तरफ भू0 पू0 विधायकों से कमरे खाली कराये जा रहे हैं और दूसरी तरफ राजनैतिक पार्टियों, पत्रकार संगठनों तथा दूसरे मजदूर संगठनों एवं व्यक्तियों को आवंटित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विधायक निवासों के कक्ष मौजूदा विधायकों के लिए ही हैं। राजनैतिक पार्टियों, पत्रकार संगठनों, तथा दूसरे मजदूर संगठनों, एवं व्यक्तियों को विधायक निवास के कक्ष अस्थाई रूप से विशेष परिस्थितियों में आवंटित किये जाते हैं।

रुधौली बाखरा मार्ग पर ढींपिया घाट के पुल का निर्माण

65–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 1ले मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 118 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया अथवा नहीं ? यदि प्रारम्भ किया गया तो कब से और यदि नहीं, तो इसे कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बस्ती जनपद के साहेरतगढ़ ढेबहरआ मार्ग का निर्माण

66–श्री औसान सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के साहेरतगढ़ ढेबहरआ मार्ग की हालत खराब है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत किस वर्ष में हुई थी कितनी बार गिट्टयां छोड़ी गयीं तथा कितनी बार बेच ली गयीं? क्या सरकार निकट भविष्य में उस सड़क का निर्माण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मार्ग की दशा सामान्य है ।

मरम्मत प्रत्येक वर्ष, उपलब्ध धन के अनुसार, की जाती है ।

मार्ग के रख-रखाव हेतु प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार गिट्टियां छोड़ी गईं।

बेंची नहीं गईं ।

सड़क तो पूर्व निर्मित है । नवीनीकरण का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली में कतिपय अपराधों के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमों का निरस्तारण

67–श्री औसान सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि अपराध संख्या 364 धारा 302/307/147/148/149 आई0 पी0 सी0 दिनांक 25-11-84 थाना कुरावली, जिला मैनपुरी में दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या मुकदमें का निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है ? यदि हां, तो न्यायालय का फैसला क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अपराध थाना कुरावली पर दर्ज हुआ था नामजद अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया था । तृतीय अतिरिक्त जिला जज एवं स्पेशल जज मैनपुरी द्वारा दिनांक 17-7-85 को इस मुकदमें में निर्णय दिया गया और अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया गया । उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के आदेश शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं ।

68–श्री औसान सिंह–

[दिनांक 6-2-86 के तारां0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर को नरभक्षी शेर से राहत

69–श्री विनोद कुमार–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में विगत चार माह के अंतर्गत लगभग एक दर्जन व्यक्तियों को नरभक्षी शेर ने अपना शिकार बना लिया है तथा उसका यह

क्रम अभी भी जारी है ? यदि हां, तो जिला प्रशासन ने अभी तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की ? क्या इस नर-भक्षी शेर से जनता को स्थायी राहत दिलाने के कोई स्थायी प्रबन्ध किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में वर्ष 1985 में शेर द्वारा कुल आठ व्यक्तियों को मारा गया है तथा चार व्यक्तियों को घायल किया गया है। शेर द्वारा 22-11-85 को एक व्यक्ति के मारे जाने के बाद न तो किसी को मारे जाने की घटना की सूचना प्राप्त हुई और न ही किसी के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है । पीलीभीत जनपद में शेर द्वारा अधिक घटनायें वन विभाग की हरीपुर रेंज व वराही रेंज के अंतर्गत की गई थीं । इस शेर को मानव भक्षी घोषित कर नष्ट करने अथवा पकड़ने के आदेश दिए गए, परन्तु अब तक शेर न तो मारा ही जा सका है, और न पकड़ा ही जा सका है । अभी भी उक्त शेर को नष्ट करने के प्रयास जारी हैं ।

सहकारी चीनी मिल लि0, पुवायां में स्थानीय व बाहरी व्यक्तियों को नियुक्ति

70–श्री चेतराम–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, पुवायां (शाहजहांपुर) में अभी तक कुल कितने व्यक्तियों की नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या यह व्यक्ति स्थानीय हैं अथवा बाहरी? यदि बाहरी है तो स्थानीय व्यक्तियों को क्यों नहीं रखा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सहकारी चीनी मिल, पुवायां (शाहजहांपुर) में चीनी मिल द्वारा अभी तक निम्न नियुक्तियां की गयी हैं :–

	स्थानीय	बाहरी	कुल
नियमित	1	3	4
दैनिक वेतन पर	16	6	22
योग	17	9	26

जहां तक नियमित नियुक्तियों का प्रश्न है मिल के प्रारम्भिक चरण में कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अन्य सहकारी चीनी मिलों में अनुभव प्राप्त कुछ बाहरी कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की गयी है। दैनिक वेतन पर अधिकतर स्थानीय व्यक्तियों को ही नियुक्ति देने का प्रयास किया गया है।

किसान सहकारी चीनी मिल लि0 पुवायां (शाहजहांपुर) के शिलान्यास पर व्यय

71–श्री चेतराम–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सह0 चीनी मिल, पुवायां (शाहजहांपुर) मिल के शिलान्यास से लेकर अभी तक किस-किस मद पर कितना-कितना व्यय किया है तथा कितने शेयर जनता में विक्रय किये गये हैं? क्या यह सच है कि मिल के प्रधान प्रबन्धक व कर्मचारी अत्यन्त ही शिथिलता से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

किसान सहकारी चीनी मिल लि0, पुवायां (शाहजहांपुर) के शिलान्यास से लेकर 28 फरवरी, 1986 तक कुल

177·82 लाख रुपये व्यय हुआ, जिसका मदवार विवरण निम्नलिखित है :—

मद	व्यय लाख रुपयों में
भूमि तथा स्थल विकास	18·25
भवन निर्माण	60·15
प्लान्ट तथा मशीनरी	87·40
अन्य सम्पत्तियां	6·50
स्थापना एवं अन्य व्यय	5·52
योग	177·82

उक्त अवधि में गन्ना कृषकों से कुल 2·56 लाख रुपये अंशपूंजी के रूप में प्राप्त हुआ है।

चीनी मिल का निर्माण कार्य लक्ष्य के अनुसार निष्पादित हो रहा है, अतः मिल निर्माण में शिथिलता का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिला जेल से डा0 ओ0 एन0 शुक्ल द्वारा दवायें निकलवाना

72—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिला जेल से दिनांक 26-8-85 को डा0 ओ0 एन0 शुक्ल लगभग 5000 रु0 की दवा निकालकर ले गये ? यदि हां, तो तथ्य क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। जिला कारागार, गोरखपुर से दिनांक 26-8-85 को डा0 ओ0 एन0 शुक्ला नं 5 पैकेट दवा जेल अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियों के उपरान्त सदर लाक-अप गोरखपुर के लिये भेजा था जहां पर दवाओं की प्राप्ति स्वीकार की गयी है।

श्री अवधेश सिंह यादव, अवर अभियंता, सा0 नि0 वि0, बलिया की सेवा पुस्तिका बनवाने की कार्यवाही

73—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अवधेश सिंह यादव वर्तमान में अवर अभियन्ता अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई, सा0 नि0 वि0, बलिया की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली बलिया में उपलब्ध न होने के कारण उन्हें मिलने वाला वेतन एवं अन्य सुविधायें पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं ? यदि हां, तो तथ्य क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

श्री अवधेश सिंह यादव की सेवा पुस्तिका राज्य सेतु निगम से वापस प्राप्त नहीं हुई है किन्तु उनकी व्यक्तिगत पत्रावली उपलब्ध है। श्री यादव को उनके वेतन का भुगतान अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जा रहा है।

चूंकि श्री यादव की सेवा पुस्तिका राज्य सेतु निगम से उपलब्ध नहीं हो पा रही है अतः उनकी नयी सेवा पुस्तिका बनवाने की कार्यवाही की जा रही है।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाई भटनी गेट क्रय केन्द्र पर गन्ने के तौल में चोरी न होने देने के सम्बन्ध में कार्यवाही

74—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में राज्य सरकार चीनी निगम की इकाई

भटनी में दिनांक 10-2-85 को गन्ना क्रय केन्द्र पर गन्ना की तौल की चोरी की जा रही थी, जिसे भू0 पूर्व गन्ना संघ के सदस्य एवं किसानों द्वारा चेक करने पर 10 क्विन्टल की चोरी पकड़ी गयी जिसकी प्रथम रिपोर्ट थाना भटनी में दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो अभियुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? वर्ष 1985-86 में गन्ना तौल में चोरी न हो, इसकी सरकार द्वारा व्यवस्था हो रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाई भटनी में दिनांक 10-2-85 को गेट क्रय केन्द्र पर गन्ना संघ के भूतपूर्व सदस्य द्वारा निरीक्षण के समय गन्ने से भरी एक ट्राली का वजन कराये जाने पर 10 क्विंटल कम तौल लिखे जाने का मामला पकड़ा गया था। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन थाना भटनी में भारतीय दण्ड विधान की धारा 406 एवं 420 के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी थी। इस वाद में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवरिया के न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही चल रही है।

सीजन 85-86 में गन्ने के तौल में चोरी इत्यादि न होने देने के सम्बन्ध में विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय पदाधिकारियों को क्रय केन्द्रों पर तौल व कांटों की जांच के अधिकार दिनांक 16-12-85 द्वारा प्रसारित किये गये हैं तथा विशेष जांच-दल गठित कर भी जांच कराने के आदेश दिये गये हैं।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत गन्ना समितियों तथा परिषदों में कार्यरत गन्ना विकास निरीक्षकों को गृह जनपद में तैनाती के सम्बन्ध में शासनादेश

75–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत गन्ना समितियों तथा परिषदों में कार्यरत कितने ऐसे गन्ना विकास निरीक्षक हैं जो अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं ? क्या शासनादेश के अनुसार वे अपने गृह जनपद में कार्यरत रह सकते हैं ? यदि नहीं, तो इस तथ्य को छिपाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

देवरिया जनपद में कुल 16 गन्ना विकास निरीक्षक अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं। शासनादेश के अनुसार समूह "ग" (क्लास थ्री) के कर्मचारी अपने गृह स्थान को छोड़कर अन्यत्र कार्यरत रह सकते हैं।

उपरोक्त 16 गन्ना विकास निरीक्षक अपने गृह स्थान में तैनात नहीं हैं अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया के थाना रामपुर कारखाना के थानाध्यक्ष श्री उदय नारायण राय के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच

76–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के थाना रामपुर कारखाना में श्री उदय नारायण राय थानाध्यक्ष के पद पर वर्ष 1984 में नियुक्त

थे? यदि हां, तो क्या इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच हो रही थी? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ? यदि दोष सिद्ध हुआ तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

श्री उदय नारायण राय के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा अभी प्रचलित है अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के थाना सीकरीगंज के थानाध्यक्ष, श्री उदय नारायण राय के विरुद्ध आरोपों की जांच

77–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना सीकरीगंज में थानाध्यक्ष के पद पर श्री उदय नारायण राय नियुक्त थे? यदि हां, तो क्या इनके विरुद्ध कोई जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन के द्वारा हो रही थी? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा? क्या दोष सिद्ध हुआ ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

श्री उदय नारायण राय के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा अभी प्रचलित है अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता है।

78–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

फर्म गजेन्द्र सिंह सन्तोष कुमार ईंट भट्टा, विधूना, जिला इटावा पर बकाया बिक्रीकर की वसूली हेतु कार्यवाही

79–श्री औसान सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि फर्म गजेन्द्र सिंह सन्तोष कुमार ईंट भट्ठा विधूना इटावा पर वर्ष 1969-70 से 1974-75 तक के बकाया बिक्रीकर की धनराशि रुपया 63,535.36 पैसा की वसूली के विरुद्ध की गई कार्यवाही मण्डलायुक्त, इलाहाबाद के यहां से दिनांक 18-9-79 निर्णीत हो चुकी है? यदि हां, तो मण्डलायुक्त, इलाहाबाद का निर्णय क्या है? क्या मण्डलायुक्त के फैसला दिनांक 18-9-79 के अनुरूप उक्त फर्म पर वसूली की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

फर्म गजेन्द्र सिंह सन्तोष कुमार ईंट भट्ठा, विधूना, जिला-इटावा पर बकाया बिक्रीकर की वसूली दिनांक 18-9-79 को जिलाधिकारी, इटावा द्वारा जारी की गयी कुर्की के विरुद्ध श्री संतोष कुमार, पार्टनर द्वारा मण्डलायुक्त, इलाहाबाद के समक्ष दायर किया गया रिवीजन दिनांक 23-3-82 को निर्णित हुआ था। फर्म पर वर्ष 1969-70 से 1974-75 तक के लिए बकाया बिक्री कर की राशि वस्तुतः रु0 63070.35 पै0 है।

मण्डलायुक्त, इलाहाबाद ने उपरोक्त रिवीजन अस्वीकार कर दिया क्यों कि कलेक्टर, इटावा का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया गया।

मण्डलायुक्त, ने दिनांक 18-9-79 के कोई फैसला नहीं दिया था। अतः तदनुरूप कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

80–श्री धनराज यादव–

[दि0 4-3-86 को अता0 प्र0 सं0 176 द्वारा उत्तरित]

वाराणसी जनपद के थाना मिर्जामुराद अन्तर्गत ग्राम गुड़िया के भुल्लन की पुलिस मुठभेड़ में हत्या

81–श्री राज किशोर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के थाना मिर्जामुराद अन्तर्गत ग्राम गुड़िया के भुल्लन को दिनांक 26-9-85 को थाना सिगरा, शहर वाराणसी की पुलिस उसके घर से पकड़ ले आई और दिनांक 27-9-85 को शिव पुरवा क्षेत्र में रात के वक्त फर्जी मुठभेड़ दिखाकर कल्लन की हत्या कर दी? यदि हां, तो क्या सरकार इस घटना की सी0 आई0 डी0 जांच करायेगी और दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 26-9-85 को नौ बजे रात्रि में शिवपरवा रोड पर पुलिस से हुई मुठभेड़ में गोली लगने से भुल्लन की मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में थाना सिगरा में पंजीकृत अभियोग की विवेचना प्रचलित है। मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

राजकीय निर्माण निगम में लेखा सहायकों के साथ होने वाले उपेक्षित एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में पत्र पर विचार

82–श्री झिलमिट राम–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय निर्माण निगम में स्थानापन्न लेखाकार के रूप में कार्य करने वाले लेखा सहायकों से संबंधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 28 अक्तुबर, 1985 का कोई पत्र शासन अथवा निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र में क्रमशः किन-किन बिन्दुओं को उठाया गया है ? इन पर शासन की बिन्दुवार समीक्षा क्या है? इस संबंध में अन्य कर्मचारियों की तुलना में केवल लेखा सहायकों के साथ होने वाले उपेक्षित एवं भेदभाव पूर्ण व्यवहार का क्या औचित्य है ? क्या इस पर निष्पक्ष एवं न्यायिक निर्णय हेतु पुनर्विचार किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । पत्र दिनांक 28-10-85 में उठाये गये बिन्दु संलग्नक में अंकित हैं । इस प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचारोपरान्त शासन द्वारा पहले ही शासनादेश संख्या 4737 सी0 बी0/85-23-सा0 नि0 8, दिनांक 28 अगस्त, 1985 के अंतर्गत प्रबन्ध निदेशक को समुचित निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रबन्ध निदेशक द्वारा उक्त शासनादेश के अनुपालन में ऐसे मामलों को गुण व अवगुण के आधार पर विचार कर वांछित निर्णय भी लिया जा चुका है। निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार अन्य कर्मचारियों की तुलना में लेखा सहायकों के साथ तथाकथित भेदभाव पूर्ण व्यवहार किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । चूंकि निर्माण निगम एक स्वायत्तशासी संस्था है अतः आवश्यकतानुसार वह इस प्रकार के सभी मामलों पर सामयिक विचारोपरान्त निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 174 पर)

प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में कार्यरत चीनी मिलों के अधिग्रहण की नीति

83–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न कारणों से प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में कार्यरत चीनी मिलों के अधिग्रहण की नीति त्याग दी गई है और क्या रिसीवरशिप में ली हुई कुछ चीनी मिलों को उनके पुराने मालिकों को वापस करने पर भी विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी चीनी मिलें हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहीत किसी भी चीनी मिल को वापस करने का मामला विचाराधीन नहीं है ।

इस समय प्रदेश की कोई चीनी मिल रिसीवरशिप में नहीं है । अतः ऐसी किसी चीनी मिल को वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ जनपद के स्वाधीनता सेनानी स्व0 श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का सम्मान करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

84–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 290 दिनांक 1-10-85 अलीगढ़ जनपद के स्व0 स्वाधीनता सेनानी श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का सम्मान करने के लिए दिनांक 1-10-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई थी तथा किस-किस अनुरोध को शासन ने स्वीकार कर लिया है तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर मांगी गई सूचना दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

दिनांक 1-10-85 के उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं का परीक्षण किया जा रहा है ।

बिक्री कर विभाग में 19वें सूत्र की स्पष्ट अवहेलना के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही

85–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1236 दिनांक 24-9-84 जो बिक्रीकर विभाग में 19वें सूत्र की स्पष्ट अवहेलना के बारे में है मुख्य मंत्री को दिनांक 24-9-84 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री शुकदेव प्रसाद संयुक्त सचिव ने अपने पत्र दिनांक 1-10-84 द्वारा इसे सचिव, संस्थागत वित्त के पास भेज दिया है? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर मांगी गयी सूचना दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। किन्तु समसंख्यक पत्र दिनांक 22-9-84 अवश्य प्राप्त हुआ है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

86–श्री यदुनाथ सिंह–

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

87–श्री यदुनाथ सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कानपुर की ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर बिक्रीकर अधिकारियों के द्वारा छापा मारने के सम्बन्ध में पत्र की जानकारी

88–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1471 दिनांक 1-8-84 माह अगस्त, 1983 में कानपुर की एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर बिक्रीकर अधिकारियों के द्वारा छापा मारने के बारे में दिनांक 2-8-84 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उपरोक्त में उल्लिखित जानकारी दिनांक 31-10-85 तक दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न में संदर्भित माननीय सदस्य का पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सन्दर्भित पत्र उपलब्ध कराये जाने पर यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

89–श्री भगौती सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जलेसर, जनपद एटा में थाने की स्थापना का प्रस्ताव

90–श्री प्रेमपाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र के लिए जनपद एटा के 6 थानों में से एक थाना जलेसर में स्वीकृत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद एटा में केवल 5 नये थानों की स्थापना की स्वीकृति दिनांक 27-2-86 को दी गयी है, जिसमें जलेसर में थाने की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित नहीं है। जलेसर में थाने की स्थापना का प्रस्ताव फिलहाल शासन के विचाराधीन नहीं है।

इन्दिरानगर सा0 नि0 वि0 के नवसृजित कार्यालय हेतु फर्नीचर की खरीद व आपूर्ति आदेश

91–श्री भगौती सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग सं0-2) इन्दिरा नगर सा0 निर्माण विभाग लखनऊ में नव सृजित कार्यालय हेतु कितने रुपये का फर्नीचर किस माध्यम से खरीदा गया आपूर्ति हेतु किस तारीख में आपूर्ति आदेश दिये गये और किन तारीखों में कितना भुगतान किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विस्तृत जानकारी की जा रही है।

जनपद लखनऊ में चिनहट-दंवा मार्ग से नवनिर्मित गोइला मार्ग की क्षति

92–श्री भगौती सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में चिनहट दंवा मार्ग से नव निर्मित गोइला मार्ग के प्रारंभ के 80 मीटर सड़क को किन-किन लोगों ने खोद कर समाप्त कर दिया, उनके खिलाफ किस स्तर से क्या कार्यवाही की गयी तथा उससे कितने रुपये की क्षति हुई ? क्या सरकार सड़क को पूरा करने के लिए विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मार्ग के प्रारम्भ के 80 मीटर लम्बाई में सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, अतः इसको खोदकर समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सड़क निर्माणाधीन है।

भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य पूरा कराया जायेगा ।

93–श्री यदुनाथ सिंह–

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

फर्म बी0 के0 इन्डस्ट्रीज शक्कर पट्टी कानपुर पर लगे कर निर्धारण की नोटिस तामील न कराने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

94–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले शुक्रवार अता0 प्रश्न सं0 71 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1522 दिनांक 6-2-85 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

क–जी नहीं, तथापि पत्र संख्या 1522 द0म0कि0पा0 85 दिनांक 7-1-85 अवश्य प्राप्त हुआ था ।

ख–पत्र का उत्तर दे दिया गया है ।

बिक्री कर अधिकारी, लखनऊ द्वारा विदेशी मदिरा की दुकानों में अवैध शराब तथा बिकी करापवंचन

95–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 74 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 14-10-83 दिनांक 18-10-83 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त जानकारी दि0 31-10-85 तक दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर अपेक्षित जानकारी दे दी जायगी ।

पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई, कानपुर की जांच रिपोर्ट

96–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई कानपुर से जांच रिपोर्ट आ गयी है ? यदि नहीं, तो जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा अभी जांच की जा रही है।

बिक्रीकर अधिकारी, एस0 आई0 बी0 कानपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

97–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 138 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 1822 दिनांक 29-7-83 में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी वह जानकारी दि0 31-10-85 तक दे दी गयी हो? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1822 प्राप्त हुआ था किन्तु उसका दिनांक 4-7-83 था । दिनांक 29-7-83 का कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ । प्रश्न में संदर्भित अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर में यह बताया जा चुका है कि जांच कराने पर तथ्य यह पाये गये कि लिखे आरोप सही नहीं है। प्रश्नकर्ता के इसी

विषय पर प्राप्त अनुस्मारक पत्र संख्या 132 दिनांक 10-9-85 का उत्तर शासन के पत्र संख्या वि0 क0 1-292 सी0 एम0/दस-973 (125)/83 दिनांक 9 दिसम्बर 1985 द्वारा दिया जा चुका है।

श्री राम कुमार वर्मा पर अधिक बिक्रीकर लगाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

98—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 315 दिनांक 5-10-85 एक भट्टे वाले राम कुमार वर्मा पर वर्ष 81-82 में 26000/-अधिक बिक्रीकर लगाने के बारे में मुख्य मंत्री को दिनांक 7-10-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में संदर्भित माननीय सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता। उसकी प्रति उपलब्ध कराए जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

99—श्री यदुनाथ सिंह—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

आयुक्त बिक्रीकर द्वारा आवास विकास परिषद् में भवनों के पंजीयन के लिए नगर रुपया निकालने के सम्बन्ध में जानकारी

100—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1470 दिनांक 1-8-84 वर्ष 1978 में आयुक्त बिक्री कर द्वारा राम सागर मिश्र नगर (अब इन्दिरा नगर) में भवनों के पंजीयन के लिए नगद रुपया निकालने के बारे में ता0 2-8-84 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जानकारी ता0 15-10-85 तक दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

नहीं।

माननीय सदस्य को अलग से पत्र द्वारा स्थिति से अवगत करा दिया जायेगा।

बिक्रीकर कार्यालय मेरठ की तीन फर्मों द्वारा अपंजीकृत वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में कार्यवाही

101—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1639 दिनांक 5-9-84 मेरठ बिक्रीकर कार्यालय की फर्मों द्वारा अपंजीकृत वस्तुओं के आयात करने के बारे में है उन्हें दि0 5-9-84 को मिला था? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

(क) जी नहीं/तथापि पत्र संख्या 1639 दिनांक 3-9-84 मिला है।

(ख) पत्र का उत्तर दे दिया गया है।

बिक्रीकर कार्यालय लखनऊ में करदाताओं को रिफंड बाउचर व देय ब्याज

102—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 81-82 में लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में करदाताओं को 500 रिफंड बाउचर दिये गये हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1830 दिनांक 30-7-83 मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जानकारी 15-10-85 तक दे दी गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां,

तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? तथा देय ब्याज करदाताओं को दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक दी जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न में मा0 सदस्य ने जिस पत्र का उल्लेख किया है उसमें लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में वर्ष 81-82 व 82-83 में विभिन्न मामलों में दिए गए रिफण्ड के संबंध में यह सूचना मांगी गई है कि किन-किन तारीखों में बिक्रीकर अधिकारी ने रिफण्ड के आदेश पारित किए और किन-किन तारीखों में रिफण्ड दिए गए तथा किन-किन तारीखों में अपील या रिवीजन के आदेश पारित हुए और किन तारीखों में ये आदेश खण्ड कार्यालयों में प्राप्त हुए और रिफण्ड कब-कब करदाताओं को दिया गया । उक्त पत्र के अनुसार ही उक्त दो वर्षों में 800 से अधिक मामलों में रिफण्ड दिया गया था। इन मामलों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में उपरोक्त सूचना संकलित करना अत्यन्त जटिल कार्य है क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यापारी की पत्रावली का अवलोकन आवश्यक है। यदि कोई विशिष्ट मामला या मामले शासन के संज्ञान में लाये जाते हैं जिनमें रिफण्ड में विलम्ब होने के कारण ब्याज देय होते हुए भी ब्याज नहीं दिया गया तो उनकी जांच करके आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है ।

बिक्रीकर कार्यालयों को एक साथ नवीन भवन में स्थापित करने की मांग

103–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 97 के उत्तर के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कब तक सभी बिक्रीकर कार्यालयों को इस नवीन भवन में स्थापित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–87 दिनांक 10-9-85 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से अभी तक भवन का कब्जा नहीं मिल सका है । कब्जा प्राप्त होते ही उसमें आवश्यक साज सज्जा का प्रबन्ध हो जाने के पश्चात बिक्रीकर कार्यालय स्थापित किये जायेंगे।

जी हां, किन्तु पत्र दिनांक 5-9-85 का है । माननीय सदस्य को उनके पत्र के सम्बन्ध में अलग से सूचना पत्र द्वारा भेज दी जायेगी ।

104–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

105–श्री यदुनाथ सिंह–

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

106–श्री यदुनाथ सिंह–

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

विद्युत शव दाह गृह चालू किये जाने पर विचार

107–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0 94 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 138 दिनांक 18-9-85 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है तथा विद्युत शव दाह गृह कब तक चालू हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विद्युत शव दाह गृह का कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न कर्ता का पत्र संख्या-138 दिनांक 18-9-85 नहीं अपितु पत्र संख्या 138 दिनांक 12-9-85 प्राप्त हुआ । विद्युत शव दाह गृह का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को आदेश दिये गये । इसे पूर्ण कराये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है तथा इसके शीघ्र चालू होने की संभावना है ।

प्रदेश में ताड़ी के व्यापार में ईमानदार करदाताओं को बिक्रीकर विभाग द्वारा संरक्षण

108–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 68 दिनांक 10-9-85 प्रदेश में ताड़ी के व्यापार में ईमानदार करदाताओं को बिक्रीकर विभाग द्वारा संरक्षण देने के बारे में मुख्य मंत्री को दिनांक 10-9-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर मांगी गयी सूचना दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र में कोई सूचना नहीं मांगी गई थी ।

धारा 10 बी के सम्बन्ध में आयुक्त बिक्री कर को श्री यदुनाथ सिंह का पत्र

109–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 308 दिनांक 7-11-85 आयुक्त बिक्रीकर के द्वारा धारा 10 बी के सम्बन्ध में जारी परिपत्र संख्या 31/84 दिनांक 1-2-85 के बारे में मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर मांगी गयी सूचना दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

(क) जी नहीं । किन्तु पत्र संख्या-308 दिनांक 5-11-85 प्राप्त हुआ है।

(ख) पत्र का उत्तर दे दिया गया है।

करवंचना की कार्यवाही से बिक्रीकर विभाग को राजस्व की प्राप्ति

110–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर के श्री हरीओम मिश्रा ने ता0 9-5-83 को एक पत्र दिया था जिसमें लिखा था कि उन्होंने आठ मामलों में करवंचना करवायी है और विभाग को काफी राजस्व की प्राप्ति हुई है ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1651 दिनांक 7-7-83 प्राप्त हुआ है ? क्या उपरोक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी हां । माननीय विधायक को वांछित जानकारी दी जा चुकी है ।

श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव विशेष सचिव संस्थागत वित्त के बारे में मुख्यमंत्री को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

111–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 105 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 1401 में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है, क्या उपरोक्त

जानकारी ता0 31-10-85 तक उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

चूंकि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 4थे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्न सं0-105 के उत्तर में माननीय विधायक महोदय के पत्र संख्या-1401 पर जांच के परिणाम से उन्हें अवगत कराया जा चुका था, इसलिए अन्य जानकारी देने का प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन कर निर्धारण अधिकारियों के विरुद्ध अपने दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण कृत कार्यवाही

112–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 61 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बकाया में से कितना कर ता0 31-10-85 तक वसूल हुआ है तथा बकाया में से कितना वसूल होने की आशा है ? इस राजस्व की हानि के लिये अधिकारी को जो दण्ड दिया गया है क्या उचित है ? यदि नहीं, तो पर्याप्त दण्ड न देने के क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बकाया कर राशि में से कोई कर वसूल नहीं हुआ है और इस समय उसके वसूल होने की संभावना भी नहीं प्रतीत होती ।

अधिकारी को दिए गए दण्ड पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

भोपाल हाउस लालबाग, लखनऊ स्थित करदाता (साइंटिफिक कारपोरेशन) पर बिक्रीकर बकाया की धनराशि के सम्बन्ध में पत्र

113–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के छठे शुक्रवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1700 दिनांक 11-7-83 रिमाइण्डर सं0 1074 दिनांक 21-1-84 व रिमाइण्डर संख्या 128 दिनांक 17-9-85 प्राप्त हुए हैं ?यदि हां, तो उक्त पत्र संख्या 1700 में मांगी गयी सूचना उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । एक स्मृति पत्र संख्या 128 दिनांक 10-9-85 व पत्र सं0 1487 दिनांक 9-1-85 अवश्य प्राप्त हुए हैं ।

मूल पत्र सं0 1700 दिनांक 11-7-83 उपलब्ध कराये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बनवारी लाल मित्तल, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 इलाहाबाद की नियुक्ति में अनियमितताएं व पद का दुरुपयोग किये जाने का आरोप

114–श्री गौरी शंकर भइया–

क्या मुख्यमंत्री को प्रश्नकर्ता के संस्तुति के साथ श्री दयाशंकर ग्राम गोपालगंज पो0 टहरबाजीदपुर जिला आजमगढ़ का दिनांक 6-1-86 का एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें श्री बनवारी लाल मित्तल निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0 इलाहाबाद के नियुक्ति में अनियमितताओं व उनके द्वारा पद दुरुपयोग का गम्भीर आरोप लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

श्रीमती राजवती, निवासी जटपुरा थाना जहांगीराबाद की आग से जलने से मृत्यु

115–श्री किरनपाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राजवती पत्नी श्री सत्यपाल सिंह निवासी जटपुरा, थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर का 3-12-85 को अस्वाभाविक परिस्थितियों में जलकर स्वर्गवास हो गया था ? यदि हां तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

दिनांक 4-12-85 को श्री बदन सिंह चौकीदार की सूचना पर थाना जहांगीराबाद पर दरियाफ्त हाल कायम करके मृतका का पंचनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु आग से जल जाने के कारण होना पाया गया । जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि उसने मानसिक तनाव के कारण स्वयं मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगायी थी जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी । जांच से यह मामला आत्महत्या का होना पाया गया । फिर भी इसका चेक-अप सी0आई0डी0 द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है ।

बाराबंकी नगर में आबरी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत की गयी भूमि

116–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या आवास विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी नगर में आबरी भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या 3 के अन्तर्गत कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी है? अधिग्रहण कब किया गया तथा क्या भूमि पर कब्जा ले लिया गया है ? अधिग्रहीत भूमि के नम्बर क्या मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बाराबंकी नगर में आबरी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–3 हेतु 85.75 एकड़ (137 बीघा 3 बिस्वा–1 बिस्वांसी) भूमि अधिगृहीत करने हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया जिसमें से कुल–63.71 एकड़ (101 बीघा 18 बिस्वा 12 बिस्वांसी) भूमि का अधिग्रहण (कब्जा) हो गया है । उक्त अधिगृहीत भूमि का कब्जा दिनांक 27-5-85 को परिषद् को प्राप्त हुआ है । उपरोक्त अधिगृहीत भूमि के खसरा नम्बर संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं । शेष भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाही परिषद द्वारा की जा रही है ।

दीखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 175 पर)

गोरखपुर वन निगम के उत्तरी प्रभाग के सोनारी कम्पार्टमेन्ट के पुराने प्रकोष्ठ में डाकुओं और बदमाशों द्वारा कार्य में बाधा डालने से क्षति

117–श्री धनराज यादव–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर वन निगम के उत्तरी प्रभाग के सोनारी कम्पार्टमेन्ट नं0-10, 11, 12 के 1982-83 व 83-84 के पुराने प्रकोष्ठ ढुलान में डाकुओं और बदमाशों के बाधा डालने से ढुलान कार्य रुका और क्षति हुई? यदि हां, तो डाकुओं की बाधा समाप्त करने के लिए प्रभागीय लागिंग प्रबन्धक से ऊपर के अधिकारियों द्वारा कोई प्रयास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी हां, क्षेत्रीय प्रबन्धक (पूर्वी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश वन निगम, गोरखपुर के प्रयासों के फलस्वरूप प्रश्नगत कम्पार्टमेन्ट में पी0ए0सी0 तथा पुलिस की टुकड़ी तैनात कर दी गई जिससे डाकुओं एवं बदमाशों का आतंक कम हो गया और ढुलान कार्य सुचारु रूप से किया जा सका ।

बलिया जनपद के ग्राम सभा अपायल में गरीबों की बस्ती के पास आबादी और खलिहान के प्रश्न पर हुआ विवाद

118–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के ग्राम सभा अपायल में गरीबों की बस्ती के पास आबादी और खलिहान के प्रश्न पर हुए विवाद के संदर्भ में जनपद के कौन-कौन से अधिकारी मौके पर जाकर जानकारी कर वस्तुस्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत किये हैं ? सरकार द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लोकदल सहित विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं की मांग के बावजूद समाधान की कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

119–श्री यदुनाथ सिंह–

[पुनर्विचार पर निरस्त]

लखनऊ बिक्री कर कार्यालय के खण्ड–3 में भांग के ठेकेदार के कर निर्धारण व राजस्व की हानि के बारे में पत्र

120–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 91 दिनांक 10-9-85 लखनऊ विक्रीकर कार्यालय के खण्ड–3 में वर्ष 82-83 के भांग के ठेकेदार के कर निर्धारण व राजस्व की हानि के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 10-9-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है, क्या वह दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं किन्तु माननीय सदस्य का पत्र संख्या 91 दिनांक 5-9-85 प्राप्त हुआ है।

जी हां ।

121–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गाजियाबाद बिक्री-कर कार्यालय में फर्म विजय इंजीनियरिंग कम्पनी के कागजात पत्रावली से गायब किये जाने संबंधी मुख्य मंत्री को दिया पत्र

122–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 6ठे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 154 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 86 दिनांक 10-9-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 10-9-85 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पत्र में उल्लिखित जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक दी जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । तथापि पत्र संख्या–86, दिनांक 9-9-85 प्राप्त हुआ है ।

पत्र का उत्तर दे दिया गया है ।

श्री आर0 एन0 गुप्ता, निदेशक सतर्कता को प्राप्त शुद्ध वेतन तथा अन्य स्थानों से सकल व शुद्ध आय

123–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 84-85 में श्री आर0एन0 गुप्ता, निदेशक,

सतर्कता को रु0 7128.62 शुद्ध वेतन मिला है ? यदि हां, तो मा0 मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 83-84 व 84-85 की इनकी कितनी सकल व कितनी शुद्ध आय अलग-अलग स्थानों से थी तथा इनके पास कितने वाहन (स्कूटर कार आदि) हैं और इन्हें कब-कब और कितने का खरीदा ? इनके पास कितने मकान हैं, कब खरीदे अथवा बनवाये और मकानों में कितना रुपया लगाया ? इनके कितने आश्रित हैं तथा प्रत्येक वर्ष में कटौती के बाद कितना वेतन मिला ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह कहना सही नहीं है कि वर्ष 84-85 में श्री आर0एन0 गुप्त, निदेशक सतर्कता को रु0 7128.62 मात्र शुद्ध वेतन मिला। वास्तव में श्री गुप्त को वर्ष 1984-85 में वेतन (नकदीकरण सहित) शुद्ध रुपये 21,322.90 पैसे मिला था। इसके अतिरिक्त मकान के किराया से रु0 14,580.65 की आय हुई थी।

वर्ष 1983-84 में इनकी सकल आय रु0 55390.65 थी और कटौती के पश्चात शुद्ध आय रु0 20944.65 हुई। इनके पास एक मकान एक मंजिला विज्ञानपुरी लखनऊ में है जो वर्ष 1983-84 में निर्मित हुआ । मकान बनाने के लिये फरवरी 1983 में इन्हें रु0 93500/- का ऋण सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ था। इनके पास एम्बेसेडर कार है जिसे इन्होंने अक्टूबर, 1966 में रु0 20000/- की लागत से खरीदा था । इनके परिवार में पत्नी के अतिरिक्त दो वयस्क पुत्र हैं जो 1983-84 के पूर्व से ही स्वतंत्र रूप से जीविका उपार्जन कर रहे हैं ।

बिक्री कर अधिकरण सहारनपुर की सिंगल बेंच द्वारा आत्माराम बनाम आयुक्त बिक्री कर मुकदमें में दिया गया निर्णय

124–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्री-कर अधिकरण सहारनपुर की सिंगल बेंच ने द्वितीय अपील संख्या 849 आफ 1980 वर्ष 73-74 आत्माराम बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दि0 22-7-81 को दिया है और करदाता की अपील को स्वीकार करके कर मुक्ति घोषित किया है? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 293 दि0 1-10-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 1-10-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पत्र में उल्लिखित जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) पत्र का उत्तर दे दिया गया है।

कानपुर की फर्म कैलाश सिंह एण्ड संस पर बकाया बिक्री कर वसूलने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

125–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 4थे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 85 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 47 दि0 6-9-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को इस सम्बन्ध में ता0 6-9-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पत्र में उल्लिखित जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

माननीय सदस्य का समसंख्यक पत्र दिनांक 4-9-85 अवश्य प्राप्त हुआ है जिसका उत्तर मा0 विधायक को अलग भेज दिया जायेगा ।

126–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

पुराने बिक्री कर बकाया पर ब्याज माफी की स्कीम पुनः चालू करने के बारे में विचार

127–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 70 दि0 10-9-85 पुराने बिक्री कर बकाया पर ब्याज माफी की स्कीम पुनः चालू करने के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 10-9-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर मांगी गई सूचना दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। पत्र में प्रेषित सुझावों पर विचार किया जा रहा है। निर्णय ले लिए जाने पर माननीय विधायक को अवगत करा दिया जाएगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर सिविल लाइन्स की फर्म शिव शक्ति ट्रेडर्स के बिक्री कर पंजीयन के बारे में पत्र

128–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 83 दि0 10-9-85 कानपुर सिविल लाइन्स की फर्म शिव शक्ति ट्रेडर्स के बिक्री कर पंजीयन के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 10-9-85 को मिला है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उपरोक्त पत्र में मांगी गयी सूचना दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

(क) जी नहीं किन्तु माननीय विधायक का पत्र संख्या–83/लो0द0/85 दिनांक 5-9-85 प्राप्त हुआ है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर के बिक्री कर कार्यालय में फार्मों की चोरी विषयक पत्र

129–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 82 दि0 10-9-85 कानपुर के बिक्री कर कार्यालय में वर्ष 1978 से 1984 तक फार्म 31 चोरी होने के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 10-9-85 को मिला है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उपरोक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, किन्तु सन्दर्भित पत्र दिनांक 5-9-85 का है । सन्दर्भित पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर माननीय सदस्य को अलग से पत्र द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा रहा है ।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपायुक्त बिक्री कर बनाम आदर्श पेपर एण्ड बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग के निर्माण के संबंध में मुख्य मंत्री को दिया गया पत्र

130–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सैल्स टैक्ट रिवीजन सं0 449 संख्या 451 आफ 1983 आयुक्त बिक्रीकर बनाम आदर्श पेपर एण्ड बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग के निर्णय दि0 5-12-84 में दिया है और स्टेट रिवीजन को अस्वीकार किया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का

पत्र सं0 1730 दि0 13-8-85 मुख्य मंत्री को ता0 13-8-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पत्र में उल्लिखित जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक दी जावेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । तथापि उक्त विषय में पत्र संख्या 1730/लो0द0/85 दिनांक 12-8-85 प्राप्त हुआ है ।

उक्त पत्र का उत्तर दिया जा चुका है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आयुक्त, बिक्री कर बनाम वी0 के0 इंडस्ट्रीज, नैनी के निर्णय के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कार्यवाही

131–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 531 आफ 1982 आयुक्त, बिक्रीकर बनाम वी0 के0 इन्डस्ट्रीज, नैनी में निर्णय दि0 15-9-83 को दिया है और करदाता को 200 रु0 हर माह खर्चा के दिलाये हैं ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1645 दि0 7-8-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पत्र में उल्लिखित जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । किन्तु पत्र संख्या–1645 दि0 6-8-85 प्राप्त हुआ है ।

पत्र का उत्तर दे दिया गया है ।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पालकोलिनिंग कं0 बनाम स्टेट आफ उ0 प्र0 के निर्णय के सम्बन्ध में दिये पत्र पर मांगी गयी जानकारी

132–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने रिट पिटीशन सं0 117 आफ 1979 पालकोलिनिंग कं0 बनाम स्टेट आफ उ0 प्र0 में निर्णय दि0 8-9-83 को दिया है और करदाता को कर मुक्त घोषित किया है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1644 दि0 7-8-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी उपलब्ध करा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । तथापि पत्र सं01644/लो0द0/85, दि0 6-8-85 प्राप्त हुआ है ।

पत्र का उत्तर दे दिया गया है ।

इलाहाबाद के बिक्री कर बकाये के संबंध में दिए गए पत्र पर जानकारी

133–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 4थे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 45 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 89 दि0 10-9-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 10-9-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय सदस्य का पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । पत्र उपलब्ध कराये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

134–श्री यदुनाथ सिंह–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

श्री चन्द्रशेखर, उपायुक्त, बिक्री कर, कानपुर, के बारे में मुख्य मंत्री को दिया गया पत्र

135–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 36 दि0 6-9-85 जो श्री चन्द्रशेखर उपायुक्त (शा) बिक्रीकर कानपुर वर्तमान सदस्य बिक्रीकर अधिकरण इलाहाबाद के बारे में था मा0 मुख्य मंत्री जी को दि0 6-9-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । किन्तु पत्र दिनांक 4-9-85 का है । उक्त पत्र के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता को अलग से पत्र द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा रहा है ।

136–श्री यदुनाथ सिंह–

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री अशोक कुमार अस्थाना, बिक्री कर अधिकारी इंचार्ज सचल दल यूनिट तीन के विरुद्ध पुलिस में रपट लिखाने के बारे में पत्र

137–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1648 दि0 7-8-85 गाजियाबाद सचल दल यूनिट 2 श्री ए0 के0 तिवारी द्वारा श्री अशोक कुमार अस्थाना, बिक्रीकर अधिकारी इंचार्ज सचल दल यूनिट तीन के विरुद्ध पुलिस में रपट लिखाने के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 7-8-85 को मिला है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी वह दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक दी जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। सन्दर्भित पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर माननीय सदस्य को अलग से पत्र द्वारा सूचित किया जा रहा है।

लखनऊ, विक्टोरियागंज भांग की दुकान का ठेका, पंजीकरण तथा कर निर्धारण

138–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 82-83 में लखनऊ, विक्टोरियागंज भांग की दुकान का ठेका 3,52,000 रु0 में बाबूलाल के नाम हुआ था ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया था ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों? क्या माहवारी फार्म 4-ब भरकर जमा किए गए? यदि हां, तो कितना रुपया जमा किया गया ? यदि नहीं, तो क्या अस्थायी कर आदेश पारित किये गये ? क्या सर्वेक्षण किया गया और सालवेंसी प्रमाण पत्र की जांच की गयी है ? कितना कर निर्धारण किया गया, कितने की भांग निकाली गयी, कितना वसूल हुआ और कितना राजस्व मारा गया और कौन जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ, हजरतगंज का भांग का ठेका, पंजीकरण, सालवेंसी प्रमाण पत्र की जांच

139–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ, हजरतगंज का भांग का ठेका वर्ष 80-81 में सुरेश प्रसाद के नाम से 81,000/- में हुआ था और वर्ष में 42,250 रुपया कर लगाया गया था? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया था ? यदि हां, तो पंजीयन के लिये कितने रुपये का जमानतनामा लिया गया था ? क्या पंजीयन को चालू रखने के लिए जमानतनामा लिया गया और क्या सर्वेक्षण किया गया और सालवेंसी प्रमाण-पत्र की जांच की गयी, कितना रुपया बकाया था और कितना वसूल हुआ और कितना राजस्व मारा गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ, हुसैनगंज ताड़ी का ठेका, पंजीकरण तथा कर निर्धारण

140–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 80-81 में लखनऊ, हुसैनगंज ताड़ी का ठेका कौशल किशोर के नाम से रु0 6,75,000 में हुआ, पंजीयन खण्ड 4 में कराया और रु0 56,000 कर लगाया गया ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि व्यापार स्थल खंड 8 में था तब पंजीयन खण्ड-4 में क्यों और कैसे कराया गया था और क्या इस सम्बन्ध में पूरी जांच कर ली गयी थी ? क्या सालवेंसी प्रमाण पत्र की भी जांच की गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों? कितना रुपया बकाया है, कितना वसूल हुआ और कितना राजस्व मारा गया और कौन इसके लिये जिम्मेदार है ? बकाया में से कितना वसूल होने की आशा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ डालीगंज ताड़ी का ठेका, पंजीकरण तथा कर निर्धारण

141–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 80-81 में लखनऊ, डालीगंज ताड़ी का ठेका खमलाल के नाम से रु0 5,01,000 का हुआ था ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों? क्या माहवारी फार्म 4-ब भर कर जमा किये गये ? यदि हां, तो कितना रुपया जमा किया गया और यदि नहीं, तो क्या अस्थायी कर आदेश पारित किये गये ? क्या सर्वेक्षण किया गया और सालवेंसी प्रमाण-पत्र की जांच की गयी तथा कितना कर निर्धारण किया गया ? कितने की भांग निकाली गयी, कितना वसूल हुआ और कितना राजस्व मारा गया और कौन जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ, हुसैनगंज भांग का ठेका, करदाता द्वारा पंजीकरण, कर निर्धारण

142–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ, हुसैनगंज भांग का ठेका श्रीकान्त मिश्रा के नाम से वर्ष 81-82

व 82-83 के लिए क्रमशः 90,000/- व 1,70,000 रु0 का हुआ ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों? क्या माहवारी फार्म-4 ब कर जमा किये गये ? यदि हां, तो कितना रुपया जमा किया ? यदि नहीं, तो क्या अस्थायी कर आदेश पारित किये गये ? क्या सर्वेक्षण किया गया और सोलवेंसी प्रमाण-पत्र की जांच की गयी है और यदि हां, तो कितना कर निर्धारण किया गया ? कितने की भांग निकाली गयी ? कितना वसूल हुआ और कितना राजस्व मारा गया और कौन जिम्मेदार है ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

143–श्री यदुनाथ सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

रामनगर गंगा जी पर पक्के पुल का शिलान्यास तथा व्यय की गयी धनराशि

144–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि 1974 में रामनगर गंगा जी पर पक्के पुल का शिलान्यास मा0 प्रधान मंत्री ने किया था ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिलान्यास से अब तक इस मद में कितना रुपया खर्चा हुआ है पुल अभी तक क्यों नहीं बना और चालू हुआ है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है और पुल कब तक चालू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

शिलान्यास से अब तक इस मद में 19813 लाख रुपए व्यय हो चुका है।

वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति न मिलने के कारण निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हो सका है।

इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

आशा है कि पुल 1990 तक पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

145–श्री यदुनाथ सिंह–

[दि0 11-3-86 के अता0 प्र0 सं0 74 द्वारा उत्तरित]

जनपद अलीगढ़ के सभी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य

146–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष 1983 में अलीगढ़ जनपद के सभी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य समान रूप से क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि सिकन्दराराऊ क्षेत्र में निर्माण कार्य शून्य है तथा वित्तीय अभाव में इस क्षेत्र की निर्माण के लिए स्वीकृत सभी सड़कों को काट दिया गया है जब कि अन्य क्षेत्रों में कोई कटौती नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मार्ग नगला जलाल से कपसिया मार्ग का निर्माण कराने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद अलीगढ़ में वित्तीय वर्ष 1985-86 में सभी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण समान रूप से किया गया है।

और कोई असमानता नहीं बरती गयी है।

जी नहीं ।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 से अधिक आबादी के उन्हीं ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़े जाने की योजना है जो अभी तक किसी भी पक्के मार्ग से नहीं जुड़े हैं। ग्राम नगला जलाल जी0 टी0 मार्ग पर स्थित है। मुबारिकपुर कपसिया गांव टीकरी बुजुर्ग होते हुए अगसोली बाजिदपुर मार्ग से जुड़ा है। इस प्रकार दोनों गांव पक्के मार्ग से जुड़े हैं। अतः प्रस्तावित मार्ग का निर्माण वर्तमान नीति में स्वीकृति के दायरे में नहीं आता है ।

नगर महापालिका, लखनऊ का लखनऊ की नगर सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव

147–श्री भगौती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ का, लखनऊ की नगर सीमा बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्रस्ताव इसी महीने में प्राप्त हुआ है, परीक्षण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

डी0 सी0 यू0 प्रथम तथा अस्थायी खण्ड प्रथम सा0 नि0 विभाग, बस्ती के प्रत्येक डिवीजन में रोलर, जीप, ट्रक पर व्यय

148–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डी0 सी0 यू0 प्रथम में तथा अस्थायी खंड प्रथम सा0 नि0 विभाग, बस्ती के प्रत्येक डिवीजन में कितना-कितना रोलर, जीप, ट्रक पर अलग-अलग वर्ष 83-84 व 84-85 तथा 85-86 (नवम्बर, 85) तक कितना रुपया डीजल, पेट्रोल, कोयला तथा मरम्मत में खर्चा किया गया ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

149–श्री सुखपाल पाण्डे–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

बस्ती जनपद न्यायिक प्रतिष्ठान के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन वादों की संख्या

150–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के जजों तथा मुंसिफों के न्यायालय में कुल कितने मुकदमें नवम्बर, 85 तक विचाराधीन हैं उनमें कितने मुकदमें माल तथा कितने फौजदारी के हैं? दो वर्ष से अधिक के कितने मुकदमें हैं? क्या प्रत्येक न्यायालय का विवरण अलग-अलग देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माह नवम्बर 1985 के अन्त में बस्ती जनपद न्यायिक प्रतिष्ठान के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन कुल वादों की संख्या 37,946 है । इनमें से दीवानी वादों की संख्या 13,332 तथा फौजदारी वादों की संख्या 24,614 है।

माह नवम्बर, 1985 के अन्त में दो वर्ष से अधिक लम्बित वादों की कुल संख्या 17,958 है।

जहां तक माल के मुकदमों का संबंध है उक्त मुकदमों का सम्बन्ध रेवेन्यू न्यायालय से है । न्याय विभाग इसमें सम्बन्धित नहीं है।

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित दीवानी तथा फौजदारी के मुकदमों का अलग-अलग विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 176-177 पर)

सा0 नि0 वि0 लखनऊ के अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियंताओं के विरुद्ध जांच

151—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियंता तथा अवर अभियन्ता सा0 नि0 वि0 लखनऊ में हैं जिनके विरुद्ध जांच चल रही है और उन्हें कार्यकारी खंड में 30 सितम्बर, 85 तक नियुक्त किया गया है कितने ऐसे अधिशासी अभियंता, सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता हैं जिनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है लेकिन उन्हें अकार्यकारी खण्ड में नियुक्त किया गया है? क्या उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

152—श्री राम औतार मिश्र,
श्री चेतराम, श्री विनोद कुमार—
श्री अहिबरन—

[मा0 सदस्यों द्वारा वापस ले लिया गया]

श्री रुद्र प्रसाद एडवोकेट, करवी, जिला बांदा द्वारा थाना रैपुरा की पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने की डी0 जी पुलिस लखनऊ को दिया गया प्रार्थना-पत्र

153—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रुद्र प्रसाद एडवोकेट करबी जिला बांदा ने 1-10-85 को डी0 जी0 पुलिस लखनऊ को एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें उनके तथा उनके परिवार के साथ थाना रैपुरा जिला बांदा की पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने की शिकायत की गई थी? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि शिकायत करने के बाद पुलिस ने और अधिक उग्र रूप धारण कर लिया है तथा उनके पूरे परिवार को रैपुरा थाने की पुलिस ने अपराध संख्या 107 सन् 1985 कायम करके झूठे व मनगढ़न्त आरोप लगाये हैं? यदि हां, तो उत्पीड़न की कार्यवाही रोकने तथा दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रुद्र प्रसाद एडवोकेट का प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-10-85 प्राप्त नहीं हुआ बल्कि उनका प्रार्थना पत्र दिनांक 11-9-85 पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक बांदा को प्राप्त हुआ। जांच से स्थानीय पुलिस के विरुद्ध आरोप सही नहीं पाये गये। यह पाया गया कि दिनांक 16-5-85 को श्री जय शंकर प्रसाद निवासी बगरेही ने थाना रैपुरा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि दिनांक 14/15-5-85 की रात्रि विचित्र प्रसाद, भारत, हरिशंकर, रुद्र प्रसाद पुत्रगण बाबू लाल, कल्लू तथा जनार्दन ने उनके घर में लूट पाट की और उनकी लाइसेंसी बन्दूक व सामान लूट कर ले गये। इस पर अ0सं0 51/85 धारा 395 भा0 द0 वि0 कायम हुआ। विवेचना से केवल श्री रुद्र पसाद की नामजदगी संदिग्ध पायी गयी जिसके सम्बन्ध में विवेचना प्रचलित है। शेष सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। घटना के कारण पक्षों में उत्पन्न तनाव को देखते

हुए शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/110 जा0 फौ0 की कार्यवाही की गई ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीमती राम किशोरी द्वारा थानाध्यक्ष रैपुरा के विरुद्ध दिया गया प्रार्थना पत्र

154–श्री राम सजीवन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राम किशोरी बेवा बाबूलाल निवासी बगरेही थाना रैपुरा जिला बांदा ने 22-9-85 को पुलिस अधीक्षक बांदा एवं डी0 आई0 जी0 पुलिस झांसी को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की थी कि थानाध्यक्ष रैपुरा बिना कोई ग्रामवासी गवाह को साथ लिये ही प्रार्थियों के घर में ताला तोड़कर जबरन 22-9-85 को घुस गये तथा घर का कीमती सामान व औरतों के जेवर उठा ले गये? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित प्रार्थना पत्र दिनांक 22-9-85 की जांच क्षेत्राधिकारी, कबीं द्वारा की गयी। जांच से उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित आरोप प्रमाणित नहीं हुये। इसके विपरीत दिनांक 16-5-85 की रात्रि में श्री जय शंकर प्रसाद, निवासी बगरेही ने थाना रैपुरा बांदा में श्रीमती किशोरी देवी के लड़के विचित्र प्रसाद, रुद्र प्रसाद, भारत लाल व हरि शंकर व परिवारजन कल्लू एवं जनार्दन तथा 2-3 अन्य के विरुद्ध डकैती की रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जिसका अ0सं0 51/85 अन्तर्गत धारा 395 भा0 द0 वि0 कायम हुआ था। इस अपराध में हरिशंकर व भारत लाल अब भी फरार चल रहे हैं. इनके विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष रैपुरा ने न्यायालय से वारण्ट धारा 82/83 जा0 फौ0 के प्राप्त होने पर दिनांक 22-9-85 को कुर्की की कार्यवाही ग्राम बगरेही के तीन गवाहों के समक्ष की थी। समस्त कुर्कशुदा सम्पत्ति को दिनांक 22-9-85 को रोजनामचा आम थाना रैपुरा में अंकित किया गया है।

ग्राम सभा बरिया, तहसील मऊ, जिला बांदा के निवासी श्री बेनी हरिजन को उनकी भूमि वापस दिलाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

155–श्री राम सजीवन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बरिया तह0 मऊ जिला बांदा के निवासी श्री बेनी हरिजन को मार पीट करके आतंकित किया गया तथा गांव छोड़कर अन्यत्र भाग जाने के लिए मजबूर किया गया और क्या वह डर के कारण मऊ तह0 के ही एक अन्य गांव बरुआ में छिपकर जान बचाकर रह रहा है? क्या यह भी सही है कि उक्त हरिजन की बरिया गांव की जमीन हड़पने की नीयत से ग्राम प्रधान द्वारा उसे सताया गया है? उक्त हरिजन की जान की रक्षा तथा उसकी जमीन वापस दिलाने के लिए क्या कोई कार्यवाही की जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बेना उर्फ बेनी हरिजन अपने ग्राम बरिया के शिव नाथ पुत्र झल्ला गड़रिया की औरत को लेकर भाग गया था करीब 30 वर्ष से ग्राम बरिया छोड़कर ग्राम बरूआ मजरा बम्बुरी में रह रहा है। उसके नाम की ग्राम बरिया में भूमि के काफी समय तक परती पड़ी रहने के कारण तत्कालीन लेखपाल की रिपोर्ट पर तहसीलदार मऊ ने धारा 186 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही करके उसे ग्राम समाज की सम्पत्ति घोषित कर दिया। बाद में यह भूमि ग्राम बरिया के ही खन्ता पुत्र दौलत चमार, चन्द्रपाल पुत्र शिवसरन व उदित नारायन

पुत्र राम सूरत को आवंटित कर दी थी। श्री बेना हरिजन ने इस प्रकरण में दिनांक 7-10-85 को न्यायालय तहसीलदार मऊ में धारा 33/39 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

मुरादाबाद जनपद में कथित जिला जेल परामर्शदात्री समिति

156–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद में जिला जेल परामर्शदात्री समिति की बैठक कब से सम्पन्न नहीं हुई है तथा इसके कारण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद मुरादाबाद में इस नाम की कोई समिति नहीं है। अतः उसकी बैठक होने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला कारागार, मुरादाबाद में विभिन्न मदों में व्यय की गई धनराशि

157–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार मुरादाबाद को सरकार द्वारा जो धन वित्तीय वर्ष 82-83 व 83-84 में दिया गया था उस धन के खर्चे की मदें क्या-क्या थीं? क्या उपरोक्त वित्तीय वर्षों का आडिट भी कराया गया था ? यदि हां, तो क्या कुछ-कुछ आडिट आपत्तियां भी लगायी गयी थीं? यदि हां, तो आपत्तियां क्या थीं? सरकार द्वारा उन आपत्तियों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जिला कारागार, मुरादाबाद में वर्ष 82-83 एवं 83-84 में विभिन्न मदों में रु0 11,98,185 तथा रु0 16,19,463 की धनराशि व्यय की गयी । मदवार विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

आडिट में उठायी गयी आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है । दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 178-179 पर)

आगरा नगर महापालिका में राजस्व निरीक्षकों की कुल संख्या, आरक्षण कोटा, टोल एवं टैक्स विभाग में दैनिक वेतन पर रखे गये कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी

158–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर महापालिका में राजस्व निरीक्षकों की कुल संख्या क्या है तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति के राजस्व निरीक्षक है ?आगरा नगर महापालिका में दैनिक वेतन पर सन् 83 से अब तक लिपिक पदों पर कर विभाग में टोल टैक्स एवं टैक्स में कुल कितने कर्मचारी रखे गये है तथा इनकी कार्य अवधि क्या है । दैनिक वेतन पर नियुक्त कितने कर्मचारियों को हटा दिया गया है तथा उनमें से अनुसूचित जाति के कितने है? क्या मंत्री जी नगर महापालिका आगरा में राजस्व निरीक्षकों के पद पर दैनिक वेतन के उपरोक्त पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आगरा नगर महापालिका में राजस्व निरीक्षकों की कुल संख्या-36 है, जिनमें अनुसूचित जाति के एक राजस्व निरीक्षक है ।

आगरा नगर महापालिका के टोल एवं टैक्स विभाग में वर्ष 1983 से अब तक कुल 5 लिपिक, जिनमें से 3 अनुसूचित जाति के थे दैनिक वेतन पर रखे गये थे, आवश्यकता न होने के कारण उनको और आगे नहीं रखा गया। भविष्य में नियुक्तियां होने पर निर्धारित कोटा नियमानुसार पूरा करने की कार्यवाही की जायेगी।

159—श्री यदुनाथ सिंह—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

मुख्य अभियंता म0 क्षे0 प्रमुख अभियंता, निदेशक अन्वेषणालय एवं क्वालिटी कन्ट्रोल प्रमोशन सेल के कार्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के वेतन भुगतान आदि के संबंध में पत्र

160—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 3रे मंगल को निर्धारित अता0 प्र0 सं0 83 व 84 का उत्तर गलत दिये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 19-8-85 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। उक्त पत्र दिनांक 19-8-85 में उठाये गये बिन्दुओं पर प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से दिनांक 1-10-85 को उनकी आख्या मांगी गयी है। आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

आवास एवं विकास परिषद् की शेखपुरा (अलीगंज) लखनऊ कालोनी के भवन सं0 एम0 आई0 जी0 13 में पानी का कनेक्शन, पानी के मूल्य का भुगतान

161—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या आवास विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आवास विकास परिषद् की शेखपुरा (अलीगंज) लखनऊ कालोनी भवन संख्या एम0 आई0 जी0 13 में पानी का कनेक्शन कब दिया गया था और दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 तक कितने मूल्य का पानी का बिल बकाया था ? नियमानुसार कितनी अवधि तक भुगतान न होने पर पानी का कनेक्शन काटा जा सकता है और क्या उक्त नियम का पालन प्रश्नगत संदर्भ में किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की शेखपुरा (अलीगंज) लखनऊ कालोनी के भवन सं0 एम0 आई0 जी0 13 में पानी का कनेक्शन परिषद् द्वारा दिनांक 25.4.84 को दिया गया था। दिनांक 31-12-85 तक इस भवन के विरुद्ध रु0 670.10 का पानी का बिल बकाया था।

नियमानुसार बिल में अंकित भुगतान की अंतिम तिथि तक भुगतान न होने पर पानी का कनेक्शन काटा जा सकता है। परन्तु जल सम्पूर्ति, व्यवस्था आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत मूलभूत सेवा है, अतः प्रश्नगत भवन का पानी का कनेक्शन माह दिसम्बर, 85 तक के बिल का भुगतान निर्धारित अवधि में न होने पर भी परिषद् द्वारा काटा नहीं गया। वर्तमान में प्रश्नगत भवन के विरुद्ध पानी के बिल की कुल आद्यावधिक धनराशि दण्ड ब्याज सहित परिषद् को प्राप्त हो चुकी है। अतः उक्त भवन के पानी का कनेक्शन काटने का अब कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जमीलउद्दीन, जूनियर इंजीनियर टाउन एरिया, मुरादाबाद के स्थानान्तरण पर विचार

162–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जमीलउद्दीन, जूनियर इंजीनियर टाउन एरिया, मुरादाबाद लगभग विगत 20 वर्षों से मुरादाबाद जनपद में ही कार्यरत हैं? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है? क्या सरकार इन्हें तुरन्त किसी अन्य स्थान पर भेजने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जुलाई 1984 में इनका स्थानान्तरण नैनीताल किया गया था किन्तु बाद में जिलाधिकारी मुरादाबाद की संस्तुति पर विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण के आदेश निरस्त कर दिये गये थे।

इस वर्ष वार्षिक स्थानान्तरण के सम्य इनके स्थानान्तरण पर जून 1986 तक विचार कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के शाहगंज कस्बा के अन्तर्गत मलेरिया के प्रकोप से बचने के लिए दवा का छिड़काव

163–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या आवास विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर शाहगंज के नगरपालिका द्वारा शाहगंज कस्बा के अन्तर्गत मलेरिया के प्रकोप से बचने के लिए वर्ष 85 में दवा का छिड़काव कराया गया? यदि हां, तो सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, 6.1 लीटर न्यूवान तथा 1000 लीटर फ्लीट (मच्छर मार दवा) का छिड़काव नगर क्षेत्र के सभी मकानों एवं नालियों में कराया गया।

हरिजन कालोनी एशबाग, लखनऊ में सड़क को ऊंचा करा कर नालियों को गहरा करवाने हेतु विचार

164–श्री जग मोहन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन कालोनी एशबाग, लखनऊ में सड़कें नीची बनी हुई हैं जिसके कारण थोड़ा ही पानी बरसने पर उक्त कालोनी में पानी भर जाता है तथा पानी घरों में चला जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को ऊंचा कराकर नालियों को गहरा बनवाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, इस क्षेत्र का सामान्य तल कुछ नीचा है। बरसात में कुछ समय पानी भरा रहने के बाद जब आगे का पानी निकल जाता है तो इस क्षेत्र का पानी भी निकल जाता है। जिन घरों के तल नीचे हैं उनमें बरसात में पानी चला जाता है।

सड़क को ऊंचा करने स समस्या का समाधान नहीं होगा। नालियों को गहरा करने के लिये उसके निकास के तल को देखना होगा तथा जल निकास की पूरी व्यवस्था का परीक्षण करना होगा। वर्तमान समय में नालियों, गली, पिट व सीवर लाइन की सफाई करा दी गई है।

मोहल्ला कन्डहा टिकैतगंज खजुआ, लखनऊ में सीवर लाइन डालने की मांग

165–श्री जगमोहन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला कन्डहा टिकैतगंज खजुआ, लखनऊ (नया रामलीला ग्राउन्ड

बजुआ तकिया रोड पर) अभी तक सीवर लाइन न पड़ने का क्या कारण है? क्या सरकार उक्त लाइन इसी वित्तीय वर्ष में डलवाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

धनाभाव के कारण उल्लिखित स्थानों पर सीवर लाइन नहीं डाली जा सकी है।

जी नहीं। वित्तीय साधन कम होने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीवर लाइन डालना सम्भव नहीं है।

वर्तमान परगनाधिकारी महाराजगंज (गोरखपुर) को तत्काल हटाने हेतु पत्र

166–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जनपद की तह0 महाराजगंज से संबंधित विधान सभा की तीनों माननीय सदस्यों ने वर्तमान परगनाधिकारी महाराजगंज (गोरखपुर) को तत्काल हटाने हेतु कोई पत्र जिलाधिकारी, गोरखपुर को गत माह दिया था ? यदि हां, तो परगनाधिकारी को न हटाये जाने का क्या कारण है और उन्हें कब तक हटा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जिलाधिकारी, गोरखपुर ने अवगत कराया है कि उनके कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार महाराजगंज तहसील के माननीय तीन विधायकों के हस्ताक्षर से परगनाधिकारी महाराजगंज को हटाने हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्नकर्ता माननीय विधायक का मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित एक पत्र दिनांक 3-11-85 शासन के माध्यम से इस सम्बन्ध में अवश्य प्राप्त हुआ है जिसमें आरोपों की सूची जांच के समय प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है। आरोपों की सूची माननीय विधायक द्वारा अभी तक नहीं दी गयी है तथा उक्त पत्र में कोई ऐसे तथ्य/शिकायत का उल्लेख नहीं है जिसकी विशेष रूप से जांच करायी जा सके। जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार परगनाधिकारी महराजगंज का शासकीय कार्य अच्छे स्तर का रहा है अतः मध्य सत्र में उनका स्थानान्तरण करना उचित नहीं समझा गया।

प्रदेश के ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था

167–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था हो चुकी है शेष कितने में होना है और कब तक हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

फरवरी, 1986 तक कुल 46,690 ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था हो चुकी है। शेष 65,871 ग्रामों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पेयजल व्यवस्था की जायेगी।

पुलिस विभाग में आई0 जी0 अतिरिक्त आई0 जी0 एवं डी0 आई0 जी0 के सृजित पद

168–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1969 में पुलिस विभाग में कितने आई0 जी0 तथा अतिरिक्त आई0 जी0, एवं कुल कितने डी0 आई0 जी0 क्षेत्रीय आई0 जी0 तथा डी0 आई जी0 के पद सृजित किये गये ? सन् 1969 तथा सन् 1985 के अपराध का अपराध अनुपात प्रति वर्ष क्या था? क्या यह सही है कि जिस अनुपात में अधिकारी बढ़ाये गये उसी अनुपात से छोटे कर्मचारी अपराधों की रोकथाग के लिए बढ़ाये गये? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

1969 व 1985 में पुलिस उप महा-निरीक्षक स्तर तक के स्वीकृत पदों की संख्या तथा पुलिस निरीक्षक से कान्सटेबुल तक के स्वीकृत पदों की संख्या का तुलनात्मक विवरण संलग्नक में दिया गया है और उसी के नीचे सन् 1969 से 1985 तक अपराधों की संख्या भी दर्शायी गयी है।

जिस अनुपात में अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है उसी अनुपात में अन्य पुलिस कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। ऐसा किया जाना व्यवहारिक भी नहीं है। क्योंकि अधिकारियों की संख्या बहुत कम होती है और पुलिस कर्मियों की संख्या अधिक होती है। पुलिस प्रशासन में अपराधों की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि पुलिस कर्मियों पर समुचित प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाये और इसी कारण पुलिस उप महानिरीक्षक या उससे उच्च पदों का सृजन समय-समय पर जनहित में किया गया है। संलग्नक में दिये गये अपराधों के आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि इसी कारण अपराधों की संख्या में निरन्तर कमी आई है।

(देखिए नत्थी 'छ आगे पृष्ठ 180 पर)

मोहल्ला पुरानी लेबर कालोनी, एशबाग, हरिजन बस्ती, लखनऊ में बिजली के खम्भे एवं स्ट्रीट लाइन न लगने का कारण

169–श्री जगमोहन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला पुरानी लेबर कालोनी, एशबाग (जच्चा बच्चा अस्पताल के पीछे) हरिजन बस्ती, लखनऊ में अभी तक बिजली के खंभे एवं स्ट्रीट लाइट न लगने का क्या कारण है तथा बिजली के अभाव में यहां के निवासियों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में अधिक बाधा उत्पन्न हो रही है? यदि हां, तो मोहल्ले में बिजली के खंभे कब तक लग जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था हेतु महापालिका द्वारा लेसू से व्यय अनुमान मांगा गया है जो प्राप्त नहीं हुआ है।

वहां के निवासियों को बिजली के व्यक्तिगत कनेक्शन लेने के लिये सीधे लेसू से भी सम्पर्क करना चाहिये। बिजली के खम्भे लगाने का कार्य लखनऊ इलेक्ट्रिक-सिटी सप्लाई अन्डरटेकिंग द्वारा किया जाता है।

जनपद मेरठ के थाना बागपत में दर्ज अपराधों के अभियुक्तगण

170–श्री भोपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद के थाना बागपत में दर्ज अपराध संख्या 34, 35, 36 अन्तर्गत ई0 सी0 एक्ट में कौन-कौन मुल्जिमान थे तथा उनमें से किन-किन के विरुद्ध चार्जशीट नहीं भेजी गयी थी? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि व्यक्ति विशेष के विरुद्ध चार्ज शीट न भेजने का क्या कारण था?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार, प्रश्न में उल्लिखित अपराधों के अभियुक्तगण भोपाल सिंह, बालक राम तथा बृहम सिंह व करण सिंह थे। अभियुक्तगण भोपाल सिंह तथा बृहम सिंह व करण सिंह के विरुद्ध पुनः विवेचना की पूर्ति की जा रही है।

गोरखपुर से नेपाल सीमा स्थित ठूठीबारी जाने हेतु अवशेष मार्ग का निर्माण किये जाने की मांग

171—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर से नेपाल सीमा स्थित ठूठीबारी जाने के लिए गोरखपुर, पिपराइच, चिउटहा, निचलौल सबसे छोटा व सीधा करीब 80 किलोमीटर मार्ग है जिसमें करीब 70 किलोमीटर मार्ग बन चुका है और परतावल से पकडी विसनपुर करीब 8 किलोमीटर बीच का मार्ग ही बनना शेष है जिसके कारण बसों को मार्ग बदलना पड़ता है? क्या यह भी सही है कि उक्त अवशेष मार्ग बनवाने के लिए तत्कालीन व वर्तमान मुख्य मंत्री ने शासन को लिखा है? यदि हां, तो यह अवशेष बीच का मार्ग अब तक न बना दिये जाने का क्या कारण है और यह कब तक बना दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। इसकी लम्बाई 90.00 कि0 मी0 है। इससे भी छोटा व सीधा मार्ग गोरखपुर परतावल-शिकारपुर-सिन्दुरिया निचलौल मार्ग है, जो नेपाल स्थित ठूठीबारी तक जाता है और जिसकी लम्बाई में 86.00 कि0 मी0 ही है। प्रश्नगत मार्ग के 90 कि0 मी0 लम्बाई में केवल 5.50 कि0 मी0 भाग कच्चा है, जिसके कारण बसों को मार्ग बदलना पड़ता है।

जी हां।

धनाभाव के कारण इसका निर्माण कार्य अभी स्वीकृत नहीं है। स्वीकृति के उपरान्त धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई, अमरोहा, जनपद मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारी श्री भटनागर के विरुद्ध कोयला खरीदने में जालसाजी की जांच

172—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भटनागर, प्रशासनिक अधिकारी, उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई, अमरोहा, जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध कोयला खरीदने में जालसाजी की जांच कराई गई थी ? क्या जांच में आरोप सिद्ध होने पर तत्कालीन निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री महेश ने उन्हें सेवामुक्त करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो श्री भटनागर को अब तक सेवामुक्त न किए जाने का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि उन्हें (श्री भटनागर) तत्काल हटाने के लिए तीन बार स्थानान्तरण आदेश भी हुए लेकिन उन्हें अब तक नहीं हटाया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

आन्तरिक सम्प्रेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर निगम के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री महेश प्रसाद ने प्रारम्भ में श्री एस0 के0 भटनागर, प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध सेवा समाप्ति का निर्णय लिया था, लेकिन उनकी कई वर्षों की सेवा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए तथा उन्हें अपने बचाव का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करके इस अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने के आदेश दिए ।

श्री भटनागर को अमरोहा इकाई से अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु 2 बार आदेश हुए थे, परन्तु प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिए गए। श्री भटनागर का अब स्थानान्तरण कर दिया गया है।

नगर महापालिका, कानपुर में सिटी क्लीन्जिंग विभाग के निदेशक श्री जे0 सी0 सेठ की निर्धारित योग्यता

173—श्री राधेश्याम—

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि नगर महापालिका, कानपुर में सिटी क्लीन्जिंग विभाग के निदेशक श्री जे0 सी0 सेठ इस पद के लिए निर्धारित योग्यता न रखने के बावजूद भी उक्त पद पर कार्यरत है ? जिसके परिणामस्वरूप महानगर की जनता को वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है? तथा इनके विरुद्ध अनेक शिकायतें हुई हैं ? यदि हां, तो अब तक इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है तथा अब तक इनका स्थानान्तरण क्यों नहीं हुआ है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं। कानपुर नगर महापालिका में निदेशक, सिटी क्लीन्जिंग विभाग के पद पर इस समय श्री सुधीर मेहता मुख्य अभियंता कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

174—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

175—176—श्री सुखपाल पाण्डे—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रभारी अधिकारी नगर महापालिका, बुलन्दशहर द्वारा मोहल्ला प्रेम नगर में पोल गड़वाने में नगरपालिका का हुआ कथित अनावश्यक व्यय

177—श्री किरन पाल सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, बुलन्दशहर ने मोहल्ला प्रेम नगर में श्री प्रेमपाल सिंह जाति नाई के मकान का रास्ता प्रभावशाली लोगों के कहने से पोल गाड़कर अवरुद्ध करा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस अनावश्यक रूप में उक्त कार्य से नगर पालिका का जो धन व्यय हुआ उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पालिका का कोई अनावश्यक व्यय नहीं हुआ, अतः किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर का ग्राम बबूपुर के पास बाईपास निर्माण का प्रस्ताव

178—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर का असावर बबूपुर, जमालपुर मार्ग, बबूपुर के पास बाईपास न बनने के कारण बेकार पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो बबूपुर के पास बाईपास कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। इस मार्ग का 1.7 कि0मी0 भाग जो ग्राम असावर एवं बबूपुर के अन्दर से गुजरता है, अत्यधिक तंग एवं तीव्र मोड़ होने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका। फिर भी ग्राम असावर में उप-

लब्ध मार्ग की चौड़ाई कुछ अधिक है जिसे खड़ंजा स्तर तक बना दिया गया है ताकि बबूपुर तक जाने वाले यातायात को असुविधा न हो किन्तु बबूपुर ग्राम में मार्ग बहुत तंग होने के कारण वहां ऐसा नहीं किया जा सका । उक्त दोनों ग्रामों के बाहर से 1.7 कि0मी0 लम्बाई में बाईपास बनाया जाना प्रस्तावित है जो भूमि एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आयुक्त बिक्री-कर बनाम मारुति इण्टर प्राइजेज इलाहाबाद में दिया गया निर्णय के संबंध में पत्र पर मांगी गई जानकारी

179—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय ने सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 536 आफ 1982 आयुक्त बिक्री-कर बनाम मारुति इण्टर प्राइजेज, इलाहाबाद में निर्णय दि0 15-9-83 को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 256 दि0 2-11-85 मा0 मुख्य मंत्री को दि0 2-11-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है वह क्या दे दी गई है ? यदि नहीं, तो कब तक दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र संख्या 256 तिथि शून्य किन्तु 6-8-85 को हस्ताक्षरित अवश्य प्राप्त हुआ है, जिसका उत्तर दे दिया गया है ।

180-181—श्री यदुनाथ सिंह—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा भोज राज सिंह बनाम आयुक्त बिक्री कर में दिया गया निर्णय

182—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 560 आफ 1980 संबंधित एस0 टी0 आर0 संख्या 561 व 562 आफ 1980 फर्म भोज राज सिंह बनाम आयुक्त बिक्री कर में निर्णय दि0 1-10-81 दिया है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 5 दि0 17-10-85 मा0 मुख्य मंत्री को दि0 17-10-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है ? वह क्या उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो अब कब तक दी जावेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं किन्तु पत्र संख्या 5/लो0द0/85 दिनांक 14-9-85 अवश्य प्राप्त हुआ था ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आयुक्त बिक्री कर बनाम ओंकार नाथ सर्राफ में दिया गया निर्णय

183—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 411 आफ 1984 आयुक्त बिक्रीकर बनाम ओंकार नाथ सर्राफ में निर्णय दि0 1-2-84 हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 6 दि0 17-10-85 मा0 मुख्य मंत्री को दि0 17-10-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी

मांगी गई है ? वह क्या उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । किन्तु पत्र संख्या–6 दिनांक 1-7-85 प्राप्त हुआ है ।

पत्र का उत्तर दे दिया गया है ।

184–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

दिल्ली में आयोजित खेल प्रतियोगिता में प्रदेश के श्री सैय्यद मोदी द्वारा बैडमिंटन का खिताब जीतने तथा सम्मानित किए जाने का निर्णय

185–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री को ज्ञात है कि दिल्ली में वर्ष 1985 में आयोजित खेल प्रतियोगिता में उ0 प्र0 के श्री सैय्यद मोदी ने बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री मोदी दिल्ली अपने खर्चे से गए थे और स्वयं अपने खर्चे से भोजन व वाहन की व्यवस्था की थी? क्या यह भी सही है कि स्वर्ण पदक मिलने पर उनको बधाई देने वाला कोई अधिकारी नहीं था? यदि हां, तो ऐसा क्यों और कैसे हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या अब श्री मोदी का सम्मान किया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, श्री सैय्यद मोदी ने राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन खिताब जीता । श्री सैय्यद मोदी को उ0 प्र0 का प्रतिनिधित्व करने हेतु, उ0 प्र0 ओलम्पिक संघ द्वारा भेजा गया था। उ0 प्र0 ओलम्पिक संघ द्वारा खिलाड़ियों को दिल्ली ले जाने की व्यवस्था की गई थी तथा रेल यात्रा हेतु आरक्षण भी करवाया गया था, परन्तु श्री सैय्यद मोदी, प्रदेशीय खिलाड़ी दल के साथ दिल्ली नहीं गए, जैसा कि उ0 प्र0 ओलम्पिक संघ के सचिव ने सूचित किया। दिल्ली में खिलाड़ियों के खाने व रहने की व्यवस्था खेलों की संगठन समिति द्वारा की गई थी । जी नहीं, यह सही नहीं है । श्री सैयद मोदी को बैडमिंटन खेल में 1982 के कामनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने हेतु सम्मान स्वरूप रु0 1.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा दी जा चुकी है । इनको लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का निर्णय भी शासन द्वारा लिया जा चुका है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आयुक्त बिक्री कर बनाम फर्म ड्रगमेटिक केमिकल्स में दिया गया निर्णय

186–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने एस0 टी0 आर0 संख्या 415 आफ 1982 आयुक्त बिक्रीकर बनाम फर्म ड्रगमेटिक केमिकल्स में निर्णय दि0 23-12-82 दिया है और करदाता को हरजा खर्चा के रु0 200 दिलाये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 386 दि0 20-11-85 इस संबंध में मा0 मुख्य मंत्री को दि0 20-11-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या उपलब्ध करा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं, तथापि पत्र संख्या 386/लो0 द0/85 दिनांक 9-11-85 प्राप्त हुआ है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आयुक्त बिक्रीकर बनाम मिष्ठान लाल एण्ड सन्स में दिया गया निर्णय

187–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स

रेफरेंस सं0 365 आफ 1974 आयुक्त बिक्रीकर बनाम मिष्ठान लाल एंड संस में निर्णय दि0 9-5-78 दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 422 दि0 23-11-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को दि0 23-11-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी वह क्या उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मा0 विधायक का पत्रांक 422/लो0 द0/85 दिनांक 7-11-85 प्राप्त हुआ है। उसका उत्तर दे दिया गया है।

फर्म साबिर हुसैन, बिजनौर बनाम बिक्रीकर अधिकारी मुकदमे में सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्री कर, बिजनौर द्वारा दिया गया निर्णय

188–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्रीकर, बिजनौर ने निर्णय दि0 3-12-82 अपील सं0 914/81 फर्म साबिर हुसैन बिजनौर बनाम बिक्रीकर अधिकारी में दिया है और करदाता को करमुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील दाखिल की गयी है ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा तथा राजस्व की हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

निर्णय के विरुद्ध विभाग द्वारा द्वितीय अपील दायर की गयी है जो अभी अनिस्तारित है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आयुक्त, बिक्री कर बनाम बृजवासी ट्रेडर्स मुकदमें में दिया गया निर्णय

189–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने एस0 टी0 आर0 सं0 393 आफ 1980 आयुक्त बिक्रीकर बनाम बृजवासी ट्रेडर्स में निर्णय दि0 22-1-81 दिया है और करदाता के पक्ष में अपना निर्णय दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1811 दि0 19-8-85 इस सम्बन्ध में मा0 राज्य मंत्री जी को ता0 19-8-85 को मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है ? क्या वह उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। उच्च न्यायालय ने एस0 टी0 आर0 389/1980 तथा सम्बद्ध 390, 391, 392 तथा 394 आफ 1980 बिक्रीकर आयुक्त बनाम बृजवासी ट्रेडर्स में दिनांक 22-1-81 को निर्णय दिया है, जो 1981 एस0 टी0 डी0 111 (उ0 न्या0) में छपा है।

जी नहीं तथापि मा0 विधायक का पत्र संख्या-1811 दि0 6-8-85 प्राप्त हुआ है, जिसका उत्तर दे दिया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आयुक्त बिक्रीकर बनाम कृष्ण एजेन्सी मुकदमें में दिया गया निर्णय

190–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 15 आफ 1984

आयुक्त बिक्रीकर बनाम कृष्ण एजेन्सी में निर्णय दि0 15-11-84 दिया है और आयुक्त बिक्री कर द्वारा दाखिल रिवीजन को अस्वीकार किया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्न-कर्ता का पत्र सं0 1729 दि0 13-8-85 इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जी नहीं। किन्तु पत्र संख्या-1729 दि0 12-8-85 प्राप्त हुआ है।

पत्र का उत्तर दे दिया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आयुक्त बिक्री कर बनाम विशन स्वरूप बंसल मुकदमे में दिया गया निर्णय

191–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने एस0 टी0 आर0 सं0 101 आफ 1983 आयुक्त बिक्री कर बनाम विशन स्वरूप बंसल में निर्णय दि0 25-1-84 दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1725 दि0 13-8-85 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है? वह क्या उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं। तथापि पत्र दिनांक 12-8-85 अवश्य प्राप्त हुआ है।

निर्णय को देखकर पत्र में कुछ अनुमान किया गया है तथा कुछ निष्कर्ष निकाले गये हैं जो सही नहीं प्रतीत हुए। सही तथ्यों की जानकारी मा0 विधायक को शासन द्वारा भेजे गये पत्रोत्तर में दे दी गई है।

सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान विभाग में कम्पलसरी वेटिंग में अवर वर्ग सहायक के पद पर कथित कनिष्ठ टंकक, वेतन आहरित का औचित्य तथा अनुसचिव को भेजा गया रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र

192–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान विभाग में कितने टंकक ऐसे हैं जिनकी अपने कैडर में कनिष्ठ होते हुए भी अवर वर्ग सहायक के पद पर कम्पलसरी वेटिंग में लगातार 4 वर्ष से वेतन आहरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में तथा उन सहायकों की नाम सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कम्पलसरी वेटिंग में लगातार 4 वर्ष से कोई अवर वर्ग सहायक नहीं है।

193–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बिना वित्त विभाग की अनुमति इतनी लम्बी अवधि तक कम्पल-सरी वेटिंग पर वेतन आहरित करने का क्या औचित्य है तथा इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कम्पलसरी वेटिंग पर वेतन आहरित नहीं हुआ है।

194—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त टंकक को अवर वर्ग सहायकों की प्रस्तावित विशेष अर्हकारी परीक्षा की पात्रता सूची में लाने के लिए ही कनिष्ठ होते हुए भी इतनी लम्बी अवधि तक "कम्पलसरी वेटिंग" (बाध्य प्रतीक्षा) द्वारा वेतन आहरित कर अवर वर्ग सहायक के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा का लाभ दिलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

195—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि माह जनवरी, 86 में सचिव तथा अनुसचिव सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 को इस विषय पर कोई रजिस्टर्ड शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

आगरा जनपद की तहसील बाह स्थित श्री बटेश्वर नाथ जी के ऐतिहासिक शिव मंदिरों व सौरीपुर का पर्यटन विकास हेतु योजना

196—श्री अमर चन्द्र—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की तह0 बाह में स्थित श्री बटेश्वर नाथ जी के ऐतिहासिक 101 शिव मंदिरों व सौरीपुर का पर्यटन की दृष्टि से विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

प्रश्नगत स्थल का विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था। इस स्थान पर पर्यटकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से 20 शैय्या वाले यात्री निवास के निर्माण का प्रस्ताव विभागीय सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के प्रारम्भिक प्रारूप में सम्मिलित है। धन उपलब्धता के आधार पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जाना संभव हो सकेगा ।

नगरपालिका, स्याना, जनपद बुलन्दशहर में चुंगी कर से आय तथा व्यय

197—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना नगरपालिका की घोषित चुंगी से अब तक कितनी धनराशि एकत्र हुई और उसे किन मुद्दों पर व्यय किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगरपालिका, स्याना, जनपद बुलन्दशहर में दिनांक 1-6-85 से चुंगी कर लागू हुआ जिससे दिनांक 15 मार्च, 1986 तक रुपये 4,97,170.52 की आय हुई, जिसे वेतन, प्रकाश व्यवस्था, सड़क निर्माण, अन्य निर्माण कार्यों तथा चुंगी लेखन सामग्री पर व्यय किया गया ।

आगरा जनपद के तहसील बाह में पिनाहट—पापरी नागर तासौर मार्ग के निर्माण में ग्रामों की ली गयी भूमि तथा मुआवजे का भुगतान

198—श्री अमर चन्द्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की तह0 बाह में पिनाहट पापड़ नागर

तासौर मार्ग के निर्माण हेतु कृषकों से ली गयी भूमि का भू-राजस्व में कमी भी नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आगरा जनपद में तहसील बाह में पिनाहट-पापरीनागर तासौर मार्ग में आठ ग्रामों की भूमि पड़ती है, इन में से पांच ग्रामों में भूमि अर्जन की कार्यवाही विधिवत पूर्ण कर मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। शेष तीन ग्रामों में चकबन्दी के दौरान सड़क की भूमि सुरक्षित कर दी गयी थी जिसके बदले में सम्बन्धित कृषकों के उतने ही मालियत के चक बना दिये गये थे। उक्त मार्ग की भूमि पर ग्राम अभिलेखों में सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम अंकित कर दिया गया है और कृषकों की उतने क्षेत्रफल की मालगुजारी कम कर दी गई है।

आगरा में नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत किसानों की अर्जित की गयी भूमि तथा आगरा महायोजना के अनुसार हरित पट्टिका में स्थित भूमि

199–श्री राम नरेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में नगर भूमि सीमा रोपण एवं विनियमन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आगरा के किसानों की कितनी भूमि अर्जित की गई तथा उक्त अधिनियम में अर्जित की गई कितनी भूमि आगरा महायोजना के अनुसार खेती योग्य हरित पट्टिका में स्थित है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

आगरा में नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत किसानों की 70,87,443·24 वर्गमीटर भूमि किसानों द्वारा भू-अभिलेख दाखिल न किये जाने के कारण अर्जित हो गई है। उसमें आगरा महायोजना के अनुसार खेती योग्य (हरित पट्टिका में स्थित) 13,36,876·85 वर्गमीटर भूमि है ।

200–श्री राम नरेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त महायोजना में किसानों की कृषि भूमि जो हरित पट्टिका में थी उसे किस विधान के अंतर्गत अधिग्रहण किया गया? धारा 6(1) के अन्तर्गत कुल कितने भूमि पर विवरण पत्र दाखिल किए गए तथा उक्त धारा की कुल भूमि में से कितनी जमीन अर्जित की गई और कितनी भूमि बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए छोड़ दी गई?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत प्राविधानों के अनुरूप भू-धारकों से अपेक्षित हरित पट्टिका के प्रमाण में आवश्यक भू-अभिलेख दाखिल न करने के कारण भूमि अर्जित कर ली गई है। धारा 6(1) में कुल 5976 तथा धारा 6(2), 6(3) एवं 15 में 1808 विवरण पत्र दाखिल हुए। उक्त धाराओं में कुल 6,77,18,350·65 वर्गमीटर भूमि में से 1,32,13,477·85 वर्गमीटर भूमि अर्जित की गयी ।

बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये कोई भूमि नहीं छोड़ी गयी है।

आर्म्स पुलिस के कांस्टेबुल श्री रघुनाथ राम की जनपद वाराणसी में तैनाती, सेवा समाप्ति

201–श्री अफजाल अंसारी–

क्या मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि आर्म्स पुलिस के कांस्टेबुल रघुनाथ पुत्र सुभगराम कान्स्टेबुल नं0 383 सन् 1972 में जनपद वाराणसी में तैनात था? यदि हां, तो किस दिनांक को और किन कारणों से उसे बर्खास्त किया गया? यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वह किस जनपद के किस गांव का निवासी था तथा इसकी भर्ती कब और कहां हुई थी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। कान्स्टेबिल 338 ए0 पी0 श्री रघुनाथ राम पुत्र श्री सुभग राम निवासी ग्राम रघुबर गंज डाकखाना परसा थाना मोहमदाबाद जनपद गाजीपुर, जनपद वाराणसी में दिनांक 27-10-1965 से दिनांक 1-2-1972 तक कार्यरत था। वह अस्थायी कर्मचारी था, इसलिए एक माह की नोटिस देकर उसकी सेवाएं दिनांक 2-2-1972 को समाप्त कर दी गई। इसकी भर्ती दिनांक 27-10-1965 को जनपद वाराणसी में हुई थी।

उ0 प्र0 पुलिस में सब इन्सपेक्टरों की भर्ती

202–श्री विजय सिंह राणा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पुलिस में वर्ष 1983 से वर्ष 1985 तक सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि उ0 प्र0 पुलिस में पहले ही अतिरिक्त भर्ती हो चुकी थी और अब किसी भर्ती की आवश्यकता ही नहीं रह गई? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं और दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। उक्त अवधि में कोई रिक्त स्थान न होने के कारण भर्ती नहीं हुयी। इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया ।

मदन मोहन मालवीय इं0 कालेज, गोरखपुर में डेपुटेशन पर गए श्री राजवर्धन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

203–श्री गौरीशंकर–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मदन मोहन मालवीय इं0 कालेज गोरखपुर में डेपुटेशन पर गए श्री राजवर्धन के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र एक विधायक श्री त्रियुगी नारायण मिश्र द्वारा प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो श्री राजवर्धन के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी हां। शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं लेखा, उ0 प्र0, लखनऊ से करायी गयी है। जांच आख्या के आधार पर श्री राजवर्धन तथा प्रधानाचार्य मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज से कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनका स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर श्री राजवर्धन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

204–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री समुन्दर, ग्राम रुस्तमपुर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया का मुकदमा न्यायालय तृतीय अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बलिया में वापसी हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र

205–कुंवर रेवती रमण सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के पहले मंगल के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर के संबंध में क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभियोजन वापसी के संबंध में अंतिम आदेश कब तक निर्गत हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अभियोजन वापसी के प्रश्न पर जिलाधिकारी, बलिया से गृह विभाग द्वारा कुछ बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी गई हैं, जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

लखनऊ बिक्री कर कार्यालय में करदाताओं की पत्रावलियां गायब होने के संबंध में प्र

206–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री जी को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में करदाताओं की पत्रावलियां सन् 1983 में गायब होने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1269 दिनांक 28-6-84 उनको ता0 28-6-84 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। प्रश्न में सन्दर्भित पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी माननीय सदस्य को अलग से पत्र द्वारा उपलब्ध करा दी जायगी।

बिक्री कर अधिकारी द्वारा चाय की फर्जी फर्म को बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र दिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

207–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिस बिक्रीकर अधिकारी ने चाय की फर्जी फर्म को बिक्री कर पंजीयन प्रमाण-पत्र दिया था, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा कितने राजस्व की हानि हुई और इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय विधायक से फर्म का नाम एवं बिक्रीकर अधिकारी आदि के बारे में जानकारी की जा रही है। जानकारी प्राप्त हो जाने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

ए0 एस0 आई0 तथा एस0 आई0 के पदों पर पदोन्नति

208–श्री अकबर हुसैन बाबर तथा श्री अम्बिका सिंह–

पुलिस आफिस के प्रस्तर (191) के अन्तर्गत अप्रैल, 1979 से जून, 1982 के बीच कितने लोगों को ए0 एस0 आई0 की पदोन्नतियां तथा कितने लोगों को एस0 आई0 (उप निरीक्षक) के पदों की पदोन्नतियां दी गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

भूतपूर्व सदस्या श्रीमती विनय लक्ष्मी "सुमन" के निधन पर शोकोद्गार

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

मान्यवर, इस सदन की भूतपूर्व सदस्या श्रीमती विनय लक्ष्मी "सुमन" आज हमारे

बीच नहीं रही। वह लगभग 65 वर्ष की थीं। 17 मार्च, 1986 को हृदय-गति रुक जाने के कारण उनका देहावसान हो गया। श्रीमती सुमन का जन्म 1921 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था और वहीं पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। 1957 में कांग्रेस के टिकट पर टिहरी गढ़वाल से चुनकर वह इस सदन में आई थीं पुनः 1962 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से वह चुनकर इस आदरणीय सदन में आई थीं। उनका जीवन राजनैतिक व सामाजिक कार्यकलापों में बीता। श्रीमती सुमन जिला नियोजन समिति, महिला मंडल, जिला कांग्रेस कमेटी (टिहरी गढ़वाल) उ0 प्र0 कांग्रेस कमेटी, समाज कल्याण केन्द्र चम्पा, प्रबन्ध समिति बालिका महा-विद्यालय (टिहरी) आदि संस्थाओं में उन्होंने कार्य किया। इसके साथ ही साथ वह भारत सेवक समाज टिहरी गढ़वाल की महिला संयोजिका थीं। पर्यटन और अध्यापन में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने देव प्रयाग क्षेत्र की सेवा में एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया। आज उनके निधन से टिहरी गढ़वाल जनपद को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और साथ ही साथ इस प्रदेश को भी। ऐसी समाज सेविका और राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला, आज हमारे बीच में नहीं रहीं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि हमारे दल की ओर से ये शोक संवेदनाओं के भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम सरन–

मान्यवर, श्रीमती विन्य लक्ष्मी सुमन का सम्बन्ध एक क्रान्तिकारी परिवार से था। उनके पतिदेव श्री देव कुमार सुमन जी, जो लगभग 90 दिन भूख हड़ताल पर थे ब्रिटिश टाइम में, जिनकी मृत्यु टिहरी राजा के जेल में हुई थी। वह एक बहुत बड़े अमर शहीद रहे हैं। श्री देव सुमन जी का सीधा सम्बन्ध हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी से था, उनके परिवार की यह महिला थीं। पहाड़ी क्षेत्र में उनका बड़ा सम्मान था। ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो भाव व्यक्त किए हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे शोक सम्वेदना के भाव उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, श्रीमती सुमन पर्वतीय क्षेत्र से चुनकर इस विधान सभा में आई थीं। जैसा कि श्री राम स्रन जी ने कहा कि उनका एक क्रान्तिकारी परिवार से संबंध था और उनके पतिदेव स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शहीद हुए थे, इसलिए सारा पहाड़ उनके परिवार को एक आदर्श की दृष्टि से देखता था। ऐसे क्रान्तिकारी परिवार की महिला आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनका राजनैतिक सामाजिक और पर्यटन के क्षेत्र के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में योगदान रहा है। ऐसे परिवार के प्रति, जैसा माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने और राम सरन जी ने कहा है, मैं और मेरा दल अपने को उससे सम्बद्ध करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को हमारी सम्वेदनाएं भेजने की कृपा करें।

श्री कल्यान सिंह–

श्रीमती विनय लक्ष्मी 'सुमन' के निधन की जानकारी से हम सभी को गहरा धक्का लगा है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं। उनका जीवन राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण पेश

कर गया है। उनके निधन के संबंध में जो विचार माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी, रामसरन जी और माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने व्यक्त किये हैं, उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

श्रीमती विनय लक्ष्मी "सुमन" के निधन से हम सबको हार्दिक दुख है । उनके सम्बन्ध में जो विचार माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी व अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं व मेरा दल उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता है और आपसे आग्रह करता है कि हमारी ये संवेदनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

श्रीमती विनय लक्ष्मी 'सुमन' के निधन के मौके पर जो विचार माननीय ग्राम्य विकास मंत्री, माननीय राम सरन जी व अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं व मेरा दल उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए श्री मती सुमन के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आपसे आग्रह है कि हमारे दल की ओर से ये संवेदनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

श्रीमती विनय लक्ष्मी 'सुमन' इस सदन की सदस्या थीं, जो अब हमारे बीच नहीं रहीं । इससे टिहरी-गढ़वाल की जनता को बहुत क्षति हुई है । वे एक कर्मठ कार्यकर्त्री थीं और विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बद्ध थीं, इस दिशा में उनकी सेवायें अविस्मरणीय रहेंगी। उनके निधन से टेहरी-गढ़वाल की जनता को बहुत धक्का लगा है । मैं, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी और विरोधी दलों के नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, उनसे अपने को व अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मैं अपने व अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार के प्रति हमारी संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

*श्री राम नरेश–

श्रीमती विनय लक्ष्मी 'सुमन' भूतपूर्व सदस्या आज हमारे बीच नहीं रहीं। वर्ष 1957 और 1982 में टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग निर्वाचन क्षेत्र से विजयी होकर, इस सदन में आकर उन्होंने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं का जिक्र किया । उनका सम्बन्ध भी बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से रहा है । उनके निधन पर माननीय ग्राम्य विकास मंत्री, माननीय राम सरन, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह, माननीय कल्यान सिंह और माननीय कौशिक जी तथा दूसरे नेताओं ने जो शोक संवेदनायें प्रगट की हैं, मैं भी स्वयं अपनी ओर से और अपनी समता पार्टी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें भिजवाने की कृपा करें ।

*श्री देव कुमार यादव–

श्रीमती सुमन के निधन से न केवल उनके जनपद क्षेत्र अपितु सारे उत्तर प्रदेश से एक सामाजिक और राजनैतिक कार्यकत्री उठ गयी है । उनके सम्बन्ध में जो भावनायें माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त की है, मैं व मेरा दल उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता है व आपसे आग्रह करते हैं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन ने टिहरी की जनता की पीड़ा को हरने के लिये सदैव काम किया और उसके लिये वे हमेशा याद की जायेंगी । श्रीमती सुमन जी ने जो बलिदान किया उसके पीछे भी श्रीमती सुमन की प्रेरणा थी और उसी का परिणाम है कि टिहरी की जनता को सच्चे रूप में आजादी मिली । साहित्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में उनका योगदान लम्बे समय तक रहा और उसके लिये वे हमेशा याद की जायेंगी। श्रीमती सुमन के निधन के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास मंत्री जी ने और जो माननीय सभी विरोधी दल के नेताओं ने अपनी भावनाओं को और अपने उद्गारों को व्यक्त किया है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी भावनाओं को पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन आज हमारे बीच में नहीं रहीं, यह हार्दिक दुख की बात है । इस सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्यगणों ने, नेतागणों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को भी उससे सम्बद्ध करता हूं । वह क्रान्तिकारी परिवार की थीं । पौड़ी गढ़वाल उनके न रहने से गरीब हो गया है । मैं आप सब की भावनाओं को उनके परिवार तक अवश्य पहुंचा दूंगा । आप सबसे अनुरोध है कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये हम सब खड़े होकर दो मिनट का मौन रखें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए ।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत 39 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से 10 सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं:–माननीय महेन्द्र सिंह भाटी की, माननीय कौशिक रमा शंकर की, माननीय बदन सिंह की, माननीय शिव नारायण मिश्र की, मा0 शारदानन्द अंचल की, मा0 मित्रसेन की, माननीय रघुवर दयाल वर्मा की, मा0 चमन लाल 'चमन' की, मा0 हरिश्चन्द्र हरीश जी की तथा माननीय रघुराज प्रसाद उपाध्याय की । आप लोगों की सहमति हो तो इन सबको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

एक सदस्य–

हां! हां! पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इन सबको पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं (पढ़ी हुई मानी गयीं)

दादरी, गाजियाबाद, सिकन्दराबाद तथा बुलन्दशहर में दुबारा चकबन्दी होने व बैनामों को अवैध घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर मा0 सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 30 जून, 1980 को जिला गाजियाबाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की तहसील दादरी एवं जिला बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद में दोबारा चकबन्दी की गजट नोटीफिकेशन हुआ था तथा सम्बन्धित ग्रामों, इकाइयों में पब्लिकेशन लगभग 8, 9 माह बाद हुआ था तथा बन्दोबस्त अधिकारी के कार्यालय की स्थापना जुलाई, 1981 में हुई थी। 30 जून, 1980 एवं जुलाई, 1981 के बीच दोनों तहसीलों में लगभग 7000 बैनामों का सम्पादन हुआ है और इन बैनामों पर लगभग 6 करोड़ रुपयों का स्टाम्प खरीदा गया और बैनामें सम्पादित हुए।

बैनामा करने की अनुमति प्राप्त उ0 प्र0 कंसालिडेशन होल्डिंग एक्ट, 1853 की धारा 5(सी) के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी गाजियाबाद एवं बुलन्दशहर से प्राप्त होनी थी किन्तु दोनों जनपदों में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी इकाई गजट नोटीफिकेशन के लगभग 13 माह बाद हुई। इस बीच बैनामें करने की अनुमति किसी से भी प्राप्त नहीं की जा सकती थी। इन बैनामों को चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत अवैध घोषित किया जा रहा है। बैनामों में लगा धन खरीदी गयी भूमि या तो ग्राम सभा में चली जायेगी या तो पुराने भूमि मालिकों को प्रशासन की गलती से चली जायेगी।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल जांच करा कर प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करें।]

हसनगंज, मुरादाबाद के कतिपय गांवों में गंगा की कटान रोकने हेतु निर्मित बांध से खतरा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशिक रमाशंकर–

[माननीय अध्यक्ष जी, जनपद मुरादाबाद की तहसील हसनगंज में गंगा के कटान को रोकने हेतु एक बांध का निर्माण किया गया है। किन्तु गंगा में डाले गये कालागढ़ फीडर चैनल के कारण 24 नेशनल हाई-वे पर बने सड़क पुल को क्रास करते ही गंगा की धार बांध की दिशा में हो गयी है। जिसके कारण ग्राम कासमाबाद, बिड़ला, धौरिया आदि गांवों के पास बांध को पूरा खतरा हो गया है। इस बांध का बचाव बहुत जरूरी है अन्यथा बहुत बड़ा क्षेत्र जल-मग्न हो जायेगा। सिंचाई विभाग वहां ठोकरें बना कर धार को मोड़ देने पर विचार कर रहा है। किन्तु सिंचाई विभाग, पुल के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग का क्षेत्र होने के कारण एक बड़ी ठोकर बनाने के प्रस्ताव पर नहीं विचार कर रहा है, जबकि एक ही बड़ी ठोकर से काम चल सकता है।

सदन के माध्यम से मैं शासन का ध्यान लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आकर्षित करता हूं और मांग करता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में सामंजस्य बिठाकर उचित एवं उपयोगी स्थान पर ठोकर का निर्माण कराया जाय।]

नगर महापालिका, आगरा में गन्दे जल की आपूर्ति व पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह–

[महोदय, आगरा महानगर में पेय-जल आपूर्ति का इस समय और संकट पैदा हो गया है। आगरा जल संस्थान द्वारा बहुत ही कम प्रेशर से मात्र आधा या पौन घन्टा जल आपूर्ति की जा रही है और जोनल पम्प स्टेशनों पर माहवारी सुविधा शुल्क देकर ही क्षेत्र

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशेषों में पानी दिया जा रहा है। होली के त्योहार पर भी नागरिकों की आवश्यकता निवारण हेतु भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो सका है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यह कम मात्रा में मिलने वाला पेयजल भी कच्चा, गन्दा, पीले रंग का बदबूदार और कीड़ों व काई से युक्त है जो कि बरतनों में दूर से ही देखा जा सकता है और पीने योग्य नहीं है । इस पेयजल से नागरिकों में बीमारियों का प्रकोप हो गया है और ग्रीष्मकाल से पूर्व ही पेयजल की इस विकरालता से जन जीवन त्रस्त एवं चिन्तित है। इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आगरा महानगर की आपूर्ति हेतु शुद्ध जल की व्यवस्था कराने की मांग करता हूं ।]

थाना लम्भुआ, सुल्तानपुर में डकैतों व अराजक तत्वों द्वारा उपद्रव मचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शिव नारायण मिश्र–

[मान्यवर, थाना लम्भुआ, सुल्तानपुर में अराजक तत्वों, डकैतों द्वारा अशान्ति पैदा कर दी गयी है । मकसूदन निवासी राम उजागर मिश्र के यहां डकैतों ने 12/13 की रात्रि में एक लाख की सम्पत्ति लूट के साथ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया । 7/8 मार्च, रामदास यादव बेनीपुर के यहां डकैतों ने 50 हजार की सम्पत्ति लूटी, अच्छेलाल को मरणासन्न करके छोड़ दिया । लंभुआ बाजार थाने से मिला है, में विक्रमा, जगदम्बर, रहमतउल्ला, श्रीराम, रामसेवक, रितराजसिंह, रामकृपाल आदि के यहां भीषण चोरी हुई। परन्तु आज तक पुलिस एक भी अभियुक्त को नहीं पकड़ सकी । उक्त घटनाओं से क्षेत्र में भीषण असन्तोष व्याप्त है, लोगों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । 23 मार्च, को मैंने उक्त घटनास्थल को देखा । आम जनता पुलिस की निष्क्रियता से डकैतों व अराजक तत्वों से अपने को असुरक्षित पा रही है । अपराधी खुले आम घूम रहे हैं । पुलिस असहाय किंकर्त्तव्य विमूढ़ है । डकैती की रिपोर्ट चोरी में लिखी जा रही है ।

मार्च, 1985 से आज तक 5 कार्यकर्त्ताओं की हत्या और कई डकैतियां पड़ चुकी हैं । स्थानीय पुलिस निष्क्रिय है । आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल न्यायोचित कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं ।]

सीयर, बलिया में फर्जी संस्थाओं की स्थापना तथा अराजकतत्वों को पुलिस का संरक्षण मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शारदानन्द अंचल–

[मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र के एवं बिल्थरा रोड कस्बे में फर्जी संस्थाओं युवा कल्याण परिषद्, किसान संघर्ष समिति (कांग्रेस आई) के नाम पर कुछ अवांछनीय, जालसाज, साम्प्रदायिकता की भावना भड़काने वालों, नागरिकों खासकर व्यापारियों को नापाक इरादे से तंग करने व उनसे नाजायज धन उगाही करने वालों तथा अधिकारियों को झूठी बातें बता कर अपने को सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता बता कर, धौंस देने वाले अधिकारियों से गलत निर्णय को मजबूर करने वालों से जनता में रोष एवं क्षोभ के बारे में लाना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मान्यवर, इस नाजायज गिरोह की शिकायत होने पर स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज, कुछ अपराधियों से मिले । अधिकारी तथा एक पुलिस के भू0पू0 उच्चाधिकारी का भाई उन्हें संरक्षण देकर बढ़ावा देते हैं जिससे नगर एवं क्षेत्र की साम्प्रदायिक सद्भावना एवं जन-जीवन खतरे में पड़ रहा है जिसका समाधान अपेक्षित एवं आवश्यक है ।

मान्यवर, इन अपराधी गिरोह के विरुद्ध दिये गये शिकायती-पत्र की जांच न कर जिला पुलिस कार्यालय में लम्बित रखे जाते हैं जिससे शासन के प्रति जनता में संदिग्धता होती जा रही है। अतः आपके माध्यम से इस महत्व-पूर्ण मामले को संज्ञान में लाते हुए आवश्यक एवं अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

ग्राम सभा मंगारी, तहसील बीकापुर, फैजाबाद की कृषि योग्य भूमि को बंसल एण्ड कम्पनी द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों की साजिश से हड़पने की कोशिश किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन–

[माननीय अध्यक्ष जी, एक अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना आपकी अनुमति से सदन व शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। ग्राम सभा मंगारी, परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर, फैजाबाद में स्थित कृषि योग्य भूखण्डों को जिले के राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों की साजिश से जनपद के एक निजी उद्योगपति बंसल एण्ड कम्पनी अपने स्वयं के उद्योग के लिये अवैधानिक तरीके से हड़पने की कोशिश कर रहा है। उक्त ग्राम सभा के भूमिहीन पात्र व्यक्ति भू आवंटन के लाभ से वंचित हैं । उक्त भूखण्ड फैजाबाद-इलाहाबाद रेलवे लाइन एवं सार्वजनिक मार्ग के आस-पास स्थित हैं अतः यह भूखण्ड काफी मूल्यवान है। इस भूखण्डों के साजिश की तहत हड़पने से सरकार एवं ग्राम सभा की बहुत बड़ी हानि हो रही है तथा पात्र व्यक्ति भी वंचित हो रहे हैं। इससे पूरे ग्राम सभा तथा इलाके में काफी आक्रोश तथा असंतोष व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर जांच की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

फिरोजाबाद, आगरा के कतिपय गांवों में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि फिरोजाबाद क्षेत्र में ग्राम गड़ीछीथी (जलालपुर), बालचंदपुर, शंकरपुर, रहन की मड़ैया, तोतलपुर, मोहम्मदपुर, बिहारीपुर, बजीरपुर, जेहलपुर, करकौली, बसई, नूरपुर, गडी तिवारी, चंदवार, माली पट्टी उसमानपुर, मडुआ आदि 39 ग्रामों में पीने के पानी के कुएं सूख गये हैं जिससे पेयजल का गम्भीर संकट पैदा हो गया है । पशु प्यासे मरने लगे हैं । पोखर तालाब सूखे पड़े हैं, पशुओं को पानी नहीं है। जन-जीवन में पेयजल संकट से भारी हड़कम्प है और शासन के प्रति जन आक्रोश व्याप्त हो गया है।

*वक्ता में भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, ग्रामीण जन 3 मील, 4 मील दूर से पानी पीने को निजी नल-कूपों से लाते हैं और जमुना नदी से पीने को पानी लेते हैं जिसका जल प्रदूषित है, पीने योग्य नहीं है, इस पानी के पीने से मानव और पशुओं में भयानक बीमारी फैल रही है। स्त्री और बच्चे पानी के लिये तड़पते दिखाई देते हैं किन्तु शासन का ध्यान इस ओर नहीं गया है।

अस्तु अनुरोध करता हूं कि जन जीवन की सुरक्षा के लिए तुरन्त ही 150 हैण्ड पम्प लगाने और सूखे कुओं में ह्यूम पाइप डालकर गहरा कराने तथा तालाब, पोखरों को सरकारी नल-कूपों से भरवाने की मांग करता हूं ताकि जन जीवन की रक्षा हो सके और उन्हें पानी के संकट से बचाया जा सके।]

जनपद सहारनपुर में ओलावृष्टि से कतिपय गांवों में भारी क्षति होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चमन लाल 'चमन'–

[दिनांक 18-3-86 की शाम को मेरे जनपद सहारनपुर में भारी ओला वृष्टि से सारी फसलें तो नष्ट हो गयी हैं, साथ ही साथ जन-धन की हानि भी हो चुकी है। विशेष कर ग्राम धुन्ना, घाना, महेशरी, ताजपुर, रीढ़ी, दाउदपुरा, रन्डौल, पानसर, मानकपुर, बादलपुर, लन्दौरा-जुनारदार, पाली पुवंरका, सुन्दलहेडी, सम्बलहेडी, बढ़ेडी, सैयदमाजरा, बुढाखेड़ापुन्डीर, जजनेर, चमारी खेड़ा, गदेवड़ा, नानकाक, मडावर और चमन बेहड़ा सन्दल सिंह इत्यादि अनेक ग्रामों को इस ओलावृष्टि से काफी नुकसान हो चुका है।

अतः आपकी अनुमति से, मैं यह विषय सदन के संज्ञान में लाकर शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूं कि शासन तत्काल प्रभावित ग्रामों में राहत कार्य प्रारम्भ करे तथा वहां के किसानों से सभी प्रकार के ऋणों की वसूली स्थगित कर दे और गरीब परिवारों को तुरन्त आवश्यक सहायता प्रदान कराने की व्यवस्था करायें।]

विद्युत विभाग, बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा विद्युत उपभोक्ताओं को दुबारा शुल्क बिल दिये जाने के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[मान्यवर, बस्ती जिले में विद्युत् विभाग से सन् 83 तक के बकाए के नाम पर हजारों की संख्या में उपभोक्ताओं के पास बिलें भेजी गई हैं। इन बिलों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि यह भुगतान किस समय का है। विद्युत कार्यालय बस्ती से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि सन् 80 से 83 तक की उपभोक्ताओं की जमा धनराशि का कार्यालय में कोई लेखा नहीं है और तत्कालीन विद्युत विभाग के दो अधिकारियों पर लाखों रुपयों के गबन का मामला चल रहा है। फिर मात्र साधारिक असेसमेन्ट के आधार पर उपभोक्ताओं के पास यह बिलें भेज दी गई हैं। जब कि वास्तविकता यह है कि उपभोक्ताओं ने 80 से 83 के बीच की देय धनराशि का भुगतान कर दिया है।

विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात करने पर उन उपभोक्ताओं की समस्या का हल निकलना सम्भव हो रहा है जिनको

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पास भुगतान की रसीदें उपलब्ध हैं फिर भी उन्हें बस्ती तक की दौड़ लगानी पड़ेगी परन्तु अधिकांश उपभोक्ताओं के पास वर्षों पुरानी रसीदें उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें दोबारा भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है । जब कि उनके विद्युत कनेक्शन नियमित रूप से चालू हैं । इसी से स्पष्ट है कि उन्होंने भुगतान कर दिया है । कुल मिलाकर जिले के हजारों उपभोक्ता विद्युत विभाग के भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप भारी संकट और परेशानी में हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं शासन से मांग करता हूं कि सन् 83 तक के भुगतान के नाम पर भेजी गई बिलों के भुगतान की कार्यवाही को तत्काल रोक दिया जाए तथा उच्चस्तरीय जांच करवाकर, उपभोक्ताओं की रक्षा की जाय ।]

गोण्डा जनपद में आवास-विकास विभाग की कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा शीघ्र दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाकर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चहता हूं ।

जनपद गोण्डा में शहर से मिले हुए नगर क्षेत्र में आवास-विकास विभाग की कालोनी निर्माणाधीन है । उक्त कालोनी के निर्माण हेतु जिन काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की गयी, वह सभी छोटे-छोटे काश्तकार हैं तथा अधिग्रहीत की गयी भूमि के अतिरिक्त उनके पास न तो और भूमि है और न जीविका का कोई अन्य साधन ही है । आवास विकास की कालोनी के भवन भी बनकर तैयार हो गये हैं मगर अभी तक संबंधित काश्तकारों को भूमि के मुआवजे की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की गयी तथा जिलाधिकारी गोण्डा ने भी शासन को मुआवजे की धनराशि अविलम्ब वितरण हेतु लिखा, परन्तु, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। चूंकि उपरोक्त लोगों के पास जीविका का कोई साधन नहीं है तथा लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं, इसलिए किसी भी दिन कोई अप्रिय घटना घट सकती है ।

मैं सरकार द्वारा जांच कराकर दोषी व्यक्ति को मुआवजे की धनराशि के अभी तक न बांटने के लिए दण्डित करने एवं मुआवजे की धनराशि को तुरन्त बंटवाने की मांग करता ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं मिली हैं :–

(1) श्री कौशिक रमाशंकर (2) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा (3) श्री देव कुमार यादव की हैं, एक ही विषय पर कि 24-3-86 को लेखानुदान तथा अन्य कार्यों के सम्पादन में नियमों की अवहेलना के विषय पर है। (4) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है । (5) डाक्टर दिनेश जौहरी की है । (6) श्री फजलुल बारी की है । (7) श्री सत्यपाल सिंह की है । (8) भी श्री सत्यपाल सिंह की है । (9) श्री हृदय नारायण दीक्षित की है । (10) श्री राम

*वक्ता में भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नरेश की है । (11) श्री राम आसरे वर्मा की है ।

व्यवधान के मध्य 24 मार्च, 1986 को विनियोग विधेयक के पारण से सम्बन्धित कार्यवाही के अवैधानिक होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, 24-3-86 को जब उपवेशन हो रहा था उस समय विनियोग विधेयक पारित होने का जो समय नियत था एजेण्डे में, उसके अनुरूप जो सदन की कार्यवाही चलनी थी और जैसी कार्यवाही चली, मेरा निवेदन है कि उस कार्यवाही को न माना जाय क्योंकि सदन उस समय व्यवस्थित नहीं था। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि संसदीय परम्पराओं के अनुसार और नियमावली के तहत जब सदन व्यवस्थित न हो तो उस सदन में जो भी कार्यवाही होती है उसको न्याय संगत और विधि संगत नहीं माना जा सकता है । विनियोग विधेयक के नियत समय पर इस सदन में घोर अव्यवस्था व्याप्त थी। अनेक सदस्य सदन के वेल में थे, कुछ माननीय सदस्य जहां पर कार्यवाही लिखी जाती है, रिपोर्टस की मेज पर थे और कुछ माननीय सदस्य, अधिकारियों और कर्मचारियों की मेजों पर थे । मान्यवर, इतना ही नहीं बल्कि नारों के शोर में न तो आपकी बात सुनी जा रही थी और न कोई कार्यवाही सुनी जा रही थी । नियम 299 की उप धारा–6 के तहत सदन की कार्यवाही को निलम्बित कर दिया जाना चाहिये था, लेकिन वह क्रिया नहीं गया । मान्यवर, विनियोग विधेयक का पास होना जरूरी है। बजट के पास करने की जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है उतनी ही विरोधी पक्ष की भी है । इस बजट सत्र में सभी विरोधी दल के लोगों ने यह कोशिश की है कि बजट समय से पास हो जाये और एक-एक दिन में 4-4 बजट पास किये गये । मेरा निवेदन है कि पिछले 34-35 दिनों से बजट सत्र के दौरान यहां पर बैठ रहे हैं और इस दौरान कई उत्तेजना के क्षण भी आये और आपने नियम–299 की उप धारा–6 के अन्तर्गत सदन को निलम्बित कर दिया और 15-20 मिनट या आधे घन्टे कक्ष में बैठकर मामले पर बात करके फिर सदन को चलाया । मान्यवर, इस सदन के अनुरूप हम लोगों का आचरण रहा और हम लोगों ने बजट को पास किया, लेकिन उस दिन जो कार्यवाही हुई, वह सदन की परम्पराओं और प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं थी । इसलिए मैं औचित्य के रूप में इस प्रश्न को सदन के समक्ष रख रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उस दिन की कार्यवाही विधिमान्य नहीं समझी गयी, इस सम्बन्ध में, कौशिक जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और उनके अलावा कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, आपको विशिष्ट और विशेष अधिकार प्राप्त हैं और वह सब इस नियमावली के उपबन्धों में निहित है । उनकी उपेक्षा करने का अधिकार न आपको है और न मुझे है । जो समय विनियोग विधेयक के लिये निर्धारित किया गया था, वह 2 बजे था, परन्तु उसको 1 बजकर 44 मिनट पर पारित करा दिया गया । यह अवैधानिक था और नियमावली के विरुध था । मान्यवर, आप नियम 198 को देखने की कृपा करें । मैं इसकी अन्तिम तीन लाइनों को पढ़कर आपके समक्ष सुनाना चाहता हूं–" . . . . ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यों की पूर्ति के लिये समय नियत कर सकेंगे और जब समय इस प्रकार नियत कर दिया जाये तो वे नियत समय पर ऐसे

प्रक्रमों के सम्बन्ध में जिनके लिये समय नियत किया गया हो, समस्त अवशिष्ट विषयों के निस्तारण के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे । । . . . . ''

अब मान्यवर, दो बजे का समय निर्धारित था । आपने एक बार समय निर्धारित कर दिया । कार्य मंत्रणा समिति ने भी उसकी पुष्टि कर दी, उसकी घोषणा भी सदन में हो गई । उसके बाद सदन से भिन्न कोई एजेन्सी नहीं है जिसको उस समय को परिवर्तित करने का अधिकार हो । मान्यवर, हमारी नियमावली में इसके लिये नियम 110 के अन्तर्गत व्यवस्था है अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी थी और दो बजे से पहले ही उसको करना था तो नियम 110 (6) के अनुसार प्रस्ताव करने का कार्य हो सकता था। वह नहीं किया गया। इस तरह से दो बजे से पहले ही वह पारित हो गया जो कि अवैधानिक है ।

दूसरी बात की ओर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारी संसदीय परम्परा है और अध्यक्ष पीठ से भी व्यवस्थायें दी गयी हैं कि सदन अव्यवस्थित कब माना जायेगा। अगर अध्यक्ष पीठ पर कोई विराजमान नहीं है, सदस्यगण व्यवस्थित नहीं हैं तो तब तक सदन व्यवस्थित नहीं माना जायेगा और उस समय यहां पर कोई भी कार्यवाही विधिमान्य नहीं होगी । मान्यवर, जब आप चले गये सदन को स्थगित करके और दुबारा जब आप आये उस समय सदन व्यवस्थित नहीं था । मैं उस प्रकरण में नहीं जाता कि सदन क्यों व्यवस्थित नहीं था और कुछ माननीय सदस्यों को फर्श में और आपकी ओर जाना पड़ा। वह दुखद प्रकरण हो सकता है । लेकिन सदन व्यवस्थित नहीं था इसलिये उस समय जो भी यहां पर कार्यवाही हुई वह अवैधानिक थी ।

मैं तीसरा तर्क देना चाहता हूं । मान्यवर, जब दुबारा आप विराजमान हुये तो आपने एजेन्डे का आइटम नम्बर–12 ले लिया । उससे पहले के आइटम क्या हुये? मान्यवर, 12 नम्बर पर पहुंचना आपका अधिकार नहीं था । इसके लिये भी हमारे नियमों में व्यवस्था है । नियम 110 (6) के अन्तर्गत आप प्रस्ताव पारित कराते । संसदीय कार्य राज्य मंत्री प्रस्ताव को रखते। आप सदन की इच्छा जानते । उस स्थिति को सदन के संज्ञान में लाकर आइटम नम्बर 12 लिया जा सकता था । वह प्रस्ताव नहीं हुआ, लिहाजा जो कार्यवाही हुई, वह अवैधानिक थी ।

चौथी आपत्ति मेरी यह है । मेरे पास कार्यवाही है । जिस तरह से कार्यवाही हुई वह सही रूप में अंकित है । कटौती का प्रस्ताव पेश करने के लिए आपने किसी को नहीं बुलाया । आपने प्रस्तुत कर दिया लेकिन ''नहीं'' के लिए नहीं बुलाया । तो जब कटौती के प्रस्ताव के लिए किसी को नहीं बुलाया गया तो कैसे पता लगेगा कि कोई इसको प्रस्तुत करना चाहता है ? आपने पढ़ने के बाद तत्काल वह प्रश्न उपस्थित कर दिया । इसलिए यह अवैधानिक है जब तक नियमों का निलम्बन नहीं किया जाता ।

एक आपत्ति और है, विनियोग विधेयक का प्रस्ताव आने के बाद आपको निर्देश करना चाहिए कि विनियोग विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी जायं । आपने आदेश दिया । उसके बाद किसी भी सदस्य को विनियोग विधेयक की प्रतियां नहीं मिलीं । जब तक उस विधेयक की प्रतियां नहीं वितरित कर दी जाती हैं तब तक सदन की कार्यवाही रुकी रहती है । उसके बाद जब

प्रतियां बंट जाती हैं, अध्यक्ष सदन से जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या उसकी प्रतियां सबको मिल गई हैं । उसके बाद दुबारा वह प्रस्तुत किया जायेगा । यह परम्परा भी रही है कि विनियोग विधेयक के आने के बाद खण्डों में न सही तो मूल रूप में हमारा विरोध हो सकता है । इस तरह से वह प्रक्रिया भी अधूरी रह गई ।

इस तरह से मान्यवर, मेरी 6 आपत्तियां हैं । जो भी कार्यवाही हुई है वह विधिमान्य नहीं हुई है । इसलिए मेरी मांग है कि जो बजट यहां पर पास हुआ समझा जा रहा है वह पास हुआ न समझा जाय और जब वह पास नहीं हुआ है तो आगे का खर्च के अधिकार इस सरकार को नहीं है । इस तरह से एक वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है । यह त्रुटि रह गई है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं अपने को माननीय कौशिक जी और माननीय गुप्ता जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, यह मेरा तीसरा टर्म है, मेरे संसदीय जीवन में । जिस तरह-तरह से 24 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी, सदन का संचालन किया जा रहा था, उससे मुझे बहुत कष्ट हुआ । (व्यवधान)

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो यहां पर औचित्य का प्रश्न उठाया गया है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने 24 ता0 को यहां विनियोग विधेयक पारित कर दिया उसकी प्रक्रिया के संबध में जो आपत्ति है वह अपनी जगह पर वजन रखती है । मेरा निवेदन यह है कि उस दिन की कार्यवाही का संचालन करते समय आप अध्यक्ष पीठ पर बैठे हुए थे और आपकी उपस्थिति में वह पारित हुआ वह नियमित हुआ या अनियमित हुआ उसके बारे में मैं बहस नहीं कर रहा हूं लेकिन उसे आपने पारित करवाया । तो आप अपनी व्यवस्था के बारे में स्वयं बैठ कर कैसे निर्णय दे सकते हैं अगर इसके बारे में पुनर्विचार करना है तो किसी अन्य व्यक्ति को बैठने दीजिए और उससे इस पर व्यवस्था दिलवा दें । आप तो निर्णय दे चुके हैं । अगर इसके बारे में पुनर्विचार करना है तो आपकी व्यवस्था के बारे में, दूसरा व्यक्ति बैठे ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर विचार कर सकते हैं ।

श्री देवे कुमार यादव–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था इस सदन में, कई बार ऐसे अवसर आए जब सदन अव्यवस्थित हुआ और समय-समय पर आपने नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं से बात कर सदन में नियमानुसार कार्यवाही की । लेकिन उस दिन क्या परिस्थितियां थी, सदन अव्यवस्थित था और विनियोग विधेयक का जो 2 बजे का समय था, उससे पहले ही पारित कर दिया । नियमों में आपको अधिकार है, आप नियमों को निलम्बित कर सकते हैं, लेकिन आपने वह भी नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मेरा आपसे आग्रह है जो भी कार्यवाही हो वह नियमानुसार हो । अगर इस सदन में, कार्यवाही नियमानुसार नहीं होगी तो फिर कहां नियमानुसार कार्य किया जायेगा । यह स्थिति जो हुई है यह बहुत ही चिन्तनीय है । इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपका जो निर्देश होगा वह भविष्य के लिए भी दृष्टांत होगा । इसलिए उस दिन की कार्यवाही को रद्द कराकर दुबारा विनयोग विधेयक को पारित करवाएं, जिससे नियमों का परिपालन हो । इसलिए आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें। और इस पर अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न के साथ सदन की गरिमा का सवाल जुड़ा हुआ है, इस सदन के विशेषाधिकारों का सवाल जुड़ा हुआ है । मान्यवर, मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं लेकिन कभी-कभी हमारी नर्मी, हमारी जरूरत से ज्यादा सरकार को सहूलियत देने का सवाल, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करता है और उसका खामियाजा हमें ही नहीं आगे आने वाले लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है । यह सवाल जो औचित्य के रूप में उठाया गया है उसका महत्व केवल इस विनियोग विधेयक के लिए नहीं है बल्कि इसका बड़ा दूरगामी परिणाम होगा । इसलिए मैं उन नियमों को पुनः रिफर नहीं करूंगा जिनका हवाला पूर्व वक्ताओं ने दिया । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारे नियमों में ही नहीं, मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में भी दिया हुआ है कि व्यवस्थित सदन में ही कार्यवाही होगी । आप केवल हमारे संरक्षक नहीं है बल्कि सदन की गरिमा को खण्डित होने से बचाने का गुरुतर दायित्व भी आपके कंधों पर है । तो मैं यह मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के बीसवें एडीशन का उद्धरण देना चाहता हूं इसके पृष्ठ 235 में दिया हुआ है–

"इट इज दि ड्यूटी आफ दि स्पीकर टू प्रिजर्व द आर्डरली कन्डक्ट आफ डिबेट बाइ रिप्रेसिंग डिसआर्डर ह्वेन इट एराइजेज ।"

इसमें है कि जब कभी भी अव्यवस्था पैदा हो तो स्पीकर का कर्तव्य है कि वह सदन को व्यवस्थित कराए जो डिसआर्डर है उसको रिप्रेस करके व्यवस्था पैदा करे । इतना ही नहीं उसके आगे है पेज 235–

"...बाई रिफ्यूजिंग टू प्रपोज दि क्वेश्चन अपान मोशन्स एण्ड अमेन्डमेन्ट्स ह्विच आर इररेगुलर" मान्यवर, इतना ही नहीं, आप प्रश्न उपस्थित करने से इन्कार कर सकते हैं, यदि आपको लगे कि यह नियमानुकूल नहीं है । तो इस तरह की व्यवस्था है ।

मान्यवर, इसके आगे इसी किताब के पेज 442 पर डिफाइन किया गया है, जिसमें है कि–

"इट इज एबस्यूलूटली नसेसरी दैट दि स्पीकर शुड बी इनवेस्टेड विद अथारिटी टू रिप्रेस डिसआर्डर एण्ड टू गिव एफेक्ट प्रमोटली एण्ड डिसीसवली टू दि रूल्स एण्ड आर्डर आफ दि हाउस" ।

मान्यवर, यह जनतंत्रीय प्रणाली में आवश्यक समझा गया है कि आपको तमाम अधिकारों से लैस रखा जाये, जिससे आप सदन में व्यवस्था को बनाये रख सकें और अव्यवस्था को समाप्त कर सकें और जो सदन के नियम हैं उनका आप पालन करा सकें । आगे जो उस दिन स्थिति पैदा हुई, अव्यवस्था पैदा हुई, उसके बारे में, मैं आपका ध्यान पृष्ठ 446, की ओर, इसी किताब के, आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें "ग्रैव डिस्आर्डर" जब घोर अव्यवस्था पैदा हो जाए तब स्पीकर को क्या करना चाहिए–

"(5) ग्रेव डिसआर्डर इन दि इवेन्ट आफ ग्रेव डिसआर्डर अराइजिंग इन दि हाउस, दि स्पीकर इज इमपावर्ड बाई सो नं0 27, इफ ही थिंक्स इट नसेसरी, टू एडजर्न दि हाउस विदाउट क्वेश्चन पुट, आर टू सस्पेंड दि सिटिंग फार ए टाइम टू बी नेम्ड बाई हिम" ।

मान्यवर, अव्यवस्थित सदन में कार्यवाही चलाने का अधिकार आपको नहीं है और कर्तव्य आपका यह था कि यदि सदन अव्यवस्थित हो तो उस समय या तो सदन को आप निलम्बित कर देते थोड़े समय के लिए या प्रश्न उपस्थित नहीं करते । इसी किताब के पृष्ठ 447 पर दिया गया है कि हमारा यह अधिकार है कि यदि इस तरह की अव्यवस्था पैदा हो जाए तो उसी दिन उठाना चाहिए किन्तु इसका मौका ही नहीं मिला, और आपने प्रश्न उपस्थित किया और अन्त में कह दिया कि अब हम उठते हैं 1 अप्रैल को 11 बजे मिलेंगे । इसलिए जब हमको यह प्रापर अपारच्युनिटि आज मिली तो हम यह प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं ।

मान्यवर, इसी किताब के पेज 145 पर दिया है, जिसमें है कि अगर कोई सदस्य नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके बारे में व्यवस्था है जो पेज 145 पर है, जिसमें लिखा है–

डिसआबिडिएन्स टू दि आर्डर्स आफ आइदर हाउस, वेदर सच आर्डर्स आर आफ जनरल एप्लीकेशन आर रिक्वायर ए पर्टीकुलर इनडिविजुअल टू डू आर एब्सटेन फ्राम डूइंग ए पर्टीकुलर एक्ट, आर कन्ट्रावेन्शन आफ एनी रूल्स आफ आइदर हाउस इज कन्टेम्प्ट आफ दैट हाउस"।

मान्यवर, किसी भी सदन के किसी भी निर्देशों का अनुपालन न करना चाहे, यह निर्देश या आदेश जनरल एप्लीकेशन नेचर के हों या व्यक्ति विशेष से, उनके द्वारा अपेक्षा की गई है कि वह व्यक्ति विशेष, कार्य विशेष को करेगा या नहीं करेगा या किसी भी सदन के बनाए हुए किसी भी नियमों की अवहेलना की जाए तो वह सदन की अवमानना होती है । इसलिए यह सारी स्थितियां जो उस दिन पैदा हुई, आपको जो अधिकार दिए गए हैं सदन को व्यवस्थित करने के लिए आप हमें इंगित कर सकते थे, सस्पेंड कर सकते थे और आप सदन की शेष कार्यवाही के लिए ऐसे सदस्यों को जो नियमानुकूल आचरण नहीं कर रहे थे, सदन की गरिमा के अनुकूल, उनको आप पूरे सत्र के लिए निकाल सकते थे । लेकिन ऐसा न करके, आपने अपनी सदाशयता का परिचय दिया । लेकिन उसके द्वारा जिस तरह की कार्यवाही हुई, यदि वह कार्यवाही अपनी जगह पर ज्यों की त्यों बनी रहती है तो आने वाले समय में एक उदव-हरण और एक रूलिंग बनेगी, जिसका नतीजा यह होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेकर, जहां से हमने जनतंत्रीय प्रणाली को बारो किया है, जो परम्पराएं हमने आज तक संजोई हैं, पुष्टि हुई हैं, उन पर कुठाराघात होगा और इस प्रकार हमारा अवमान होगा, संवैधानिक मूल्यों का ह्रास होगा और अव्यवस्थित सदन में बहुमत का लाभ उठाकर कोई भी दल कभी भी कोई भी कार्यवाही करा लेगा, उन पर हमारा कोई भी अंकुश नहीं रह जाएगा । यह प्रश्न केवल 24 मार्च की कार्यवाही पर यह सवाल एक दिन विशेष का नहीं है, यह सवाल इस विधान सभा की गरिमा से, हमारे भविष्य की मर्यादा से भी जुड़ा हुआ है और यह प्रश्न हमारे विशेषाधिकारों से भी जुड़ा हुआ है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर कोई व्यवस्था देने से पहले आप सारे संवैधानिक पहलुओं पर, सारे रिपरकशन पर, जो आने वाले सदस्यों को भोगना

पड़ेगा—उनके अधिकारों में कटौती होगी, उस पर भी गम्भीरता से विचार कर लें । जूरिस्डिक्शन प्वाइंट पर जब आप कोई बात सुनते हैं, तो जो इस्टेब्लिस्ड ला है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कोर्ट में एक परम्परा रही है कि जब जूरिस्डिक्शन पर कोई प्रोना-उन्समेंट हो तो उन्हें कोई पूर्वाग्रह युक्त नहीं होना चाहिए किन्तु उन्हें होस्टाइल एटीच्यूड जरूर लेना चाहिए, तो यदि आप हमारे अधिकारों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते हैं, तो आपके जजमेंट से हमारे अधिकारों में कोई कटौती न हो, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के पेज 210 पर दि काइन्ड्स आफ अथारिटी आन विच दि रूल्स आफ प्रोसीजर आर बेस्ड शीर्षक के अन्तर्गत वह निर्देश, वह अथारिटी—अधिकार, जिनके आधार पर यह नियम, जिनसे सदन संचालित होते हैं, वह निर्भर करते हैं, दिए हुए हैं । इसमें एक 'प्रेक्टिस' है, दूसरा स्टैंडिंग आर्डर्स हैं, जो 24 तारीख को हो गया । तीसरा है, 'रूलिंग फ्राम दि चेयर' और चौथा है 'स्टेट्चुवरी माडिफिकेशन आफ प्रोसीजर' । इन सबसे सदन गाइड होता है । 24 तारीख की प्रोसीडिंग यदि ज्यों की त्यों रही, तो हमारे अधिकारों का हनन होगा । मैं इस विषय में एडवोकेट जनरल को सुनने के लिए आपसे नहीं कहूंगा और न मैं किसी प्रकार का संवैधानिक संकट पैदा करना चाहूंगा । इसी-लिए मैं इस चीज को इतना बल देकर आपके सामने कह रहा हूं । 24 तारीख की कार्यवाहियों के बारे में आप कोई स्पष्ट निर्देश जरूर दें, ताकि आने वाले समय में हमारे अधिकारों में कोई कटौती न हो और विधान सभा की गरिमा सुरक्षित रह सके । मैं आपके माध्यम से मान्यवर, नेता सदन और बहुमत दल से अपील करता हूं कि वह इस प्रश्न को सत्ता पक्ष या विपक्ष का सवाल न बनाकर इस दृष्टि से देखें कि आने वाले समय में इसका क्या दूरगामी प्रभाव विधान सभा की गरिमा पर पड़ेगा ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य—कौशिक जी, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, देव कुमार यादव जी और रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया और इसके माध्यम से नियमों का हवाला दिया, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस का हवाला दिया, मेज में जो है, नियमों में जो है, उसका हवाला दिया ।

मान्यवर, जहां तक प्रपोजीशन का सम्बन्ध है जो उन्होंने उद्धरण दिये हैं, मैं उनसे शत प्रतिशत सहमत हूं । कानून और नियमों में, सभी में है कि तमाम अधिकार अध्यक्ष पीठ में निहित हैं। आपको अधिकार सदन को स्थगित करने का था और आपको यह भी अधिकार था कि जो सदस्य नियंत्रित नहीं थे, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का भी अधिकार था और आपने अपने विवेक से काम लिया, आपने देखा कि सदन का संचालन सम्भव है और उस सम्भावना को दृष्टि में रखते हुए आपने कार्य को आगे चलाया । यह आपका विवेक था। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब सारी शक्तियां अध्यक्ष के विवेक में, अध्यक्ष पीठ में निहित हैं तो आज उसको चुनौती देने का कोई आधार नहीं बनता है। 4 बिन्दु माननीय गुप्ता जी ने उठाये । मैं एक-एक करके उनका उल्लेख करना चाहूंगा। आपका कहना है कि शून्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रहर के बाद बिना किसी प्रस्ताव के मद संख्या-12 पर आप आ गये। मान्यवर, यह आपका अपना अधिकार है कि आप यह देखें कि जो प्रस्ताव कार्य मंत्रणा समिति द्वारा पारित है, 2 बजे तक विनियोग विधेयक पारित करना है, आपने देखा कि बीच में कोई मद आ रही है और उससे विलम्ब हो सकता है तो बिना किसी प्रस्ताव के उस मद को ले सकते हैं जिस मद के लिये समय नियत किया गया है। मान्यवर, समय 2 बजे का रखा गया और उसको 1.44 पर कैसे ले लिया गया ? तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि उस रोज 2 अनुदान ऐसे थे जिन पर कटौती का प्रस्ताव नहीं आना था। अगर वह प्रस्ताव आता तो स्वाभाविक था कि समय लगता । कटौती का प्रस्ताव नहीं आया तो मान्यवर, क्या आपको यह सुझाव दें कि आप हाउस को स्थगित करें या दोबारा उन्हीं मदों पर पहुंचे। आप आगे बढ़ गये। कटौती के प्रस्ताव के बिना एजेंडा कोलैप्स कर गया तो आगे की मद स्वाभाविक रूप से ली जानी चाहिए इसमें कोई अनियमितता नहीं है। यह आपके विवेक में स्वतः निहित है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कटौती के प्रस्ताव के लिये बुलाया जाता है ।

श्री हुकुम सिंह–

आप बुलाने की बात करते हैं । बुलाया किसी को जाता नहीं है, हाउस की परम्परा रही है कि खड़े हों तो बुलाया जाता है। मेरे प्रस्ताव रखने के बाद यदि कटौती का प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य खड़े होते और आग्रह करते और उनको बुलाया न जाता तो गुप्ता जी की बात उचित होती लेकिन कटौती का प्रस्ताव रखना न चाहें, यही नहीं एक दर्जन रूलिंग हैं कटौती के प्रस्ताव को रखने के लिए कि किसी सम्मानित सदस्य को कटौती का प्रस्ताव रखने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। मैं इस सदन का समय उनको पढ़कर बर्बाद नहीं करना चाहता। कई बार निर्णय हुए हैं कि कटौती का प्रस्ताव रखने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। आप प्रस्ताव नहीं रखना चाहेंगे और आप यह कहेंगे कि बुलाया नहीं गया, यह ठीक नहीं है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता, यह मैं मानता हूं लेकिन रोका भी नहीं जा सकता । इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह बिल्कुल सही है, मैं राम सरन जी से सहमत हूं कि किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन जब किसी ने वह प्रस्ताव रखा ही नहीं तो रोकने और बाध्य करने की बात समझ में नहीं आती है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। खेलकूद के बजट पर चर्चा के लिये हम लोगों ने विशेष आग्रह किया था और आप लोगों की कार्य मंत्रणा समिति ने इस चीज को स्वीकार किया था। गोपाल दास यादव अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते थे लेकिन आपकी अनुज्ञा न मिलने से, वह पेश नहीं कर पाये।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। इसका ताल्लुक नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने जो निष्कर्ष निकाले सम्मानित सदस्यों के तर्क वितर्कों से कि कुछ माननीय सदस्य यहां पर आयें और शोर करें और कहें कि सदन व्यवस्थित नहीं रहा और जो उस दिन कार्यवाही विनियोग विधेयक पारित करने की हुई है उसको पारित न करें, उसको अवैध माना जाय, यदि यह रूलिंग आज हो जाती है। माननीय तिवारी जी ने आगे आने वाली पीढ़ी के लिये बड़ी चिंता व्यक्त की, तो यदि यह रूलिंग हो जाती है, आप सदन के वेल पर आयेंगे, शोर मचायेंगे और विनियोग विधेयक पारित न हो पाये तो क्या आप वर्तमान पीढ़ी के साथ न्याय कर पायेंगे। आगे आने वाली पीढ़ी की बात छोड़ दीजिये। मान्यवर, ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं और सम्मानित सदस्यगण जो यहां पर बैठे हैं, उनके सामने कई निर्णय ऐसे यहां हो चुके हैं और ऐसा ही एक मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी आया। राज्यपाल के अभिभाषण के लिए कि जब महामहिम वहां पर आये तो बहुत शोर होने लगा और इसी शोर के दौरान महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा, तो वहां पर मा0 सदस्यों ने कहा कि चूंकि सदन व्यवस्थित नहीं था इसलिए अभिभाषण पढ़ा हुआ न माना जाये, लेकिन मान्यता उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो वर्ष 1966 का है पेज 363 पर आप देखें, उसमें यह कहा गया "इफ दि शाउटिंग बी लाउड इनफ आर दि बिहेवियर सफिशिएन्टली अनरूली, ए गवर्नर मे नाट बी अनेबल टू बिगिन आर टू फिनिश दि एड्रेस, ड्यू टू ह्यूमेन लिमिटेशन्स, एण्ड मे हैव टू थिंक आफ अदर मोड्स आफ पब्लिकेशन आफ दि एड्रेस। टू होल्ड दैट लैजिसलेचर मस्ट नाट बी डीम्ड टू हैव मेट व्हेन ए गवर्नर इज अनेबल टू बिगिन आर टू फिनिश दि एड्रेस अन्डर आर्टिकिल 176 एण्ड इज कमपेण्ड अदरवाइज टू पब्लिश दि एड्रैस, इज टू पुट ए वैल्यू आन सच डिस्टरबेन्स व्हिच दे डू नाट डिजर्व।" तो मान्यवर, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है आप देख लें "प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट" के तीसरे एडीशन के पृष्ठ 168 पर कि ऐसी अनुशासनहीनता के कारण जो तमाम कार्यवाही व्यवस्थित मान ली जाये। मान्यवर, इन शब्दों के महत्व को देखते हुए कि अगर सदन अव्यवस्थित है, तो उससे सदन की कार्यवाही जो भी ऐसी अवस्था में हो रही है, वह उचित है, क्योंकि सदन का व्यवस्थित रख पाना एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है और आप स्वयं गौर करें अगर उस दिन जो 7 अरब और करीब 2 करोड़ के विनियोग विधेयक थे, इस प्रकार से पास न किये गये होते तो आज प्रदेश की क्या स्थिति होती ? हम और आप यहां सुख-चैन से बैठ नहीं सकते थे। इस प्रकार की अव्यवस्था को मैं समझता हूं कि आप भी नहीं चाहते। आप भी चाहते हैं कि समस्त कार्य सुचारु रूप से चले। इसलिए वह तरीका उस दिन प्रस्तुत करने का मजबूरन रखा गया और इस प्रकार से जो मा0 सदस्यों ने औचित्य का प्रश्न रखा है, वह ठीक नहीं है, इसको समाप्त करें।

श्री मयंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा तथा भूतपूर्व सदस्य, श्री सुखदराज सिंह व जटाशंकर सिंह को बहराइच की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस प्रसंग को न उठाते हुए मैं अब एक दूसरा औचित्य का प्रश्न आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं कि मा0 सदस्यों को जो अधिकार हैं और उनके जो कर्तव्य हैं। एक विधायक की हैसियत से अगर कोई मा0 सदस्य अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहता है और उसके इस निर्वहन पर यदि अतिक्रमण होंगे, प्रदेश की पुलिस द्वारा तो मान्यवर, यह काम कैसे चलेगा ? मान्यवर, बहराइच जिले के हमारी पार्टी के एक विधायक श्री मयंकर सिंह जी कुछ मामलों पर वहां के जिलाधिकारी से बात-चीत करना चाहते थे, तो उन्होंने जिलाधिकारी से समय मांगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इतने बजे आ जाइये। तो मान्यवर, उस निश्चित समय पर श्री मयंकर सिंह व उनके साथ दो और भू0पू0 विधायक श्री सुखदराज सिंह व भूतपूर्व विधायक श्री जटाशंकर भी जिलाधिकारी के यहां गये, जिलाधिकारी ने कहा कि एस0 पी0 साहब को भी आ जाने दीजिये तब बात शुरू की जाए। तभी मान्यवर, एस0 पी0 साहब भी आ गये और बड़े अच्छे वातावरण में इन लोगों से बात-चीत होती रही। इन्होंने वहां पर जो अशान्ति की स्थिति बताई, उसमें यह लोग सहयोग देना चाहते थे। परन्तु मान्यवर, जैसे ही बात-चीत करके यह लोग बंगले से बाहर निकले, पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अन्दर भेज दिया तो मान्यवर, मैं नहीं समझता कि वहां पर कौन सी ऐसी बात थी, जिससे इनको गिरफ्तार कर लिया गया ? यह बहुत ही निन्दनीय बात है। जबकि यह लोग जिलाधिकारी से समय मांग कर गये और वहां पर यह भी सूचना दे दी थी कि सदन चलने वाला है, मुझे वहां जाना है। लेकिन पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी, की साजिश थी कि जो कुछ रसियां में हुआ है, उसकी सही जानकारी आदरणीय सदन में न पहुंच सके, इसलिये मंयकर सिंह को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया ।

उन्होंने मुझे भी पत्र लिखा है और आपको भी पत्र भेजा है । मैं समझता हूं कि श्री मयंकर सिंह का पत्र आपको मिल गया होगा । 28 तारीख का यह वाकया है, जिस दिन यह लोग जिलाधिकारी से मिलने गये थे । अध्यक्ष के नाते जहां सदन के संचालन की जिम्मेदारी आपकी है, वहीं आप हमारे संरक्षक है । हम विधायकों के जो सवैधानिक अधिकार है, जो दायित्व है, उनका हम बिना किसी बाधा के निर्वहन कर सकें, इसके लिये आप हमें संरक्षण प्रदान करें । आपने स्वयं अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था दी है कि सदन चल रहा होगा तो बिना आपकी पूर्व अनुमति के किसी विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आप अपने सूत्रों से इस मामले की जांच करायें । जिस समय सरकारी अधिकारी और पुलिस प्रशासन के निकम्मेपन के कारण दंगे होते है, जनधन की हानि होती है, आतंक का वातावरण बन जाता है, तो उस समय प्रशासन पंगु बन जाता है और जब घटना घट जाती है तो उसके बाद निर्दोष और निरीह लोगों को जेल में बन्द करके पुलिस प्रशासन अमानुषि-

कता की पराकाष्ठा कर देता है । मैं चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि भविष्य में विधायकों के ऊपर अत्याचार न हो और विधायी कार्यों पर अतिक्रमण न हो । आप नेता सदन को निर्देश दें कि मयंकर सिंह और दो भूतपूर्व विधायकों को छोड़ा जाय और जिन पुलिस कर्मियों ने अमानुषिक कार्य किया है, उनको दण्डित किया जाय ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, होली के अवसर पर छोटे-छोटे झगड़ों, रंग छोड़ने पर लोग नाराज हो जाते हैं, इस तरह की बातें हुईं । कहीं-कहीं इस तरह का वातावरण पैदा हुआ । जहां तनाव बढ़ा, जिन लोगों ने उसको उकसाया, तनाव बढ़ाने का कार्य किया, शासन का कर्तव्य हो जाता है, कि उनको गिरफ्तार किया जाय ताकि तनाव न बढ़ सके । माननीय गुप्त जी ने जिन लोगों का नाम बताया मयंकर सिंह, जटा शंकर सिंह, सुखदराज सिंह, इन लोगों ने जो लोग होली के अवसर पर गिरफ्तार किये गये थे, उनको छुड़ाने के लिये खुद गिरफ्तारी दी । उन्होंने कहा कि इन लोगों को छोड़ा जाय नहीं तो हमको अरेस्ट किया जाय । सरकार की किसी को अरेस्ट करने की मंशा नहीं है । कहीं इस तरह का वातावरण पैदा हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिये कार्यवाही करनी पड़ती है । मैं इस चीज को देख लूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । हम अपेक्षा यह करते हैं कि हमारी तरफ से जो बात कही जाती है, उसी के बारे में उत्तर दिया जाय । नेता सदन ने जो आरोप लगाया है, माननवर, मयंकर सिंह राजनैतिक पार्टी के सदस्य है, सत्याग्रह करना, कानून को तोड़ना जनहित में यह सब हम करते हैं, इनकी पार्टी के लोगों ने भी किया होगा । मयंकर सिंह ने खुद गिरफ्तारी दी होती तो मैं इसको औचित्य के रूप में न उठाता और न ही मयंकर सिंह इतने हल्के आदमी हैं कि यह आपको और हमको इस तरह का पत्र लिखते । नेता सदन ने गलत जानकारी दी है। माननवर, मंयकर सिंह और दो भूतपूर्व विधायको के साथ जो जुल्म किया गया है, उसकी प्रतिक्रिया बहराइच में हो रही है और बड़े पैमाने पर सत्याग्रह हो रहा है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसको समाप्त किया जाना चाहिये और उन दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाना चाहिये । मुख्य मंत्री जी ने गलत-बयानी की है । मैं उनसे चाहता हूं कि आप अपने सूत्रों से जो मयंकर सिंह जी के बारे में कहा गया है, उसकी जानकारी करा लें । मुख्य मंत्री जी ने

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

अभी जो बात कही वह बिल्कुल गलत है । मयंकर सिंह जी जिलाधिकारी से बात करने गये थे । यह सही है कि उन्होंने जिलाधिकारी से कहा था कि जो लोग पकड़े गये थे वे निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दिया जाय । उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाय । मैं मा0 मुख्य मंत्री जी के कथन का प्रति-वाद करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस संबंध में सही स्थिति जानने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चेष्टा करें । उसके बाद जो आपका निर्णय होगा, मुझे स्वीकार होगा ।

श्री औसान सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्य मंत्री आवास पर आमरण अनशन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

*डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इस सदन के सदस्यों के लिए जो प्रोटोकाल बना है उसमें यह व्यवस्था है कि हम लोग मा0 मुख्य मंत्री, मंत्री और विभागाध्यक्षों को अपने क्षेत्र की सूचनाओं से अवगत करावें और उनके सामने रखें । मान्यवर, उसी को लेकर श्री औसान सिंह, जो हमारी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने एक पत्र 21 फरवरी, को मुख्य मंत्री जी को लिखा था अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में । मुख्य मंत्री जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया । उन्होंने कहा कि यदि 31 मार्च तक उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 31 मार्च से वे आमरण अनशन शुरू कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आमरण अनशन के विषय से इसका ताल्लुक नहीं है । मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री फजलुल बारी, सदस्य विधान सभा के बहराइच जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री फजलुल बारी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक औचित्य का प्रश्न पेश कर रहा हूं । मान्यवर, मैं 28 तारीख की शाम को 5 बजकर 20 मिनट पर आजमगढ़, फैजाबाद, बहराइच रोड से होते हुए बहराइच जा रहा था । जैसे ही मैं बहराइच जिले में दाखिल हुआ तो 16 किलोमीटर अंदर जाने पर थाना पयागपुर के पास वहां की पुलिस के कई कर्मचारी और दरोगा वगैरह खड़े हो गये और उन्होंने मेरी गाड़ी रुकवा ली और थाने के अंदर चलने की कहा । मैंने पूछा कि क्या बात है ? क्या मैं किसी दूसरे देश की सीमा में आ गया हूं? उन्होंने कहा कि पहले थाने के अंदर चलिये । उन्होंने कहा कि आप बहराइच नहीं जा सकते । मैंने कहा क्यों ? कान्स्टीट्यूशन की धारा 19 के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि देश के किसी भी हिस्से में हम जा सकते हैं और कोई रुकावट नहीं है, और नतीजा यह हुआ मान्यवर, मैं आपसे गुजारिश (कई सदस्यों द्वारा व्यवधान करने पर) करूंगा, आपकी जिम्मेदारी है और नियमावली के नियम 286 में लिखा हुआ है कि कोई मा0 सदस्य अपनी बात कह रहे हों तो दूसरे मा0 सदस्यों को खामोशी से सुनना चाहिये, टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिये । इस व्यवस्था का ध्यान में रखना चाहिये । मान्यवर, हुआ यह कि बिना किसी आदेश के और बिना कुछ बताए हुए उस थाने में 28 मार्च, 1986 को मुझे शाम 5.20 बजे से लेकर पूरी रात रखा गया और जब मैंने उनसे यह कहा कि भाई यह कौन सा कानून है ? आप मुझे हक से बेजा रखे हुए हैं, जहां मेरी मंजिल है, जाने नहीं दे रहे हैं । दूसरे दिन 29 तारीख को साढ़े 11 बजे मुझे एक आर्डर मिला जो बहराइच के जिला मैजिस्ट्रेट की न्यायालय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की ओर से आया था । उस आदेश के तहत में मेरा दाखिला इसलिए बंद कर दिया गया है कि वहां पर मेरे क्रिया कलापों से जनपद में अमन चैन गड़बड़ हो जायेगा और वहां पर साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ जायेगा । मैं इस सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष –

कितनी देर तक सुनूंगा ?

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मैं एक कमजोर आदमी हूं । मुझे थाने पर बिठाये रखा गया । आप तो हमारे रखवाले हैं, कुछ देर तक सुन लें ताकि दिल की बात निकल जाये ।

मान्यवर, क्या वह आदमी जो अपने क्रियाकलापों से जब किसी जनपद में दाखिल होता है और वहां पर प्रतिष्ठित लोगों पर गाली देकर वार करता है, वहां के अमन को दरहम बरहम करता है, दाढ़ियां नोचता है, अपने गुंडों को उन पर वार करने के लिये छोड़ता है, उनको शासन नहीं रोकता है । लेकिन मुझ जैसे शरीफ आदमी, मान्यवर, मेरी

(हंसी)

शराफत का सबूत ले लें । मेरी शराफत का सबूत यह है कि सरकार ने मुझे मेरठ जाकर दंगाग्रस्त क्षेत्र देखने के लिये परमिशन दी । मैं वहां गया और देख आया । मेरे आने के बाद क्या वहां पर दंगा भड़का या हल्का हुआ यह मुख्यमंत्री जी बता दें ? मान्यवर, वहां पर दंगा खत्म हो गया, इसका मतलब मैं शरीफ आदमी हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री फजलुल बारी–

[x x x x]

मान्यवर, मुझ जैसे शरीफ आदमी पर तो रोक लगायी गयी और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको पूरी छूट है वहां घूमने की ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, इनके जो आंतरिक सुरक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यह तय कर लिया है, वे इस देश में अव्यवस्था पैदा करके, यहां के प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम चुनौती देना चाहते हैं कि प्रजातंत्र को बचाने के लिये हम जान की बाजी भी लगा देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, जहां कहीं कोई तनाव है, बारी साहब ने वहां की सारी जिम्मेदारी ले ली है। मान्यवर, जहां कहीं जाते हैं, तनाव बढ़ता जरूर है । सरकार अगर कहीं रोकती है, तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिये। मान्यवर, आज जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, भाषण करने से या तरह-तरह की बातें करने से, हर आदमी को चाहे वह किसी पार्टी का हो, नेता हो, मना किया गया है, रोका गया है। मान्यवर, देश सबसे बड़ा है, जब देश रहेगा तब ही कोई व्यक्ति का भाषण कोई चीज रहेगी। मान्यवर, अगर कहीं तनाव बढ़ रहा है, उसको हर तरह से

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

रोकने के लिये कोई बात की जाती है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है।

*श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, तनाव रोकने के लिये, किस व्यक्ति को किस ढंग से रोका जा सकता है, यह कानून में व्यवस्था है। माननीय बारी साहब 28 तारीख को गये थे। 5 बजे शाम को उनको थाने पर रखा गया। दूसरे दिन करीब साढ़े 11 बजे डी0एम0 के आदेश आये। मान्यवर, यदि बारी साहब को शान्ति के लिए रोकना जरूरी था तो 28 को डी0 एम0 ने क्यों नहीं रोका? डी0एम0 के आदेश आने तक रात भर तक जो थाने में पुलिस ने उसको रखा, वह अनधिकृत रूप से रखा यह अवमानना का प्रश्न है। सरकार के लिए यह शर्म की बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डिस-मिसल आदेश के पहले पुलिस ने किस अधिकार के तहत उन्हें थाने में रोके रखा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, उनको रोका नहीं गया, बल्कि उनको समझाया गया।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। बहराईच में बारी साहब को इसलिए जाने से रोका गया कि उनके वहां जाने से सूरतेहाल खराब हो जाती तो फिर 12 घण्टे पहले [xxx] जो वहां गये थे, वह सूरतेहाल खराब कराने गये थे, इसे मुख्य मंत्री बतायें। उन्हें वहां पर किस मसले के तहत जाने की इजाजत दी गई?

श्री अध्यक्ष–

यह मामला विषय से बाहर है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, [xxx]

श्री अध्यक्ष–

आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किया है, उसे आप वापस लें। (वापस न लेने पर) इनकी कोई बात नहीं लिखी जायेगी।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, लिखा जाय या न लिखा जाय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है [xxx]

औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

सूचना नम्बर 1, 2 और 3 श्री कौशिक रमाशंकर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री देव कुमार यादव जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, इस संबंध में मेरा कहना यह है कि सदन सर्वोच्च है, जो भी कार्यवाही हुई, वह सदन की अनुज्ञा से हुई, इसलिए मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं। जहां तक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री फजलुल बारी जी की सूचना का संबंध है, वह नियम 300 की परिधि में नहीं आती है, लेकिन फिर मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जहां पर माननीय सदस्य का मामला हो, उस पर सम्मान के साथ विचार करना चाहिए और जो शेष सूचनायें हैं, उन्हें भी अस्वीकार किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 1976-77†

*ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

नोट:–यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†छापी नहीं गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 1976–77 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 1976-77 को विलम्ब से सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मद संख्या–4 जो अभी सदन के पटल पर रखा गया है। इस सम्बन्ध में आप कम्पनीज एक्ट की धारा 619-ए की उपधारा (3) को देखने की कृपा करें "वेदर दि सेन्ट्रल गर्वनमेन्ट इज नाट ए मेम्बर आफ ए गवर्नमेन्ट कम्पनी एवरी स्टेट गवर्नमेन्ट व्हिच इज ए मेम्बर आफ दैट कम्पनी आर वेदर ओनली वन स्टेट गवर्नमेन्ट इज ए मेम्बर आफ दि कम्पनी दैट स्टेट गवर्नमेन्ट शैल काज एेन एेनुअल रिपोर्ट आन दि वर्किंग एण्ड अफेयर्स आफ दि कम्पनी प्रिपेयर्ड विदिन दि टाइम"

जहां पर केन्द्र सरकार उस कम्पनी का सदस्य नहीं है प्रत्येक राज्य सरकार उस कम्पनी का सदस्य है या जहां पर केवल राज्य सरकार उसका सदस्य है वह उसका वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करेगी और जैसा कि सब-सैक्शन (17) में वर्णित है, सदन के पटल पर रखेगी। अब आप सब सेक्शन-1 को देखें– "प्रिपेयर्ड विदिन 3 मन्थस आफ इट्स एेनुअल जनरल मीटिंग बिफोर दि आडिट रिपोर्ट इज प्लेस्ड।"

प्रतिवर्ष इसका लेखा जोखा तैयार किया जायेगा वार्षिक बैठक में । उसके बाद 3 महीने के भीतर सदन के पटल पर रखा जायेगा। 1976-77 का लेखा-जोखा आज रखा जा रहा है । जहां तक इस विधान मण्डल का अधिकार है, किसी भी कम्पनी की आडिट रिपोर्ट सम्परीक्षण टीका के साथ वार्षिक या दूसरे वर्ष मिल जानी चाहिये । यह 10 वर्ष के बाद मिल रही है । यह जो अधिकार है विधान मण्डल का कि हम इस तरह की कम्पनीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, नियमों में व्यवस्था है कि ये स्वागत्तशासी निकाय हैं अतः इनकी आन्तरिक रचना के बारे में सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, केवल वार्षिक रिपोर्ट पर विचार कर सकते हैं । आज जब 10 साल के बाद हम इसको देखेंगे तो सही तरीके से विचार नहीं कर पायेंगे । आज अरबों रुपया बर्बाद हो रहा है । मैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहूंगा कि क्या सरकार को, जैसा कि नियमों में प्राविधान है, वार्षिक रूप से लेखा-जोखा नहीं रखना चाहिये था ? दूसरी बात, दस साल के बाद इसकी वार्षिक रिपोर्ट रखी जा रही है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की गलती है या नहीं ? और क्या इस सम्बन्ध में सरकार को निर्देशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है कि इसको समय से रखना चाहिये था ?

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय गुप्त जी ने जो अभी पढ़ा, इसमें उल्लेख है, मैंने भी देख लिया है । इसको आगे भी पढ़ लें, 619 (3) (बी) में आगे जो लिखा है, उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शब्दार्थ हैं-''तैयारी के बाद शीघ्रातिशीघ्र''। आप इससे सहमत होंगे कि आज जितने भी निगम हैं, उनकी आडिट प्रणाली तैयार की जा रही है। आप तो पी0 ए0 सी0 के मेम्बर रहे हैं, आपके सामने भी ऐसे विषय आये हैं और आपने कहा है कि जल्द ही लेखा परीक्षा की प्रणाली तैयार कर ली जाय। इसीलिये विलम्ब हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

मैं शासन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इतनी देर में रिपोर्ट नहीं आनी चाहिये।

यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन, 1982-83

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन 1982-83 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नगर विकास अनुभाग-2 की अधिसूचना††

*नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगर विकास अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1969/9-2-85-119-79 दिनांक 5 अक्टूबर, 1985 को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 96 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

दि यू0 पी0 स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन, 1981-82†

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि यू0 पी0 स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन 1981-82 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1985††

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1443 सी (आई0एफ0सी0)/12 सी-1-यू-71-76 दिनांक 9 अक्टूबर, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1985 को उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयत सेवा (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1984 को गत सत्र में न लाकर इस सत्र में विलम्ब से सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(मद संख्या-9 पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

विधि द्वारा विधान मण्डल को जो अधिकार प्राप्त हैं, जब भी उनका हनन होगा, तो हम उस मामले को उठायेंगे जरूर। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस विधान मण्डल को प्राप्त अधिकारों में आप कटौती न होने दें। इस सरकार का विश्वास संसदीय परम्पराओं में नहीं है इसलिये वह संसदीय नियमों की अवहेलना करती है। आप नियम 176 (2) को देखें इसमें दिया हुआ है–

"जब उल्लिखित कालावधि इस तरह पूरी न हो तो विनियम, नियम, उपनियम के उपविधि आदि अनुवर्ती सत्र या सत्रों में पुनः रखे जायेंगे जब तक कि कथित कालावधि एक सत्र में पूरी न हो जाय।"

जहां तक प्रतिनिहित विधायन की बात है उसमें भी यह दिया हुआ है कि सदन के पटल पर इतने दिन में रख दिया जायेगा। यह 10 मार्च, 1985 को यहां रखा गया था। एक सत्र बीत गया, नयी विधान सभा आयी। इनको इसे पिछले सत्र में ही रख देना चाहिए था। एक सत्र बीत चुका है और दूसरे सत्र के अन्तिम दिनों में यह रखा जा रहा है। इसमें बन्धनकारक व्यवस्था दी हुई है। इसे अनुवर्ती सत्र में ही नियमावली के हिसाब से सदन की मेज पर रख दिया जाना चाहिये था। मेरा आरोप है कि यह सरकार संसदीय परम्पराओं को नष्ट कर रही है, नियमों का उल्लंघन कर रही है, विधान मण्डल के प्रदत्त अधिकारों में कटौती कर रही है। यदि इसे नहीं रखा गया था तो इसका कोई कारण स्पष्ट किया जाना चाहिये था, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया है। इस सम्बन्ध में आदरणीय सदन के अधिकारों की रक्षा के लिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

मान्यवर, सत्र और सत्रों दोनों का विवरण इसमें दिया हुआ है। गुप्ता जी ने जो कहा, तो उस समय नियमावली पर्याप्त मात्रा में छपी नहीं थी, नहीं तो उसी समय रखी जाती। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, तैयार नहीं थी, यह इन्होंने कैसे कह दिया ? यदि तैयार न हो पाती तो पिछली विधान सभा में कैसे इसे रखा था? क्या वह अपूर्ण थी ? यह बिलकुल गलत बात है।

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, छपी नहीं थी इसलिए यह आपको उपलब्ध नहीं हो पायी थी ।

उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति के केन्द्रीयित सेवा (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1984†

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, सहकारिता अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1636/12-सी-1-84-7 (10)-1976, दिनांक 8 जून, 1984 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1984 जो दिनांक 11 सितम्बर, 1984 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखने की

†छापी नहीं गई ।

निर्दिष्ट कालावधि अष्टम् विधान सभा का दिनांक 10 मार्च, 1985 को विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सहकारिता मंत्री जी, माननीय गुप्ता जी ने जो कहा है उस बात में बल है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 1982-83 (दशम् प्रतिवेदन)†

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1982-83 (दशम् प्रतिवेदन) को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के वर्ष 1978-79, 1979-80 एवं 1980-81 के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के वर्ष 1978-79, 1978-80 एवं 1980-81 के कार्य कलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1983-84 का प्रतिवेदन (सिविल)††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1983-84 का प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्त एवं विनियोग लेखे 1983-84†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त एवं विनियोग लेखे 1983-84 उत्तर प्रदेश सरकार की सदन के पटल पर रखता हूं।

कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की एकादश वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1981-82††

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की एकादश वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1981-82 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619(ए) की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकल्स (छत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1986†††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या

†छापे नहीं गये।

††छापा नहीं गया।

†††छापी नहीं गयी।

337-टी/तीस-4-14 पी0-84 दिनांक 28 जनवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेंहिकिल्स (छत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1986 को मोटर वेंहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन 1976-77†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 को ज्ञापन सहित संविधान के अनुच्छेद 323(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) विधेयक, 1986 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 मार्च, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 मार्च, 1986 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 19 मार्च, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 फरवरी, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 फरवरी, 1986 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 18 मार्च, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1986 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 मार्च, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 मार्च, 1986 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 19 मार्च, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित

†छापा नहीं गया।

करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86, का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 20 मार्च, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 21 मार्च, 1986 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 मार्च, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 मार्च, 1986 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 1986 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 मार्च, 1986 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 मार्च, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

श्री राज बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 31-3-1986 को थाना चौक, लखनऊ के मुकदमा संख्या 119/86 धारा 452/307 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत श्री राज बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा, को बन्दी बनाया गया। इस वक्त वह पुलिस हिरासत में बलरामपुर अस्पताल में हैं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1986) का प्रथम प्रतिवेदन††

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1985-86) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहांव में नलकूप निगम द्वारा 49 ट्यूबवेलों की श्रृंखला लगाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहांव में नलकूप निगम द्वारा 49 ट्यूबवेलों की

---

††छापा नहीं गया ।

†छापी नहीं गयी ।

श्रृंखला लगाने विषयक श्री गिरजा राय तथा श्री वशिष्ठ राय, निवासीगण जनपद बलिया, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बलिया के ब्लाक गड़वार में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बलिया के ब्लाक गड़वार में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने विषयक श्री गोरखनाथ सिंह निवासी जनपद बलिया, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद बलिया के गड़वार ब्लाक में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करके 40 शैय्यायुक्त करने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बलिया के गड़वार ब्लाक में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करके 40 शैय्यायुक्त करने विषयक श्री शिवाजी सिंह, निवासी जनपद बलिया, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

लखनऊ नगर के निवासियों की परेशानी दूर करने के विषय में याचिका†

श्री शतरुद्र प्रकाश–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से लखनऊ नगर के निवासियों की परेशानी को दूर किये जाने के विषय में लखनऊ निवासी श्री देवकी नन्दन मित्तल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मुजफ्फरनगर के श्री श्रवण कुमार को उत्तर प्रदेश निर्यात निगम में पुनः पूर्व पद पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्रीमती चारुशीला–

मान्यवर, मैं मुजफ्फरनगर के भूतपूर्व वायु सैनिक श्री श्रवण कुमार को अधिशासी उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कानपुर में पुनः पूर्व पद पर नियुक्त किये जाने विषयक श्री श्रवण कुमार, निवासी जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं। तथा अपनी पत्रावली जो कि पूर्ण स्पष्ट एवं वास्तविक है, को संलग्न करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध के साथ निम्न तथ्यों को आपकी जानकारी में प्रस्तुत कर रही हूं . . .

श्री अध्यक्ष–

दूसरी जरूरत नहीं है। आप खाली मद पढ़ दीजिये । (व्यवधान)

कानपुर से रायबरेली को जाने वाली बस से यात्रा के दौरान श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा को अचलगंज, उन्नाव के दरोगा श्री विश्राम दीन द्वारा अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

(श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या आपने सूचना दी है?

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह–

जी हां ।

मान्यवर, यह दूसरी घटना है। एक घटना पहले माननीय सदस्य डाक्टर रजनीकान्त जी के साथ बनारस में हुई थी।

†छापी नहीं गयी ।

पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की थी और उनको मारा-पीटा भी था। इसी तरह की घटना मेरे साथ 24/25 तारीख को अचलगंज थाना, जिला उन्नाव के अन्तर्गत हुई। मान्यवर, मैं बस नम्बर यू0 एच0 एच0 1397 में कानपुर से रायबरेली के लिये यात्रा कर रहा था। वहां से बस 11 बजे चली और कानपुर अचलगंज के मोड़ पर बस 11.30 पर पहुंची। पता चला कि चूंकि रास्ते में राहजनी होती है इसलिये वहां से पुलिस की कानवाई के साथ बस चलती है। दो बसें वहां पर पहले से ही खड़ी हुई थीं। होली की छुट्टी होने वाली थी इसलिये हर बस ओवर-लोडेड थी। एक बस में 100 से ज्यादा लोग यात्रा कर रहे थे। बस कानपुर से चलने से पहले उसकी सारी फार्मेलिटीज पूरी हो गई थीं। एक बस बाद में आई उसकी भी सारी फार्मेलिटीज पूरी हो गई थी। उसके बाद एक ट्रक आया उसकी भी फार्मेलिटीज पूरी हो गई थी। इस तरह से 45 मिनट बीत गये। हमारी बस कानपुर से बनारस के लिये थी। कोई प्रतापगढ़ के लिये थी तो कोई सुल्तानपुर के लिये थी। उनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी थे। लेकिन परेशानी उस समय उत्पन्न हुई जब (व्यवधान) कि सभी बसों में बैठे यात्रीगण एवं उनके साथ यात्रा कर रहे बच्चे कष्ट में रोने एवं चिल्लाने लगे।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में कहें।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह–

आप मेरी पूरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात संक्षेप में भी कही जा सकती है।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह–

मान्यवर, उसके बाद मैंने बस से नीचे उतर कर वहां पर उपस्थित होमगार्ड से बस आगे ले जाने के लिये कहा। इस पर वह बोला कि बिहार से जो कि वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जब तक फोर्स नहीं आयेगी तब तक बस आगे नहीं बढ़ सकती है। मैंने पूछा कि उनके अलावा वहां पर और कौन मौजूद है? तो उसने कहा कि दरोगा है। मैंने पूछा कि कहां है? तो उसने बताया कि वे सो रहे हैं। जब मैंने देखा कि वह कम्बल ओढ़कर सो रहे हैं तो मैंने उन्हें जगाया। इस पर वे उठते ही आग बबूला हो गया और मेरे ऊपर बरस पड़ा। मुझे लगा कि वह नशे की हालत में है और मैंने सोचा कि मुझे एक सामान्य जन समझकर वह मेरे ऊपर किसी प्रकार का प्रहार न कर दें। अतः तब मैंने अपना परिचय उसको दिया। मेरे अपना परिचय देने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि इस समय विधान सभा में बहुत से इस प्रकार के गुंडे, बदमाश, कत्ली लोग हैं जो किसी न किसी एक्ट में बन्द हैं। तो ऐसे लोग वहां आ गये हैं, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आप जैसे कितने ही लोगों को मैं देख चुका हूं और ठंडा कर चुका हूं। आगे बिना मेरे हुक्म के कोई बस नहीं जायेगी। उस दरोगा का नाम विश्राम सिंह है।

काफी वाद विवाद करने के बाद भी वहां कोई फोर्स नहीं आई काफी बक-झक उनके साथ हुई। इसी बीच में उन्होंने अपना रिवाल्वर भी मेरे ऊपर निकाल कर लगा दिया। इस पर वहां उपस्थित जनता उत्तेजित हो गयी और जब दरोगा ने यह देखा कि इससे मेरा नुकसान होगा तो वह ढीला पड़ गया।

काफी देर बाद यात्री चालक और परिचालक की सहमति के बाद पूरी बसों और ट्रकों के साथ बस को आगे बढ़ने की परमिशन दी और वह भी पीछे से एक बस में चढ़ गये और आटा बंथर अचलगंज थाने के पास दो गस्ती पुलिस और एक दरोगा को साथ बिठाल लिया और हमारी बस में चढ़ गये और वहां पर भी हमारे साथ गाली गलौज की और उसके 10 कि0मी0 बाद अचलगंज में 3 बसों और 4 ट्रक्स को रुकवाया और दरोगा ने फिर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और गाली दी और बस से जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ कर उतरने के लिये कहा और थाने चलने के लिये कहा। इस पर मुझे आशंका हुई कि हो सकता है मेरे साथ किसी तरह का और दुर्व्यवहार कर सकते हैं और किसी केस में फंसा सकते हैं। इसलिये मैंने बस से उतर कर थाना जाने से इन्कार कर दिया। इस पर वह नीचे उतरे और दो पुलिस कर्मचारियों को इशारा किया जो बस में चढ़े थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हमारे कपड़े फाड़ दिये (व्यवधान) जबरदस्ती मुझे बस से उतारने लगे। इस पर बस में यात्रा कर रहे सभी लोग उत्तेजित हो गये और मैं भी उत्तेजित हुआ। तो वे दोनों सिपाही बस से नीचे उतर कर बाहर से हमारी खिड़की से अपने राइफल के कुन्दे से मेरे ऊपर प्रहार कर दिया। संयोग से बस की खिड़की का शीशा बंद था। उसमें खिड़की में जो दो शीशे होते हैं उसमें से एक शीशा टूट गया और खिड़की के पास एक औरत जो अपने 10 महीने के बच्चे के साथ बैठी थी उसके बच्चे को चोट लगी तो वह रोने लगी। इससे जनता उत्तेजित हो गयी और सभी यात्रीगण, कन्डक्टर, ड्राइवर भी बस से उतर गये और थाने गये और कहा जब तक उच्च अधिकारी नहीं आयेंगे तब तक बस आगे नहीं जायेगी और उन्होंने वायरलेस से डीवाई0 एस0 पी0 को सूचना दी और कहा कि जब तक उच्च अधिकारी नहीं आयेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे।

जब डीवाई0 एस0 पी0 से बात हुई तो उससे दरोगा ने उक्त बस के ड्राइवर तथा कन्डक्टर को अलग बुलाकर कहा कि तुम को 100 रु0, 200 रु0 देते हैं इससे खिड़की का शीशा लगा लेना और इस मामले की रिपोर्ट आगे मत करना। उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि इसका खामयाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिये हम पैसा नहीं लेंगे और इसकी रिपोर्ट डिपो में करेंगे। इसके तुरन्त बाद डीवाई0 एस0 पी0 ने वायरलेस से कहा कि विधायक से उलझने की जरूरत नहीं है। इनको दो सिपाही दो और गाड़ी को आगे के लिये रवाना करो। तो उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद बस रवाना हुई। इस घटना की सूचना उन्नाव के एस0 पी0 को भी दी। तो मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ यह बहुत गम्भीर मामला है। उन्होंने मेरा अपमान किया है। मेरे कपड़े फाड़ दिये, राज्य सम्पत्ति की क्षति की तथा जब मैं घर पहुंचा और मैंने अपने कपड़े उतारे तो देखा कि एक सोने की जंजीर, 108 दाने की रुद्राक्ष की माला और स्फटिक के दानों की माला जो मेरे गले में थी वह उन्होंने छीन ली है। इसलिये निवेदन है कि इस मामले को देखा जाय और इस पर कार्यवाही की जाय ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय, अभी श्री सुरेन्द्र सिंह ने,

जो एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं और विधायक भी हैं, आपके सामने अपने साथ घटित घटना के बारे में जिक्र किया। जिसके संबंध में कहना चाहता हूं कि इस तरह की विधायकों के साथ रोज-रोज घटनाएं घटित हो रही हैं और यहां सदन में रोज आपके सामने उनका जिक्र किया जा रहा है लेकिन यह सरकार इतनी संवेदनशील नहीं रह गई है कि विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो तो यह सरकार सख्त कार्यवाही करती, जिससे इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होती ।

मान्यवर, हमारे तरफ के एक नहीं अनेक विधायकों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है जिसका नतीजा है कि सदन में चाहे उस पक्ष या इस पक्ष का कोई विधायक आज सुरक्षित नहीं हैं । मान्यवर, जैसा श्री सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि वह दरोगा शराब पिए था, नशे में था, इसलिए मेरा स्पष्ट आरोप है कि आज 80 प्रतिशत सिपाही और दरोगा थानों में और उसके बाहर शराब पीते हैं । यह घटना जो घटी है, आपसे अपेक्षा करूंगा सरकार से नहीं क्योंकि एक नहीं अनेक बार सरकार से कहा गया लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं किया, इसलिए आप स्पष्ट निर्देश दें कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्यवाही करके उस दरोगा को निलम्बित किया जाए और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मामला बहुत गम्भीर है और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले को जिस गम्भीरता से लिया जाना चाहिए, शायद सरकार इसे गम्भीरता के साथ लेना नहीं चाहती है । आपके सामने अनेक अवसरों पर माननीय विधायकों के साथ किए गए दुर्व्यवहारों की शिकायतें आई हैं, और कोई पक्ष बचा नहीं है, न विपक्ष और न सत्ता पक्ष बचा है । बार-बार यहां जब शिकायतें आती हैं तो मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं कि माननीय विधायकों के साथ कोई दुर्व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार करता है या करेगा तो उसे बख्शा नहीं जायेगा । बख्शा नहीं जायेगा, इसकी परिभाषा आज तक हम नहीं समझ पाए । बख्शा नहीं जायेगा, यह बार-बार घोषणा हो रही है और इसके बाद भी अपमानजनक व्यवहार हो रहे हैं । सदन जब उठ जायेगा तो और अनेक घटनाएं होंगी जिसकी चर्चा जब सदन बैठेगा तब हो पायेगी । लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि न केवल मुख्य मंत्री बल्कि समूची सरकार, दरोगा की हौंसियत से कम हौंसियत की सरकार रह गई है और ऐसा लगता है कि पूरी सरकार एक दरोगा के सामने अपने को असहाय महसूस कर रही है । वरना कोई कारण नहीं है कि किसी विधायक के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाए, सदन में चर्चा की जाए और मुख्य मंत्री घोषणा करें कि दुर्व्यवहार नहीं करने दिया जायेगा और फिर भी दरोगा दुर्व्यवहार कर जाए, तो फिर ऐसा दरोगा रहना चाहिए या फिर सरकार को रहना चाहिए दोनों में से एक को ही रहना चाहिए । इसलिए मान्यवर, यह इतिहास कब तक दोहराया जाता रहेगा ?

आज समय आ गया है, मान्यवर, आपके माध्यम हम चाहते हैं कि जो श्री सुरेन्द्र सिंह के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और जो शिकायत किया है, उनका कहना है कि उनकी सोने की चैन गई है, दरोगा शराब पिए था, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए । मान्यवर, आज जांच करा ली जाए तो पुलिस

में नीचे से ऊपर तक 90 प्रतिशत लोग शराबखोरी कर रहे हैं, 80 प्रतिशत की बात तो मैंने कम कही थी । यह घटनाएं रोकी जानी चाहिए अन्यथा किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं रहेगी । आज जब विधायकों के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है तो कल्पना की जा सकती है कि सामान्य जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा यह बैरोमीटर है, आज की सरकार के कामों का और आज की कानून व्यवस्था का । मैं मांग करता हूं कि जिस दरोगा के खिलाफ माननीय सुरेन्द्र सिंह जी ने गम्भीर आरोप लगाए हैं, उसको तत्काल निलम्बित किया जाना चाहिए और लिखित में आप द्वारा एक कोड आफ कन्डक्ट की सूचनाएं भेजी जानी चाहिए कि इस प्रकार से कोई भी अधिकारी ऐसा अपमानजनक दुर्व्यवहार न करने पाए । मैं जानता हूं कि शायद उत्तर देने के लिए भी गृह राज्य मंत्री सुरेन्द्र सिंह जी ही खड़े होंगे । एक सुरेन्द्र सिंह जी का अपमान हुआ है, मैं आशा करता हूं कि दूसरे सुरेन्द्र सिंह जी, पहले सुरेन्द्र सिंह जी की इज्जत का भी ख्याल रखेंगे। यह सदस्यों के सम्मान का प्रश्न है, इसमें वह कोई लीपापोती नहीं करेंगे । आप यदि इस प्रकार के गम्भीर मामलों में एक-दो में भी कार्यवाही कर पाए तो आपका काम अवश्य हलका हो जायेगा और नित्य प्रति होने वाली इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुक जाएगी । यह लांछन तो आप पर भी आता है, आप कब तक दोषी पुलिस कर्मियों की रक्षा करते रहेंगे ? अतः आज आप इसी सदन में यह घोषणा करें कि दुर्व्यवहार करने वाले उस दरोगा के खिलाफ सस्पेंड करके सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

*श्री राम सरन–

जो घटना सुरेन्द्र सिंह जी के साथ घटी है, यह तो रोजाना का मामला बनता जा रहा है प्रदेश के अन्दर । आज इस तरह प्रदेश के अन्दर विधायकों की तौहीन हो रही है, जैसा इसके पूर्व किसी भी सरकार के समय में उनके साथ नहीं हुआ है । अभी कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने पुलिस वालों में 80 प्रतिशत और कल्यान सिंह जी ने 90 प्रतिशत नशाखोरी की बात कही है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 80, 90 नहीं, 99 फीसदी शराबखोरी पुलिस के आदमियों में है । केवल एक फीसदी ही पुलिस में ऐसे लोग बचे हैं, जो शराब नहीं पीते हैं। वह जब चोरी-चोरी डाक बंगले में मंत्री जी के यहां शराब लाकर देते हैं, तो वह स्वयं क्यों नहीं पियेंगे ? वह क्यों नहीं विधायकों का इस तरह अपमान करेंगे ? ऐसी स्थिति में इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए । माननीय सुरेन्द्र सिंह जी एक मामूली आदमी नहीं हैं, वह एक मिनिस्टर को हराकर यहां आए हैं और इस बार यह सुरेन्द्र सिंह जी एक सेन्ट्रल मिनिस्टर को हराने जा रहे हैं। आप उनकी बेइज्जती करायेंगे। जिस किसी भी पुलिस कर्मी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, आप इस सरकार को निर्देश दें कि वह तुरन्त उसको सस्पेण्ड करें और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपकी कृपा हो गई । अध्यक्ष महोदय, अब यह परम्परा हो गई है हम लोगों का यह कहना कि विधायकों की पिटाई हो रही है, अपमानित हो रहे हैं और बेइज्जत हो रहे हैं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार उसे बहुत हल्के-फुल्के तरीके से ले रही है । जब विधान मण्डल कार्य-पालिका पर अंकुश लगाता है, सबसे बड़ी बात यह है कि विधान मंडल का काम है कि वह कार्यपालिका पर अंकुश लगाए, किन्तु आज कार्यपालिका धीरे-धीरे विधायिका पर ही अंकुश लगा रही है । आज स्थिति यह बनती चली जा रही है कि अब किसी पुलिसकर्मी या दरोगा या एस0 एस0 पी0 के खिलाफ कोई शिकायत करने की विधायक में हिम्मत नहीं होगी । आप देख रहे होंगे कि बड़ी जिम्मेदार सरकार बड़ी बेशर्मी से इस मसले पर अभी मुस्करा रही थी । जब दरोगा ने यहां तक कह दिया है कि इस विधान सभा में बहुत गुण्डे आ गए हैं, तो कौन बच गया है ? मान्यवर, आप बुरा न मानें, आप भी नहीं बचे हैं । ऐसे मामलों में यदि किसी भी अधिकारी को सजा दे दी गई होती तो यह पुनरावृत्ति न होती । जो मा0 कल्यान सिंह जी ने कहा है आप उसे निलम्बित कर, बर्खास्तगी की कार्यवाही करा दें तो किसी की हिम्मत विधायकों को अपमानित करने की नहीं पड़ेगी । मान्यवर यह सरकार आज भी कार्यवाही नहीं करेगी और अगर आप भी अंकुश नहीं लगायेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

अफसोस की बात है, कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं । माननीय गया प्रसाद वर्मा जी को डी0 एम0 इटावा ने अपमानित किया । उसने लेटर भी रिसीव किया और आज तक कार्यवाही नहीं हुई है । जांच कराने की उसमें क्या आवश्यकता पड़ गई है ? आप अगर कड़ा रुख नहीं अपनायेंगे तो विधायकों का सम्मान नहीं बच सकेगा। मान्यवर, कांग्रेस के विधायक [xxx] पिट-पिट कर आते हैं तो हम लोगों को कहना पड़ता है । जब उनकी यह सरकार नहीं बचा पाती है तो हमें क्या बचाएगी। ट्रेन में जाकर [xxx] विधायक पिटे हैं उनका मुंह बन्द कर दिया गया । उनको डर है कि कहीं टिकट न कट जाय । मंत्री बनने का लालच है, स्टेट मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर बनने का लालच है, तमाम लालच हैं, लालचवश सही बात नहीं कहते हैं । तो मेरी प्रार्थना है कि यदि इस पर आपका कड़ा रुख नहीं होगा तो विधायकों का सम्मान बचने वाला नहीं है । आप इस पर कड़ा रुख अपनाएं यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए मैं यह सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस मामले में पूरी जांच की जाय और जो भी इसमें मुलजिम हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जहां तक विशेषाधिकार की नोटिस है, उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, इससे काम नहीं चलेगा ।

(शोर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(कई सदस्यों द्वारा शोर मचाने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप सब इसी तरह से बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा ? आप बैठिए ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए । इससे काम नहीं चलेगा ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हरिशंकर तिवारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण देने तथा कार्यवाही से कुछ अंशों को निकाले जाने के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर बोलने का प्रयास

(श्री हरिशंकर तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आपने दो चीजें इसमें उठायी हैं । एक तो आप स्पष्टीकरण चाहते हैं दूसरी तरफ आप यह चाहते हैं जो लिखा गया है वह निकाल दिया जाय तो यह दोनों चीजें नहीं हो सकतीं। मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, दोनों चीजें अलग-अलग दी गयी हैं। आप सुन लें।

***श्री शतरुद्र प्रकाश–**

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, 18 मार्च को हम लोगों ने एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी, माननीय गया प्रसाद वर्मा जी के बारे में तो उसमें निर्णय सुरक्षित रख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और जवाब तलब किया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि नियम 63 को देख लें और उसी के साथ-साथ नियम 64, 65, 66 में जो प्रक्रिया है, उसको भी देख लें। मैं समझता हूं कि जब विशेषाधिकार की सूचना लायी जाती है और सदन में विचार विमर्श किया जाता है तो उसके बाद शासन से अपेक्षा आप कर लेते हैं लेकिन नियमावली के अंतर्गत कोई निर्णय अभी उस पर नहीं हुआ है। मान लीजिये माननीय सुरेन्द्र बहादुर सिंह जी ने एक विशेषाधिकार की सूचना दी तो शासन क्या करेगा? आप जांच के लिये कहते हैं आप नियमावली के अंतर्गत कोई व्यवस्था दें, या तो विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दें या सदन की एक कमेटी बना दें। जब तक आप ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक अपेक्षाओं का भंडार लगाने से काम नहीं चलेगा। आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें। इस मामले में जिलाधिकारी ने चिट्ठी रिसीव की है। इस मामले में तथ्य सामने आ गये हैं, आप इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दें। यदि आप यह नहीं करते हैं तो विशेषाधिकार समिति के पास कोई काम ही नहीं रह जायेगा। इस कमेटी में मामले नहीं जायेंगे तो कमेटी आगे कैसे काम करेगी?

श्री अध्यक्ष–

आपने नियमावली का हवाला दिया है, उसके अन्तर्गत अगर कोई प्रक्रिया जारी होती है, हम पर आप आरोप लगाये, जब तक की हमारा जवाब न आये, एक तरफा फैसला सम्भव नहीं है। यह निश्चित है कि जवाब न आया और मालूम हुआ कि दोषी है तो कोई बख्शा नहीं जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपने जो व्यवस्था दी है, वह शिरोधार्य है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आपसे माफी मांगते हुये कि जब गया प्रसाद जी और शतरुद्र प्रकाश जी ने सवाल उठाया कि कलेक्टर ने पत्र प्राप्त कर लिया है तो केवल इतना जानना था कि कलेक्टर ने पत्र प्राप्त किया या नहीं? इसको हाट लाइन से कभी भी जाना जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता था। आज 18 तारीख से पहली अप्रैल हो गई। कैसे न्याय मिल सकता है? आप कड़ा रुख कीजिये, आपके अलावा हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सरकार क्या जांच करा रही है? इसको तो विशेषाधिकार समिति का देना चाहिये था।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

मैं आपकी अनुमति से कुछ शब्द कहना चाहूंगा। इस सदन का जो सत्र बैठा है, इसमें शायद काफी माननीय सदस्यों के पुलिस के अपमान के केसेज सदन में लाये गये हैं। कल सदन उठ जायेगा, जैसा कार्यक्रम है जैसा हम सोच रहे हैं। अन्तिम क्षणों में सुरेन्द्र सिंह ने अपनी व्यथा सुनाई और 5–6 बसों के लोगों की बात कही। आपने भी कहा कि सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुये ऐसा कर दिया जाय। हम माननीय सदस्यों के साथ खुलेआम इस प्रदेश की पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, उसको कैसे रोका जाय? हम कोई ऐसा एक्ट कर रहे हों, किसी कानून का उल्लंघन करते हों, क्रिमिनल एक्ट कर रहे हों तो पुलिस को पूर्ण अधिकार है कि वह हमारा चालान करे। लेकिन बगैर किसी बात के पुलिस यह जानते हुये कि हम विधायक हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार करें, हमारा अपमान करें तो जैसा तिवारी जी ने कहा और विपक्ष के नेता ने कहा हमारा अपमान हो रहा है, हम असहाय हैं, डेढ़ लाख का प्रतिनिधित्व करना हमारे लिये अपमानजनक है, इस्तीफा देकर हमको घर चला जाना चाहिये। हम अपेक्षा करते थे कि आपकी पीठ से सख्त आदेश होंगे। लेकिन अंतिम क्षणों में हल्की बात कह कर आपने टाल दिया, गुस्ताखी के लिये माफी चाहूंगा, अगर कोई ऐसे शब्द निकल गये हों। माननीय सदस्य के दुर्व्यवहार की बात कब शासन के संज्ञान में आयी, सरकार बैठी है, गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं, वह बताते की ऐसा कर रहे हैं। हम आशा कर रहे थे कि कुछ सख्त एक्शन होगा, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं बताया। आपने कहा कि सरकार देखेगी, जांच कर लिया जाय। मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जायेगा, वही आपकी पीठ से आ गया। लेकिन इसकी कोई परिभाषा नहीं हो पायी। श्रीमन् हर एक विधायक के सम्मान का प्रश्न है, आपकी पीठ से सख्त आदेश होने चाहिये। मुख्यमंत्री जी आ गये हैं, उनसे कुछ कहलवा दें तो क्या हर्ज है?

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

माननीय, यह मा0 नेता, विरोधी दल और सभी नेताओं ने और मा0 सदस्यों ने सवाल उठाया कि श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह के साथ दरोगा ने अच्छा व्यवहार नहीं किया...

श्री मुलायम सिंह यादव–

पिटाई की।

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय, मैं एक बार नहीं, कई बार कह चुका हूं कि ऐसे अफसर जो ऐसा व्यवहार करते हैं, या अधिकारी जो ऐसा व्यवहार करते हैं, या अधिकारी काफी गलत काम करते हैं और सरकार की छवि को धूमिल करते हैं। माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज की जांच

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सी0 आई0 डी0 से करवा रहा हूं और उसके बाद जैसा होगा, कार्यवाही की जायगी।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, नियमावली के नियम 291-क में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी सदस्य सदन में उपस्थित हो और उसके खिलाफ आरोप लगाया जाय तो उसे स्पष्टीकरण देने का हक होता है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने सी0आई0 डी0 की जांच के आदेश कर दिये, हम लोगों को मंजूर है, लेकिन उसको निलंबित करके जांच कराएं। यह हम लोगों की मांग है।

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी, अब आप बैठें, आपने जो चीज चाही हो गयी।

दिनांक 10 मार्च, 1986 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 1 के सन्दर्भ में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में

ज्ञापन वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, दिनांक 10 मार्च, 1986 को श्रीमती शशि शर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था "क्या परिवहन निगम ने कोई प्रस्ताव इस आशय का शासन को भेजा है, जिसमें उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि किराया बढ़ाया जाय। यदि हां, तो वह क्या है और इस पर शासन का क्या दृष्टिकोण है?"

2–उस समय सदन में उत्तर दिया था कि–"मान्यवर, निगम से इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है।"

3–उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है:–

"मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा 9 जनवरी, 1986 को शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया था कि परिवहन निगम की साधारण बसों के किराये की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाय। किन्तु जैसा कि पहले उत्तर दिया गया है कि फिलहाल शासन द्वारा किराया वृद्धि का कोई विचार नहीं है।"

4–मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिए नत्थी (ज) आगे पृष्ठ 181 पर)।

श्री हरिशंकर तिवारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण देने तथा कार्यवाही से कुछ अंशों को निकाले जाने के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर बोलने का प्रयास (क्रमागत)

(श्री हरिशंकर तिवारी के पुनः खड़े होने पर)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, आज अंतिम दिन आपने जो रूप दिखाया कि सिर नीचा कर लिया और मंत्री जी को बांचने के लिये इशारा कर दिया। आप मा0 सदस्यों की बात सुन लीजिये और निर्णय दे दीजिये। अभी आपने तिवारी जी से कहा कि दो मांगें कर दी हैं इसलिये अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्टीकरण और निकालने की बात की है। तो आप जो उचित समझें स्पष्टीकरण या निकालने में, वैसा करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप तिवारी जी के साथ मेरे कमरे में आ जाइये, बात हो जायेगी।

श्री मयंकर सिंह की गिरफ्तारी की सूचना सदन को दिये जाने की मांग

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान मद संख्या 18 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं (इस समय 2 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए) इसमें सदस्यों की गिरफ्तारी और निरोध की सूचनाएं हैं। मान्यवर, आज मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के रूप में सूचना में बताया कि मयंकर सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की सूचना आपके पास थी या नहीं? आपको वह सूचना दी गयी है या नहीं?

श्री अधिष्ठाता–

सूचना आ गयी है, बुलेटिन जारी हो गया है।

चिकित्सा विभाग के अनुदानों पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों के जूनियर डाक्टर्स के वेतन वृद्धि की, की गयी घोषणा के संबंध में, शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

26 फरवरी, 1986 को स्वास्थ्य विभाग का बजट सदन में प्रस्तुत किया गया था। उस समय घोषणाओं में कुछ अशुद्धि रह गयी थी, जिसे अब संशोधित करने का अनुरोध कर रहा हूं। हाउस आफिसर सीनियर रेजीडेंट, जूनियर रेजीडेंट आर0एम0ओ0 आदि की मासिक परिलब्धियों में वृद्धि की घोषणा प्रतिशत में हो गयी थी, वह भूल थी। अनुरोध है कि उक्त बजट भाषण के अंश "आज एलोपैथी में इन्टर्न्स को 500 रुपया दिया जाता है। शासन का यह निर्णय हुआ है कि इनको 625 रुपया दिया जायेगा।" के बाद कृपया निम्न वाक्य सम्मिलित कर लिये जायें–

"...हाउस आफिसर, सीनियर रेजीडेंट, जूनियर रेजीडेंट, आर0एम0ओ0, आर0एस0ओ0, डिमान्सट्रेर तथा ट्यूटर की कुल मासिक परिलब्धियों में 100 रुपया प्रतिमाह को वृद्धि का निर्णय लिया गया है। छात्रवृत्ति धारकों को भी 100 रुपया प्रतिमाह की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार चीफ रेजीडेंट पद धारकों की कुल परिलब्धियों में भी 35 रुपया प्रतिमाह की वृद्धि का निर्णय लिया गया है।"

आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक के इन्टर्न्स के बारे में जो घोषणायें हैं, वह यथावत् रहेंगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना किये जाने की मांग के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

[राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 1976 में यह निर्णय लिया गया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिये मेरठ में गठित की जाय। इस निर्णय के संदर्भ में भारत सरकार से आवश्यक अधिनियम बनाने के लिये अनुरोध किया गया। मार्च, 1978 में तत्कालीन मंत्रि परिषद् के उक्त निर्णय में यह संशोधन किया कि प्रस्तावित बेंच के स्थान के विषय में बाद

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में निर्णय लिया जाय। मई, 1979 में इस निर्णय पर पुनः विचार करते हुये यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित बेंच के क्षेत्राधिकार में मेरठ और गढ़वाल मण्डलों के सभी जिले तथा मुरादाबाद और रामपुर जिले रखे जायें और बेंच के स्थान का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाय। 13 मार्च, 1981 को तत्कालीन मंत्रि परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खण्डपीठ 25 जिलों के लिये स्थापित हो और स्थान का निर्णय भारत सरकार पर छोड़ दिया जाय।

2—भारत सरकार ने अपने संकल्प दिनांक 4 सितम्बर, 1981 द्वारा 3 सदस्यीय जसवन्त सिंह आयोग का गठन किया और आयोग के विचारार्थ 2 विषय सन्दर्भित किये कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में इस प्रश्न पर विचार करके संस्तुति की जाये कि क्या प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिये उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना की जाय और इस खण्डपीठ का क्या कार्यक्षेत्र और स्थान हो।

3—तत्पश्चात् कुछ अन्य प्रदेशों गोहाटी कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मद्रास से प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में भारत सरकार ने आयोग के कार्यकाल में अपने संकल्प संख्या 46/2/81 न्याय, दिनांक 14 दिसम्बर, 1983 द्वारा 17 दिसम्बर, 1984 तक वृद्धि कर दी तथा आयोग के कार्यक्षेत्र में विस्तार करते हुये आयोग से यह अपेक्षा की कि वह उच्च न्यायालय के मूल स्थानों से इतर स्थानों पर उनकी बेन्चों की स्थापना करने के सामान्य प्रश्न के सभी पहलुओं को भी जांच करें और रिपोर्ट दें और इस सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मानदण्डों तथा विशेषकर पूर्वोक्त उच्च न्यायालयों की स्थायी बेंन्चों की स्थापना की मांगों की जांच करें और रिपोर्ट दें।

4—आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 30 अप्रैल, 1985 को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। आयोग की रिपोर्ट की प्रति उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

5—इस प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना के बारे में राज्य सरकार द्वारा अपनी संस्तुतियां भारत सरकार को भेजी जा चुकी हैं, और इस मामले में अब अन्तिम निर्णय लेने तथा विधायन बनाने सम्बन्धी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा ही की जानी है। भारत सरकार से इस बारे में निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।]

(समय 2 बजकर 20 मिनट पर)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में यह बताया है कि मई, 1979 में इस निर्णय पर पुनः विचार करते हुये यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित बेंच के क्षेत्राधिकार में मेरठ और गढ़वाल मंडलों के सभी जिले तथा मुरादाबाद और रामपुर जिले रखे जायं। मान्यवर, इसकी स्थापना के सम्बन्ध में पूरा बरेली मण्डल और मुरादाबाद एवं बिजनौर जिला आंदोलनरत है। वहां के जन प्रतिनिधियों और जनता की इस बाबत मांग है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण था कि ऐसा उ0प्र0 शासन ने उचित नहीं समझा कि बरेली मण्डल को बिजनौर को उसमें प्रस्तावित नहीं किया, जसवंत सिंह आयोग के सामने और भारत सरकार के सामने? क्या इनकी भी अनुशंसा करने की कृपा करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, वक्तव्य में ही यह बताया गया है कि 13 मार्च, 1981 को तत्का-

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लीन मंत्रि-परिषद् ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित खंडपीठ 25 जिलों के लिये स्थापित हो। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसमें उन जिलों को ले लिया गया है।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, वक्तव्य में यह बताया गया है कि यह केन्द्र सरकार का विषय है, जैसे ही वहां से निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अनुसार कार्यवाही होगी। मान्यवर, जबसे यह सत्र शुरू हुआ है लगभग उसी दिन से यहां पर 4 बार यह मसला उठ चुका है। पश्चिमी उ0 प्र0 में इस मामले को लेकर लाठी चार्ज भी हुआ, आन्दोलन हुआ। अब तो वहां पश्चिमी उ0प्र0 की अलग से स्थापना की मांग की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

आप प्रश्न करें।

श्री किरनपाल सिंह–

इन दो महीनों के अन्दर क्या केन्द्र सरकार से कोई जानकारी करना आवश्यक समझा गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, 1976, 1978, 1979, 1981 उ0प्र0 सरकार 4 बार यहां से लिखकर भारत सरकार को भेज चुकी है।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह मेरा प्रश्न नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

अभी मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब के दौरान न खड़े हों।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, उ0प्र0 ने 4 बार विभिन्न समयों पर भारत सरकार को लिखा और मामला एक कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया। 30 अप्रैल, 1985 को अपनी रिपोर्ट उस कमीशन ने भारत सरकार को दे दी। अन्तिम निर्णय चूंकि इसमें भारत सरकार को लेना है, विधायी कार्य भारत सरकार को करना है, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं जो आपने पूछा है, यह जैसे ही निर्देश भारत सरकार के इस सम्बन्ध में प्राप्त होंगे, प्रदेश सरकार उसका पालन करेगी।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, इस मुद्दे को जो इससे पहले चार बार उठाया जा चुका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में एक खण्ड पीठ की स्थापना कर दें तो इस पर आप यह कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार इस पर गौर कर रही है मैं अपनी संस्तुति भेज चुका हूं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछले दो माह में केन्द्र सरकार ने आपकी संस्तुति पर क्या निर्णय लिया? इसकी गम्भीरता को देखते हुए क्या उसने स्थापित करना चाहा है, या नहीं? यह जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शासन के संज्ञान में यह बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से आज आंदोलित है और वहां की आम जनता पूरी तरह से जन-आक्रोश में है, पूरी तरह से उद्वेलित है और जहां तक मैं समझता हूं कि मा0 मंत्री जी को यह भी मालूम है कि प्रदेश की कानून और व्यवस्था का सीधा सम्बन्ध राज्य सरकार से होता है, न कि केन्द्र सरकार से। इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वहां के प्रदेश की आम जनता की उद्वेलित भावना, वकीलों का अदालतों से बहिष्कार तथा जन-आंदोलन की गम्भीरता को देखते हुए और कांग्रेस आई0 के भी तमाम मेम्बरों ने इस सम्बन्ध में लिखकर

भेजा है तो इन सबको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी ने दुबारा कोई अपनी संस्तुति भारत सरकार को भेजी है अथवा कोई रिमाइन्डर आपकी ओर से इस सम्बन्ध में इधर गये हैं या नहीं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

भेजी जा चुकी है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सदन में यह मामला पहले भी चार बार उठ चुका है, जिस पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने अपने जवाब में कहा था कि इस मामले पर जसवंत सिंह आयोग बना है, और मान्यवर, इस आयोग ने भी अपनी यही संस्तुति दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं पर एक खण्ड-पीठ की स्थापना कर दी जाए। तो इस आयोग की समीक्षा के अनुसार आपने भी भारत सरकार को अपनी संतुति कर दी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही न होने के कारण वहां की जनता भी आक्रोश में है, समस्त वकीलों और वादकारियों ने हड़ताल कर दी, तो मान्यवर वहां की जो स्थिति है कानून और व्यवस्था की, वह आपके सामने है। कैसी गम्भीर स्थिति वहां पर है, इन सबको देखते हुए क्या आप यह नहीं चाहते हैं वहां की कानून और व्यवस्था खराब न हो, वादकारियों का नुकसान न हो? तो क्या इसके लिए आपने केन्द्र सरकार से कोई पहल की है और क्या माननीय मंत्री जी वहां पर आप शीघ्र ही खण्डपीठ की स्थापना करा देंगे?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम सरन जी, आप लोग शांत रहिए, मैंने इन्हें मौका दे दिया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

(शोर के मध्य) मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो पहले भी मुद्दे उठे, तो उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर खण्डपीठ की स्थापना करा दी जायेगी। यह आश्वासन आपने दिया है, वहां के जन-आक्रोश को देखते हुए कानून और व्यवस्था को देखते हुए। तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से सीधे रूप में यह जानना चाहता हूं कि इस खंड पीठ की स्थापना कब तक करा देंगे?

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, भारत सरकार इस संबंध में पूर्ण रूप से जागरूक है। दिल्ली में ही वकीलों द्वारा प्रदर्शन भी हुआ था।

श्री राम सरन–

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों को आप सुन चुके हैं। 4 बार यह मामला उठाया गया। 3बार तो मैं स्वयं इस मामले को उठा चुका हूं। जो बयान इन्होंने दिया है, शायद उसे आपने पढ़ा नहीं है। इसमें कहा गया है 1976 में मेरठ में स्थापित करने का निर्णय लिया गया, 1978 में इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जाय, 1981 में मंत्रि परिषद् ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित खण्डपीठ 25 जिलों में स्थापित हो। इस प्रकार की इनकी यह प्रक्रिया व कार्यकलाप रहा है। इसके बाद इन्होंने 3 सदस्यों की एक जसवन्त सिंह आयोग का गठन कर दिया। उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों की भावनाओं से आप अवगत हो चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम वकीलों और लोगों की भावनाओं से आप परिचित हो चुके हैं फिर भी यह कहते हैं कि केन्द्र सरकार का मामला है। आग लग रही है

यहां, और मामला छोड़ा जा रहा है केन्द्र सरकार के ऊपर । तमाम लोग मर जायेंगे और आप लोग उसके बाद अपने घर बैठ जाओगे । मेरा कहना यह है कि इस मामले को आप कब तक सुलझाओगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के लिये समय बताना मुश्किल है क्योंकि विधायी कार्य भारत सरकार को करने हैं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय किया, जिसमें उसने देश के प्रधान मंत्री के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, उसके बाद आपात काल लगाई गई । 1976 में जब कांग्रेस शासन में थी तो राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया । इलाहाबाद की जनता के साथ प्रतिशोध लेने के लिए इलाहाबाद की खण्डपीठ को तोड़कर इसके खण्ड-पीठ की स्थापना की जायेगी । 14 दिसम्बर, 1983 को जब न्यायालय की बेंच ने अपने यहां उच्च न्यायालय को खण्डित करके अन्य खण्ड पीठों की बात कही तो जसवन्त सिंह आयोग के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया और उससे कहा गया कि उच्च न्यायालय के मूल स्थानों से इतर स्थानों पर उनकी बेन्चों की स्थापना करने के सामान्य प्रश्न के सभी पहलुओं को भी जांच करें और रिपोर्ट दें और इस संबंध में अपनाये जाने वाले व्यापक सिद्धान्तों और मानदण्डों तथा विशेषकर पूर्वोक्त उच्च न्यायालयों की स्थायी बेन्चों की स्थापना की मांग की जांच की जाय और उसकी रिपोर्ट पेश की जाय । 30 अप्रैल, 1985 को जसवन्त सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी लेकिन वह रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई और न ही सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा ही की गई । श्री अशोक सेन विधि मंत्री, भारत सरकार संसद में बयान दे रहे हैं और श्री चौहान जी यहां पर बयान दे रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक और एम0 पी0 बैठकर स्थानों के बारे में निर्णय करेंगे। रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है । आप स्पष्टीकरण मांगें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

अभी रिपोर्ट ही प्रकाशित नहीं हुई है तो फिर यहां पर कैसे कहा जा रहा है कि मूल स्थानों के बारे में निर्णय

(घोर व्यवधान)

करेंगे ? बिना रिपोर्ट प्रकाशित हुए कैसे बयान दे रहें हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एम0 एल0 ए0 और एम0 पी0 बैठकर इस पर विचार-विमर्श करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

यह वक्तव्य से बाहर की चीज है। आप बैठें ।

श्री किरन पाल सिंह–

यह जानते हुए भी कि माननीय मंत्री जी साफ जवाब नहीं दे पायेंगे प्रश्न करूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी केन्द्र सरकार को लिखेंगे कि जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही, जैसे अन्य राज्यों में तमिलनाडु में, मदुराई में हाई कोर्ट की बेंच खुल चुकी है, उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार क्यों नहीं खोल पा रही है ? क्या इस तरह की

जानकारी केन्द्र सरकार से करेगे और सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इसकी जानकारी करेंगे ।

श्री सरदार सिंह–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कब बातचीत की ? प्रदेश सरकार ने क्या लिखा और केन्द्र सरकार ने क्या जवाब दिया?

श्री अधिष्ठाता–

यह वक्तव्य में आ गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गप्त–

वक्तव्य की जो अन्तिम लाइनें हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जानना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह ऐसा महत्वपूर्ण मसला है, जिस पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग मांग कर रहे हैं और उनकी मांग सही भी है । दूसरी ओर इलाहाबाद के लोग ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं, जिसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह आवश्यक नहीं है कि इस मामले को जल्द निस्तारित करके यह सरकार अपनी नीति के अनुरूप आचरण करे? क्या केन्द्र सरकार को इन सब परिस्थितियों से अवगत कराते हुए कोई ऐसा पत्राचार किया गया है कि तत्काल निर्णय लिया जाए ? यदि किया गया है तो रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं किया गया है, तो क्या केन्द्र सरकार के अधिकारियों से विचार-विमर्श करके इसे तत्काल निस्तारित करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

भारत सरकार के संज्ञान में सभी परिस्थितियां हैं, वह अपने विवेक से निर्णय लेगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

इस ओर ध्यान दिलाते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और जस्वन्त सिंह आयोग, सभी ने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ होनी चाहिये । अभी माननीय अशोक सेन जी विधि मंत्री ने यह बताया कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को यह लिखा है कि बतायें कि किस स्थान पर बनायी जाय । स्थान का बहाना लेकर इस मामले को बार-बार टाला जाता है जबकि वहां के वकीलों ने एकजुट होकर कह दिया है कि जहां भी सरकार उचित समझे वहां पर बेन्च बना दी जाय । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्हें केन्द्र सरकार से कोई ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है कि बेंच की स्थापना कहां की जाय ? यदि नहीं हुआ है, तो क्या मंत्री जी अविलम्ब भारत सरकार को इस बारे में अपनी संस्तुति भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मार्च, 1985 में 25 जिलों के लिये संस्तुति की गयी थी और निर्णय भारत सरकार पर छोड़ दिया गया था । जहां तक पत्र प्राप्त होने का सवाल है तो इस तरह का कोई पत्र भारत सरकार का नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन–

मेरा निवेदन यह है मान्यवर, कि यह बात उत्तर प्रदेश के लोगों की नहीं है । उत्तर प्रदेश के लोगों की यह मांग नहीं है । इस तरह की मांग

गोहाटी, आसाम, कर्नाटक, मध्य-प्रदेश और मद्रास की थी जैसा कि इन्होंने अपने बयान में भी कहा है । कुछ लोगों ने यहां भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की । हमारे यहां वकीलों का आन्दोलन नहीं है, वकील तो साथ हैं । वकील तो चाहते हैं कि हम दूर न जायं इलाहाबाद में वकीलों का मामला है । तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आप इस पर तुरन्त निर्णय लें, यहां वकीलों का आन्दोलन नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, इस हाउस में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना को ले करके मतभेद है । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि हाईकोर्ट की गरिमा को बरकरार रखने के लिये क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उसकी कोई दूसरी खण्ड-पीठ स्थापित न की जाय ? इस पर हम सरकार का विचार जानना चाहते हैं ।

श्री राम सरन–

आप उत्तर प्रदेश को बंटवा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें उत्तेजना की कोई बात नहीं है । एक स्पष्टीकरण आया है और इस स्पष्टी-करण के अंतर्गत ही आप लोग प्रश्न करेंगे।

(मैनेजर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम सरन–

आप उत्तर प्रदेश को बंटवा दीजिये। हमें क्या है ? हमें तो हाईकोर्ट मिल ही जायेगा ।

(व्यवधान के मध्य)

आप प्रदेश को अलग कर दो तो हमारा हाई कोर्ट अलग बन जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, आप हमारे प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दीजिये ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश की एकता और अखंडता को देखते हुये क्या सर-कार अपनी संस्तुति पर पुनः विचार करेगी कि हाई कोर्ट के अलग बेंच बन जाने से जगह-जगह पर क्षेत्रीयता की भावना भड़केगी, इसलिये अपनी संस्तुतियों पर दुबारा विचार करेगी कि हाई कोर्ट की अलग बेंच न बनायी जाये ?

(घोर व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

कोई क्षेत्रीयता नहीं बढ़ेगी.....

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

सरकार अगर चाहती है तो इस प्रदेश का बंटवारा कर दे ।

(व्यवधान के मध्य)

इस तरह से नहीं चलेगा । [ ]

श्री अधिष्ठाता–

यह नहीं लिखा जायेगा । माननीय किरन पाल सिंह जी आप बैठें । मान-नीय नेता विरोधी दल, आप इन लोगों को बैठायें ।

(अनवरत व्यवधान)

नोट :–[ ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हरदेव–

बाजार गरम है, माननीय सदस्यों का ।

श्री किरन पाल सिंह–

अभी समय है नहीं तो पछताना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

यह विवाद का प्रश्न नहीं है । अब मैं इसके आगे किसी को इजाजत नहीं दूंगा । माननीय कौशल जी आप एक स्पष्टीकरण केवल कर लें ।

(व्यवधान के मध्य)

मैं कह रहा हूं कि आप लोग बैठ जायें । राना जी आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

अधिष्ठाता महोदय, यह जो मामला है, पूरा का पूरा मेरा आरोप है कि यह सरकार की साजिश है । यदि पूर्व और पश्चिम का सवाल उठाना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सरकार लड़वाना चाहती है । यदि ऐसा ही है और सारी चीजों का विकेन्द्रीकरण हो रहा तो मैं चाहता हूं कि बनारस में भी होना चाहिए, गोरखपुर में भी होना चाहिए (व्यवधान) । पश्चिम में भी होना चाहिए, मध्य में भी होना चाहिए । (घोर व्यवधान) । मान्यवर, शांति बनाये रहें । अन्यथा मैं कैसे बोलूंगा? मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह बिलकुल सरकार की साजिश है और बनारस, गोरखपुर, मेरठ या आगरा या पश्चिम में जहां करना चाहते हैं उसके पीछे सरकार की साजिश है । पूर्व और पश्चिम का सवाल उठाकर यह सरकार आपस में मतभेद कराना चाहती है । इनकी साजिश है कि इनमें मतभेद डालो, विभाजन डालो, फूट डालो और अंग्रेजों की नीति पर राज करो । विकेन्द्रीकरण हो । गोरखपुर में भी हो, बनारस में, मेरठ में भी हो तो आजमगढ़, इलाहाबाद में भी होना चाहिए . . . . (व्यवधान)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्रीमन्, 1976, 1978 में, 1979 में, 1981 में जब कांग्रेस सरकार थी और जब जनता पार्टी का शासन था, दोनों ही शासन थे चार बार भारत सरकार को लिखा गया कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में रहने वाले लोगों को सस्ता और समय-पर न्याय उपलब्ध हो सके उसके लिये एक खण्डपीठ की स्थापना हो या न हो और हो तो कहां हो ? उसके लिये भारत सरकार ने जसवन्त सिंह आयोग गठित किया था . . . (व्यवधान के मध्य श्री गौरी शंकर भइया के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

गौरी शंकर भइया आप बैठें ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

भारत सरकार ने जसवन्त सिंह आयोग की स्थापना कर दी । उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को आये हुये एक साल हो चुका है, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में, जहां के लिये आयोग ने संस्तुति की हो, क्या उत्तर प्रदेश सरकार खण्डपीठ स्थापित करने के लिये भारत सरकार से वार्ता करेगी ? इसका श्रीमन्, जवाब दिला दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसको देख लेंगे ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर स्पष्टीकरण शाम तक नहीं चलेगा । इसके लिये एक समय निर्धारित होता है । नेता विरोधी दल बोल चुके .....(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं, आप मौका नहीं दे रहे हैं । यह नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कौशिक जी को बुला लिया है । आप बैठ जायं । डाक्टर जौहरी, आप बैठ जायं ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मैं नहीं बैठूंगा । ....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

गौरी शंकर भइया, आप बैठ जायं । हर सवाल पर हर सदस्य को मौका नहीं मिल सकता ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, न तो यह प्रश्न पूर्व और पश्चिम का है और न विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है । मान्यवर, यह प्रश्न जुड़ा हुआ है कि हमारी न्याय व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, किस ढंग से न्याय व्यवस्था की गरिमा बनी रहे । मैं पश्चिमी जिले से आता हूं लेकिन यह बड़े गलत तरीके से विचार किया जा रहा है । इससे विकेन्द्रीकरण की समस्या हल नहीं होगी । यह विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है ही नहीं । मैं चाहता हूं कि खण्डपीठ की स्थापना की कोई आवश्यकता पश्चिमी क्षेत्र में नहीं है । इससे न्याय व्यवस्था की गरिमा में गिरावट आयेगी । फिर आगे मांग होगी कि सुप्रीमकोर्ट की बेंच दी जाय । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में सरकार की तरफ से संस्तुति करेंगे कि न्याय व्यवस्था की गरिमा बनी रहे, इसके लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो पीठ है वह वैसे ही बनी रहे, उसको खण्डित न किया जाय ? (व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार का प्रस्ताव वह करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सेठी जी आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इसका जवाब दिलवा दें । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

बहस का जवाब नहीं होता है ।

(व्यवधान)

स्पष्टीकरण का उत्तर होता है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, आप इस कुर्सी पर विराजमान है (व्यवधान) माननीय कौशिक जी ने जो सवाल किया है, उसका उत्तर दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मैनेजर सिंह जी आप बहुत सीनियर मैम्बर है मुझ से भी सीनियर हैं । वक्तव्य के अन्दर ही स्पष्टीकरण होगा, जो बहस का मुद्दा नहीं है । अगर उससे संबंधित नहीं है तो उत्तर नहीं आता है । (व्यवधान) आप बैठिये ।

श्री मैनेजर सिंह–

क्या इस तरह से सदन चलायेंगे ? स्पष्टीकरण का उत्तर आना चाहिये । (घोर व्यवधान) इसका उत्तर दिलवाइये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुरील साहब आप बैठिये, मैंने राणा जी को बुलवाया है ।

जी आप बैठें । (व्यवधान) जो उत्तर लायक होगा उसका उत्तर दिलवायेंगे लेकिन स्पष्टीकरण के रूप में ।

श्री किरन पाल सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) कौशिक जी के प्रश्न का उत्तर दिलवाइये।

श्री मैनेजर सिंह–

उत्तर क्यों नहीं दिलवायेंगे?

श्री अधिष्ठाता–

जो स्पष्टीकरण के रूप में सवाल करेंगे उसका उत्तर दिलवायेंगे। श्री कौशिक जी का प्रश्न स्पष्टीकरण के रूप में नहीं होगा तो उत्तर नहीं दिया जायेगा। श्री विजय सिंह राणा बोलें।

श्री मैनेजर सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने श्री कौशिक जी को स्पष्टीकरण का अवसर दिया और उन्होंने स्पष्टीकरण में उत्तर मांगा तो मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर दिलवायें और बिना उत्तर दिलवाये दूसरे को पुकारेंगे तो क्या आप भाषण करवायेंगे?

श्री अधिष्ठाता–

श्री कौशिक जी ने निश्चित प्रश्न नहीं किया, इसलिये उत्तर नहीं दिलाया जा सकता है।

(घोर व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मेरा निश्चित प्रश्न है कि जो वक्तव्य दिया है मंत्री जी ने उसके पैरा 5 के तहत प्रश्न कर रहा हूं कि यह न पूर्व का और न पश्चिम का प्रश्न है और न विकेन्द्रीकरण का ही प्रश्न है बल्कि प्रश्न इतना है कि न्याय व्यवस्था की गरिमा बनाये रखने के लिये क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि केन्द्र सरकार को लिखेंगे कि इलाहाबाद की जो बेंच है उसको तोड़ा न जाये और जैसे काम चल रहा है वैसे ही काम चलता रहे ?

(श्री बदन सिंह, श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री किरन पाल सिंह द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांति बनाये रखें। श्री बदन सिंह, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री किरन पाल सिंह आप लोग बैठ जायं। एक साथ सभी माननीय सदस्य न बोलें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री गौरी शंकर भइया–

मैं हाई कोर्ट के बंटवारे के खिलाफ हूं। इसलिये जो वक्तव्य दिया है, वह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

(श्री गौरी शंकर भइया ने वक्तव्य की प्रति को फाड़कर फेंक दिया)

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी जो श्री कौशिक रमा शंकर ने प्रश्न किया है, उसका उत्तर दे दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह तो भारत सरकार के विवेक पर है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री किरनपाल सिंह–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, इसमें मेरी व्यवस्था . . .

श्री अधिष्ठाता–

आप बतायें कौन सी व्यवस्था और किस नियम में आप उठा रहे हैं ? (व्यवधान) मंत्री जी क्या आपने इनके प्रश्न का उत्तर दे दिया है? (व्यवधान) इसलिए फिर से बता दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

सम्पूर्ण प्रकरण भारत सरकार के अभिज्ञान में है, उन्हीं पर है, जो

उनका निर्देश होगा, उस पर प्रदेश सरकार कार्यवाही करेगी।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं श्रीमन्, आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता–

क्या व्यवस्था है आपकी?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

इस वक्तव्य की परिधि का मामला है, उस पर मंत्री जी से स्पष्टीकरण पूछा जा सकता है। इस सम्बन्ध में पहले मैं आपका ध्यान वक्तव्य के पृष्ठ तीन की ओर दिलाना चाहता हूं . . . (व्यवधान) आप सुनिये, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न में भारत सरकार ने यह स्वीकार किया है, जो आयोग को अपनी संस्तुति देने से पहले उच्च न्यायालय के स्थानान्तरण को वह सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस आयोग का गठन किया . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है। मैंने सुन लिया, अब बैठिये। (व्यवधान) मैं नहीं सुन रहा हूं, कोई नियमों का उल्लंघन नहीं है, आप बैठिये। (व्यवधान) चूंकि बदन सिंह जी का इसमें नाम है, इसलिए अब मैं उनको बुला रहा हूं।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, यह जो सवाल चल रहा है, यह न पूर्वी उत्तर प्रदेश का है न पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है . . (व्यवधान) इसी सवाल को लेकर . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप पहले सीधे सवाल कर स्पष्टीकरण मांगिये।

श्री बदन सिंह–

लखनऊ में उसकी खण्डपीठ खोली जा चुकी है . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह बहस का मुद्दा नहीं है। बदन सिंह जी का स्पष्टीकरण नहीं माना गया . . (व्यवधान)

आप लोग बैठ जाइये। राणा जी के सवाल के बाद अब अन्तिम सवाल गौरी शंकर भइया का होगा। आप लोग बैठिये।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं यह जानना चाहता हूं कि जसवन्त सिंह का जो आयोग बना और जब वह बन गया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विभाजन को उसी दिन स्वीकार कर लिया। यह उसमें निहित हो गया। अब जसवन्त सिंह की रिपोर्ट आ गई, तो आज तक उसको प्रकाशित न करने का कारण क्या है?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जसवन्त सिंह आयोग की जो रिपोर्ट शासन को मिली है वह क्या है और उस मामले में भारत सरकार से आपकी कितनी बार वार्ता हुई है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार को जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट की कोई भी प्रति उपलब्ध नहीं हुई है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें। मैंने गौरी शंकर भइया जी को बुलाया है।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को जो संस्तुति भेजी है, उसमें संविधान के अनुच्छेद 214 जिसमें कहा गया है कि एक प्रदेश में एक हाईकोर्ट होगा, इसका भी जिक्र किया गया है या नहीं? यदि नहीं, किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है ?

(शोर के मध्य श्री अजीत सिंह सेठी को पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें । राणा जी बैठिये वर्मा जी बैठिये ।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाइये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं, इस पक्ष की और उस पक्ष की, सेठी जी और शर्मा जी आप बैठें, तो इन भावनाओं को देखते हुए मैं इस सवाल को स्थगित करता हूं और एक घंटे की चर्चा इस पर स्वीकार करता हूं।

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, आपने इजाजत दे दी थी।

श्री अधिष्ठाता–

आप चर्चा में भाग लीजियेगा, बैठिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, चर्चा कब होगी?

श्री अधिष्ठाता–

आप नियमों से वाकिफ हैं। इसकी घोषणा अभी नहीं की जा सकती।

मेरठ से होमगार्ड के 27 जवानों के लापता होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)–

मान्यवर, जिला प्रशासन की मांग पर मेरठ में दंगाग्रस्त क्षेत्रों में शांति-सुरक्षा. . .

एक सदस्य–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम नरेश शुक्ल–

[कार्यों में पुलिस बल की सहायता हेतु लखनऊ से सशस्त्र होमगार्डों के दो कान्टीजेन्ट भेजे गये थे । 300 होमगार्डों का पहला कन्टीजेन्ट दिनांक 1 मार्च, 1986 को मेरठ पहुंचा था और 200 होमगार्डों का दूसरा कन्टीजेन्ट दिनांक 5 मार्च, 1986 को वहां पहुंचा। इस प्रकार कुल 500 होमगार्ड मेरठ ड्यूटी हेतु भेजे गये थे जिनमें से 200 होमगार्ड दिनांक 10 मार्च, 1986 को मुरादाबाद शान्ति सुरक्षा ड्यूटी के लिए रवाना कर दिए गए और मेरठ में केवल 300 होमगार्ड ही ड्यूटी के लिए रह गए । ये होमगार्ड पूरी संख्या में भली प्रकार अपनी ड्यूटियों का सम्पादन कर्तव्य एवं निष्ठा से करते रहे । दिनांक 8 मार्च, 1986 तक कोई भी होमगार्ड अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहा, परन्तु दिनांक 9 मार्च, 1986 से कुछ होमगार्ड ड्यूटी से लौटने के बाद राइफलें एवं एम्यूनिशन्स शस्त्रागार में जमा करने

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के बाद अनुपस्थित होना शुरू हुए । चूंकि होमगार्डों के ड्यूटी से अनुपस्थित होने का विषय अनुशासन से संबंधित था, अतएव लखनऊ से भेजे गए पूरे 300 होमगार्ड, कमान्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स द्वारा दिनांक 20 मार्च, 1986 को ड्यूटी से अवमुक्त करके उनके स्थान पर दूसरे होमगार्ड तैनात कर दिए गए । कमाण्डेन्ट जनरल द्वारा होमगार्डों की अनुपस्थिति के मामले की गहराई से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं जो अभी जारी है । इस संबंध में दोषी पाए गए होमगार्डों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । मेरठ में ड्यूटी हेतु भेजे गए होमगार्डों में से दंगा-फसाद में कोई भी होमगार्ड न तो मारा गया है और न ही लापता हुआ है ।]

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मेरठ में दंगाग्रस्त क्षेत्रों में शान्ति व्यवस्था के लिए फोर्स लगाई गई थी । वह फोर्स भाग गई । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आपको फोर्स के भागने की जानकारी कितने दिन बाद लगी ? जब फोर्स भाग गई तो कितने दिन बाद प्रशासन को उसकी जानकारी लगी ?

श्री अधिष्ठाता–

सवाल को और साफ कर दें ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, जब वहां के सिपाही भागे, तो वहां के प्रशासन को कितने अंतराल में इसकी जानकारी मिली या प्रशासन यह समझता रहा है कि वहां की सुरक्षा-व्यवस्था सब ठीक चल रही है ? इसलिए मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि वहां के प्रशासन को इन सिपाहियों के भागने की सूचना कितने दिनों बाद मिली?

श्री राम नरेश शुक्ल–

मान्यवर, कोई सिपाही भागे नहीं । कुछ अपनी राइफलें जमा करके छुट्टी पर चले गए और कुछ वैसे ही चले गए और कुछ सिपाही वहां से बुला लिए गए और उनके स्थान पर दूसरी कम्पनी को भेज दिया गया, जो 300 की टुकड़ी थी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, उन सिपाहियों को सरकारी कार्य में लगाया गया था, परन्तु बिना सूचना के और बिना अपने असलहे जमा किए हुए उस स्थान से कहीं चले गए तो इस अनुशासनहीनता को मानते हुए, उनके विरुद्ध अब तक क्या आवश्यक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्या अब करेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

मान्यवर, उन सिपाहियों को वापस बुला लिया गया और उनके स्थान पर दूसरी कम्पनी को भेजा गया और इस मामले की जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि यह अनुशासनहीनता का प्रश्न है । जांच के अनुसार जो भी लोग दोषी पाए जायेंगे, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक जितने सिपाही वहां भेजे गए मान्यवर, मेरी सूचना है कि इन सिपाहियों ने अपने असलहों को जमा नहीं किया और ऐसे ही भाग गए और जब विभागीय अधिकारियों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उनके घरों को तलाश कर उनसे असलहे जमा करवाए, अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना

चाहता हूं कि 1 मार्च से 5 मार्च तक जिन होमगार्ड के सिपाहियों को मेरठ भेजा गया था, उन होमगार्ड्स की ड्यूटी कहां-कहां लगाई गई थी और दूसरा सवाल यह बता दें कि 9 तारीख को जो असलहे जमा कराए गए तो वह कितने असलहे जमा कराए गए ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

एक तो 200 की टुकड़ी मुरादाबाद को भेजी गई थी और यह बात सही नहीं है जो मा0 सदस्य यह कह रहे हैं कि बिना हथियार जमा किए हुए कुछ होमगार्ड्स चले गए और उन हथियारों को उनके घरों से तलाश करके लाया गया। बल्कि कुछ लोग असलहे जमा करके छुट्टी पर चले गए थे, उनके स्थान पर दूसरी कम्पनी नियुक्त कर दी गई थी।

प्रधान प्रभूदयाल–

अगर कोई गलती इन होमगार्ड्स सिपाहियों से नहीं हुई तो फिर मान्यवर, मा0 मंत्री जी यह बता दें कि जांच काहे की करवायी जा रही है ?

श्री रामनरेश शुक्ल–

वह ड्यूटी पर भेजे गए थे और कुछ लोग हथियारों को जमा करके छुट्टी को दरख्वास्तें देकर चले गए थे और कुछ वैसे ही चले गए थे, उनकी इस अनुशासनहीनता के प्रति जांच हो रही है, और जो दोषी होंगे, उनके प्रति कार्यवाही होगी।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह पहली बार हो रहा है कि जो बिना छुट्टी के चला जाए, उसकी कभी भी जांच नहीं होती है, यह इसकी जांच करवा रहे हैं, बल्कि मान्यवर, हुआ यह है कि हथियारों को लेकर वह सिपाही भाग गए। फिर 5 दिनों के बाद जब प्रशासन को पता चला तो उनके घरों की तलाश करके वह हथियार वहां से लाए, तो मा0 मंत्री जी कृपया यह बता दें कि कितने हथियार जमा कराए गए ?

श्री अधिष्ठाता–

यह स्पष्टीकरण में आप देख लें। जो सूचना स्पष्टीकरण में दी गई है, उसके अलावा जो जानकारी आप चाहें, वह पूछ लें और जो मा0 मंत्री जी कह चुके हैं और जो वक्तव्य में है, इनके अलावा अगर कोई अग्रिम सवाल हो, तो उसे करिए।

(समय 3 बजकर 20 मिनट पर)

श्री किरनपाल सिंह–

पहला प्रश्न मेरा यह है कि कितने हथियार जमा किए गए और दूसरा यह कि वहां पर यह अफवाह थी कि मार दिए गए या कहीं छुपा दिया गया है। यह लोग फोर्स के आदमी हैं, इनको गिरफ्तार करके क्या दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

इसी सब चीज के लिए तो जांच हो रही है। बिना कसूर साबित हुए, किसी को दण्ड नहीं दिया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

होमगार्ड्स से जो ड्यूटी ली जाती है, होमगार्ड्स अधिनियम में यह है कि जब वह ड्यूटी पर होगा तो उसके वही अधिकार होंगे जो पुलिस कर्मी के हैं। पुलिस कर्मी यदि ड्यूटी में मारा जाता है, तो जिन्दा रहने पर जो तनख्वाह या सुविधाएं मिलती हैं वही मरने पर दिया जाता है, लेकिन होमगार्ड्स को नहीं दी जाती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि होमगार्ड्स अपने जीवन की बाजी लगाए, पुलिस कर्मी की भांति अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, इसके लिए जो सुविधाएं पुलिस कर्मी को दी जाती हैं, वही होमगार्ड्स को देने की घोषणा करेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

इस वक्तव्य से इसका कोई संबंध नहीं है । किन्तु होमगार्ड्स को सहूलियतें देने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री मैनेजर सिंह–

इनको न तो वेतन दिया जाता है, न कोई सुविधा देते हैं, केवल भत्ता दिया जाता है और वह भी 6 महीने बाद। तो क्या इनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए मंत्री जी जो चले गए उनको माफ नहीं करेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा–

इस वक्तव्य के दो पार्ट हैं । 9 तारीख को चले गए उसकी जांच हो रही है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आमद रजिस्टर को देखा जाय कि कौन कौन तारीख को कितनी-कितनी संख्या में होमगार्ड्स कहां-कहां तैनात किए गए ?

श्री अधिष्ठाता–

इसी की तो जांच हो रही है ।

श्री विजय सिंह राणा–

9 तारीख के बाद के प्रकरण की तो जांच कर रहे हैं । दूसरे वाले को इन्होंने मान लिया । एक तारीख से 5 तारीख तक मेरठ में जो आमद की गई । 5 सौ होमगार्ड्स में कितने-कितने कहां तैनात किए गए हैं ? दूसरा 9 तारीख को कितने हथियार जमा किए गए इसकी जांच करा दें । मेरी निश्चित जानकारी है कि उस दिन हथियार जमा नहीं किए गए । प्रशासन ने अपने को बचाने के लिए बाद में हथियार जमा कराए ।

श्री राम नरेश शुक्ल–

8 तारीख को सारे होमगार्ड्स ड्यूटी पर थे । 500 में से 200 को मुरादाबाद भेज दिया गया था । मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कोई होमगार्ड्स हथियार लेकर भागा था ।

इलाहाबाद में छात्रों पर लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

[प्राप्त सूचनानुसार इलाहाबाद में दिनांक 15 मार्च, 1986 को श्री कमलेश तिवारी अध्यक्ष, छात्रसंघ, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय के नेतृत्व में छात्रों के एक समूह ने 13-00 बजे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की तथा जिला मजिस्ट्रेट को बुलाकर मिलाने के लिए मांग की। जब उन छात्रों को यह बताया गया कि जिला मजिस्ट्रेट नहीं हैं तो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए कहा और वे पुलिस, पी0 ए0 सी0 के घेरे के बीच से निकल कर कार्यालय में जाने लगे जिसके प्रतिरोध में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारी भी उद्यत हुए तथा संज्ञेय अपराध घटित होने की आशंका व्याप्त हो गयी जिसके निवारणार्थ शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु 13 छात्रों को धारा 151 जा0 फौ0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। उसी दिन 12 और छात्र 15-30 बजे आयुक्त कार्यालय पर इसी गया।

नोट:–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना

प्रकार की कार्यवाही करने पर धारा 151 जा0 फौ0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये। इन समस्त छात्रों को 107/116(3) दं0 प्र0 सं0 की रिपोर्ट के साथ भविष्य में शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परन्तु जमानत मुचलका न देने के कारण न्यायालय के आदेश से इन सभी छात्रों को जेल भेजा गया।

2—छात्रों में इस गिरफ्तारी को लेकर असन्तोष नहीं है। कभी-कभी कुछ छात्रगण अपने आने वाले छात्रसंघ के चुनाव में प्रत्याशी होने का आधार बनाने हेतु कुछ समर्थकों को लेकर कक्षाएं बन्द करा देते हैं। इस प्रकार आंशिक रूप से शिक्षण कार्य प्रभावित हो जाता है।

3—छात्रों की गिरफ्तारी के दौरान कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया। यह कहना सही नहीं है कि सैकड़ों छात्रों को चोटें आयीं। गिरफ्तारी के समय झुक-बैठकर निकलने की कोशिश में ही छात्र गिरे थे, किन्तु उनके शरीर पर प्रत्यक्ष चोटें नहीं दिखायी पड़ीं, न ही उन्होंने बताया और न ही मजिस्ट्रेट के समक्ष इसकी कोई शिकायत की तथा जेल के भी अभिलेख में किसी को चोट का कोई अंकन ज्ञात नहीं हुआ है। यह सत्य है कि इस कार्यक्रम का नेतृत्व छात्रसंघ के पदाधिकारियों ने किया जिस पर उनकी गिरफ्तारी हुई है और कुल 25 छात्र गिरफ्तार किये गये हैं।]

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननवर, मा0 मंत्री जी ने कहा कि 15 मार्च, 1986 को जिला मैजिस्ट्रेट के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए और नारेबाजी करते हुए कुछ छात्र गिरफ्तार किये गये। तो ये छात्र जो जिला कचहरी पर गये थे प्रदर्शन हेतु, इनकी मांगें क्या थीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, इन्होंने मांग तो कोई नहीं रखी, जिलाधिकारी से मिलना चाहते थे। जिलाधिकारी थे नहीं तो जबर्दस्ती जिलाधिकारी की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते थे और बैठना चाहते थे। मांग रखने का उस समय तक कोई प्रश्न ही नहीं आया।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब छात्र शांतिपूर्ण ढंग से डी0 एम0 के बंगले पर गये तो उस समय जिलाधिकारी इलाहाबाद में मौजूद थे या नहीं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

बंगले पर नहीं गये थे,, कार्यालय में गये थे। वक्तव्य पढ़ लें।

श्री जवाहर सिंह यादव—

क्या मंत्री जी को जो छात्र कुर्सी पर बैठ गया, उसका नाम ज्ञात है, क्योंकि यह प्रकरण शासन की ओर से तूल दिया जा रहा है? जो छात्र उस समय प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग सुनने वाला कोई नहीं था। जब वहां कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा और उनकी बात नहीं सुनी गयी, उसी समय वहां पर लाठी चार्ज करवा दिया गया। सरकार अपने इस दोष को छिपाने के लिये झूठा बयान देने पर तुली है कि लड़के कुर्सी पर बैठना चाहते थे। यदि कुर्सी पर कोई बैठा तो उसका नाम बताने की कृपा करें?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मैंने बैठने की बात नहीं कही। वे बैठने का प्रयास कर रहे थे।

श्री जवाहर सिंह यादव—

यह बैठने का प्रयास किसने किया?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के छात्र कई दिनों से समय-समय पर अपनी मांगें मुख्य मंत्री, मा0 शिक्षा मंत्री और तमाम लोगों को जिलाधिकारी के माध्यम से पहुंचा रहे थे और चूंकि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी, इसलिये 15 मार्च को भ्रष्ट और निकम्मे कुलपति के खिलाफ जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंच कर वे अपना ज्ञापन देना चाहते थे । लेकिन कुलपति की साजिश से उन्हें जिलाधिकारी से नहीं मिलने दिया गया। इसलिये मंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि वे कुर्सी पर कब्जा करना चाहते थे । जिसके कारण कचहरी के कर्मचारी लोगों को शांति भंग होने की आशंका हो गयी थी। ऐसी स्थिति में पुलिस ने 12 छात्रों को गिरफ्तार किया। मैं जानना चाहूंगा कि केवल छात्र ही गिरफ्तार किये गये या जो कचहरी के कर्मचारी लड़े थे, क्या उनको भी गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन लोग हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य यह जानना चाहते हैं कि केवल छात्र ही गिरफ्तार किये गये या जो कर्मचारी झगड़े में शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, किसी अन्य को गिरफ्तार करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि छात्र उग्र थे और शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति थी । इसलिये छात्रों को गिरफ्तार किया गया। कर्मचारियों ने झगड़ा नहीं किया। मा0 सदस्य अनुग्रह नारायण सिंह जी ने कहा कि लाठीचार्ज किया तो ऐसा नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से गिरफ्तारी हुई और किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि दीक्षान्त समारोह वहां कितने सालों से नहीं हुआ है? वार्षिक खेलकूद कितने सालों से नहीं हुए हैं?

श्री अधिष्ठाता–

यह इससे सम्बन्धित नहीं है। आप बैठें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इस वक्तव्य में लिखा है कि केवल छात्र ही उग्र थे। लिखा है- वे पुलिस, पी0 ए0 सी0 के घेरे के बीच से निकल कर कार्यालय में जाने लगे। जिसके प्रतिरोध में जिलामजिस्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारी भी उद्यत हुए तथा संज्ञेय अपराध घटित होने की आशंका व्याप्त हो गयी जिसके निवारणार्थ शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 3 छात्रों को धारा 151 जा0 फ0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। मान्यवर, उन छात्रों को तब गिरफ्तार किया गया जब वहां के कर्मचारी लड़ाई पर आमादा हो गये। छात्रों को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। मान्यवर, यह स्पष्टीकरण निराधार है। मान्यवर, छात्रों की बहुत दिनों से मांग है कि कुलपति को हटाया जाय, उनके भ्रष्टाचार की जांच करायी जाय। मान्यवर, यह पूरी तरह से उनको संरक्षण दे रहे हैं। उसको बचाने के लिए यह झूठा वक्तव्य लाया गया है । मान्यवर, इस तरह से सदन को भी गुमराह किया जा रहा है।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, यह वक्तव्य बिल्कुल झूठा है।

(श्री गोपाल दास यादव ने वक्तव्य की प्रति सदन में फाड़कर फेंक दी)

श्री अधिष्ठाता–

स्पष्टीकरण करें, इसमें बहस नहीं है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

इसमें यह लिखा है कि कभी कभी कुछ छात्रगण अपने आने वाले छात्रसंघ के चुनाव में प्रत्याशी होने का आधार बनाने हेतु कुछ समर्थकों को लेकर कक्षाएं बंद करा देते हैं। मान्यवर, इस समय परीक्षाएं होने वाली हैं। यह बिल्कुल झूठा वक्तव्य है। छात्र नेताओं को बदनाम करने के लिये और उन्हें गुमराह करने के लिये यह दिया गया है।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, इत्तफाक से यह भी उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। मान्यवर, डी0 एम0 के यहां लड़के ज्ञापन लेकर के गये थे। ज्ञापन में क्या-क्या मांगे थी? यदि ज्ञापन नहीं लेकर गये थे तो क्या वहां डिस्को डांस देखने गये थे?

श्री अधिष्ठाता–

अभी माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी के सवाल में यह बात बतायी गयी कि कोई ज्ञापन लेकर नहीं गये थे।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी जैसा माननीय सदस्य अनुग्रह नारायण सिंह जी ने बताया, वहां कुलपति को हटाने की मांग को लेकर भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर, वहां वातावरण ठीक नहीं है। वहां बड़ी गम्भीर स्थिति है। मान्यवर, भले ही वह छात्र ज्ञापन लेकर नहीं गये थे, जैसा आपने बताया लेकिन वहां की स्थिति को देखते हुए क्या पूरे प्रकरण की किसी वरिष्ठ आई0 ए0 एस0 अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे? आश्वासन देंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जो आपने पूरे प्रकरण की बात की है कि विश्वविद्यालय में ऐसा वातावरण है, कुलपति और स्टाफ को लेकर कुछ बात है, यह संज्ञान में नहीं है। इसलिए कोई आश्वासन देने का प्रश्न नहीं उठता है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई ज्ञापन दिया जायेगा, जो वहां के छात्रों ने तैयार किया है, तो उस पर इनक्वायरी करवा लेंगे किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर इनक्वायरी करवा दी जायेगी।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा अगली मद पुकारे जाने पर)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, यह माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से जुड़ा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं वक्तव्य पर स्पष्टीकरण का समय समाप्त कर चुका हूं। अगली मद पर आ गया हूं। आप बैठें।

नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय, उत्तर प्रदेश को समाप्त करने की साजिश के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

[नगर भूमि अधिनियम एवं विनियमन अधिनियम के लागू होने के पश्चात् 27 फरवरी 1976 से जनवरी, 1986 तक 1,19,574 भू-धारकों द्वारा विवरणी दाखिल करने का तथ्य सही है। इस सम्बन्ध में 28 फरवरी तक धारा 10(1) के अन्तर्गत 45165 विज्ञप्तियां छपने के लिए भेजी जा चुकी थीं जिसमें से 32226 छप चुकी हैं। धारा 10(3) के अन्तर्गत 12480 विज्ञप्तियां गजट में छपने भेजी गईं जिनमें से 8938 छप चुकी हैं। अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की उपलब्धि बहुत अच्छी है, इसका निम्न आंकड़ों से पता लगाया जा सकता है :–

राज्य का नाम	प्राप्त विवरणों की संख्या	सर्वेक्षण के पश्चात अनुमानित सीमाधिक्य रिक्त भूमि (हेक्टर में)	सीमाधिक्य रिक्त भूमि जो शासन में निहित हुई
1.	2	3	4
आंध्र प्रदेश	25239	4670.50	1522.51
आसाम	2145	73.43	18.99
बिहार	1086	198.34	20.46
गुजरात	41518	32513.00	218.00
कर्नाटक	3214	2692.92	1007.12
मध्य प्रदेश	10871	6555.53	1307.54
महाराष्ट्र	71776	34213.77	4494.89
उड़ीसा	812	28.34	58.00
पंजाब	5996	683.10	. .
राजस्थान	9657	26891.45	781.69
उत्तर प्रदेश	119574	50940.07	7924.80
पश्चिमी बंगाल	30475	5007.00	112.24
यूनियन टेरीटरी			
चण्डीगढ़	198	10.04	. .
दिल्ली प्रशासन	8540	247.13	25.12
पाण्डिचेरी	1193	168.46	5.18
कैन्टोन्मेंट क्षेत्र	3505	604.86	95.46
योग	364999	165597.99	17591.80

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धारा-20 के अन्तर्गत कुछ परिस्थितियों में छूट देने की व्यवस्था अधिनियम में है और पूरी तरह से जांच के पश्चात् ही छूट के आदेश शासन स्तर से किये जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में 26,799 मामले छूट के लिये प्राप्त हुए किन्तु केवल 1744 मामलों में ही छूट दी गयी। इन्ही में से उद्योगों को स्थापित करने के लिए भी 111 मामलों में छूट दी गयी।

लखनऊ भूमि सीमारोपण कार्यालय में दिनांक 12-5-1982 को कुछ पत्रावलियों के गायब होने की बात ज्ञात हुयी थी और पूरी जांच के बाद 19 जुलाई 1983 को 8232 पत्रावलियां गायब मिलीं। इस हेतु 8 संबंधित कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था। मामले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा हो रही है। इसी बीच में 1892 पत्रावलियां फिर से बना भी ली गयी हैं। विकास प्राधिकरण से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार हजरतगंज, अशोक मार्ग, राणा प्रताप मार्ग पर केवल एक मामला ऐसा है जिसमें भू-स्वामी ने शपथ पत्र इन्डेमनिटी बाण्ड व सीलिंग की अनापत्ति प्रस्तुत कर बहुखण्डी भवन का नक्शा पास कराया और निर्माण किया। इस सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि सरप्लस घोषित करने की कार्यवाही अभी न्यायालय के विचाराधीन है। सक्षम प्राधिकारी के पूर्व निर्णय को जिला जज ने अपील में निरस्त कर केस को रिमाण्ड कर दिया है। इसी सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी ने जडीशियल मैजिस्ट्रेट लखनऊ के न्यायालय में एक इस्तगासा भी दायर किया है जो न्यायालय के विचाराधीन है। अन्तिम रूप से दोनों मामलों में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र होने के कारण निर्णय हुए बगैर कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है। इसी सम्बन्ध में अनियमितताओं के आक्षेप पर सी0आई0डी0 द्वारा भी जांच हो रही है जिसके परिणाम अपेक्षित हैं।

नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा नगर भूमि सीमारोपण के समस्त कार्य प्रणाली, आवश्यकताओं व संगठन को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में संस्तुति करने के लिए एक समिति आयुक्त, लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में बनायी गयी थी। इसी प्रकार शासन द्वारा स्थानीय निकाय निदेशालय तथा आवास विकास परिषद् के सम्बन्ध में भी निर्देश जारी हुए हैं। इस अध्ययन में निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण का सक्रिय सहयोग रहेगा व उनके द्वारा मुख्य सचिव या मुख्य मंत्री जी को किसी के विरोध पत्र की सूचना तथ्यपूर्ण नहीं है।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, प्रश्न पूछने से पहले मैं आपकी पीठ से संरक्षण चाहूंगा। मेरे नोटिस को आप देखें। उसके लास्ट में लिखा था कि निदेशक श्री धर्म सिंह रावत ने मुख्य सचिव को लिखित विरोध पत्र भी भेजा है, अपनी शंका प्रकट करते हुए। माननीय मुख्य मंत्री से भी मिलकर उन्हें वस्तुस्थिति से भ्रष्टाचार के इन गम्भीर मामलों का पूरा विवरण दिया है। जहां तक मुख्य मंत्री जी से मिलने का सम्बन्ध है, पूरे वक्तव्य में माननीय मंत्री जी ने इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है? आखिर में एक बात कह दी कि मुख्य सचिव और मुख्य मंत्री जी के पास किसी प्रकार के विरोध पत्र की सूचना तथ्यपूर्ण नहीं है। नोटिस में यह नहीं कहा गया था कि मुख्य मंत्री

जी को विरोध पत्र भेजा गया था बल्कि यह कहा गया था कि निदेशक ने मिलकर मुख्य मंत्री जी को सारी वस्तुस्थिति बताई तथा मुख्य सचिव को पत्र द्वारा विरोध पत्र भेजा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि निदेशक श्री धर्म सिंह रावत ने अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 187/7-5/37/85 के जरिये दिनांक 6 फरवरी, 1986 को विरोध पत्र भेजा था और 8 फ़रवरी 1986 को अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 207/7-टीटी/217/86 के द्वारा सचिव नगर विकास को आरोप पत्र भेजा है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि उन्होंने कोई विरोध पत्र नहीं भेजा है। जो विरोध पत्र उन्होंने नगर विकास सचिव को भेजा है, उसके कुछ हिस्से मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जिसमें उन्होंने लिखा है कि:—

"निश्चित ही शासन अधिक शक्तिशाली है किन्तु अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध यदि इस शक्ति का प्रयोग होगा तो उससे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वियन एवं उसके वांछित विकास में कठिनाई आयेगी। दून स्कूल के भूतपूर्व प्राध्यापक श्री मार्टिन का मामला भी इसमें से एक है। निश्चित ही वह भारत के सबसे बड़े नेता से सम्बद्ध हैं, किन्तु हमें पूरा विश्वास है कि वे सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री, इस मामले को जानते भी नहीं होंगे। श्री मार्टिन साहब जैसे धनाढ्य एवं वैभवशाली व्यक्ति के हित में छूट के आदेश करने से अनेकों प्रकार के छूट के आदेश प्रारम्भ हो जायेंगे और जो कठिनाइयां पहले थी वे पुनः प्रारम्भ हो जायेगी। निदेशालय से इन आदेशों को करने से पूर्व यदि औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से समझाया जाता तो इस कार्य से असुविधा होने की संभावना नहीं रहती। निदेशालय के प्रति इस प्रकार का अविश्वास बहुत अटपटा मालूम हो रहा है।

इतने गम्भीर मामलों को लिखित रूप में निदेशक ने नगर विकास सचिव को दी। मैं पैरा-4 को भी पढ़ देना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा है 'हमने माननीय मुख्य मंत्री जी के सचिव की दृष्टि में कुछ बातें डाली थीं। इस संबंध में आपके माध्यम से मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी का असंतोष कहलवाया गया है। मैं स्वयं असमंजस में हूं कि मुख्य मंत्री जी किस प्रकार शासकीय हित के विरुद्ध काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य को शासन की दृष्टि में डालने पर मुझसे असंतोष प्रकट करेंगे? शायद उन्हें इस बात की जानकारी न हो इससे आपको व मुख्य मंत्री जी के सचिव का असंतोष तो लगता है और मैं इस सम्बन्ध में आपकी सुविधा पर आपसे बात भी करूंगा।"

इसलिए मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण देने से पहले इन सारी बातों को फाइल मंगवाकर देख लें, अगर उनको यह पत्र मिलता है तो वह अपने बयान को परिमार्जित कर उत्तर इस सदन में दें। यदि इसके बावजूद भी वह नहीं मानती हैं तो मान्यवर, आप स्वयं फाइल मंगवा लें और उसे देख लें। उसके बाद आपका जो निर्देश होगा, उसे मैं मानूंगा। इस निवेदन के साथ मैं अब एक सवाल पूछना चाहता हूं वक्तव्य के बारे में। माननीया मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के आखिरी पैरा में कहा है कि "संगठन को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में संस्तुति करने के लिए एक समिति आयुक्त, लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में बनायी गयी थी।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस समिति के सदस्य श्री अतुल चतुर्वेदी, आई0ए0एस0 भी हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती कनक चतुर्वेदी के नाम पर हबीबुल्लाह इस्टेट में फ्लैट लिया है, जिसकी सी0आई0डी0 की जांच में भी पुष्टि हो गयी है? यदि हां तो सी0आई0डी की जांच रिपोर्ट के बाद भी उन्हें कमेटी में क्यों रखा गया?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इसकी जानकारी मुझको नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मेरी नोटिस में है। इनके वक्तव्य में भी है कि आठ हजार कुछ फाइलें गायब हैं, सी0आई0डी0 की जांच तीन साल से पैण्डिंग है। मेरी नोटिस में है कि 13 आई0ए0एस0 अधिकारियों का इसमें इनवाल्वमेंट है और बड़े अफसर भी इनवाल्व्ड हैं। इसीलिये सी0आई0डी0 जांच जानबूझकर देर से करायी जा रही है। दूसरी सी0आई0डी0 जांच हुई थी हबीबुल्लाह इस्टेट के बारे में.....

श्री अधिष्ठाता–

आप वक्तव्य पर केवल स्पष्टीकरण के नाम पर सवाल ही कर सकते हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

उसमें दो बिन्दु थे कि क्या कुछ अफसरों को फ्लैट घूस में मिले हैं? दूसरा बिन्दु था कि क्या एल0डी0ए0 ने नक्शा घूस लेकर गलत पास किया है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी वजह है कि सी0आई0डी0 की जांच के बारे में उनको जानकारी नहीं है? क्या उनका वक्तव्य किसी और के द्वारा बनाया गया है?

(कोई उत्तर न देने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो सवाल किया है, आखिरी हिस्से में स्पष्ट नहीं है, इसीलिये माननीया मंत्री उत्तर देने के लिये खड़ी नहीं हुई।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

दो बिन्दुओं पर सी0 आई0 डी0 जांच थी। एक तो 8262 गायब पत्रावलियों के बारे में और दूसरे हबीबुल्लाह इस्टेट में जो 13 आई0ए0एस0 अफसरों को फ्लैट मिला, उसके बारे में। जानना चाहता हूं कि जो हबीबुल्लाह इस्टेट के फ्लैट आवंटन के बारे में सी0आई0डी0 जांच हुई है, उसकी जांच रिपोर्ट क्या है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

रिपोर्ट आयी है, अभी परीक्षण हो रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है, यह बतायें?

श्री अधिष्ठाता–

उन्होंने कहा तो कि परीक्षण हो रहा है।

श्री मैनेजर सिंह–

[x x x] यह सूचना दिलवायें कि उस रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जांच रिपोर्ट आयी है, उसका परीक्षण हो रहा है। जब परीक्षण हो जायेगा तब पता चल जायगा।

(श्री मैनेजर सिंह के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

उन्होंने कह तो दिया है।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मैनेजर सिंह–

यही सवाल है कि रिपोर्ट में क्या है ? परीक्षण तो बाद में होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो सवाल किया उसका जवाब उन्होंने दे दिया।

श्री मैनेजर सिंह–

मेरा निश्चित आरोप है कि जानबूझ कर सदन को गुमराह किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीया मंत्री जी, क्या निष्कर्ष बताने में आपको कोई आपत्ति है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मैंने कहा कि अभी परीक्षण हो रहा है, जो दोषी पाया जायेगा, उसे दण्ड दिया जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीया मंत्री जी के उत्तर से साफ मालूम हो रहा है कि यह गम्भीर मामला है और इसके तथ्यों को छिपाने के लिये यहां इनको उत्तर देने के लिये बैठा दिया गया है । माननीया मंत्री जी को चाहिए था। इनके वक्तव्य में स्पष्ट दे पाती हैं तो किसी दूसरे वरिष्ठ मंत्री को यहां उत्तर देने के लिये भेजना चाहिए था। इनके वक्तव्य में स्पष्ट बात है कि इसमें आइ0ए0एस0 अधिकारियों ने घपला किया है और घूस में फ्लैट लिया है, जमीन लिया है। इतने बड़े घपले को जो कि शायद प्रदेश का सबसे बड़ा मामला है, इसकी जानकारी प्रदेश की जनता को सही-सही हो जाय तो क्या मंत्री जी इसके लिये हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति करके सारी परिस्थितियों की जांच करा कर और जांच की कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जांच तो हो रही है, जब तक यह पूरी न हो जाय, हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आन्हर गुरू और बहिरा चेला। हाई कोर्ट के जज से जांच कराने में आपको क्या आपत्ति है?

श्री अधिष्ठाता–

जवाब आ गया है।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी ने अधिकृत पत्रों का उल्लेख करते हुए गम्भीर आरोपों पर विचार किया है और उनकी जांच सी0आई0डी0 के द्वारा करायी गयी। सी0आई0डी0 की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, उसमें कुछ अधिकारियों के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट में बात कही है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि रिपोर्ट की जांच करायी जा रही है, परीक्षण कराया जा रहा है। मैं मान कर चलता हूं कि मंत्री जी ने उस रिपोर्ट को पढ़ लिया होगा। यदि मंत्री जी ने उस रिपोर्ट को पढ़ लिया है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सी0आई0डी0 की उस रिपोर्ट में किस-किस अधिकारी के विरुद्ध यह आरोप प्रमाणित किये गये हैं कि इन-इन अधिकारियों को रिश्वत में फ्लैट दिये गये हैं क्योंकि मेरी निश्चित जानकारी है कि उस रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों के विरुद्ध निश्चित तौर पर आरोप लगाये गये हैं लेकिन हम यहां मंत्री जी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या यह सच है कि इन-इन अधिकारियों को रिश्वत में फ्लैट दिये गये थे और वह कौन-कौन से अधिकारी हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, जब तक उसका निर्णय न आ जाय, उस पर यहां कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कल्यान सिंह जी, आप दोबारा प्रश्न करें।

श्री कल्यान सिंह–

मैं कार्यवाही के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होती है। मैं तो केवल सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट की बात पूछ रहा हूं कि उन्होंने किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध जांच में मामला पाया है ? यह मामला है, तो यह उत्तर दिलवायें।

श्री अधिष्ठाता–

जो सी0 आई0 डी0 की जांच हुई, उसमें क्या है? बहुत से अफसरों के बारे में है, यह इत्तिला आ गयी है। क्या उन्होंने इस तरह का कब्जा किया है, या नहीं ? यह सवाल है।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मैंने कहा कि संज्ञान में आया है और उसका परीक्षण हो रहा है और परीक्षण के बाद बता दूंगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने बताया कि सरकार के संज्ञान में बात आ गयी, तो क्या बात संज्ञान में आयी है? उसको स्पष्ट कर दें। किन-किन अधिकारियों के खिलाफ उनके संज्ञान में बात आयी है, उसको बता दें?

श्री किरनपाल सिंह–

स्वरूप कुमारी बख्शी उनको ब्रीफ कर रही हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना सवाल दुबारा कर दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीया मंत्री जी ने अभी कहा कि उनके संज्ञान में बात आ गयी है तो मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन अधिकारियों के बारे में उनके संज्ञान में बात आयी है, उनके नाम और पद क्या हैं?

(व्यवधान)

श्रीमती पद्मा सेठ–

मैंने कहा कि जो दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर "यह नहीं है," "यह नहीं है" कहने पर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री कल्यान सिंह तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के प्रश्नों को देखते हुये और उनके जवाब को देखते हुये यह कहना पड़ रहा है कि इस वक्तव्य को स्थगित करता हूं और इस पर सम्पूर्ण जानकारी के साथ उत्तर दिया जाये।

श्री किरनपाल सिंह–

इसी सत्र में दिलवायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो व्यवस्था आपने दी है, वह शिरोधार्य है लेकिन जो श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने, श्री कल्यान सिंह जी ने और रेवती रमण सिंह जी ने प्रश्न किया है, जो माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है, आपने उसको स्थगित कर दिया है, लेकिन कल यही बयान आयेगा कि परीक्षण के लिए भेजी गयी थी। मंत्री जी ने स्वत: स्वीकार किया है कि रिपोर्ट संज्ञान में आई है और उसे परीक्षण के लिये भेज दिया है। मैं यह जानना

चाहता हूं कि उनके संज्ञान में क्या आया? "संज्ञान" शब्द का उन्होंने प्रयोग किया. . . . .

श्री अधिष्ठाता–

गुप्त जी, आप तो इस पीठ पर बैठते हैं।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मैंने यह कहा था कि वह रिपोर्ट मेरे संज्ञान में आयी है और उसका परीक्षण हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

जो निर्णय लिया जा चुका है, यदि जवाब से संतुष्ट हो जाती तो वक्तव्यों को क्यों स्थगित कर दिया जाता। इसीलिये इसको स्थगित किया है कि सम्पूर्ण मामले की जानकारी करके वक्तव्य तैयार कर लें।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था में कार्य करने हेतु विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित प्रशासकीय बोर्ड में उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों का जिनमें से एक महिला सदस्य होगी, निर्वाचन करे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 की कार्य-सूची के मद संख्या 37 के बाद लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, नियम 110 के खण्ड (8) के अधीन मैं प्रस्ताव करता हूं कि

†दिनांक 7 अप्रैल, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

सम्बन्धित नियमों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 जो इस सदन में पुर:स्थापित किया जा चुका है और जो विचार एवं पारण के लिये आज की कार्यसूची की मद संख्या 44-45 पर रखा गया है, उस पर विचार एवं पारण का प्रस्ताव आज ही मद संख्या-37 के बाद लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मनोहर लाल-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

इस पर क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री मनोहर लाल-

इससे कोई मतलब नहीं है। आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन तो लें। आज इस माननीय सदन के सामने एक जबर्दस्त संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस समय सदन चल रहा है और मेरी जानकारी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय अध्यक्ष जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या यह सही बात है?

श्री हुकुम सिंह-

आज पहली अप्रैल है और माननीय सदस्य मनोहर लाल जी सामने खड़े हैं। यह तो पहली अप्रैल के लायक ही बात करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मनोहर लाल जी, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

नियम 56 के अन्तर्गत आज 33 सूचनायें प्राप्त हुई हैं इसमें एक ही विषय पर चार-चार और तीन-तीन सदस्यों ने अलग-अलग सूचनायें दी हैं तो उन सब को जो एक तरह की हैं, एक साथ करता हूं। इनको एक साथ करने के बाद 6 सूचनायें हैं जिन पर एक-एक व्यक्ति को सुनूंगा। (व्यवधान) मैं नाम पढ़ देता हूं श्री अवधेश प्रसाद, श्री राम सागर की सूचना फैजाबाद में पुलिस द्वारा लूटपाट के सम्बन्ध में है। इसी तरह की सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री अकबर हुसैन बाबर की है। मैं हर एक के नाम पढ़ देता हूं। श्री राम नरेश यादव के दो जगह सूचना पर हस्ताक्षर हैं। इसी में श्री मित्रसेन, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह की भी सूचना है।

श्री कल्याण सिंह, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री सरदार सिंह की पीलीभीत (न्योरिया) में दंगा के सम्बन्ध में है। इसमें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री किशन लाल के भी हस्ताक्षर हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री देव कुमार यादव की इलाहाबाद में उच्च न्यायालय को विखंडित करने की योजना के सम्बन्ध में है। जिस पर काफी चर्चा हो गयी है और एक घंटे की चर्चा उसमें स्वीकार की गयी है।

श्री जमुना प्रसाद बांस की बांदा सूती

कताई मिल में श्रमिकों की हड़ताल के सम्बन्ध में है। इसमें भी माननीय देव कुमार जी के हस्ताक्षर है। इसके अलावा श्री राम सजीवन, श्री मैनेजर सिंह के भी हस्ताक्षर हैं।

श्री राजकिशोर सिंह और श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी की सूचना बनारस में साम्प्रदायिक तनाव के सम्बन्ध में है ।

श्री सत्यपाल सिंह की शाहजहांपुर में दंगा के सम्बन्ध में है।

श्री राम नरेश यादव जी की शाहजहांपुर में हरिजनों के घरों को जलाये जाने के सम्बन्ध में है। श्री राम नरेश यादव के दो जगह पर हस्ताक्षर हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरी भी एक सूचना थी बनारस के बारे में। (व्यवधान) मैंने भी नियम 56 में बनारस के सम्बन्ध में एक सूचना दी थी।

श्री अधिष्ठाता–

कुल 33 सूचनाएं आयी हैं। उनमें से केवल 6 पर एक-एक माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दी जाती है ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरी भी सूचना थी उसका क्या हुआ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं पढ़ रहा हूं। इनके अलावा श्री हर्षवर्धन, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री रघुवर दयाल वर्मा की गोरखपुर में हरि बनिया के परिवार को प्रताड़ित करने के बारे में है।

श्री सत्य प्रकाश विकल की विधायक श्री आसान सिंह द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में है।

श्री यदुनाथ सिंह की जनपद मिर्जापुर में वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में है।

श्री देवेन्द्र कुमार की जनपद ललितपुर में पुलिस अधीक्षक द्वारा जातिवाद फैलाने के सम्बन्ध में है।

श्री बदन सिंह की आगरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में है।

श्री भगौती सिंह की विद्युत परिषद् में करोड़ों रुपयों के घोटाले के सम्बन्ध में है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क की मुरादाबाद में हत्याओं के सम्बन्ध में है।

श्री शतरुद्र प्रकाश की वाराणसी में हत्याओं के सम्बन्ध में है।

श्री सुखपाल पाण्डे की सेतु निगम, फाफामऊ, इलाहाबाद में ठेकेदार द्वारा मजदूर की हत्या के सम्बन्ध में है।

श्री विजय सिंह राणा की आगरा नगर में गंदे पानी की आपूर्ति के संबंध में है।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की बुन्देलखण्ड में पेयजल संकट के बारे में है।

श्री मनोहर लाल की जनपद बांदा में लोकदल कार्यकर्ता की हत्या के सम्बन्ध में है ।

श्री फजलुल बारी की मोहनलालगंज, लखनऊ में निर्बल वर्ग की जमीनों पर कब्जा के सम्बन्ध में है।

श्री किरन पाल सिंह की पश्चिमी उ0 प्र0 में उग्रवादियों के सक्रिय होने के सम्बन्ध में है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित की उन्नाव में पुलिस अत्याचार की सूचना। श्री राम सरन की सहारनपुर में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की सूचना। श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की कानपुर में पुलिस द्वारा

महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की सूचना। श्री रघुवर दयाल वर्मा की गेहूं की खरीद मूल्य निर्धारण से किसानों में असंतोष की सूचना और श्री कौशिक रमाशंकर की बनारस में जहरीली शराब पीने से मौतों के सम्बन्ध में है ।

इस प्रकार जितनी सूचनायें आयी थीं उनमें 6 सूचनाओं में, मैं एक-एक को सुनूंगा ।

श्री मित्रसेन–

व्यवस्था का सवाल है। नियम 56 में जो सूचनायें सुनने के लिये ग्राह्य करते हैं उसमें विभिन्न दलों के अलग-अलग लोगों ने सूचनाएं दी हैं और उनको एक में मिला दिया है। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक-एक को सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

नियमों के तहत आपने ही तय किया है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, कल तक एक अध्यक्ष पीठ से प्रक्रिया थी कि मान लिया एक ही विषय पर 10 लोग कार्य-स्थगन का प्रस्ताव देते थे, उनमें से एक-एक दल के एक-एक व्यक्ति को इजाजत मिलती थी, इसी बात को श्री मित्रसेन ने उठाया है। कल तक जो कार्य-स्थगन में प्रक्रिया थी कि एक कार्य स्थगन प्रस्ताव में, एक से अधिक व्यक्तियों ने प्रस्ताव दिया है तो एक-एक व्यक्ति को दो-दो मिनट के लिये समय दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

नियम तो है लेकिन समय को देखते हुए यदि पांच मिनट का सिलसिला शुरू किया तो पहले 5 मिनट, फिर 3 मिनट फिर 2-2 मिनट देना होगा, इसलिये यह व्यवस्था जरूरी है। चूंकि आइटम बहुत हैं एजेन्डे में, इसलिये देखना पड़ेगा कि कम से कम लोग कम से कम समय में अपनी बातें कह दें और समय बढ़ता जायेगा तो काम कैसे समाप्त होगा ? इसलिए आश्वासन देते हुए कहना चाहता हूं कि जितना कर सकता हूं, सुनिश्चित ढंग से वह करूंगा लेकिन रिपीट न करें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरे जनपद फैजाबाद में थाना हैदरगंज में एक गांव है मामपुर । वहां 21/22 मार्च की आधी रात को पुलिस के लोग अपने कुछ दलालों को लेकर मामपुर गांव में जाकर डकैती और लूटपाट करने लगे । लोगों ने समझा डकैत आ गए हैं तो वह दौड़े । इस पर उन्होंने गांव में आग लगा दी। पुलिस को फिर वहां से भागना पड़ा । दूसरे दिन 22 मार्च को दिन के 12-1 बजे थाना बीकापुर और हैदरगंज से दो गाड़ियों में भरकर पुलिस मामपुर गांव गई, जहां अधिकांश हरिजन और पिछड़े लोग रहते हैं । पुलिस ने गांव में पहुंचते ही वहां के आदमियों, औरतों और बच्चों को मारना पीटना शुरू किया और यहां तक अत्याचार किए कि जो महिलाएं अपने शिशुओं को दूध पिला रहीं थीं उनके बच्चों को उनकी गोद से छीनकर नालों में फेंक दिया । अविवाहित लड़कियां जो 15-16 वर्ष की थीं, उनको पकड़ कर पुलिस वालों ने उनके साथ बुरा काम किया। 60-70 साल की माताओं को इस तरह मारा कि उनके हाथों की हड्डियां निकल आईं और रूपा नाम की एक औरत है, उसको थाने में लाकर बन्द किया और रात

भर पुलिस वालों ने शराब पीकर उसके साथ बलात्कार किया । गांव वालों को इतना मारा कि वहां के सारे लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव चले गए । हम और श्री मित्रसेन जब 23 तारीख को वहां गए तो मालूम होने पर दूसरे गांव गए जहां वह लोग छिपे थे । उनको समझाने पर वह बड़ी मुश्किल से अपने गांव आए। सारे गांव में आतंक व्याप्त है जिससे काफी लोग गांव से अभी भी बाहर हैं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में उस क्षेत्र के राज्य मंत्री, श्री सीताराम निषाद ने इस घटना के बारे में कहा है, पुलिस की यह भूमिका शर्मनाक है और यहां तक कहा है कि ज्वायन्ट एस0 पी0 ने इस मामले को भड़काया है और सबको पिटवाया है । यह मैं नहीं, लोक दल का कोई सदस्य नहीं और विरोध पक्ष का कोई सदस्य नहीं कह रहा है । यह उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के एक सदस्य कह रहे हैं । ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार को एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है । मैं इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफे की मांग करता हूं और प्रस्ताव रखता हूं कि आज की समस्त कार्यवाही रोक कर इस गम्भीर मामले पर चर्चा कराई जाए । यह "जन-मोर्चा" में छपा हुआ है . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया बैठें, आपकी सारी बात हो गई है, अब आप बैठ जांए . . .

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

आज के 'अमृत प्रभात' में छपा हुआ है . . . (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं घटना के डिटेल में नहीं जाना चाहता, माननीय सदस्य सुहावल ने बहुत कुछ बता दिया है । हमारे फैजाबाद जनपद में पुलिस राजनैतिक प्रभाव में आकर या पैसे के दबाव में आकर कब्जे दिलाने और कब्जे खाली कराने का काम धड़ल्ले से कर रही है । वैध कब्जों को खाली कराने या अवैध कब्जों को खाली कराने की काफी कार्यवाही पुलिस के लोग वहां कर रहे हैं । एक परशुराम नट है, वह इतना शातिर है, वह इसी से स्पष्ट है कि यद्यपि वह गोसाईगंज टाउन एरिया में चुंगी क्लर्क है, किन्तु कभी भी वह टाउन एरिया में नहीं जाता है । किन्तु टाउन मैजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी तक सब जानते हुए भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं रखते हैं क्योंकि उसे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं और मंत्रियों का वर्चस्व प्राप्त है। उसके बाग के झगड़े के संबंध में एक दरोगा गया, जो दरोगा बड़ा बदनाम रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका बहुत हो गया है, आप ग्राह्यता पर आइए ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

वह गया, जब उसने जबरदस्ती कब्जा दिलाना चाहा तो उसकी पिटाई हो गई। उसने जाकर इस बात को थानाध्यक्ष को बताया और थानाध्यक्ष ने इस बारे में ज्वाइन्ट एस0 पी0 को बताया और उन लोगों ने तैयारी करके बीकापुर और हैदर-गंज थाने की पुलिस तथा और भी पुलिस को लेकर एक प्रकार से उस ग्राम पर धावा बोल दिया, औरतों व किशोरियों के साथ बलात्कार किया, कुछ औरतों को मेहगंज चौकी पर पकड़ कर ले गये और कुछ के साथ वहीं पर पुलिस कर्मियों ने बलात्कार

किया । डी0 आई0 जी0 के सामने यह सारी महिलायें अपनी शिकायत करने पेश हुई हैं । साथ ही इस मामले में करीब 12/13 घर बुरी तरह फूंक दिये गये हैं, उजाड़ दिये गये हैं। एक-एक साल के बच्चों को बेदर्दी से माताओं की गोद से छीनकर गड्ढों में फेंक दिया गया है । अब जिला प्रशासन ने अपराध को छिपाने के लिये कुछ पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया है । किन्तु आप इस मामले में उस अफसर पर रिस्पांसबिलटी फिक्स कीजिए, जिसके इशारे पर यह सब नग्न ताण्डव हुआ है और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जिससे राजनैतिक प्रभाव में आकर यह पुलिसकर्मी ऐसे अमानुषिक अत्याचार करना बन्द करें ।

श्री मित्रसेन–

मैं इस मामले में घटनास्थल पर गया था । घटना जिस तरह की घटी है, वह माननीय मंत्री जी के क्षेत्र की है, यह उस समय वहां पर दावत खा रहे थे । इनके कार्यकर्त्ता और ज्वाइन्ट एस0 पी0 के संरक्षण में एक बाग पर कब्जा करने के लिए ढ़ाई बजे रात को पुलिस गई । ज्वाइन्ट एस0 पी0 के इशारे पर पुलिस के लोगों ने पूरे गांववालों को बुरी तरह मारा पीटा। गर्भवती महिलाओं को चोटें पहुंचाई, कुछ महिलाओं को थाने में रोककर उनके साथ पुलिसवालों ने बलात्कार किया और कुछ किशोरियों के साथ भी वहीं पर बलात्कार किया गया । ऐसा निर्मम और जघन्य अत्याचार अभी तक कभी भी मेरे जनपद में नहीं हुआ है । इस घटना के बारे में जो पुलिस जनों को मुअत्तल करके दिखाया गया है कि उनकी स्क्रीनिंग की जायगी, उससे काम चलने वाला नहीं है । इससे सम्बन्धित पुलिसकर्मियों को तुरन्त बर्खास्त किया जाना चाहिए । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि अगर कोई महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करेगा, बलात्कार करेगा तो उसको बर्खास्त किया जायगा । तो इन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाय । माननीय मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिये अगर उनमें जरा भी चरित्र और नैतिकता है । अतः इस गंभीर मामले पर काम रोक कर चर्चा करायें । यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

श्रीमन्, इस घटना के बारे में बहुत कुछ ब्योरा आ गया है । हमारे इस क्षेत्र के मंत्री माननीय सीताराम निषाद जी भी सहमत हैं । उनका बयान अखबारों में आया है कि इस घटना की जिम्मेदारी ज्वाइन्ट एस0 पी0 की है । जिस थानेदार की बात की गयी है तो वह चौधरी थानेदार बेवाना में भी था और वहां पर उसने मारपीट की थी और इस पर 161 का मुकदमा हुआ था । इस पूरे मामले की जिला प्रशासन को जानकारी थी । जब पुलिस के आदमी मारे गये थे तो ज्वाइन्ट एस0 पी0 या एस0 पी0 को घटनास्थल पर जाना चाहिये था। माननीय सीताराम निषाद जी का बयान अखबारों में आया है कि इस मामले में ज्वाइन्ट एस0 पी0 का हाथ है। सत्तापक्ष के मंत्री और विपक्ष के लोग सभी इस बात से सहमत हैं कि वहां पर अत्याचार किया गया है । लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप इसे ग्राह्य करें और काम रोक कर इस पर विस्तृत चर्चा करायें।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियम 56 के माध्यम से जिस सूचना की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, उस पर पहले से ही प्रभावी कार्यवाही हो चुकी है। 4 सब-इंसपेक्टर निलम्बित किये गये हैं और 9 सिपाहियों को निलंबित किया गया है ।

3 के खिलाफ मुकदमें कायम किये गये हैं। तो इससे ज्यादा और कठोर कार्यवाही नहीं हो सकती ।

सम्मानित सदस्यों ने माननीय मंत्री जी के बारे में कहा तो इसके बारे में जैसे ही उनको जानकारी मिली वह खुद मौके पर गये और घर-घर जाकर उन्होंने जानकारी प्राप्त की और कार्यवाही करायी । तो इसमें शासन की कोई उदासीनता नहीं रही है। अविलम्ब कार्यवाही की गई है । नियम 56 के अन्तर्गत इसको स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है ।

(कई मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें । अभी मैंने इस पर फैसला नहीं दिया है ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, महिलाओं के साथ वहां पर बलात्कार हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, आप अपनी बात कह चुके हैं । मैंने इस पर अभी कोई निर्णय नहीं दिया है ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं प्रदेश में व्याप्त एक गम्भीर स्थिति की ओर इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पिछले दिनों प्रदेश के अनेक स्थानों पर खून की होली खेली गयी है । सुनियोजित और पूर्वनियोजित, एक तरफा नरसंहार किया गया है । यह स्थिति किसी एक स्थान विशेष की नहीं है । भिन्न-भिन्न स्थानों पर यह परिस्थितियां पैदा हुई है। जिला पीलीभीत में न्यूरिया, जिला बिजनौर में नहटौर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद जिला बहराइच में रिसिया, नानपारा और वाराणसी तथा फतेहपुर में एक ही समय पर एक ही प्रकार के सुनियोजित हमले कर के नरसंहार किया गया। इससे प्रतीत होता है कि प्रदेश के अन्दर कोई न कोई विघटनकारी शक्तियां देश की एकता के साथ खिलवाड़ करने का अपना जाल बुन रही है । आज ऐसा लग रहा है कि देश की एकता, अखंडता, आजादी लोकतन्त्र के लिये भारी खतरा पैदा हो गया है । मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन विषय इतना गम्भीर है कि 2–4 मिनट ज्यादा लग जायं तो मैं अनुरोध करूंगा कि उतना समय मुझे दे देंगे। मैं जिला पीलीभीत होकर आया हूं और कल न्यूरिया भी गया था। यह मान्यवर, हमारी आंखों देखी बात है, मैं यहां पर कोई सुनी-सुनाई बात नहीं कह रहा हूं । मैं वहां पर गया और वहां के लोगों से सम्पर्क किया। यह जो तथ्य हमारे सामने आए कि वहां पर मान्यवर, एक तरफ नर-संहार हुआ है और सरकार की जानकारी के अनुसार केवल 7 हत्याएं हुई है जबकि कुल मिलाकर 35 हत्याएं हुई है और एक पच्चीस वर्षीय नव-युवती का शव . . . .

(समय 4 बजकर 20 मिनट पर)

*श्री सैयद अली अशरफी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस प्रकार की यहां पर असत्य बातें कहीं जा रही है चूंकि वह मेरा जिला और मेरा क्षेत्र है, मैं सुबह 10 बजे तक वहां रहा हूं और आज ही सबेरे मैं वहां से आ रहा हूं । तो मान्यवर, ऐसे असत्य तथ्यों की चर्चा की यहां सदन में कभी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और न ही चर्चा कराई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानी चाहिए क्योंकि इससे प्रदेश की शांति-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस बार ऐसे कई अवसर आए हैं कि जब ऐसा कोई विषय सदन में आया तो मान्यवर, न तो अध्यक्ष पीठ से ही और न ही माननीय नेता गण ने सदन में कोई ऐसी बात कही जिससे प्रदेश के वातावरण में कोई अनुकूल प्रभाव पड़ता और मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय कल्याण सिंह जी ने कुछ बातें कहीं और उस पर वहां से संबंधित माननीय सदस्य ने कुछ कहीं । तो मान्यवर, यह बात अपनी जगह सही है कि सदन में जो बातें कह दी जाती हैं तो बाहर उनकी चुनौती देना बड़ी कठिन समस्या हो जाती है । अभी आपने कहा कि 35 जानें गयीं तो मान्यवर, यह एक अतिश्योक्ति हो गयी क्योंकि वहां के जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान की रिपोर्ट के अनुसार 7 हत्याएं हुयीं और आपने 35 कह दी। तो इससे मान्यवर, बाहर का वातावरण बहुत अधिक खराब हो जाता है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के वातावरण को देखते हुए, ऐसे विषयों पर आप चर्चा न कराएं और यह कोई औचित्य का प्रश्न भी नहीं बनता है क्योंकि कार्य-स्थगन किसी न किसी सुनिश्चित सूचना पर होता है, बल्कि हर एक घटना की जितनी भी हत्याएं प्रदेश में हुयी हों, उन सबको मिलाकर आप नियम 56 में ले आएं तो यह नियम 56 का दुरुपयोग है । किसी सुनिश्चित सूचना के आधार पर यदि आप कोई घटना एक स्थान की लाते तो वह ठीक थी, परन्तु प्रदेश भर की कानून-व्यवस्था की तमाम सूचनाएं एकत्र कर आप नियम 56 में ले आएं, यह उचित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह बात सही है कि इस प्रकार की बातों से प्रदेश में उत्तेजना फैलती है लेकिन मान्यवर, यह बात तो स्वयं आपके संज्ञान में भी है कि जब इनके गृह सचिव जी सूचनाओं की ब्रीफिंग करते हैं तो क्या उससे प्रदेश में कोई असर या प्रभाव नहीं पड़ता होगा ? दूसरे आपने कहा कि 7 हत्याएं हुयी हैं, मैं अगर वहीं पर गया या माननीय कल्याण सिंह जी वहां पर गये और उनके संज्ञान में जो सूचना आयी, उसका जिक्र उन्होंने यहां पर किया और कार्य-स्थगन प्रस्ताव को लाने की यही एक मूल भावना होती है और फिर दोनों की जानकारियों के आधार पर यहां चर्चा हो जाती है, तो यहां पर इन्होंने ऐसी कौन सी बात कह दी ? यह तो इन्होंने यहां पर कहा नहीं कि हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो गया या प्रदेश में कहीं पर खून होने जा रहा है, ऐसी कोई बात तो इन्होंने कही नहीं, सिर्फ उसकी ग्राह्यता पर बोल रहे थे । बीच में ही उधर के एक मा0 सदस्य खड़े हो गये और बहुत जोरों से अपनी बात को कहना शुरू कर दिया तो किसी के द्वारा जोर से कही गयी बात का अर्थ यह तो होता नहीं कि यह सारी बातें सत्य हैं, जोर से कोई भी बोल सकता है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले उनकी बात को सुन लीजिए, फिर आप उस पर जो भी फैसला दें ।

*श्री फजलुल बारी–

इस पूरे बजट सत्र में कई बार जुल्म और ज्यादती देखी गई और उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वजह भी बताने की कोशिश की गई, कैसे इसको रोका जा सकता है ? कैसे स्थिति संभल सकती है, सरकार की क्या गलतियां है, किसकी वजह से यह सब हो रहा है ? जब भी हम लोगों ने इसको उठाने की कोशिश की, आपकी कुर्सी से कहा गया कि इसकी इजाजत नहीं दी जायेगी । इसका नतीजा यह हुआ कि जब यहां पर चर्चा नहीं होने दी गई तो यह चर्चा बाहर हुई । यहां आपका नियंत्रण था, बात कराते, कोई निष्कर्ष निकलता । लेकिन पूरी फिजा को दूषित करके इस पूरे प्रदेश को और पूरे देश को नष्ट करने का काम हुआ है । मैंने आग्रह किया था कि प्रेस गैलरी को खाली कराकर, विजीटर्स गैलरी को खाली कराकर इन मुद्दों पर बहस हो जाय और इसका कोई स्थायी हल निकाला जाय । लेकिन यह कह कर की संवेदनशील सवाल है, यहां पर चर्चा नहीं हुई । जब यहां बात नहीं होगी तो यह बात चौपाल और चौराहे पर होगी । वहां पर आपकी पीठ नहीं होगी, वहां बात होगी और बात के बाद हाथ होगा । मेरी गुजारिश है कि इन मुद्दों पर बहस कराईये, प्रेस गैलरी और विजीटर्स गैलरी को खाली कराकर । पहले दिन से आज तक वातावरण को दूषित करने का काम सरकार ने किया है और आतंक को भड़काया है । सरकार ने गरीब और मासूम लोगों को मरवाया है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह बात सही है कि इसको कई बार यहां उठाने की बात की गई और उस समय पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ के नेताओं ने और सदस्यों ने यही फैसला लिया कि जो बात यहां होती है, प्रदेश का बड़ा सेन्सिटिव माहौल है, ऐसे समय पर कोई ऐसी बात न कही जाय, इससे कल्यान सिंह और गुप्त जी तथा अन्य माननीय सदस्य सहमत थे । मैंने यह कहा था कि ग्राह्यता पर कोई बात कही जा सकती है । ग्राह्यता पर बोलते समय भी कोई ऐसी बात हो सकती है जो उत्तेजना का कारण बन सकती है । आपने नोटिस दे दिया, अपनी बात कह दी । हमने भी ग्राह्यता पर सीमित करके कहा कि इस सम्बन्ध में बात करायें कि कोई इस तरह की बात न आने पाये, जिससे बाहर निकल कर कोई बात हो । इस सदन की जिम्मेदारी है, यहां से कोई बात निकलती है तो उससे ज्यादा परेशानी होगी । कोई सदस्य यह नहीं चाहता है कि तनाव बढ़े, झगड़ा बढ़े। आप पीलीभीत पर कह रहे हैं, दूसरा भी आया है । इसीलिये हमने कहा कि फला जगह के बारे में फला साहब ने सूचना दी है, कार्य-स्थगन की नोटिस दिया है । बनारस के बारे में शतरुद्र जी ने दिया है । मैं समझता हूं कि चर्चा कराते हैं तो यह चर्चा किसी और विषय की तरफ निकल जायेगी । जो इंसानियत को बचाने की बात है, उसमें कामयाबी नहीं हो पायेगी । मैं निवेदन करूंगा कि ग्राह्यता पर बोलते हुये, फैक्ट से हटकर कुछ इस तरह से बात की जाय कि कोई ऐसी बात न होने पाये । मैं इसकी अनुमति देता हूं ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, जो आपने भावनायें व्यक्त की हैं और जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनसे सहमत हूं और एक भी शब्द ऐसा नहीं कहूंगा जिससे उत्तेजना फैलती

हो । मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य पीलीभीत को मेरी किसी बात से ठेस पहुंची। वैसे उनके बारे में भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उन बातों को मैं यहां नहीं कहूंगा।

(श्री सैयद अली अशरफी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अशरफी जी, आपका कहीं जिक्र होगा तो आपको स्पष्टीकरण देने का हक होगा ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कह रहा था, मेरा किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं था। मेरा कहना है कि न्योरिया, पीलीभीत में जो हुआ उसके लिये वहां का डी0 एम0, एस0 पी, ए0 एस0 डी0 एम0 और उस थाने का थानाध्यक्ष वी0 पी0 एस0 रावत जिम्मेदार है ।

श्री सैयद अली अशरफी–

मेरा क्षेत्र है, आप क्या बात कह रहे हैं? [x x x] आप क्या बात कह रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता–

सभी माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वे अपनी बात कह सकते हैं।

श्री सैयद अली अशरफी–

मैं उनके साथ रहा हूं। मैं वहां गया था। फैक्ट मुझे मालूम है, लेकिन यहां पर सत्य से परे बात नहीं कही जायगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह परम्परा बड़ी गलत है। माननीय कल्यान सिंह जी बोल रहे हैं । माननीय सदस्य को जो कहना है, उनके बोलने के बाद कहें। बीच-बीच में उठकर बोलने लगते हैं। आप उनको रोक दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपसे सहमत हूं। मैंने रोक दिया है। कल्यान सिंह जी से अनुरोध है कि वे एक मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त करें।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं तो अब तक खत्म कर चुका होता, लेकिन बीच में व्यवधान डाल दिया गया। मेरा कहना है कि वह दुर्भाग्यपूर्ण नरसंहार बचाया जा सकता था। यदि वहां के अधिकारी सूझ-बूझ से काम लिये होते। इस सारे झगड़े की जानकारी वहां के डी0 एम0, एस0 पी0, ए0 एस0 डी0 एम0 और थाने के इंचार्ज को थी, लेकिन कोई इन्तजाम नहीं किया गया । अचानक हमला हो गया। लोग मारे गये। एस0 ओ0 मौजूद था । कुछ लाशें उसी के सामने गिर गयीं। लेकिन कोई इन्तजाम करने के लिये तैय्यार नहीं था । एस0 ओ0 छिपकर एक छत पर चला गया और कुण्डी लगा ली । प्रशासन की असफलता और पागलपन इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जहां साढ़े दस बजे से साढ़े बारह बजे तक नरसंहार होता है और साढ़े बारह बजे एस0 ओ0 वायरलेस करता है, तब पीलीभीत से पुलिस और पी0 ए0 सी0 पहुंचती

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

है । इसी बीच में तीन बजे से 7 बजे तक पीलीभीत में होली का रंगारंग कार्यक्रम चलता रहता है । उस रंगारंग कार्यक्रम में ए0 डी0 एम0 और ए0 एस0 डी0 एम0 और सारे अधिकारी मौजूद रहते हैं। नृत्य का कार्यक्रम होता है । जिस समय पीलीभीत में यह रंगारंग कार्यक्रम हो रहा होता है, उस समय न्यौरिया में खून की होली खेली जा रही होती है। वहां से एक हजार लोग भागकर न्यौरिया की बंगाली कालोनी में जाकर रहते हैं । अधिकारियों को किसी की जान की चिन्ता नहीं । न्यौरिया मात्र 17 कि0 मी0 दूर है पीलीभीत से । वहां से पीलीभीत में लाशें आ रही हैं और पीलीभीत में प्रशासन मौज-मस्ती और म्यूजिक कार्यक्रमों का आनन्द ले रहा था । वहां के गरीब लोगों को घरों से निकाल कर उन पर खूनी हमला किया जाता है। बंगाली कालोनी के लोगों का अपराध यह था कि न्यौरिया से आये एक हजार लोगों को एकत्र करके उन्हें चावल दाल आदि दिया जा रहा था । पीलीभीत में दंगा हुआ, बरेली में, नगीना में यही हो रहा है और आप कह रहे हैं कि यहां पर चर्चा मत कीजिये।

हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन संसदीय कार्य राज्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि उनको जानकारी है कि बरेली और पीलीभीत में उन दिनों एक व्यक्ति विशेष के जहरीले भाषणों के कैसेट जगह-जगह सुनाये जाते रहे ? जहर की भावना फैलती जा रही है । वहां पर उसे रोकने के लिये कोई इंतजाम नहीं किया गया। इस सारे प्रकरण की जांच करा ली जाय। डी0 एम0, को एस0 पी0 को वहां के सस्पेंड किया जाय, दरोगा रावत तथा ए0 एस0 डी0 एम0 को बर्खास्त किया जाय । मान्यवर, यह मामूली आग नहीं है। इससे देश की एकता को खतरा पैदा हो रहा है। समाज को खतरा पैदा हो रहा है। वहां आज जनजीवन पूरी तरह असुरक्षित है।

(व्यवधान)

श्री सैयद अली अशरफी–

मान्यवर, चर्चा न करायी जाय, केवल ग्राह्यता पर सुनें।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य अगर चर्चा ही चाहते हैं तो आप दो घंटे की चर्चा करा लीजिये, मैं इसकी मांग करता हूं। चर्चा में तो बहुत से लोग नंगे होंगे ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ इस सदन में यह कहने की हिम्मत पड़ रही है कि आज उत्तर प्रदेश के इस सदन में सन् 1946 का दृश्य मेरे सामने आ रहा है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, अगर उससे वे सहमत हैं, तो मैं श्रीमन्, यह सोचता हूं कि सदन के माननीय सदस्य अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उस शपथ के खिलाफ, जो इस सदन में ली गयी थी, आचरण कर रहे हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बारह करोड़ लोगों में कुछ पशु हैं । जनता ने हमें यहां भेजा है कि सदन के माध्यम से हम उन पशुओं को ठीक करें। लेकिन अगर हम स्वयं पशुवत् व्यवहार करने लगेंगे, तो उन पशुओं को और शक्ति दे रहे हैं, प्रदेश में पशुवत् वातावरण बनाने की।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . .

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, यह आपका कर्तव्य है, दायित्व है . . .

(श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री किरनपाल सिंह, डाक्टर दिनेश जौहरी तथा श्री अवधेश प्रसाद के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सदस्यों के लिये पशु जैसा व्यवहार करने की बात कही है, आप देख लें।

श्री अधिष्ठाता–

एक विषय यहां पर आया है, अगर मा0 मंत्री जी बोलना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, यह आपका कर्तव्य है, दायित्व है कि ऐसे किसी विषय को इस सदन में न लें, जो आज संवेदनशील है। ग्राह्यता और नियम सब प्रदेश के लिये हैं। प्रदेश के लिये नियम और ग्राह्यता स्थगित किये जा सकते हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह कहा कि कुछ सदस्य पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय सदस्य की आई0 क्यू0 कुछ कम है। मैंने जो कहा, उसे पुनः सुन लें। मैंने यह कहा कि सदन का कुछ दायित्व है, हम इसलिए चुनकर आये हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पशुवत वातावरण है . . .

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

नहीं मान्यवर, आप कार्यवाही देख लें। इन्होंने यही कहा कि कुछ सदस्य पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं। हम भी पशुओं जैसा व्यवहार करने लगेंगे . .

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ध्यान से सुना कीजिये ।

श्री किरनपाल सिंह–

या तो स्वास्थ्य मंत्री जी हट जायं और या फिर मैं हट जाऊं । स्वास्थ्य मंत्री जी की मैमोरी शार्ट हो गई है । आप कार्यवाही देख लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । उनके मुख से यह शब्द सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ है। उन्होंने जानबूझकर माननीय श्री कल्यान सिंह जी को लांछित करके अपने स्तर का परिचय दिया है । मैं भी हिन्दी की थोड़ी सी जानकारी रखता हूं । उन्होंने कहा "पशुवत व्यवहार किया गया ।" माननीय श्री कल्यान सिंह जी ने कुछ तथ्यों की जानकारी दी । नगीना में 39 स्थानों पर होली जलाने के लिए लकड़ियां रखी गई थी । परन्तु होलिका दहन नहीं हुआ वहां पर, कोई मुसलमान का झगड़ा नहीं है । उन्होंने बताया कि पुलिस ने उत्तेजना फैलाई । वह तो कह ही रहे थे कि आप नरसिंह भगवान का जलूस निकालिए । पशुवत व्यवहार का लांछन लगाकर सदन में उत्तेजना फैलाने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है।

अगर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर और साम्प्रदायिक सौहार्द्र को तोड़ने का प्रयास होता तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा दूसरा पापी कोई नहीं है । माननीय श्री कल्यान सिंह जी ने तथ्यों की जानकारी यहां पर दी । यह बात सच है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस की अकर्मण्यता को हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे ? पहले तो पुलिस नहीं पहुंचती है और बाद में निरअपराध हिन्दुओं और मुसलमानों को रौंदती है और एक आतंक पैदा करती है। इसलिए मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो शब्द प्रयोग किए हैं, उन्हें सदन की कार्यवाही से निकालने की व्यवस्था करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसे देख लूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप क्या कार्यवाही को देखेंगे ? सदन के समक्ष उन्होंने बात कही है । जो उन्होंने असंसदीय वाक्य कहा है, उसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाय ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो पशुवत व्यवहार वाली बात कही है, उसे सदन की कार्यवाही से निकालने के लिए आप निर्देश कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

यदि उन्होंने कोई ऐसी डाइरेक्ट बात कही होगी तो मैं कार्यवाही को देख लूंगा और सदन की कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जानबूझकर कोई ऐसी बात नहीं कही होगी लेकिन उत्तेजना में एक शब्द उनके मुख से ऐसा निकल गया । हम लोग भी अगर यहां पर पशुवत व्यवहार करेंगे । इस बात को थोड़ा बहुत आगे-पीछे करके देखा जाए तो जो लोग इस बहस में भाग ले रहे हैं, उनके ऊपर एक प्रकार से यह लांछन आ जाता है । इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि वह अपने शब्द को वापस ले लें कार्यवाही से निकालने का क्या सवाल आता है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे शब्दों को मरोड़ दिया गया और माननीय गुप्ता जी तो तोड़-मरोड़ में माहिर भी हैं और जो वह कहना चाहते हैं, वह कह लेते हैं और सदन उसको सुन भी लेता है । सदन की कार्यवाही को पढ़ लिया जाय । कार्यवाही पढ़ा दीजिए । अगर मैंने जो शब्द कहा है वह किसी भी सदस्य की गरिमा के विपरीत हो तो मैं क्षमा भी चाहूंगा और वापस भी ले लूंगा । शर्त यह है कि पढ़ दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, अब आगे चलते हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आज पूरे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बन गया है । इस सरकार ने समझी में या नासमझी में, मैं कैसे कहूं क्योंकि उधर बहुत भिज्ञ लोग बैठे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज पिछले कई दिनों से हड़ताल चल रही है । वही नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उत्तेजना है, वैसी ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है । इस प्रदेश में हाईकोर्ट को विखण्डित करने के लिए जो योजना सरकार की है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यह करने की जो योजना है, इससे पूरे प्रदेश में एक उत्तेजना का वातावरण बना है । इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कई दिनों से कार्य बन्द है, कोई कार्य हो नहीं रहा है । आज हजारों की संख्या में वकील यहां आए हैं गिरफ्तारी देने के लिए । मैं यह कहना चाहता हूं

कि केवल यह सवाल नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खण्ड पीठ पश्चिम में बना दी जाय, इसका सवाल नहीं है । सवाल यह है कि अगर एक खण्डपीठ बना दी गई तो 1956 में जो गलती केन्द्रीय सरकार ने की थी रिआर्गेनाइजेशन कमीशन बनाकर...

श्री अधिष्ठाता–

इससे पूर्व भी आप कह चुके हैं, इसे चर्चा में ले लीजिएगा । समय को देखते हुए आप एक मिनट में केवल ग्राह्यता पर बोलें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इस प्रदेश को गंगा और यमुना की धरती को, राम और कृष्ण की धरती को, बंटवाने का काम न किया जाय । मेरा आग्रह यह है कि खण्डपीठ अगर बनानी ही है...

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो मामला हमारे योग्य नेता उठा रहे हैं, उस पर आज ही वक्तव्य हुआ है और इस पर चर्चा भी स्वीकृत हो चुकी है । जिस मामले पर उसी दिन वक्तव्य हुआ हो और चर्चा भी स्वीकृत हो, उस मामले को कैसे कार्य-स्थगन के माध्यम से उठाया जा सकता है, इस पर व्यवस्था दे दें ?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया है कि केवल ग्राह्यता पर बोलें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

वक्तव्य खण्डपीठ के संबंध में है । मेरा कहना यह है कि चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लोग हड़ताल पर हैं, आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश को जैसे 1956 में रि-आर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक कमीशन बनाकर इस देश का बंटवारा कर दिया है। छोटे-छोटे प्रदेश बना दिए गए हैं । क्या स्थिति है आज ? इसी तरह से अगर आज....

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने से घोर व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो इतना नाजुक प्रश्न उठाया है माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने और जिस भावना से ये बात कर रहे हैं, इसी के संबंध में श्री बरार जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो उस पर पहले आप अपनी व्यवस्था दें दें । ये तो इलाहाबाद में खुद हड़ताल कराने वालों में अग्रगण्य हैं ।

श्री अधिष्ठाता –

आप बैठें । माननीय रमण जी, मेरा ख्याल है कि आप केवल ग्राह्यता पर ही बोलें ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल –

जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता –

वह मैंने सुन लिया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

ऐसे नहीं चलेगा, बोलने भी नहीं देंगे और कहते हैं कि सुन लिया ।

श्री अधिष्ठाता –

आपने अपनी बात रमण जी, कह ली है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह –

ऐसे सदन नहीं चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता –

अच्छा, आप चन्द शब्दों में ही अपनी बात कह लें ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप पहले सुन लें उसके बाद ये बोलें । केवल ग्राह्यता पर ही आप इनको सुन सकते हैं लेकिन माननीय सदस्य विस्तार से विचार कर रहे हैं । इतनी देर में ही तो वे सब कुछ बोल गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता –

डाक्टर कौशल आप विराजें । बरार साहब ने इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । मैंने केवल ग्राह्यता पर बोलने के लिए उनको कह दिया है तो उन्हें ग्राह्यता पर आप बोलने के लिए उनको कह दिया है तो उन्हें ग्राह्यता पर आप बोल लेने दीजिए।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

शायद उनको भ्रम हो गया है कि उस कुर्सी पर इस समय आप नहीं बल्कि ये बैठे हैं । यह बात आप लोग बाद में बैठ कर तय कर लीजिएगा । अभी मुझे अपनी बात को कह लेने दीजिए । इलाहाबाद की खण्ड पीठ यदि विभाजित हो जायेगी तो आपकी न्यायपालिका कमजोर हो जायेगी। यहां पूर्व, पश्चिम और इलाहाबाद की कोई बात नहीं है । यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट को हटाना है तो पूरे हाईकोर्ट को वहां से स्थानान्तरित करके एक जगह स्थापित किया जाये जिससे कि आने वाले दिनों में प्रदेश का बंटवारा न हो । यह एक षड़यंत्र है, प्रदेश को बंटवाने का । यदि हाईकोर्ट को वहां से हटाना है तो उसे पूरा का पूरा आप हटाइये । इसलिए मैं चाहता हूं कि जब आप यहां इस पर चर्चा कराये तो इसका पूरा जवाब यहां आना चाहिए ।

(श्री राम सरन को पुकारे जाने पर)

श्री जवाहर सिंह यादव–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता –

किस नियम के अन्तर्गत आप व्यवस्था उठा रहे हैं ?

श्री जवाहर सिंह यादव–

जो यह सूचना दी गई है इसमें मेरे भी हस्ताक्षर थे, कुंवर रेवती रमण सिंह जी के साथ ।

श्री अधिष्ठाता –

समय को देखते हुए मैं अपने विवेक से एक ही सदस्य को इस पर सुनूंगा ।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि..

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री किरन पाल सिंह–

जब वह अभी कुछ बोले ही नहीं हैं तो व्यवस्था का प्रश्न किस बात का है?

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, जब आप कार्य-स्थगन पर माननीय सदस्य को बुलवाते हैं तो उसमें पर जिस माननीय सदस्य के हस्ताक्षर होते हैं, उन्हीं को कार्य-स्थगन पर बोलने का अवसर प्रदान करते हैं और अनुमति देते हैं, लेकिन राम सरन जी के उस पर हस्ताक्षर नहीं हैं, तो उनको बोलने के लये क्यों समय दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय कौशिक जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर तो अपनी व्यवस्था दे दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायें, मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे रहा हूं । इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है, इधर के और उधर के माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं ।

श्री राम सरन–

मैं एक मिनट में अपने विचार रख दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर मैंने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है ।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय कौशिक जी के व्यवस्था के प्रश्न पर आपने क्या व्यवस्था दी है ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बन कर रहेगी, नहीं तो उत्तर प्रदेश बंट कर रहेगा । इसको कोई रोक नहीं सकता है ।

(व्यवधान)

(श्री गोपाल दास यादव, श्री अनुग्रह नारायण सिंह और श्री जवाहर सिंह यादव सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है । आप बैठें ।

(श्री किरन पाल सिंह व श्री माता प्रसाद पाण्डेय के प्रयास से श्री गोपाल दास यादव, श्री अनुग्रह नारायण सिंह और श्री जवाहर सिंह यादव अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपनी-अपनी जगह पर बैठिये।

श्री जवाहर सिंह जी आप विराजें ।

श्री जवाहर सिंह यादव–

[x x x]

(श्री किरनपाल सिंह तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय के प्रयास से सदन के फ्लोर पर आये हुए सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जिन लोगों ने कार्य-स्थगन पर दस्तखत किये हैं उनको मौका दें। . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया विराजें। शांति बनाये रखें। (व्यवधान) आप लोग बैठें। मैं निर्णय दूंगा। सबको मैं नहीं बोलने देता हूं। एक आदमी इस पर बोलेगा . . . (व्यवधान) । राम सरन जी, माननीय उपनेता विरोधी दल, कृपया. . . (व्यवधान) ।

श्री जवाहर सिंह यादव–

मेरा भी एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता–

कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप बैठें।

श्री जवाहर सिंह यादव–

आपने तीन आदमियों को बोलने दिया और मुझे नहीं बोलने देते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें केवल रेवती रमण सिंह जी, श्री जवाहर सिंह जी और माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी के हस्ताक्षर हैं ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है. .

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जवाहर सिंह यादव–

अब वहां से व्यवस्था का सवाल आ गया?

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें। आपको बैठना होगा। व्यवस्था का सवाल आ गया है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय कौशिक जी ने भी यह बात कही थी कि कार्यस्थगन की सूचना पर जिनके हस्ताक्षर हैं वही बोलेंगे। आपने भी कहा कि इस सूचना पर फलां-फलां व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोई भी कार्य-स्थगन का प्रस्ताव या कोई औचित्य का प्रश्न या जो भी चीज सदन के सामने उठती है, यह हो सकता है कि उसे चाहे कोई माननीय सदस्य उठाये, उसमें जो बिन्दु अन्तर्ग्रस्त होता है जो बातें अन्तर्निहित होती हैं उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करना आपका अधिकार है और आप किसी भी सदस्य को बुलाकर सुन सकते हैं। तथा कार्य-स्थगन की सूचना पर इधर से भी सुन सकते हैं, उधर से भी सुन सकते हैं। आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री को भी सुनते हैं। जिसको जानकारी है या जिनको रुचि है उन सबको सुन-कर उस पर अपना निर्णय और व्यवस्था देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचना पर सुनना चाहते हैं तो और लोगों को भी सुनने का मौका दें, जिनको रुचि और जानकारी हो।

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश–

मेरा निवेदन यह है कि सदन को चलाने के लिए आपका सर्वाधिकार सुरक्षित है। अभी हाल में 10 रोज से यह परिपाटी चल गई है जिसमें सारे सम्मानित नेताओं और कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों की अध्यक्ष जी से बात हुई और यह तय किया गया कि 5/6 कार्य-स्थगन के प्रस्ताव लिये जायेंगे और विभिन्न दलों के एक-एक सदस्य को जिनके हस्ताक्षर होंगे, उनको बुलाया जायेगा। उसके अलावा भी आपने बुलवाया है, यह आपके विवेक पर है उसे मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने श्री जवाहर लाल जी ने और श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास जी ने दस्तखत किये हैं, उन्हें भी सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपसे सहमत हूं। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री जवाहर सिंह यादव–

मेरा यह जो विषय है जिस पर एक घंटे की चर्चा मानी है उससे यह बिल्कुल भिन्न है। इलाहाबाद हाई-कोर्ट में 15 दिन से कोई काम नहीं हो रहा है। जो फांसी पाये हुये हैं उनका अपील का मामला है, इसी तरह से डिमोलिशन के केसेज हैं जो पेंडिंग में पड़े हैं जिन पर स्थगन आदेश प्राप्त करने हैं। तो आज वहां सारा कामकाज पैरालाइज हो गया है। 31 तारीख से पूर्वांचल में पूर्णतः हड़ताल है वह जनसाधारण का आन्दोलन हो गया है, सारे लोग सड़कों पर आ गये हैं। आज एक हजार अधिवक्ता यहां पर गेट के सामने खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में यह ग्राह्यता का सवाल बनता है इसको आप स्वीकार करें और सारा काम रोक कर दो घंटे की इस पर चर्चा करायें।

(व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल पर कार्य स्थगन प्रस्ताव पर कई सदस्य बोले उनको आपने सुना और उसी पर आज वक्तव्य दिया गया। इसलिए इस कार्य-स्थगन पर, आप हमें भी दो-दो मिनट सुनें। इस सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ स्थापित करने की संस्तुति की है जो अपने आप में गैर संवैधानिक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्तुति की है यह असंवैधानिक है, इसका इनको अधिकार ही नहीं है। भारत सरकार को भी महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय के संबंध में इस तरह के आयोग गठित करन का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। संविधान में "विधि आयोग" का अस्तित्व है और ऐसे मामलों को उसे ही सुपुर्द करना चाहिये। (व्यवधान) अतः इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें। जसवंत सिंह आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसको वापस करायें जिसको चौधरी चरण सिंह जी ने भी अनुचित कहा है (व्यवधान) । अतः अमान्य स्थिति बरकरार हेतु उ0 प्र0 हाईकोर्ट बेंचों की स्थापना की संस्तुति वापस लेने की भी मांग करता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जो कार्यस्थगन की सूचना माननीय रेवती रमण सिंह जी ने दी है उसी पर दो मिनट हमें भी सुन लें। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं, आपने उस पर एक घन्टे की चर्चा स्वीकार की है। उस समय हमें अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस सूचना के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि क्या अगर दो चार सौ वकील माननीय सदस्यों के पास आकर कहें कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखो तो तभी वह कार्य स्थगन की सूचना हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

यह कुछ लोगों को भड़का कर षड़यंत्र हो रहा है जिससे न्याय व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

(श्री राम नरेश यादव के खड़े होने पर) यह बात आ गयी है पहले उसका जवाब दे दें।

श्री राम नरेश यादव–

उसी पर हमारा भी व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

जब आपका प्रस्ताव आयेगा तो उस वक्त बोलें।

श्री राम नरेश यादव–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

एक व्यवस्था के प्रश्न पर दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जो श्री जयदीप सिंह बरार की व्यवस्था से सम्बद्ध है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र कपिल श्री बरार आप लोग बैठ जायं। (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, कार्य स्थगन प्रस्ताव के संबंध में ग्राह्यता की शर्तें नियमावली के नियम 58 में लिखी हुई हैं।

(श्री रघुनाथ सिंह, श्री जयदीप सिंह बरार, श्री सुरेन्द्र कपिल आदि कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग एक साथ बोल रहे हैं जिससे एक भी आवाज साफ नहीं सुनाई पड़ती है।

इस पर, कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेगा और न इसकी व्यवस्था पर बोलेगा। अब इस पर चर्चा रोक दिया है। अब ग्राह्यता के बारे में, इस पर नहीं सुन रहा हूं। आप लोग बैठ जायं। माननीय सदस्य सहयोग दें। (व्यवधान) मैंने निर्णय दे दिया है। श्री जमुना प्रसाद बोस जी बोलें। (व्यवधान) आप लोग बैठ जायं। मैंने जमुना प्रसाद बोस को बुला लिया है। (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव–

व्यवस्था का प्रश्न है कुंवर रेवती रमण सिंह ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में अपनी बात रखी और माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें। सदन की भावना को आप देख रहे हैं, इसलिए आग्रह है कि इस पर चर्चा कराने के लिए कोई तारीख निश्चित कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

यह नहीं।

(व्यवधान)

आप लोग बैठ जायं। मैंने निर्णय पहले ही दे दिया है। आप लोग बैठ जायं। आप लोग समय को देखिये, कितने बजे तक आप हाउस चलायेंगे। अब आप बैठिए। (व्यवधान) मैं इजाजत देकर भी स्थगित कर सकता हूं, रोक सकता हूं। मैं अब किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठिये, मैंने सदन की भावना को देखकर सबको वहीं पर रोक दिया है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जो कार्य-स्थगन से भिन्न है, उस पर आप मुझे सुन लीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

मैं खड़ा हुआ हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। आप सभी लोग बैठिये। देवकुमार जी आप सीनियर और बहुत अच्छे मेम्बर हैं। बरार जी चाहते हैं कि उनको इस पर बोलने दूं। मैं कहता हूं कि कार्य स्थगन प्रस्ताव पर मुखतलिफ दलों के एक-एक, दो-दो सदस्यों को बोलने देने की जो बात थी, मैं सभी को इसको देखकर समय दिया है, लेकिन अब जब मैंने रोक दिया, क्योंकि समय नहीं है तो आप मेरे निर्णय को ही बार-बार चैलेंज करने के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं? (व्यवधान) मैंने निर्णय दे दिया है कि अब मैं आपको नहीं सुनूंगा। अब आप कृपा करके बैठें। बोस जी। (व्यवधान) मैं अब किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपकी पीठ से किसी माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति मिल जाए और वह जब बोलना प्रारम्भ करें तो कुछ माननीय सदस्य उसे टोकें, व्यवधान करें, तो आप क्या उस पर उस सदस्य को व्यवस्थित नहीं करेंगे?...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपकी बात को सुन लिया और आपको अनुमति देने के बाद यह भी कहा

कि आपकी बात को सुन लिया है और इस विषय को खत्म कर दिया है। बोस जी को बुला लिया है, फिर भी आप बराबर खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान) मैं बरार साहब से सहयोग मांगते हुए कहना चाहता हूं कि वह कृपया बैठें।

*श्री जमुना प्रसाद बोस–

मान्यवर, 29 तारीख को बांदा जनपद में जो सूती मिल है वहां पर पुलिस ने सूती मिल मजदूरों के ऊपर, जो 14 मार्च से हड़ताल पर थे, अकारण रात को दो बजे लाठी चार्ज किया। वहां पर करीब 31 मजदूर बिना किसी नोटिस के निकाल दिये गये थे, उसके विरोध में करीब 14 सौ मजदूर हड़ताल पर थे। (समय 5 बजकर 20 मिनट) मान्यवर, मजदूर वहां पर मिल के सामने धरना दे रहे थे। मिल के प्रबन्धकों ने भेजा, इलाहाबाद से किरायें के लोगों को लाकर मजदूरों पर हमला कराया और अशान्ति पैदा की। बांदा की पुलिस और मिल मालिकों ने मिलकर वहां पर लाठी चार्ज कराया। इस संबंध में वहां पर जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और लोकदल के लोगों ने मिल के गेट पर एक सभा का आयोजन किया तो सभी लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के सामने उन लोगों को पेश किया गया था जिनके चोट आयीं थीं। 10 आदमी आज भी जेल में बन्द हैं। पुलिस कप्तान ने कहा था कि मिल मालिकों और मजदूरों के बीच शासन नहीं पड़ेगा लेकिन पुलिस, प्रशासन ने रात के दो बजे वहां पर लाठी चार्ज किया। जो वहां के ज्वाइंट एम0 डी0 रामानन्द मिश्रा हैं, वह पहले मेरठ में थे और उन्होंने वहां पर गोली काण्ड करवाया था जिससे कई लोग मारे गये थे। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस प्रश्न पर आप सदन की कार्यवाही रोक कर दो घंटे की चर्चा करवायें।

*श्री राम सजीवन–

मान्यवर, बांदा कताई मिल प्रबंधकों के मजदूरों के प्रति तानाशाही रवैये के कारण 14 तारीख से लगातार बंद है। 13 सौ मजदूर लगातार हड़ताल पर हैं। दो बार वहां पर लाठी चार्ज हो चुका है। वहां के मजदूरों की बस्ती पर बाहरी जिले से गुण्डों को बुलाकर हमला कराया गया और औरतों की बेइज्जती की गयी है। इस तरह से प्रबन्धक मजदूरों का दमन कर रहे हैं और उत्पीड़न कर रहे हैं। सामूहिक रूप से मजदूरों को नौकरी से निकाला गया है। दोबारा जब लाठी चार्ज हुआ है तो फिर उसके बाद मजदूरों को निकाला गया है। पचासों मजदूरों को नौकरी से निकाला गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस पर सदन की कार्यवाही को स्थगित करके चर्चा करवायें।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, बांदा की कताई मिल के बारे में कई बार हम लोग इस सदन को आगाह कर चुके हैं। मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछली 9 जनवरी से वहां पर लगातार श्रमिक आन्दोलन और असंतोष भड़क रहा है। 14 मार्च से सूती मिल के मजदूर हड़ताल पर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हिन्दुस्तान की सीमा से बाहर की कोई मिल है। वहां के ज्वाइंट एम0 डी0 और मुख्य कार्यकारी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी ने इस मिल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। मजदूरों को 8-10 हजार रुपये लेकर भर्ती किया गया और 71 मजदूरों को अनाप शनाप ढंग से नौकरी से निकाल दिया गया है। जब इसके खिलाफ बजदूरों ने आवाज उठायी तो वहां पर लाठी चार्ज किया गया और मजदूरों का दमन करके बांदा में स्थिति को विस्फोटक बनाया गया। मजदूरों को जेल भेज दिये जाने के बाद, उनकी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ी कोई भयंकर दुर्घटना होने वाली है। बाहर से गुण्डों को बुलाकर मजदूरों पर हमला कराया जा रहा है। और मजदूरों को आतंकित करके उनका दमन किया जा रहा है और यदि इसी तरह से सरकार द्वारा उन मजदूरों की उपेक्षा हुई और वहां के एम0 डी0 व अन्य अधिकारियों को हटाया नहीं गया और जिन श्रमिकों को जो निर्दोष थे, निकाल दिया गया है, उनको वापस नहीं बुलाया गया तो कोई व्यापक घटना वहां पर घट सकती है। इसलिए मेरे इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाए ताकि बांदा की धरती पर कोई ऐसी नर-संहार की घटना घटने न पाये।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो बांदा कताई मिल की बात जिन मा0 सदस्यों ने उठायी है, इसकी जानकारी भी इलाहाबाद कमिश्नर द्वारा करा दी जाए जिस प्रकार से मिर्जापुर मिलों की इन्क्वायरी इलाहाबाद कमिश्नर द्वारा हो रही है, उन्हीं से इसकी भी जांच करा ली जाए।

(कई मा0 सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मा0 यदुनाथ सिंह जी आप किस पर बोलेंगे ? इसी बांदा वाली घटना पर या आपने कोई सूचना दी है, वैसे आपकी सूचना तो आज कोई है नहीं।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, इसी बांदा पर बोलना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, अब इस पर बहुत हो चुका है, अब मैं निर्णय सुनाने जा रहा हूं, कृपया शान्ति बनाए रखें। (घोर व्यवधान) श्री अवधेश प्रसाद जी वाले मामले में जो फैजाबाद से सम्बन्धित है, इसमें वक्तव्य स्वीकार कर लिया गया है। दूसरी सूचना पीलीभीत में मा0 कल्यान सिंह जी द्वारा जिन बातों का जिक्र किया गया है, उसको दिखवा लिया, जायेगा और जो कार्यवाही हो सकती होगी, वह की जायेगी और तीसरी सूचना जो कुंवर रेवती रमण सिंह की है, इस मामले में, जो चर्चा लगी है उसमें संदर्भित कर दिया जायेगा और चौथी सूचना जो श्री जमुना प्रसाद बोस की है, इसके लिए जांच के आदेश कर दिये गायेंगे कार्यस्थगन के रूप में। बाकी सूचनाएं अस्वीकृत कर दी गयीं। घोर व्यवधान के मध्य भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

कार्यसूची की मद संख्या-44 और 45 को मद संख्या 29 के बाद लिए जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मद संख्या 44 और 45 मद संख्या 37

के स्थान पर मद संख्या 29 के बाद ले ली जाए (घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैं अब तक तो बड़ी शांतिपूर्ण ढ़ंग से बैठा था, इसीलिए मेरी बात को ध्यान नहीं दिया गया जबकि बड़ा महत्वपूर्ण मामला है (घोर व्यवधान) अब यह कतई नहीं चलेगा। (शोर)

श्री अधिष्ठाता--

मा0 सत्यपाल सिंह जी आप विराजिए, इस पर कल विचार कर लेंगे। कृपया बैठ जाइए।

प्रश्न यह है कि मद संख्या 44 और 45 मद संख्या 39 के स्थान पर मद संख्या 29 के बाद ले ली जाये।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 1986

ससदीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, यह एक छोटा सा विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिसमें मा0 विधायकों को वर्तमान में 1250 रु0 निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 1600 रु0 कर दिया गया है और जो रेलवे कूपन्स अधिक मिलते थे, उसके स्थान पर 25 हजार अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गयी है।

श्री यदुनाथ सिंह को सदन से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

(श्री यदुनाथ सिंह कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना पर बोलना चाहते थे जिसके लिए श्री अधिष्ठाता द्वारा समय न दिये जाने के कारण वे सदन के फ्लोर पर आकर अध्यक्ष आसान की ओर बढ़े। डिप्टी मार्शल द्वारा इन्हें रोके जाने पर श्री यदुनाथ सिंह के प्रतिरोध करने पर अध्यक्ष आसन की ओर लगा बिजली का बल्ब टूट गया और डिप्टी मार्शल श्री यदुनाथ सिंह सहित गिर पड़े।)

श्री अधिष्ठाता--

सदन में अव्यवस्था पैदा करने के लिये, मैं श्री यदुनाथ सिंह को इंगित करता हूं।

ससदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री यदुनाथ सिंह को आज के लिये सदन से निलम्बित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने जो प्रस्ताव किया है, उससे सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(डिप्टी मार्शल तथा विधान सभा रक्षकों की सहायता से श्री यदुनाथ सिंह सदन से बाहर ले जाये गये)

---

†दिनांक 7 अप्रैल, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 1986 (क्रमागत)

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्यों को चिकित्सा के लिये जो कठिनाई होती थी उसके लिये 4 सौ रुपये प्रतिमाह भत्ता कर दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 एवं खण्ड–3

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:–

"(झझ) 'परिवार का सदस्य' का तात्पर्य सभा या परिषद् के किसी सदस्य के सम्बन्ध में, चाहे वह खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या नहीं, उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहिन से है जो ऐसे सदस्य के साथ निवास करता हो और उस पर पूर्णतया आश्रित हो,"

4 का धन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द "एक हजार दो सौ पचास" के स्थान पर शब्द "एक हजार छः सौ" रख दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं खण्ड 3 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–4

5 का स्थापन

4–मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्–

"5–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभा या रेल कूपन परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में किसी पद पर आसीन हो या नहीं, पच्चीस हजार रुपये से अनधिक मूल्य के रेल कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे सदस्य के द्वारा अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए किसी रेल से किसी श्रेणी में किसी समय उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर यात्रा के लिए ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जायं, उपयोग में लाये जा सकते हैं ।

स्पष्टीकरण–इस धारा में निर्दिष्ट रेल यात्रा के लिए रेल कूपन का मूल्य राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित किया जायगा ।''

श्री लाल प्रताप सिंह–

मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं:–

संशोधन

उक्त विधेयक के खण्ड 4 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 5 में शब्द ''अनधिक मूल्य के रेल कूपन'' के स्थान पर शब्द ''अनधिक मूल्य के रेल कूपन प्रति वर्ष'' रख दिये जायं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 5 से शब्द 'अनधिक मूल्य' के रेल 'कूपन' के स्थान पर शब्द 'अनधिक मूल्य के रेल कूपन प्रतिवर्ष' रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 5 से 11, खण्ड 9, प्रस्तावना व शीर्षक

धारा 6 का निकाला जाना

5–मूल अधिनियम की धारा 6 निकाल दी जायगी ।

धारा 7 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 7 में शब्द ''प्रथम श्रेणी में'' निकाल दिये जायेंगे।

धारा 8 का निकाला जाना

7–मूल अधिनियम की धारा 8 निकाल दी जायगी।

धारा 9 का प्रतिस्थापन

8–मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"9–धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का उपयोग प्रत्येक सदस्य द्वारा जो मंत्री, अध्यक्ष आदि धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद द्वारा यात्रा पर आसीन हैं, अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये शासकीय कर्तव्यों के पालन से भिन्न प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी भी समय किसी रेल द्वारा किसी श्रेणी में यात्रा के लिए विहित रीति से किया जा सकता है।"

धारा 11 और 12 का निकाला जाना

9–मूल अधिनियम की धारा 11 और 12 निकाल दी जायेगी।

नये अध्याय छः–क का बढ़ाया जाना

10–मूल अधिनियम में, अध्याय छः के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"अध्याय छः–क

चिकित्सा सुविधायें

18–क–सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या नहीं, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जाएं, निम्नलिखित का हकदार होगा, अर्थात् :–

(क) राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी अस्पताल या औषधालय में प्रदान की जाने वाली बाह्य चिकित्सा और सुविधाओं के बदले में जिसके अन्तर्गत औषधियां भी हैं, चार सौ रुपये प्रतिमास की धनराशि का दिया जाना ;

(ख) ऐसे अस्पताल में अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये, जिन्हें अस्पताल में चिकित्सा के लिये भर्ती करना अपेक्षित हो, निःशुल्क स्थान और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जाना।"

धारा 21 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 21 में, शब्द और अंक "धारा 5 और 6" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 5" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायेगा ।

(2) यह अधिनियम दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 से 11 तक खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

आज होली मिलन है, बाकी आइटम कल लिये जायेंगे। अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 32 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
1 अप्रैल, 1986

नत्थी 'क'

(देखिए तारां0 प्र0 स0–7का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर।)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या।–7 के प्रथम अंश के सम्बन्ध में सूचना—

क्रम सख्या	भूतपूर्व मंत्री का नाम	आवास संख्या
	सर्वश्री	
1	हबीबुर्रहमान नोमानी	बंगला नं0 10, दारुलशफा कम्पाउन्ड, उत्तरी भाग।
2	कृष्णानन्द राय	बंगला नम्बर–4, दारुलशफा कम्पाउन्ड, दक्षिणी भाग
3	रामकृष्ण द्विवेदी	बंगला नम्बर–10, दारुलशफा कम्पाउन्ड, दक्षिणी भाग
4	अम्मार रिजवी	बंगला नम्बर–11, गौतम पल्ली
5	पी0 के0 शर्मा	बंगला नम्बर–18, गौतम पल्ली
6	डा0 शिवानन्द नौटियाल	1—कालिदास मार्ग
7	लक्ष्मी शंकर यादव	2–कालिदास मार्ग
8	बलराम सिंह यादव	3–कालिदास मार्ग
9	रघुवीर सिंह यादव	4–कालिदास मार्ग
10	बच्चा पाठक	7–कालिदास मार्ग
11	अब्दुल रहमान खां नश्तर	8–कालिदास मार्ग
12	दलजीत सिंह	10–कालिदास मार्ग
13	गुलाब सेहरा	12–कालिदास मार्ग
14	जयराम वर्मा	4–न्यू एम0आर0कालिदास मार्ग
15	श्रीकृष्ण गोयल	एच–अ, पार्क रोड
16	काशी नाथ मिश्र	के–1, पार्क रोड
17	शिवराज सिंह	1–डी0एम0आर0 विक्रमादित्य मार्ग
18	गोपाल राम दास	2–नया विक्रमादित्य मार्ग
19	मोहम्मद अमीन अन्सारी	3–नया विक्रमादित्य मार्ग
20	गुलाब सिंह	2–नया ए–विक्रमादित्य मार्ग
21	छेदा लाल चौधरी	5—नया ए–विक्रमादित्य मार्ग
22	अजीजुर्रहमान	5–नया विक्रमादित्य मार्ग
23	सईदुल हसन	1–पुराना एम0 आर0 विक्रमादित्य मार्ग

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0स0–26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर।)

श्री शारदा प्रताप शुक्ल, सदस्य, विधान सभा द्वारा अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में शासन के समक्ष प्रस्तुत मांग पत्र तथा उस पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही

मद संख्या	शासन द्वारा की गयी कार्यवाही
1––ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का 15 हजार रुपया बढ़ाकर 50 हजार रुपया किया जाय।	अधिवक्ताओं का ग्रुप इश्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत निधन हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी को रुपए 15000 की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, प्रारम्भ में यह राशि केवल रुपए 5000 थी। अधिवक्ता कल्याण निधि की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए रुपए 15000 से बढ़ाकर रुपए 50,000 किया जाना सम्भव नहीं है।
2––वकीलों को स्कूटर एडवान्स, पुस्तक क्रय करने तथा अन्य साज-सज्जा के लिए समुचित एडवांस की व्यवस्था कराना।	वकालत एक स्वतन्त्र व्यवसाय है और किसी भी स्वतन्त्र व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों को इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का नहीं है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि के अन्तर्गत प्रदेश के पंजीकृत वार संघों को उनके पुस्तकालयों के लिए 5000 रु0 की धनराशि की सहायता पुस्तकों के रूप में दी जाती है।
3––65 वर्ष से अधिक आयु के वकीलों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना।	शासन द्वारा केवल सरकारी कर्मचारियों को ही पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अधिवक्ता न तो राजकीय कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं और न ही उन्हें श्रेणी के समकक्ष माना जा सकता है। अतः किसी भी आयु के अधिवक्ता को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। शासन की यह नीति नहीं है कि स्वतन्त्र व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों को पेंशन की सुविधा दी जाय।
4––नए वकीलों को 5 वर्ष तक रुपए 500 के हिसाब से आर्थिक सहायता देने का प्रबन्ध।	किसी भी स्वतन्त्र व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों को इस प्रकार की सहायता देने का दायित्व राज्य सरकार का नहीं है।
5––मुन्सिफ सेवाओं तथा हायर जुडीशियल सर्विस में भर्ती के लिए वकीलों को आरक्षण।	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की प्रतियोगितात्मक परीक्षा में विधि स्नातक वकील ही बैठने के लिए अर्ह हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों पिछड़े वर्ग, सेना के सैन्य वियोजित विकलांग

	अधिकारियों इमरजेंसी कमीशण्ड आफिसरों/ शार्ट सर्विस कमीशन्ड आफिसरों भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण अनुमन्य है। यदि कोई वकील उक्त आरक्षित श्रेणी में आता है तो उसे आरक्षण का लाभ अनुमन्य है। हायर जुडीशियल सर्विस की परीक्षा में सात वर्ष की वकालत पूरी करने वाले अधिवक्ता निर्धारित आयु सीमा में बैठ सकते हैं और उन्हें भी आरक्षण सम्बन्धी लाभ मिल सकता है यदि वह आरक्षित श्रेणी में आते हैं।
6—प्रदेश के न्यायालयों के समीप वकीलों के बैठने के लिए व्यवस्था आदि करना।	न्यायालय प्रांगण में भूमि उपलब्ध होने पर पंजीकृत दीवानी न्यायालय/बार संघ को मात्र एक रुपया वार्षिक किराये की दर से पट्टे पर भूमि चेम्बर बनाने हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

नत्थी "ग"

(देखिए अता0प्र0स0–82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर ।)

1––निर्माण निगम के वर्किंग मैनुअल के अध्याय 30, प्रस्तर 914, 939 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 के मूल नियम 30 तथा 49 को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि स्थानापन्न कार्य एवं वेतन के सम्बन्ध में निगम एवं शासन के मूल नियमों में वैधानिक दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं है अपितु समानता और एकरूपता है, अतएव इस विषय में सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियम स्वतः सामान्य रूप से निगम के कर्मचारियों पर भी लागू हो जाते हैं।

2––निगम के मैनुअल 248–बी (डी) में उल्लिखित व्यवस्था, समानता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसी प्राविधान का सहारा लेकर, वर्षों से एक मात्र लेखा सहायकों को वित्तीय लाभ की सुविधाओं से निगम का प्रबन्ध कदाचित वंचित करता आ रहा है और प्रस्तर 248–बी(डी) को अविलम्ब समाप्त कर दिये जाने की आवश्यकता है।

3––यदि बिना कोई वित्तीय लाभ दिए लेखा सहायकों से लेखाकार के समस्त कार्यों को कराए जाने के निगम के निर्णयों को उचित मान लिया जाय, तो फिर व्यावसायिक कार्य प्रणाली पर आधारित, निर्माण निगम जैसी स्वायत्त शासी संस्था में लगभग 125 लेखाकारों/वरिष्ठ लेखाकारों की सेवाओं का कोई औचित्य नहीं रह जाता है क्योंकि लेखा सहायकों की तुलना में उनका वेतन लगभग दुगना होता है।

4––दूसरी ओर यह प्रश्न भी उठता है कि यदि लेखा सहायकों को प्रस्तर 248–बी(डी) द्वारा उचित रीति से वित्तीय लाभ से वंचित रखा जा सकता है, तो वित्तीय हस्तपुस्तिका में भी कथित प्रस्तर 248–बी(डी) की भांति कोई व्यवस्था करके, शासन को भी प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के व्यय भार से बचाया जा सकता है।

5––इस विषय को पुनर्विचार करके, न्याय संगत रीति से हल किया जाय क्योंकि दिनांक 28–8–85 को जारी किए गए शासनादेश से किसी को न्याय नहीं मिलेगा।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 116 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर।)

ओबरी भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–3 बाराबंकी में समाविष्ट ग्राम ओबरी के खसरा नम्बर—

333, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 453, 454, 456, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497 498, 499, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 521,

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0–150 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर।)

किसी न्यायिक प्रतिष्ठान के विभिन्न न्यायालयों में नवम्बर, 1985 तक विचाराधीन वादों का विवरण

न्यायालय का नाम	दीवानी वाद		फौजदारी वाद	
	नवम्बर, 1985 के अन्त में लम्बित वाद	दो वर्ष से अधिक के लम्बित वाद	नवम्बर, 85 के अन्त में लम्बित वाद	दो वर्ष से अधिक के लम्बित वाद
1	2	3	4	5
1--जिला तथा सत्र न्यायाधीश	709	14	398	1
2--विशेष न्यायाधीश	194	81	155	29
3--प्रथम अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	583	155	116	42
4--द्वितीय अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	591	527	27	14
5--तृतीय अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	117	24	132	9
6--चतुर्थ अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	..	..	78	63
7--पंचम अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश	505	364	105	42
8--षष्टम अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	302	107	94	8
9--सिविल जज	791	417	24	4
10--अपर सिविल जज	416	236	17	14
11--मुन्सिफ बस्ती	1373	338	71	31
12--मुन्सिफ खलीलाबाद स्थान बस्ती।	1113	216	..	..
13--प्रथम अपर मुन्सिफ	504	241	..	..
14--द्वितीय अपर मुन्सिफ	..	..	..	..
15--तृतीय अपर मुन्सिफ	420	247	..	..
16--चतुर्थ अपर मुन्सिफ	475	193	..	..
17--पंचम अपर मुन्सिफ	739	396	..	..
18--मुन्सिफ बांसी	2380	1097	771	384

1	2	3	4	5
19—अपर मुन्सिफ बांसी	796	578	82	78
20—मुन्सिफ नौगढ़	756	635	1652	947
21—अपर मुन्सिफ नौगढ़	568	376	2238	1422
22—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	..	..	5152	2417
23—न्यायिक मजिस्ट्रेट (सदर)	..	..	1231	811
24—न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय)।	..	..	1969	589
25—अवर अप0 न्यायालय (प्रथम)।	..	..	3169	1421
26—अवर अप0 न्यायालय (द्वितीय)।	..	..	3638	1584
27—अवर अप0 न्यायालय (तृतीय)।	..	..	1001	391
28—अवर अप0 न्यायालय (चतुर्थ)।	..	..	1793	1191
29—अवर अप0 न्यायालय बांसी।	..	..	637	211
30—न्यायिक मजिस्ट्रेट (नलकूप खण्ड)	..	..	64	13
योग	13,332	6,242	24,614	11,716

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0–157 का उत्तर पीछे पृष्ठ 70 पर।)

जिला कारागार, मुरादाबाद वर्ष 1982–83 तथा 1983–84 में किए गए व्यय का मदवार विवरण

शीर्षक (मद)	व्यय	
	1982–83	1983–84
1	2	3
1––यात्रा भत्ता	10,485	12,993
2––कार्यालय व्यय	31,000	300,000
3––टेलीफोन	4,600	7,500
4––मशीन तथा सज्जा	2,000	100
5––छात्रवृत्ति	100	. .
6––कारागार भोजन	2,00,000	2,00,000
7––अस्पताल	25,000	35,000
8––अन्य व्यय	1,05,000	90,000
9––लाकअप भोजन	4,00,000	4,60,000
10––अस्पताल . .	38,000	59,000
11––अन्य व्यय	1,32,000	1,00,000
12––स0वि0आ0 कारागार भोजन . .	30,000	20,000
13––स0वि0आ0 लाकअप भोजन . .	1,10,000	80,000
14––कम्बल	14,000	14,000
15––दवाइयां क्रय	. .	39,862
16––अस्पताल उपकरण	. .	42,405
17––निर्माण	25,600	3,47,603
18––कच्चा माल	25,500	65,000
19––मजदूरी	1,400	310
20––मशीनसज्जा	41,000	21,690
21––अन्य व्यय	2500	3,000
योग . .	11,98,185	16,19,463

नोट––जेल के फण्ड का ब्रेकअप तीन मदों में किया गया है। मद सं0 4, तथा 8 कारागार जेल्स के अन्तर्गत, मद सं0 10 तथा 11 लाकअप कैदियों के निमित्त तथा मद संख्या 16, 20 एवं 21 सातवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुति के आधार पर इंगित किए गए हैं।

जिला कारागार, मुरादाबाद की वर्ष 1982 से जनवरी, 1985 तक की सम्परीक्षा एवं निरीक्षण आख्या

1--ठेकेदारों से उचित रेवेन्यू स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र नहीं लिए गए।

2--5 पीतल के फूलदान कम पाए गए।

3--6,650 ग्राम पीतल की कमी पाई गयी।

4--2.500 किलोग्राम सूत कम्बल की मरम्मत में दिखाया गया है, जिसकी क्षतिपूर्ति होनी है।

5--पशु राशन के लिए खली की खरीद में क्रमशः रु0 97.50 तथा रु0 7 के हुए अधिक भुगतान की क्षतिपूर्ति।

6--पशु राशन का स्टाक बुक सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

7--पाम आयल के स्थान पर सरसों के तेल के क्रय से शासन को हुई हानि रु0 2139 की क्षतिपूर्ति की जाय।

8--पाम आयल के क्रम में यू0 पी0 उपभोक्ता सहकारी संघ, मुरादाबाद को किए गए वास्तविक मूल्य से रुपया 20623.80 के अधिक भुगतान सहकारी संघ में समायोजित किया गया।

9--अम्चुर, डबल रोटी, अण्डे का क्रय के दर से अधिक करने से हुई हानि रु0 148.45 की क्षतिपूर्ति।

10--दाल के क्रय पर सहकारी स्टोर को 4 प्रतिशत की दर से दिए गए बिक्रीकर के मान्य न होने के कारण रु0 3731.20 को हानि हुई की क्षतिपूर्ति की जाय।

11--स्टाक बुक में 123 किलोग्राम दाल कम ली गयी हानि की गणना कर क्षतिपूर्ति की जाय।

12--5224.50 ग्राम लकड़ी का खर्चा नियम विरुद्ध करने से शासन को हुई हानि रु0 3395.63 की क्षतिपूर्ति की जाय।

13--प्रकीर्ण स्टाक बुक 18-82 से 14-12-82 तक उपलब्ध न होने के कारण सम्परीक्षा नहीं हो सकी।

14--मिट्टी के तेल के खाते में 30.880 लीटर की पाई गयी कमी की क्षतिपूर्ति की जाय।

15--सिविल वर्क के रजिस्टर का रख-रखाव उचित नहीं था तथा स्वीकृत धन के भुगतान प्रक्रिया वित्तीय नियमों के अनुसार नहीं थी।

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0प्र0सं0—168 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

सन् 1969 से 1985 के दौरान अपराध की संख्या निम्न प्रकार थी—

वर्ष	डकैती	लूट	हत्या	दंगा	गृह भेदन
1969	2101	3406	3147	7337	32884
1970	5525	9700	3502	14015	54645
1971	6004	10049	3572	14561	54968
1972	4909	8148	3701	12398	50219
1973	4932	8567	4063	13635	48615
1974	3164	10260	4586	14528	52091
1975	3242	9868	4499	13192	47325
1976	3315	6328	4286	10091	33124
1977	4187	7843	4756	11290	37300
1978	3644	6919	5202	11491	32484
1979	3650	7003	5329	11157	28223
1980	3643	6624	5422	10398	27050
1981	2858	5306	5568	9171	21915
1982	2225	4824	5758	9032	18812
1983	2075	4502	8503	7948	17267
1984	2735	6177	6218	10209	19867
1985	2235	5770	6275	8936	17877

सन् 1969 से 1985 तक निरीक्षक, उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिल की संख्या तथा पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, अति0 पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षकों के पदों में तुलनात्मक वृद्धि निम्न प्रकार है:—

	पुलिस महानिदेशक	पुलिस महानिरीक्षक	अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक	पुलिस उप महानिरीक्षक	कुल		
1969		2	1	15	18	438	प्रतिशत
1985	4	23	..	52	79	वृद्धि	

	निरीक्षक	उपनिरीक्षक	हेडकांस्टेबुल	कान्सटेबुल	कुल		
1969	558	4780	12179	66852	24369	168	प्रतिशत
1985	1344	10859	21141	108327	141671		वृद्धि

नत्थी 'ज'

(देखिए पीछे पृष्ठ 120 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र (1986) के लिए श्रीमती शशि शर्मा द्वारा पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या परिवहन मन्त्री जी बतायगे कि बसों के किराए की वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप ह ?	फिलहाल किराया वृद्धि का कोई विचार नहीं है।

डा० संजय सिंह,
परिवहन मन्त्री।

विधान सभा

पी०एस०थ०पो०-एल० 84 विधान सभा (139)--1986--813।